खण्ड-425, अंक-8
बुधवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1920
(15 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–94
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94
पुलिस ट्रेनिंग कालेज सीतापुर में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पुलिस अधिनियम की धारा–2 में समायोजित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत में राम चबूतरा व रामगंज में पेयजल समस्या के निदान हेतु नलकूप लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज की मुख्य सड़क को ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूसेपुर रायपुर के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	96
जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत नवीगंज से बिलियानी तक सड़क निर्माण में की गई कथित धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	97
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली विवाद न होने से संबंधित अनुदान की मांगों में परिवर्तन तथा वृद्धि किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	97
स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत के हिसाब से छूट दिये जाने के बावजूद उनके परिवार के पुरुषों द्वारा उनके काम न करने देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99
नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्नों का उत्तर विधान सभा में न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	100
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	100
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	101
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	101
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	101
लोक लेखा समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत) ...	101
लखनऊ में टैम्पो हड़ताल से आवागमन बाधित होने का प्रकरण उठाने का प्रयास ...	101
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	102–114
प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिये पीपल व नीम के वृक्षों का राजमार्गों के दोनों ओर वृहदरूप से वृक्षारोपण किये जाने संबंधी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (वापस लिया गया) ...	114–120
प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत डाक्टरों का एकीकरण कर समेकित श्रेष्ठता सूची बनाये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	120–126

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा का न्यून उत्पादन तथा इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	126-131
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	131–167
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या– 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	167–178
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)...	179
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–	
अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक विभाग (स्वीकृत)	179
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	179
जनपद बागपत में हिन्डन नदी पर निर्माणाधीन पुरामहादेव के पुल के निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	180
जनपद गोण्डा के थाना कटरा बाजार अन्तर्गत करनैल गंज से कटरा जाने वाले राजमार्ग पर शातिर अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों की जीप से कुचलकर निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181
प्रदेश में पशु मेलों में बिक्री हेतु मवेशियों को लाने ले जाने की सरकारी अनुमति के बावजूद जनपद अम्बेडकर नगर कोतवाली टाण्डा को पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182
मिर्जापुर स्थिति टाण्डा फाल वीयर का पानी नहर में न जाकर हरई नदी में जाने तथा उससे कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183
नत्थियां	184–187

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा का न्यून उत्पादन तथा इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	126-131
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	131–167
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग, (ग्राम एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या– 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	167–178
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)...	179
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–	
अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक विभाग (स्वीकृत)	179
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	179
जनपद बागपत में हिन्डन नदी पर निर्माणाधीन पुरामहादेव के पुल के निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	180
जनपद गोण्डा के थाना कटरा बाजार अन्तर्गत करनैल गंज से कटरा जाने वाले राजमार्ग पर शातिर अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों की जीप से कुचलकर निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181
प्रदेश में पशु मेलों में बिक्री हेतु मवेशियों को लाने ले जाने की सरकारी अनुमति के बावजूद जनपद अम्बेडकर नगर कोतवाली टाण्डा को पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182
मिर्जापुर स्थिति टाण्डा फाल वीयर का पानी नहर में न जाकर हरई नदी में जाने तथा उससे कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183
नत्थियां	184–187

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	रघुराज प्रताप सिंह	
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल	गोरखपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
उर्फ पप्पू भइया, श्री		विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल	हरिनारायण, श्री	बलिया
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु 3 अरब रुपये का प्राविधान प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या प्रचलित प्रणाली में कोई सुधार किये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

जी हां । वर्ष 1998-99 में कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति योजना में कुल 34990.88 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

जी हां । सुधार मेंअनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु गठित समिति में प्रधान के अतिरिक्त निकटतम प्रतिद्वन्दी को भी सम्मिलित किया जाना शहरी क्षेत्र में वार्ड/सभासद को भी छात्रवृत्ति वितरण समिति का सदस्य बनाया जाना, फर्जी संस्थाओं का चिन्हीकरण तथा उन पर कार्यवाही, वरिष्ठ अधिकारियों का व्यापक दौरा निरीक्षण शिकायतों की जांच तथा उन पर कार्यवाही आदि सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी ने जो प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि सुधार में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु गठित समिति में प्रधान के अतिरिक्त निकटतम प्रतिद्वन्दी को भी सम्मिलित किया जाना शहरी क्षेत्र में बार्ड/सभासद को भी छात्रवृत्ति वितरण समिति का सदस्य बनाया जाना, फर्जी संस्थाओं का चिन्हीकरण तथा उन पर कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों का व्यापक दौरा निरीक्षण शिकायतों की जांच तथा उन पर कार्यवाही आदि सम्मिलित है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के जांच करने वाले या उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है तथा जो लोग दोषी पाये जायेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जायेंगे, क्या उन्हें फौजदारी कानून के अन्तर्गत कड़ा दण्ड दिये जाने का प्रावधान भी किया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

यह प्राविधान पहले से तो है ही लेकिन जो छात्रवृत्ति वितरित की गई इसके सत्यापन का कार्य किया गया है जिसमें अभी तक जो स्थिति आयी है । उसमें 24 जिलों से रिपोर्ट आयी है उसमें 335 विद्यालय ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता किये हैं, 69 ऐसी संस्थायें हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन अस्तित्व में नहीं है, 18 ऐसी संस्थायें हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं किन्तु मान्यता प्राप्त नहीं है । 50 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके छात्रों की सूची फर्जी है, 186 ऐसी हैं जो शिक्षण संस्थाएं लम्बे समय से

छात्रवृत्ति की राशि जमा किये हैं, लेकिन उसका वितरण नहीं किया है । 12 ऐसी संस्थायें हैं जो छात्रवृत्ति के वितरण में, छात्रवृत्ति तो ले लेती है लेकिन छात्रों को पूरा पैसा नहीं देती है और उसमें कटौती कर लेती है । इस प्रकार 25 जिलों से अनियमितता के रूप में 78,47,579 धनराशि अनियमित तरीके से ले ली गयी और वितरित नहीं की गयी । मान्यवर, प्रश्न तो बहुत बड़ा कर दिया इसमें उत्तर देने में मुझे थोड़ा समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने ब्यौरा नहीं मांगा है इन्होंने कहां कि जो निरीक्षण के बाद अनियमितता पायी गयी इसमें क्या किया ? वह जांच के परिणाम का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, अभी तक 106 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । 80 को निलम्बित किया गया है । 7 को सेवाओं से पृथक किया गया है । 14 को आरोपित किया गया है । इस प्रकार 106 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है । माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 13 से वसूली का कार्य जारी है, 9 पर एफ० आई० आर० दर्ज की है । 11 की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है । 11 मामलों में शिक्षा विभाग को लिखा गया है जो 69 मान्यता प्राप्त है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए लिखा गया है जो छात्र वृत्ति डा कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त हैं उनके खिलाफ निलम्बन के लिए मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह जो समिति गठित की है इसमें प्रधानों के निकटतम प्रतिद्वन्दी को भी शामिल किया गया है । इसको अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए था । पराजित प्रधान को इस समिति में शामिल करने का क्या औचित्य है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, जो छात्रवृत्ति के लिए समिति चयन करती है इसमें ग्राम प्रधान के साथ हारे हुये प्रतिद्वन्दी को जोड़ा है । जैसा माननीय विधायक जी का विचार है ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठतम सदस्य को एवं अन्य जाति के वरिष्ठतम सदस्य को इसके अतिरिक्त पिछड़ी जातियों एवं अल्पसंख्यकों के वरिष्ठ एक सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तमाम जगहों की जांच कराई और उसके आंकड़े बताये इसमें अपना बलिया जनपद शीर्षस्थ है । यहां 10 करोड़ की गड़बड़ी है तो क्या इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ फौजदारी कानून के अन्तर्गत कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है या कोई मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मैंने आंकड़े बताये हैं कि कितनों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की गई । बलिया का केस अलग है । अगर बलिया की शिकायत आयेगी तो उसको दिखवाया जायेगा । बलिया की विशेषता है कि वहां बड़े प्रबुद्ध और शिक्षित लोग हैं । मान्यवर, इस संबंध में एक और निर्देश यह दिया गया है कि जिलाधिकारी जहां कहीं अनियमितता पायें अपने स्तर से पूरी तरह छानबीन करके दोषी लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए समयबद्ध ढंग से आपके पास कोई योजना है । क्या इसकी व्यवस्था की जायेगी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समयबद्ध ढंग से मिल सके क्योंकि 97-98 में देखा गया है कि बहुत से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली । तो क्या इसकी जांच कराकर जिन छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले वर्ष नहीं दी गयी है, क्या उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, पिछले वर्ष से ही कड़ाई से इस बात का पालन किया जा रहा है, इस बार और मजबूती से होगा । सत्र के प्रारम्भ होते ही छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी जाय इसीलिए इस वर्ष 4 महीने की छात्रवृत्ति जून मास में ही जिलों को भेज दी गयी है और समय से न मिलने की कठिनाई का निवारण हो जायेगा । एक निवेदन माननीय विधायक जी के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा, छात्रवृत्ति वितरण का काम व्यवस्थित हो जाए । इसके लिए अभिभावक दिवस के रूप में जिसमें अभिभावक और छात्र होंगे और चयन समिति के सदस्य भी, तो इन सबकी उपस्थित में छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी और पूर्व की कमियां और अनियमितताओं को नियन्त्रित किया जायेगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जुलाई महीने में एडमीशन प्रारम्भ होता है । अधिकांश संख्या में छात्र विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं और विद्यालयों में कह दिया जाता है कि जगह भर गयी है, प्रवेश नहीं होगा और उनके नाम लिख लिये जाते हैं । आपने इकट्ठे छात्रवृत्ति दे दी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वार्षिक परीक्षा में जितने छात्र सम्मिलित होंगे वही असली छात्र माने जायेंगे, शेष जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उनके नाम पर निकाली गयी छात्रवृत्ति की वसूली उन संस्थाओं से की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जो चयन समिति बनती है उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, इण्टर और डिग्री कालेज के प्राचार्य और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित होने के बाद सूची समाज कल्याण विभाग को आयेगी, उसके अनुसार धन का आवंटन किया जायेगा । हमारा संबंध छात्रों की सूची से है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न यह था कि जो विद्यालय नगरीय क्षेत्र में चल रहे हैं जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा प्रवेश ले रहे हैं, प्राईवेट में नाम लिखा रखा है और सरकारी में भी नाम लिखा लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो वार्षिक परीक्षा में बैठेंगे उनको ही असली छात्र माना जायेगा और जो संस्थायें फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति निकाल रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, अगर इस तरह की कोई बात माननीय विधायक जी के संज्ञान में हो तो लिखकर दे दें मैं उसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कर दूंगा ।

श्री भरत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बलिया में लगभग 7-8 करोड़ से अधिक की धांधली हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो पिछले दिनों फर्जी तरीके से धांधली व लूटपाट की गयी है उसकी वसूली करने की कोई कार्यवाही करेगी ? दूसरा सवाल यह है कि बलिया जनपद में पैसों का दुरुपयोग किया गया, उनमें कौन-कौन सी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, वैसे तो सूचना व्यापक है । लेकिन फिर भी उत्तर दे रहा हूं कि केवल छात्रवृत्ति ही नही, पेंशन व बहुत से अनुदान हैं जिसमें घपला हुआ है । बलिया के समाज कल्याण अधिकारी को अभी वहां से हटाया गया है । उनके विरुद्ध निदेशालय स्तर से डिप्टी डायरेक्टर को भेजकर जांच करवा रहे हैं, जांच रिपोर्ट आने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी । माननीय अम्बिका चौधरी जी ने भी इस बात को उठाया था मैं बताना चाहता हूं कि जो अनियमितता में सम्मिलित पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बतला दिया कि चार महीने की स्कालर शिप जुलाई में वितरित किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है । यह बात सही है कि जो पुराने छात्र होंगे जो कक्षा 9 या कक्षा 7, कक्षा 8 कक्षा 11 में पढ़ते होंगे उनको तो स्कालर शिप मिल जायेगी लेकिन जिन्होंने जुलाई में एडमीशन लिया है । उनको अभी तक छात्रवृत्ति मार्च में मिलती रहने का सिलसिला जारी रहा है । यह मेरी भी जानकारी में है । क्योंकि मैं स्वयं प्रिंसिपल रहा हूं व कई विद्यालयों को देख रहा हूं । तो जिन छात्रों का एडमीशन जुलाई में होगा उनको अक्टूबर माह तक छात्रवृत्ति दिलाने का कष्ट करेंगे । क्योंकि जब इकट्ठे छात्रवृत्ति मिलती है तो फिजूलखर्ची छात्र करते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि जून महीने में छात्रवृत्ति का पैसा जिलों में भेज दिया गया है । इस संबंध में कड़े निर्देश भी दे दिये गये हैं । कि जुलाई तक छात्रवृत्ति वितरित कर दी जाए ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरा मतलब यह था कि जिन छात्रों ने जुलाई में प्रवेश लिया हो । उनको अभी तक यह परम्परा रही है कि स्कालरशिप मार्च में मिलती रही है जिससे वह साइकिल, कपड़े आदि खरीद लेते हैं व कापी किताबों की जरुरत पड़ने पर उनके पास पैसा नहीं रहता है तो क्या उनको छात्रवृत्ति अक्टूबर तक चार महीने की स्कालरशिप दिलाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि जिन छात्रों ने जुलाई में एडमीशन लिया हो उनकी भी छात्रवृत्ति अगस्त महीने तक दे दी जाय । पुनः मैं एक पत्र भेजकर इस पर जोर दे दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपने अपने उत्तर में यह कहा कि जिन छात्रों ने जुलाई माह में एडमीशन लिया है उनको भी अगस्त माह में छात्रवृत्ति दे देंगे । तो कितने महीने की छात्रवृत्ति दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कह दिया कि हम सुनिश्चित करेंगे व पुनः निर्देश दे देंगे । अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण इलाकों में किसानों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कथित आदेश

**2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी निदेशालय को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण इलाकों में किसानों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग पांच हजार इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प को छिद्रित करने के निरस्तीकरण के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ? क्या शासन पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों को छिद्रित कराने का आदेश देगी । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में निर्माण कार्यों हेतु रु० 110.00 करोड़ के प्राविधान के विरुद्ध रु० 281.21 करोड़ की अत्यधिक लाइबिल्टीज सृजित हो जाने के फलस्वरूप मण्डी परिषद् स्तर पर लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अनियोजित रूप से दी गयी अनारम्भ स्वीकृतियां जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ था, को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 4-10-1997 को लिया गया । अतः ऐसे हैण्ड पम्पों, जो एक ही ब्राण्ड में सम्मिलित थे लेकिन जिनके लिये सामग्री का क्रय नहीं हुआ था और न ही कार्य प्रारम्भ कराया गया था और न ही किसी प्रकार की धनराशि व्यय की गयी थी, की स्थापना का कार्य दिनांक 17-3-98 के आदेश से रोका गया, जिसके अनुपालन में परिषद मुख्यालय पर प्रदेश के निर्माण खण्डों से प्राप्त सूचना के परीक्षणोपरान्त 958 हैण्डपम्पों की स्थापना संबंधी आदेश निरस्त किये गये हैं । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रधान मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों में एक सम्पर्क मार्गों के प्रचलित कार्य को पूरा करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 149.00 करोड़ की आवश्यकता है जबकि निर्माण कार्य हेतु रु० 113.00 करोड़ की ही धनराशि मण्डी परिषद् व विभिन्न मण्डी समितियों के संसाधनों से इस वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध हो पायेगी । अतः धनाभाव के कारण मण्डी परिषद् के संसाधनों से हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु धन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिये प्रदेश के ग्रामीण अंचल में मण्डी के द्वारा समय-समय पर पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पंस की स्वीकृतियां जारी की गयी थी और क्या उसके निरस्तीकरण के आदेश दिये गये थे । मान्यवर, आप स्वयं देख लें, पहले के उत्तर में कहा गया है "जी नहीं" और उसी पैराग्राफ के अन्त में कहा गया है कि दिनांक 4-10-1997 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया । यह विरोधाभास है । फिर इसके आगे आप देखें, इसमें कहा गया है दिनांक 13-3-98 के आदेश से रोका गया, जिसके अनुपालन में परिषद् मुख्यालय पर प्रदेश के निर्माण खण्डों से प्राप्त सूचना के परीक्षणोपरान्त 958 हैण्डपम्पों की स्थापना संबंधी आदेश निरस्त किये गये हैं । कितना

विरोधाभास है । अन्त में माननीय मंत्री जी ने कहा कि धनाभाव के कारण मण्डी परिषद् के संसाधनों से हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु धन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जो अपना उत्पादन मण्डी समितियों में ले जाया जाता है, उनसे मण्डी शुल्क वसूला जाता है । इस शुल्क से मण्डी समितियां किसानों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग एवं उनके आवासों पर पेयजल हेतु हैण्ड पम्पस की योजना बनाते हैं । 149 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और 113 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुई हैं । तो क्या माननीय कृषि मंत्री जी इस 113 करोड़ रुपये से जिन हैण्ड पम्पस को इन्होंने अनियोजित कह कर निरस्त कर दिया है, यह इसलिये किया गया है चूंकि वे हैण्ड पम्पस इनकी सरकार में स्वीकृत नहीं हुए थे, इस प्रकार तो जो भी नई सरकार आयेगी वह पूर्व सरकार की स्वीकृत चीजों को निरस्त कर देगी, इसलिये मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि जो पैसा किसानों से शुल्क के रूप में वसूला जा रहा है उससे किसानों के लिये वह पेयजल हेतु क्या योजना बना रहे हैं । दूसरा, जिन हैण्डपम्पस को निरस्त किया गया है, क्या उन स्वीकृतियों को पुनः जारी किया जायेगा या फिर नये हैण्ड पम्पस हेतु प्रस्ताव लिये जायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य को हम समझा नहीं पाये । मान्यवर, उत्तर में कहीं विरोधाभास, नहीं है । माननीय सदस्य ने पूछा है कि 5 हजार हैण्ड पम्पों को निरस्त किया गया है । उत्तर है कि जी नहीं । कहीं विरोधाभास नहीं है । बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि मण्डी परिषद् और मण्डी समिति में जो धन उपलब्ध है वह जितने कार्य स्वीकृत हैं उसको ही पूरा करने के लिये सम्भव नहीं है । 149 करोड़ रुपये का कार्य मंडी परिषद् के क्षेत्र में है जिसको पूरा करने के निर्देश दे दिये हैं । हमारे पास उपलब्ध धन 113 करोड़ रुपये हैं । सरकार की प्राथमिकता यह होगी कि जो पुराने कार्य हैं इस सरकार ने स्वीकृत नहीं किये हैं पिछली सरकारों ने स्वीकृत किये हैं, उनको पूरा कराया जाय । जो कार्य स्वीकृत नहीं हुए थे उन्हें ही निरस्त कराने का निर्देश दिया गया । जहां हैण्ड पम्प लग गये हैं वह हटाये नहीं गये हैं । मेरठ का मामला था वहां पर छिद्रण हो चुका है, सामान आ गया है लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उस कार्य को पूरा कराया जा रहा है । जहां कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है धनाभाव के कारण उनको निरस्त कर दिया है । अपने बजट में मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बताया था कि मण्डी समिति द्वारा हैण्ड पम्प का कार्य नहीं लिया जायेगी इसका कारण यह है कि हैण्ड पम्प मण्डी समिति लगाती है, 2, 4, 6, छुटपुट स्थानों में अपने हिसाब से लगाती है और उसकी मेन्टीनेंस कास्ट अधिक आ रही है । सड़कें बनाने का कार्य स्वीकृत है, मण्डी समिति को सुदृढ़ बनाने का कार्य, मण्डी स्थल के अन्दर आने वाले किसानों और व्यापारियों के लिये आवश्यकता को देखते हुए हैण्ड पम्प या ओवर हैड टैंक बनाकर सुविधा दी जाती है । हैण्ड पम्प लगाने का कार्य ग्रामीण अंचलों में जल निगम का है और वह अपना कार्य कर रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मण्डी समिति के द्वारा इण्डिया मार्का–2 के हैण्ड पम्प इसलिये नहीं लगाये जायेंगे क्योंकि वह 2, 4, 6, ही लगाती है और उसकी कास्ट अधिक आती है । मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जो मण्डी समिति द्वारा लगाये जाते हैं उसकी धनराशि

जल निगम को देकर किसानों की राहत के लिये जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवायेंगे। मण्डी समिति नहीं लगा सकती है तो वह पैसा जल निगम को दे दें। किसानों से शुल्क लेते हैं सड़क और हैण्ड पम्प के लिये क्या उसको हटाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, हैण्ड पम्प के लिये धन उपलब्ध नहीं है। एक भ्रम मैं माननीय सदस्य के दिमाग से निकालना चाहता हूं कि मण्डी शुल्क किसानों से नहीं लिया जाता है जो व्यापारी/आढ़ती हैं, उनसे लिया जाता है न किसानों की कहीं देनदारी मण्डी शुल्क के लिये है।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसान अपने उत्पाद को मण्डी में नहीं ले जाता है। उत्पाद होता ही नहीं है तो फिर खरीददार आढ़ती कच्चा हो या पक्का क्या उससे मण्डी शुल्क बिना उत्पाद के लिया जा सकता है। श्रीमन्, यह सही है माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। किसानों से 2 परसेन्ट मण्डी शुल्क लिया जाता है। प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। वह इस तरीके से किसान अपने उत्पाद को मण्डी में ले जाता है चाहे कच्चा व्यापारी हो या पक्का व्यापारी हो उसको सरकार को 2 परसेन्ट मण्डी शुल्क देना पड़ता है। 50 रुपये धान है तो 8 रुपये एक क्विंटल पर देना ही पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बिना उत्पाद के ही कच्चा, पक्का आढ़ती मनमाने तरीके से मण्डी शुल्क देता है या आप जबरदस्ती वसूल करते हैं या जब उत्पाद किसान बेचता है तब लिया जाता है। मण्डी शुल्क किसान पर लगता है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। किसान का कोइ उत्पाद बिकता है मण्डी शुल्क काटकर ही वह खरीदता है अपने घर से देता नहीं है। श्रीमन् क्या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर मण्डी शुल्क नहीं पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से बहुत हटकर है।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करता हूं। मान्यवर, अप्रत्यक्ष रूप से कौन कहां भुगतान कर रहा है इसकी शासन को कैसे जानकारी हो सकती है ? नियम कानून जो बनते हैं कार्यक्रम उन्हीं पर चलाये जाते हैं। कानून, नियम, अधिनियम यह कहता है कि मण्डी शुल्क, जो खरीदेगा वह भुगतान करता है। किसान अगर दूसरे क्षेत्र में गल्ला बेचे तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से जो पूछा गया है इसमें उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक प्रश्न मुझे पूछ लेने दें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों (आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य) के लिए बीमा योजना की जानकारी

*1.-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन खेतिहर श्रमिक की 18 से 60 वर्ष आयु के मध्य मृत्यु की दशा में क्या कोई बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि की ? क्या सरकार उक्त योजना के लिये अनुमन्य धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)-

जी हां ।

मृत्यु की दशा में रुपये 2000/- की धनराशि नामित व्यक्ति को प्राप्त होती है । योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित है तथा अनुमन्य धनराशि में वृद्धि का अधिकार भी भारत सरकार/भारतीय जीवन बीमा निगम को है ।

योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । अतः राज्य सरकार द्वारा धनराशि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो लाखों की संख्या में भूमिहीन हैं और गठित भी है संगठित नहीं है उनका कोई संगठन नहीं है, उनके पास इन्कम के लिए कोई भूमि भी नहीं है उनकी मृत्यु के पश्चात उनका परिवार निराश्रित हो जाता है उनकी जीविका का कोई साधन नहीं होता है मंत्री जी ने कहा कि 2000 की धनराशि नामित व्यक्ति को प्राप्त होती है यह योजना भारत सरकार की है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? दो हजार से कोई राहत कार्य नहीं होता है । तो उत्तर प्रदेश सरकार भविष्य में इस धनराशि को दो हजार से अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार से प्रयास करेगी, या फिर जीवन बीमा निगम से प्रयास करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इनका सुझाव वैसे तो अच्छा है हम बहुत जल्दी भारत सरकार को पत्र लिखेंगे और बात भी करेंगे ।

श्री राम जग-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने खेतिहर मजदूर हैं । दूसरा यह कि पूरे प्रदेश में कितना उत्पादन होता है । आज के महंगाई के युग में उत्तर प्रदेश सरकार क्या केन्द्र सरकार से दो हजार से अधिक धनराशि दिलाने के लिए वार्ता करेगी ? और क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से बीमा योजना की धनराशि देने के लिए कोई योजना बना रही है और इसमें गम्भीरता से विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस बीमा योजना के अतिरिक्त क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसी घटना होने पर अपनी तरफ से धनराशि देने पर विचार करेगी इसका उत्तर दे दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की सीमित साधन हैं । वैसे तो बहुत अच्छा सुझाव आया है लेकिन साधनों को देखते हुए उस पर प्रयास तो किया जा सकता है लेकिन अभी इसमें कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री राम जग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के बारे में चिन्तित नहीं है, यह धनराशि बढ़ाने पर भी विचार नहीं कर रही है जिससे उनका हित हो सके । इसलिए हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कमीशन से मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं को वस्तुओं के विक्रय पर स्वीकृत रिबेट का भुगतान

*2–श्री राजधारी–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कमीशन से मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं को कितने वर्षों से खादी ग्रामोद्योग वस्तुओं के विक्रय पर स्वीकृत रिबेट का भुगतान नहीं हो रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार कुल कितनी धनराशि उ० प्र० शासन द्वारा संस्थाओं को देय है ? क्या सरकार उक्त धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कमीशन से मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं को वर्ष 1986-87 से वर्ष 1996–97 तक का आंशिक भुगतान किया गया परन्तु वर्ष 1997-98 के रिबेट दावों का अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है ।

खादी वस्त्रों के बिक्री पर दिनांक 31 मार्च, 1998 तक लगभग कुल रु० 20,37,61,021=22 पैसे संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा देय है ।

बजट उपलब्ध होने पर भुगतान किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वर्ष 1986–1987 से 1996–97 तक का आंशिक भुगतान करा दिया गया है और उसके बाद से आज तक भुगतान नहीं हुआ है तो इस तरह से करीब 20 करोड़ 38 लाख रुपया बकाया है । मान्यवर, खादी के बारे में विचार है और गांधी जी ने खादी को अपना हथियार बनाया था । और यह सही है कि खादी के काम में बुनकर और हमारी माताएं बहने लगी हैं और इसमें गरीब लोगों का समादेश है । लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण वर्ष 1997-98 के रिबेट दावों का अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है और 86 से 98 तक भुगतान नहीं हुआ है तो क्या सरकार इसके लिए कोई समय बद्ध सीमा की योजना बना रही है ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

खादी वस्त्रों की बिक्री पर 31 मार्च, 1998 तक कुल 20,37,61,021=22 रु० संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा देय है । जैसे ही बजट उपलब्ध होता है इसका भुगतान करा दिया जायेगा ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले आधा उत्तर ही दिया था आधा अब दिया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1986–87 से 98 तक जो लगभग 20 करोड़ 38 लाख रुपया बकाया है और इसमें छोटी-छोटी संस्थाएं इंवाल्व हैं और बिक्री का काफी हिस्सा रिबेट का आपके माध्यम से किया जाता है यह उदासीनता कब तक है। कितने दिनों के अन्दर इस पैसे के भुगतान की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री राजा राम पाण्डेय–

यथाशीघ्र जैसे ही बजट उपलब्ध होता है यह व्यवस्था मान्यवर, सम्भव हो जायेगी।

प्रदेश में बढ़ रहे मुंह के कैंसर को रोकने हेतु कार्ययोजना की जानकारी

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बढ़ रहे मुंह के कैंसर को रोकने के उपायों पर कोई कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कैंसर फैलने के कारणों का और उसके निवारण के उपायों का प्रचार करेगी और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों का उत्पादन पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

प्रदेश में मुंह के कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से कोई योजना कार्यान्वित नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 5 जनपदों में कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था में खोज एवं उसके उपचार की एक प्रयोगात्मक योजना चलायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त योजना में कैंसर रोग की जानकारी हेतु प्रचार/प्रसार सामग्री का वितरण किया जाता है। कैंसर पैदा करने वाले तत्वों में तम्बाकू का सेवन प्रमुख है। भारत सरकार में इस हेतु एक विधायन तैयार करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह मुंह का कैंसर असाध्य रोग होता है। सारी दुनिया में चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो स्वीकार किया है वह है कि मुख्य रूप से तम्बाकू इसका कारण है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था करेगी ? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक शोध टीम मैनपुरी में आयी थी सम्पूर्ण भारत में मैनपुरी में सबसे ज्यादा मुंह कैंसर के रोगी हैं। वहां पहले कपूरी, तम्बाकू और अब मैनपुरी तम्बाकू के नाम से तम्बाकू प्रचलित हैं और करोड़ों रुपये का व्यपार है तो इनके उत्पादन पर कोई रोक लगायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इसी सत्र में इसी संदर्भ में एक संकल्प पास किया गया था और भारत सरकार को वह भेजा गया है भारत सरकार से जैसे ही व्यवस्था हो जायेगी हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप सक्षम हैं, आप छापा डलवाकर प्रभावी तरीके से जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज सकते हैं और उनकी जो रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर उसमें रोक लगा सकते हैं। मैंने मैनपुरी का ही नाम लिया है आप 15-20 दिन के बाद, अन्तराल पर, छापा डलवाने का कार्य करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, छापा डालने के लिए कोई विधि होती है अनायास किसी के यहां छापा नहीं डाला जाता है। भारत सरकार जैसा विधायन बना देगी वैसे ही कार्यवाही करेंगे।

श्री श्री राम पाल–

मान्यवर, जालौन और झांसी मण्डल में सनी,मौनी, कृष्णा, गुरू, भैरव, किसान नामों से गुटका बनाये जा रहे हैं क्या उनका सैम्पुल लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण करा लेंगे कि कहीं इनसे तो मुंह का कैंसर नही बढ़ रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संकल्प के माध्यम से भारत सरकार को जो हमने भेजा है कि इस समय समग्र भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यापक और एक रूप विधायन नहीं है जो किसी भी रूप में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने, तम्बाकू से सम्बन्धित उत्पादों के सम्बन्ध में विज्ञापनों के सभी रूपों पर पूरी पाबन्दी लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबन्दी लगाने, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की सभी पैकिंगों पर नारे के रूप में विधिक चेतावनी को मुद्रित करने, शिक्षण चिकित्सा और अन्य स्थानों से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबन्दी लगाने और उससे सम्बद्ध या सहायक या अनुसंगिक सभी विषयों की व्यवस्था करता हो।

मान्यवर, मैंने बताया कि इस प्रकार से जैसा विधि भारत सरकार बना देगी, हम कार्रवाई शुरू कर देंगे।

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, क्या उन गुटकों की सैम्पलिंग कराकर जो प्रदेश स्तर की प्रयोगशाला है, में उसका विश्लेषण करायेंगे कि इससे मुंह का कैंसर होता है कि नहीं ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, विधान बन जाने के बाद इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जो गुटके बाजार में बिक रहे हैं इसका परीक्षण इस दृष्टि से करायेंगे कि उनसे कैंसर की वृद्धि होती है या बीमारी होती है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, करा लेंगे।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में जो मेरे क्षेत्र से मिला हुआ है, में खैनी की खेती की जाती है जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कह दिया कि विधायन बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष–जी, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि विभिन्न नामों से गुटके बनाये जा रहे हैं और इस बात की आशंका है कि इन गुटकों से कैंसर बढ़ने की सम्भावना है और इसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर कोई सदस्य शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि नियमित रूप से इसकी जांच करायी जायेगी जिससे कैंसर बढ़ने का खतरा न रहे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैंने कह दिया इसको करा लेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जैसा सभी को जानकारी है कि मुंह का कैंसर एक असाध्य रोग है तो मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कैंसर के रोग को रोकने और उसके निदान के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में और खास तौर से मैनपुरी में ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया सभी जगह जांच होगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के अधिकारियों का सेवाकाल के दौरान चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रस्तुत किया जाना तथा आय के स्रोतों की जानकारी

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के अधिकारियों ने अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ब्योरे और अब उनके द्वारा अर्जित सम्पत्ति में कोई अन्तर हुआ है ? क्या सरकार किसी निष्पक्ष एजेन्सी से इसकी जांच कराकर उनके आय के स्रोतों का पता लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर के अधिकारियों ने अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रस्तुत किया था, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जी नहीं । मान्यवर, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अधिकारी-कर्मचारी चयनित होते हैं, वह अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में आने के बाद देते हैं, तो चूंकि इस नियम का पालन नहीं हुआ है, इसलिये इसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, वर्तमान में सी०एम०एस० निदेशक स्तर के 11 अधिकारी तैनात हैं, उनमें से 9 ने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दे दिया है, दो ने नहीं दिया है, ब्योरा देने के लिये उन्हें निर्देश दे दिया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, शासन की सेवा आचरण नियावली में कर्मचारी-अधिकारी द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा सेवा में आने के बाद देने का प्राविधान है । यह भी प्राविधान है कि यदि कोई कर्मचारी 1000 रुपये से अधिक का कोई सामान खरीदता है तो उसके बारे में वह अपने विभाग को सूचना देगा । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्राविधान का जिन अधिकारियों ने पालन नहीं किया है, क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

इसीलिये निर्देश दे दिये गये हैं, जो पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, निदेशक स्तर से ऊपर महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, जिन्होंने 8 वर्ष में 10 करोड़ की चल अचल सम्पत्ति इकट्ठी की है, उनकी सी०बी०आई० से जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से लिखकर दे दीजियेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जिन लोगों ने पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो पालन नहीं करेगा, उसी के लिये तो निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा था कि सरकार किसी निष्पक्ष एजेन्सी से इसकी जांच कराकर उनके आय के श्रोतों का पता लगायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

जब अभी तथा कथित पक्षपात पूर्ण एजेन्सी से ही जांच नहीं हुई तो निष्पक्ष एजेन्सी से जांच कराने की बात कहां से आयेगी ?

तारांकित प्रश्न

भिक्षावृत्ति रोकने एवं तदजन्य समस्याओं के निराकरण संबंधी उपाय की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में भिखारियों की निरन्तर वृद्धि की समस्या का निराकरण करने के लिए कोई ठोस उपाय करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

भिक्षावृत्ति रोकने एवं तद्जन्य समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिशोध अधिनियम, 1975, प्रदेश में पूर्व से ही लागू है तथा प्रदेश में 9 प्रमाणित संस्थायें/भिक्षुकगृह संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भीख मांगने वालों की तादाद को देखते हुये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। शर्मिन्दगी की बात तब होती है, जब हमारे देश में विदेशी लोग आते हैं और भिखारियों की भीड़ देखकर उनसे ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते है जो असहाय होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तन्दुरुस्त होने के बावजूद भीख मांगते हैं। जिस अधिनियम का उत्तर में जिक्र किया गया है, उसमें दण्डात्मक तथा सुधारात्मक दोनों स्वरूप हैं। दण्डात्मक स्वरूप के तहत कितने लोगों के खिलाफ इस वर्ष कार्यवाही की गई है और सुधारात्मक स्वरूप में क्या काय-योजना है, यह दोनों प्रश्नों का उत्तर बता दें ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

माननीय विधायक जी के प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूं कि जो भिक्षावृत्ति प्रतिशेध अधिनियम, 1975 है, उसमें सुधार करने की काफी आवश्यता है। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं, जहां भिक्षावृत्ति नहीं होती जैसे गुजरात, पांडीचेरी, गोवा, महाराष्ट्र के गांवों में लोग भिक्षा नहीं मांगते। अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग कानून होने से इसमें दिक्कत है। यहां दूसरे प्रदेश से लोग आकर भिक्षा मांगते हैं, मैं पूरे देश में एक कानून बनना आवश्यक समझता हूं साथ ही ऐसी सामाजिक संस्थायें हैं जो इस काम को करना चाहती हैं। 20 संस्थाओं के प्रमाणित करने का मामला लम्बित है क्योंकि भारत सरकार कहती है कि प्रदेश सरकार प्रमाणित करके भेजे उसके लिये जो अधिनियम लागू है उसके प्राविधान इन पर लागू नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भिक्षा लेने पर रोक है लेकिन देने पर रोक नहीं है। पुनर्वास के लिये जो योजना की गई है, भिक्षा सुधार गृह से मुक्त होकर जब भिक्षुक वापस आता है तो उसे कई प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन वहां से वापस आने पर वह पुनः भीख मांगने लगता है जो व्यक्ति उनकी जमानत लेते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

मा० मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि संशोधन करने की जरुरत है तो क्या राज्य सरकार कोई स्टेट अमेंडमेंट लायेगी ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

अगर जरूरत होगी तो इसमें संशोधन किया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

भिक्षा की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिये प्रदेश सरकार की ओर से बहुत से जिलों में भिक्षुक शालायें खोलकर रखी गई हैं और उन भिक्षुक शालाओं में भिक्षुओं का विभिन्न प्रकार के कार्य सिखाये जाते हैं। इसके लिये वहां पर धन खर्च किया जाता है। मैं मा० मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी भिक्षुकशालायें हैं जो चल रही हैं और फर्जी संख्या दिखाती है। जब उच्चाधिकारियों का दौरा होता है तो बाहर के लोगों को लाकर गिनती दिखा दी जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि /

इतना रुपया खर्च हुआ है । क्या मा० मंत्री जी जो प्रदेश सरकार की भिक्षुकशालायें हैं वहां के भिक्षुओं की संख्या की जांच करायेंगे और जो भ्रष्टाचार है उसको रोकेंगे ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, प्रदेश में 9 भिक्षुकगृह चल रहे हैं । भिक्षा और भिक्षावृत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोकने के लिये 336 संस्थायें चल रही हैं । मान्यवर, विधायक जी का कहना सत्य है कि सभी संस्थायें इतनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं कि वह भिक्षावृत्ति को रोकने मे सक्षम नहीं हैं मैंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया है, जिनको देखकर यह कार्ययोजना बनाई है जिसमें काफी सुधार करने की योजना है ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने भिक्षुक हैं ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं सभी भिक्षुकगृहों में हो आया हूं । केवल हरिद्वार और वाराणसी के भिक्षुकगृहों में 43-43 की संख्या रजिस्टर पर है बाकी में शून्य है, कोई भिक्षुक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सर्वे कराया है कि कितने भिक्षुक हैं ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से और सर्वेक्षण कराये जा रहे हैं, भिक्षुओं का भी सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में करवा लिया जायेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भिक्षुओं को भिक्षुगृहों में पुनर्वास के लिये लाया जाता है उनमें से कितने भिक्षु ऐसे हैं जो पुनर्वासित हुये हैं और कितने उनमें से ऐसे हैं जो फिर से भिक्षुक हो गये ?

श्री अध्यक्ष–

मा० मंत्री जी अगर सूचना हो तो बता दें ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, स्थिति यह है कि जो भिक्षुक भिक्षागृहों से छूट कर जाते हैं, शासन से पैसा भी ले जाते हैं और फिर से दुबारा भिक्षा मांगने लग जाते हैं, एक दो परसेंट ही ऐसे हैं जो दुबारा भिक्षा मांगने से विरत रहते हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विषय है इसके संदर्भ में बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं, जैसा माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की विदेशों से भी पैसा लेते हैं और उसके लिये भारत के स्तर पर एक ऐसी संस्था है, एफ०सी०आर०ए० जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि विदेशों से जो स्वैच्छिक संस्थाओं को पैसा आता है उसी के मार्फत रेगुलेट हो कर आता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी उस एफ०सी०आर०ए० एजेन्सी से यह आंकड़े एकत्रित किये गये कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह के काम करने वाली जी संस्थायें हैं उनको एफ०सी०आर०ए० के माध्यम से विदेशी कन्ट्रीव्यूशन कितना मिला है और उसका उपयोग ठीक हुआ या नहीं ? इसकी जांच की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

अभी तक जो अधिनियम है वह 1915 का है इसका मैंने पहले ही जिक्र किया उसमें संशोधन करना होगा । यह विषय मा० विधायक जी ने ठीक उठाया है अभी तक कोई प्राविधान ऐसा नहीं है, जो संस्थायें भिक्षावृत्ति रोकने में प्रयत्नशील हैं उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है । कोई सूचना इस प्रकार की नहीं है कहां से वह धन लेते हैं । जैसा मैंने पहले निवेदन किया इसके संबंध में भी संशोधन करने पर हम विचार करेंगे ।

2–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में अधिकारी एवं कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त पुनर्नियुक्ति की जानकारी

*3–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होने के उपरान्त भी पुनर्नियुक्ति अथवा अस्थायी तौर पर निदेशालय में कार्यरत हैं क्या सरकार उन्हें तत्काल अवमुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उ०प्र०, लखनऊ में कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसा नहीं है जो सेवानिवृत्त होने के उपरान्त पुनर्नियुक्त अथवा अस्थाई तौर पर महानिदेशालय में कार्यरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

मान्यवर, मा० मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था कि स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य भवन में कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यरत हैं मुझे जानकारी है लगभग एक वर्ष पूर्व एक स्टेनों महानिदेशालय में कार्यरत था सेवा निवृत्ति के बाद उसे डेलीवेजेज में लगाया गया और कई अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद वहीं काम में लग जाते हैं । क्या इसकी जांच कराकर सूचना मंगाने का कष्ट करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैंने मा० सदस्य को बता दिया था कि कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्ति के उपरान्त नियुक्त नहीं है ।

*4–श्री राम नक्षत्र, श्री बेचन राम, श्री अक्षयवर लाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री जटा शंकर सिंह, श्री बी०एल० कुशवाहा, श्री हरदेव सिंह तथा श्री दया शंकर सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ०प्र० के विभिन्न जनपदों में जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के संबंध में विधायकों एवं सांसद की राय से धन आवंटन की जानकारी

*5–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० के विभिन्न जनपदों में जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत विधायकों के अतिरिक्त संसद सदस्यों की राय से धन आवंटन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विभिन्न जनपदों में जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय द्वारा किये जाने की व्यवस्था है, जिसके सदस्य मा० विधायक एवं मा० सांसद भी हैं । शासी निकाय की बैठक में संयुक्त रूप से जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी निर्णय लेते हैं ।

शासी निकाय के सदस्यगण भारत सरकार से स्पष्ट निर्देशों के अनुसार नामित होते हैं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सांसदों और विधान परिषद् के सदस्यों को इतनी जानकारी क्षेत्र की नहीं होती है जितनी की विधायक को । यह छोटी-छोटी योजनायें हैं क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि विधान परिषद् और सांसदों की सहमति से उनकी राय से जवाहर रोजगार योजना में धन का आवंटन न किया जाय ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है । डी०आर०डी०ए० के सदस्य माननीय सांसद और विधायक दोनों होते हैं । कुछ अधिकारीगण भी होते हैं तो माननीय सांसदगणों को इससे हटाना संभव नहीं है ।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, डी०आर०डी०ए० में सांसद और विधायक दोनो होते हैं । ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य भी इनके सदस्य होते हैं यदि यह तीनों व्यक्ति प्रस्ताव देते हैं और माननीय विधायक प्रस्ताव देते हैं तो पहले क्रम में वरीयता का निर्धारण कैसे किया जाय ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न ग्राम्य विकास अभिकरण से संबंधित है डी०आर०डी०ए० में माननीय विधायकगण सदस्य होते हैं । वह तय करते हैं कि क्या कार्य हुआ है और क्या होना है ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997 में 10 लाख कूप योजना और जवाहर रोजगार योजना में हमारे विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य हुये हैं । वह कागज पर हुये हैं । इस संबंध में शिकायती पत्र मैंने शासन को भेजा है । क्या उसकी जांच कराई गई । मैं यह जानना चाहता हूं कार्यकारी संस्था में कार्य निर्धारण करने का अधिकार किसको है । डी०आर०डी०ए० में जो कार्यकारी संस्था निर्धारित कर दी गई है क्या किसी अधिकारी को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है यदि नहीं तो किसी अधिकारी ने परिवर्तन किया है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है । लेकिन अगर वह जानकारी दे देंगे तो मैं उसकी जांच करा दूंगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यगण ने एक व्यवहारिक कठिनाई की बात कही है । इसको ध्यान में रखते हुये आपकी पीठ से निर्देश भी हुये थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला योजना और डी०आर०डी०ए० वगैरह में माननीय विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी । इसी में पूर्वांचल विकास निधि की भी बात आई थी उसमें से माननीय सांसदों को अलग करने का प्रश्न भी आपके संज्ञान में है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह तो विविधतायें हो रही हैं, डी०आर०डी०ए० वगैरह में सभी से प्रस्ताव मांग लेते हैं यहां तक कि जिला पंचायत सदस्य की सूची मांगते हैं । अन्त में माननीय विधायक की स्थिति दयनीय हो जाती है । मान्यवर, सभी लोग सूची दे दें लेकिन विधायक के माध्यम से ही अन्तिम प्रस्ताव जाये । माननीय सांसद और विधान परिषद के सदस्य हैं वह भी अपनी सूची दे दें लेकिन अन्तिम रूप से प्रस्ताव माननीय विधायक का ही माना जायेगा । क्या इस पर कोई आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे ? अधिकारीगण लड़ाने का काम करते हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गत सत्र में आपने सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में निर्देश दिया था । यह बात आयी थी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में माननीय विधायकों की भागीदारी कैसे हो ? इस संबंध में सम्मानित विधायकों के साथ बहुत जल्दी इसी सत्र के दौरान विचार करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, बड़ी दुखद स्थिति है । डी०आर०डी०ए० वगैरह में विधायकों की भागीदारी के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे सन्देश अच्छा नहीं जाता है । कोआपरेटिव के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य व अन्य तमाम लोगों से प्रस्ताव मांग लिये जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे 10 लाख कूप योजना है या जवाहर रोजगार योजना का पैसा है, क्या उस पैसे को विधान सभा क्षेत्रवार बंटवारा करेंगे ? आप सांसद को हटाये नहीं उसको बनाये रखें क्योंकि यह भारत सरकार की गाइड लाइन है क्योंकि सांसद के क्षेत्र में कई विधान सभायें आती हैं आप उनसे भी प्रस्ताव मांगें लेकिन जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उसके प्रस्ताव पर ही विचार हो ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि स्वशासी निकाय के सदस्य माननीय विधायकगण तथा सांसदगण हैं इसके अलावा कुछ अधिकारीगण भी हैं । सभी बैठकर निर्णय लेते हैं और उसका कार्यान्वयन होता है । अभी माननीय सदस्य गौरी शंकर जी ने कहा कि अधिकारीगण लड़ाने का काम करते हैं, अगर वह लड़ाने का काम करते हैं तो हम सब मिलकर निर्णय लें तो उसमें लड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या विधानसभावार बंटवारा करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो स्वदेशी निकाय है उसके जो भी जनप्रतिनिधि हों, उस सबसे आप प्रस्ताव मांगें लेकिन उस क्षेत्र के विधायक द्वारा प्रस्तावित योजना पर ही विचार किया जाये ।

मान्यवर, जिलाधिकारी अपने ढ़ंग से ब्लाक के बी०डी०सी० से प्रस्ताव मंगा लेते हैं, अगर उन प्रस्तावों का विधायकगण विरोध करें तो यह बी०डी०सी० का विरोध हुआ । इस तरह से इस छोटी सी धनराशि के लिये विधान सभा के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव मांगे जाये व उन्हें वरीयता दी जाये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह एक सुझाव है कि विधान सभा–वार होना चाहिये । इस संबंध में जिलाधिकारी, सम्मानित विधायकगण, सांसदगण सभी लोग मिलकर एक राय बनायें । जहां तक ग्राम्य विकास की बात है इस संबंध में जल्दी ही बैठक इसी सत्र में करेंगे । उसके बाद सब बातें तय हो जायेंगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, राम औतार शाक्य जी द्वारा तारांकित प्रश्न पूछा गया था उसमें पीठ की तरफ से निर्देश दिया गया था कि सभी दलों के नेताओं को बुलाकर मंत्री जी एक सप्ताह में बातचीत कर लेंगे, उसकी गाइड लाइन तय हो जायेगी । एक सप्ताह 17 दिन 18 दिन का हो गया मंत्री जी कितने दिनों का सप्ताह मानते हैं ? आपके निर्देश पर जो आश्वासन इन्होंने दिया था उसको कब पूरा करेंगे ? दूसरा झूठा वायदा कब तक चलता रहेगा ? तारीख बता दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं इसी सत्र में बैठक बुला लूंगा । अगर माननीय सदस्यगण चाहते हैं तो मैं कल ही बैठक बुला लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मुझे स्मरण है जिस सप्ताह में यह प्रश्न आया था उसके अगले सप्ताह में दलों के नेताओं की एक बैठक बुला लें यह पीठ की तरफ से निर्देश दिया गया था । जिसमें रास्ता निकल आयेगा कि विधायकों की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित हो । वह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है । इस सप्ताह में तीन दिन शेष हैं । मंत्री जी आप इसी सप्ताह में बैठक बुला लें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं कल ही बैठक बुला लूंगा ।

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी पूर्व सदस्य, विधान सभा के प्राप्त शिकायती-पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

*7–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी पूर्व सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 14-4-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि इसी संबंध में उनका एक पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को जो अगस्त, 1997 में प्राप्त हुआ था ? क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करके मुख्य मंत्री को अवगत कराने के आदेश प्रमुख सचिव चिकित्सा को दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में की गई मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर बिन्दुवार आख्या क्या है ? क्या इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्रों में की गई मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न हैं :–

(1) बलरामपुर अस्पताल में दवाइयों के क्रय एवं वितरण की प्रणाली में परिवर्तन करके औषधियों के वितरण में रु० 10.00 लाख का घपला किया गया ।

(2) मुख्य भण्डार में दवाइयों पर मुहर न लगाना ।

(3) संबंधित फार्मासिस्ट द्वारा घपला कर अवैध धनराशि का अर्जन करके फ्लैट व कई प्लाट खरीदना ।

उक्त शिकायती-पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जांच अभी भी जारी है । जांच आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मंत्री जी ने सारे पत्रों का विवरण दिया और अन्त में यह कहा कि उक्त शिकायती-पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जांच अभी भी जारी है । जांच आख्या प्राप्त हो जाने के उपरान्त नियमान्तर्गत यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, यह सारी प्रक्रिया लखनऊ में चल रही है । बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में है, सरकार लखनऊ में है । पत्र 1997-98 में मुख्य मंत्री को मिल चुके हैं । क्या इसमें कोई तिथि निश्चित होगी या कार्यवाही कब तक चलेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

बहुत जल्दी जांच करवा लेंगे । एक माह के अन्दर जांच करवा लेंगे ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजयेयी–

इसमें जांच अधिकारी कौन है ? जांच इस वक्त किस स्तर पर है ? मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें ।

श्री रमापति शास्त्री–

इसमें एस०पी० सिंह निदेशक राजकीय कार्यक्रम उत्तराखण्ड को जांच अधिकारी बनाया गया है । कल 14 तारीख को त्रिवेदी जी को बुलाया गया था । जांच पूरी हो रही है । एक महीने में जांच पूरी कराकर कार्यवाही कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

प्रदेश में वर्तमान समय में नर्सेज की ट्रेनिंग प्राप्त नर्सों की जानकारी तथा सरकारी सेवायें लिये जाने की मांग

*8–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में नर्सेज के कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं ? उक्त प्रशिक्षण संस्थानों से कितनी नर्सेज प्रतिवर्ष प्रशिक्षित होती हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन संस्थाओं से प्रशिक्षित नर्सेज में से किस वर्ष तक की प्रशिक्षित नर्सेज को सरकारी सेवा में ले लिया गया है तथा वर्तमान में बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सेज की कुल संख्या क्या है ? इन बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सेज को कब तक सरकारी सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश में वर्तमान में 11 नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान हैं ।

उक्त प्रशिक्षण संस्थान में 483 अभ्यर्थियों को नर्सेज प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वर्ष 1988 तक की प्रशिक्षित नर्सों को सेवा में ले लिया गया है । वर्तमान में प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सों की संख्या 1405 है ।

नियुक्ति पर लगी रोक अब शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है । अतः प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सों को पद उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी ।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत खादी बोर्ड की मानीटरिंग रिपोर्ट के सटल पर रखे जाने की मांग

*9–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में विगत 8 वर्षों से खादी बोर्ड की मानीटरिंग नहीं की जा रही है ? क्या यह सही है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय का गठन खादी बोर्ड द्वारा किये गये ऋण के उपयोग के सही आंकलन हेतु हुआ था ? यदि हां, तो क्या निदेशालय द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी पिछले 5 वर्ष की निदेशालय द्वारा खादी बोर्ड की मानीटरिंग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

जी नहीं । कुटीर उद्योग निदेशालय द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यों की देख-रेख समय-समय पर की जाती रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त जन-स्वास्थ्य रक्षकों का वेतन/मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

*10—श्री रामजग–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री विनोद मणि द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन-स्वास्थ्य रक्षकों को रु० 50.00 (पचास) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिये जाने की योजना भारत सरकार की है ? क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत जन-स्वास्थ्य रक्षकों की

उपयोगिता एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 25-7-97 द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो प्रदेश के जन-स्वास्थ्य रक्षकों के वेतन/मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा विधि संगत वेतन दिये जाने के संबंध में सी० एम० ओ०, हरदोई व सचिव, चिकित्सा उ० प्र० शासन एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य को आदेश हुए थे ? क्या उस पर महानिदेशक द्वारा कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस निर्णय के तहत क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा योजना की समीक्षा की जा रही है । उनके द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में याचीगण के प्रत्यावेदन को सम्यक् विचारोपरान्त महानिदेशक परिवार कल्याण के कार्यालय आदेश दिनांक 15-7-97 द्वारा निस्तारित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी के गरौठा के निकट धसान नदी पर बांध निर्माण कराकर पम्प कैनाल बनाने की मांग

*11—श्री चन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद की गरौठा तहसील का लगभग 3/4 भाग असिंचित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरौठा के निकट धसान नदी पर बांध का निर्माण कराकर पम्प कैनाल बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक पम्प कैनाल का निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

जनपद झांसी के गरौठा के निकट धसान नदी पर बांध का निर्माण करके पम्प कैनाल का निर्माण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

धसान नदी अन्तर्राज्यीय नदी है जिस पर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य की सहमति एवं जल उपलब्धता पर निर्भर है । जल उपलब्धता अभी सुनिश्चित नहीं है ।

बस्ती मण्डल में निजी क्षेत्र में डेन्टल कालेज खोलने हेतु लिये गये निर्णय की जानकारी

*12—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेन्टल कालेज खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कुल कितने डेन्टल कालेज खोले जायेंगे तथा इनका मानक क्या होगा ? क्या सरकार बस्ती मण्डल में भी डेन्टल कालेज खोलने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (प्रो० शिवाकान्त ओझा)–

जी हां ।

डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर आवेदन पत्रों पर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचार किया जाता है । डेन्टल कालेज खोलने की संख्या निर्धारित नहीं है ।

सम्प्रति बस्ती मण्डल में निजी क्षेत्र में डेन्टल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में प्रस्तावित चीनी मिल का निर्माण कार्य

*13—चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में प्रस्तावित चीनी मिल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त चीनी मिल कब तक चालू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निजी क्षेत्र के उद्यमी द्वारा चीनी मिल स्थापना की दिशा में सार्थक प्रयास एवं रुचि नहीं ली जा रही है । प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है ।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों, लिपिक, स्टेनों टाइपिस्ट, लेबोरेटरी व उपकरणों की कमियों को दूर करने विषयक कार्यवाही की जानकारी

*14—श्री राजधारी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों, लिपिकों, स्टेनो, टाइपिस्ट, लेबोरेटरी व उपकरणों की भारी कमी के कारण भारत आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा इस कालेज में एम० बी० बी० एस० की मान्यता वापस लेने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शिवाकान्त ओझा–

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता समाप्त करने का अभिवेदन किया है ।

कमियों को दूर करने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती, नये पदों के सृजन, उपकरण एवं अन्य व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ मेडिकल कालेज को सोसाइटी में परिवर्तित कर अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है ।

*15—श्री समर पाल सिंह–

[7वें शुक्रवार में ता० प्र० सं०–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

शारदा सहायक खण्ड 23 आजमगढ़ के लालगंज राजबाहा तथा टीकरगढ़ राजबाहा तथा उनके निकलने वाले सभी माइनरों का कार्य पूर्ण कराये जाने का मामला

1—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ के लालगंज राजबहा तथा टीकरगढ़ राजबहा तथा उनके निकलने वाले सभी माइनरों का कार्य पूर्ण हो गया है यदि नहीं, तो इन माइनरों के अपूर्ण कार्य से ब्लाक लालगंज तथा ब्लाक तरवा में जो जलप्लावन ह जाता है क्या उससे किसानों की क्षति हो रही है ? उसके समाधान के लिये इन माइनरों के कार्य को क तक सरकार पूर्ण कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

टीकरगढ़ राजबहा से निकलने वाली तीन व लालगंज राजबाहे से निकलने वाली दो अपूर्ण माइनरो को वर्ष 1998-99 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में विधवाओं को स्वीकृत की गयी विधवा पेंशन के संबंध में जानकारी

2—श्री समर पाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद रायबरेली में कुल कितनं विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत किया गया है ? क्या इन विधवाओं को वर्ष 1996 से अनुदा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत एवं उसका आधार क्या है ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जनपद रायबरेली में कुल 5709 विधवाओं को विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

जी नहीं । विधवा पेंशन के अतिरिक्त कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है । विधवा पेंश का ही मूल नाम निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नहरों की पटरियों का लेपन कराने के संबंध में सरकार की नीति एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

3—श्री रामजग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की पटरियों के लेपन कराने के संबंध में सरक की नीति क्या है ? क्या विधान सभावार नहर की पटरी का लेपन कराने की कोई योजना है ? क मेहनगर विधान सभा क्षेत्र (जनपद आजमगढ़) में शारदा सहायक खण्ड–23 (ठेकमा राजवाहा) की न की पटरी ठेकमा बाजार से गोसाई की बाजार तक, मेंहनगर से सिंहपुर तक इरनी से ठेकमा तक की नः की पटरी का लेपन कार्य क्या वर्ष 1998-99 में कराया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में नहर पटरी पक्का करने के जिलावार लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित करके जिलाधिकारी को सूचित किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके निर्धारित किलोमीटर्स सीमा के अन्तर्गत मार्गों का चयन करेंगे।

नहर पटरी पक्का करने का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा।

शारदा सहायक खण्ड–16 सुल्तानपुर के अन्तर्गत लोकेपुर स्केप के कि०मी० 4–200 पर डी०आर०बी० कम-फाल के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच आख्या की जानकारी

4–श्री अजय भट्ट

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–16 सुल्तानपुर के अन्तर्गत "लोकेपुर स्केप" के किलोमीटर 4–200 पर डी०आर०बी०–कम–फाल के निर्माण कार्य संबंधी अनुबन्ध संख्या–एस० ई०–2/81-82 के कार्य-संचालन में गम्भीर अनियमितताओं तथा कार्यों में बरती गयी उदासीनतावश जो रुपये 403672/- (373544+30128) का अतिरिक्त व्यय भार शासन पर पड़ा, की वसूली किसके नाम सुनिश्चित की गयी ? क्या इस संबंध में महालेखाकार, इलाहाबाद के आडिट दल द्वारा भी कतिपय आपत्तियां दर्ज की गयीं थी ? प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

"लोकेपुर स्कैप" के किमी० 4–200 पर डी०आर०बी० कम-फाल के निर्माण कार्य संबंधी अनुबन्ध संख्या–2/एस०ई/81-82 के अन्तर्गत केवल आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य एवं कुछ निर्माण सामग्री स्थल पर लाये जाने के बाद कार्य स्थल की स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित निमाण कार्य के रूप में परिवर्तन किये जाने के कारण अनुबन्ध को नियमानुसार अन्तिम कर दिया गया। कालान्तर में इसी स्थल पर केवल डी०आर०बी० के निर्माण हेतु अनुबन्ध सं०–2/ईई/96–97 तथा अनुबन्ध संख्या–ए०ई०–2/87–88 गठित हुआ जिसके अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण कराया गया। कार्य की लागत में वृद्धि सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि के कारण हुई, अतः किसी प्रकार की वसूली करने का प्रश्न नहीं है।

जी हां।

आडिट आपत्तियों का उत्तर महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है।

भ्रष्टाचार के प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर द्वारा प्रेषित अन्तिम जांच आख्या की स्थिति की जानकारी

5–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 65 लाख (पैंसठ लाख) से भी अधिक धनराशि के भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर के अ० शा० पत्रांक : 4033/सी-5, दिनांक 10-7-89 द्वारा जो जांच आख्या भेजी गयी थी, उसके उपरान्त अन्तिम जांच आख्या की क्या स्थिति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री रूप किशोर गंगवार निवासी एमनजई जलालनगर, शाहजहांपुर के शिकायती पत्र पर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर के अ०शा० पत्रांक : 4033/सी–5, दिनांक 10-7-89 द्वारा भेजी गयी थी, तदोपरान्त अन्तिम जांच आख्या अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर के अ०शा० पत्रांक : 4569/सिकाम/सी–5/15/88/शाहजहांपुर, दिनांक 26-27-7-90 द्वारा भेजी गयी जिसमें शिकायत निराधार पायी गयी है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी के अधीन लेखा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्तियां एवं वेतन का मामला

6–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी के अधीन लेखा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्तियां शासनादेशानुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा होनी थी ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित लेखाकर्मी उपलब्ध होने पर भी कार्यालय अधीक्षकों को उक्त पदों पर क्यों स्थापित किया गया ? वर्ष 1992 से अब तक कितने ऐसे कार्यालय अधीक्षकों को लेखा संवर्ग के पदों पर स्थापित किया गया जिनका पद लखनऊ मुख्यालय से बाहर था ? वर्तमान में कितने कार्यालयों के अधीक्षकों का वेतन विभागाध्यक्ष द्वारा आहरित वितरित किया जा रहा है जिनके पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु स्वीकृत नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेशानुसार लेखाकार के स्वीकृत आठ पदों में से चार पदों को सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान स्टाफ में से तथा शेष चार पदों को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से महालेखाकार द्वारा भरा जाना था।

लेखाकार तथा कार्यालय अधीक्षक का समान वेतनमान होने तथा महालेखाकार कर्मी उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1992 से 1994 तक छः कार्यालय अधीक्षकों का वेतन लेखाकार के पदों के विरुद्ध आहरित किया गया था।

छः कार्यालय अधीक्षक स्तर–2 वर्ष तक कार्यरत रहे। वर्तमान में कोई कार्यालय अधीक्षक कार्यरत नहीं है।

छः कार्यालय अधीक्षकों का वेतन विभागाध्यक्ष द्वारा विभिन्न मण्डलों के स्वीकृत पद के विकलनीय आहरित/वितरित किया जा रहा है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को संबोधित मा० विधायक श्री दद्दू प्रसाद के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

7–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को संबोधित माननीय विधायक श्री दद्दू प्रसाद का पत्र दिनांक 27-9-1997 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

जी नहीं। मा० विधायक का पत्र दिनांक 27-9-97 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में इवाकरा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में समितियों के नाम धन आवंटन में हुयी अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा में कार्यरत परियोजना निदेशक द्वारा इवाकरा योजना में वर्ष 1997-98 में कुछ ऐसी समितियों के नाम धन आवंटित कर अनियमित ढंग से धन की उगाही की गयी है, जो अस्तित्व में भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं। इवाकरा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 17 समितियों को कार्य हेतु अनुमति दी गयी है। अनुमति देने के पूर्व समितियों का विधिवत परीक्षण सहायक परियोजना अधिकारी (म) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से किया गया है। अभी तक इन समितियों को कोई धनराशि नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन/रेस्ट हाउस अनावासीय भवनों का आवासीय रूप में प्रयोग किये जाने का मामला

9–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-नैनीताल स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन/रेस्ट हाउस/अनावासीय भवनों का अब तक किन-किन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1990 से आवासीय रूप में प्रयोग किया गया ? शासनादेशानुसार संबंधित अधिकारियों से दण्डात्मक किराये के रूप में अब तक कितनी धनराशि की वसूली हुई ? क्या प्रकरण पर विभागीय सम्प्रेक्षा के माध्यम से आडिट करवाकर अमान्य वित्तीय अनियमितताओं की स्थिति बतायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद नैनीताल स्थित निरीक्षण भवनों/रेस्ट हाउस/अनावासीय भवनों का आवासीय रूप में प्रयोग नहीं किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त खण्ड विकास अधिकारी श्री राम दयाल आजाद विकास खण्ड खैरगढ़ जनपद मैनपुरी (अब जनपद फिरोजाबाद) के पेंशन ग्रेच्युटी व बीमा फण्ड आदि की धनराशि के भुगतान का मामला

10–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम दयाल आजाद विकास खण्ड खैरगढ़ जनपद मैनपुरी (अब जनपद फिरोजाबाद) से खण्ड विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी व बीमा फण्ड आदि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि श्री आजाद की मृत्यु के बाद उनकी विधवा श्रीमती गेंदारानी ने भी 31-5-1989 के बाद विभाग को उक्त अवशेष भुगतानों के लिये शासन व विभाग के अधिकारियों को 20 प्रार्थना-पत्र दिये ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नही, तो क्यों ? क्या सरकार स्व० श्री आजाद के वारिसान को उक्त भुगतान करना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री आजाद की सेवा पुस्तिका, जी० पी० एफ० पासबुक उपलब्ध न होने के कारण इन्हें पेंशन, सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि, बीमा योजना में जमा धनराशि तथा ग्रैच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका है । श्री आजाद की विधवा ने जिला विकास कार्यालय, फिरोजाबाद को अवशेष देयों के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं । श्री आजाद की विधवा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी को श्री आजाद की सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की गई जिस पर विभिन्न स्तर पर हुई कार्यवाही के उपरान्त पेंशन प्रपत्र आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा दिनांक 22-5-98 को महालेखाकार, इलाहाबाद की स्वीकृति हेतु भेजा गया है । श्री आजाद को देय सामूहिक बीमा धनराशि के भुगतान हेतु प्रपत्र दिनांक 22-5-98 को निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजे गये हैं । श्री आजाद की सामान्य भविष्य निधि पासबुक एवं महालेखाकार की अन्तिम लेखा पर्ची उपलब्ध न होने के कारण श्री आजाद के आश्रितों को जी० पी० एफ० का भुगतान नहीं किया जा सका है । अंतिम लेखा पर्ची जनपद फिरोजाबाद द्वारा

महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद से प्राप्त की जा रही है। स्व० श्री आजाद की पत्नी को सेवा निवृत्तिक लाभों का नियमानुसार भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधा प्रदान करने हेतु भा० चि० परि०, उ० प्र० के प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

11–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधा प्रदान करने हेतु भा० चि० परि०, उ० प्र० का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और वह क्या है ? क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

उक्त प्रस्ताव 10-3-98 को प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन, ग्रेच्युटी, नकदीकरण अवकाश, अवकाश यात्रा सुविधा, सामूहिक बीमा की सुविधाओं की सुविधा की मांग गयी गयी है। इस संबंध में निदेशक से आख्या मांगी गई है। आख्या प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा परिषद् में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान एवं परिषद् के घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान देने के संबंध में जानकारी

12–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के आय के स्रोतों के बन्द हो जाने के कारण उसमें कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान में कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिषद के घाटे की पूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

परिषद् की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधीन विभिन्न पदों की रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी

13–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधीन 1 जनवरी, 1997 से अब तक किन-किन पदों और कितनी-कितनी रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये गये ? क्या उन सभी पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराकर भर्ती कर ली गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चयन के लिए निर्धारित कुल अंकों में कितने अंक साक्षात्कार के लिए रखे गये हैं और कितने लिखित परीक्षा के लिए ? क्या सभी चयन नियमावली की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत टी० बी० संवर्ग के 64, बी० सी० जी० टेक्नीशियन, पैरामेडिकल संवर्ग के 23, लैब टैक्नीशियन एवं एक्सरे टेक्नीशियन 20, उत्तरांचल उप संवर्ग के 342 उपचारिकाएं डेन्टल संवर्ग के 45, डेन्टल हाई जिनिस्ट तथा नेत्र संवर्ग के 65, नेत्र सहायकों तथा मलेरिया संवर्ग के समूह "घ" के 25 पदों के लिए इस अवधि में विज्ञापन प्रकाशित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू कराने की मांग

14–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं ? उनमें से मौजूदा समय में कितने कार्यरत हैं एवं कितने किन कारणों से बन्द पड़े हैं ? क्या मंत्री जी बन्द पड़े नलकूपों की जांच कराकर जनहित में शीघ्र बन्द नलकूप चालू करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 150 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से तीन नलकूप असफल हैं । 147 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं । इन कार्यरत नलकूपों में से पांच राजकीय नलकूप यांत्रिक तथा 11 नलकूप विद्युत दोष के कारण बन्द हैं । बन्द नलकूपों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराकर चालू कराये जाने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

नलकूपों का खराब होना स्वाभाविक प्रक्रिया है । अतः जांच कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

आयुर्वेद यूनानी निदेशालय लखनऊ में सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों की संख्या एवं मूल तैनाती की जानकारी देने की मांग

15–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में आयुर्वेद यूनानी निदेशालय, लखनऊ में कितने चिकित्साधिकारी सम्बद्ध हैं और उनकी मूल तैनाती कहां-कहां हैं ? क्या उनके तैनाती स्थान पर किसी चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की गई है ? क्या यह सही है कि सम्बद्धता से चिकित्सालयों/ डिस्पेंसरियों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो इनको कब तक अपनी मूल नियुक्तियों पर वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय लखनऊ में तीन चिकित्साधिकारियों को उप निदेशक के रिक्त पदों के समक्ष तैनात किया गया है तथा उन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध उनका वेतन आहरित किया जा रहा है ।

उक्त तीनों चिकित्साधिकारियों के पूर्व तैनाती के स्थानों पर अन्य चिकित्साधिकारी पदस्थ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास अभिकरण लखनऊ में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत गुडम्बा रसूलपुर, सादात, कुम्हरावां की ग्राम पंचायतों में वर्षवार कार्य हेतु आवंटित धनराशि का सत्यापन कराये जाने की मांग

16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण लखनऊ में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 तक जनपद के विकास खण्ड बक्शी का तालाब की न्याय पंचायत गुडम्बा, रसूलपुर, सादात, कुम्हरावां की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा अंश के अन्तर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में कितना धन आवंटित किया गया है ? वर्षवार कब-कब कितनी धनराशि किस कार्य के लिये आहरित की गयी ? क्या सरकार निर्माण कार्यों का तकनीकी सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बक्शी का तालाब क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज, क्षेत्र पंचायत काकोरी में इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास के वितरण का मामला

17–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बक्शी का तालाब, क्षेत्र पंचायत गोसाईगंज, क्षेत्र पंचायत काकोरी में इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास के वितरण में शासनादेश संख्या–1735/38-5-96-658/96, दिनांक 2-6-1996 का पालन पूर्ण रूप से किया गया है ? क्या लाटरी प्रक्रिया में पात्र व्यक्तियों को ही आवास प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी को शासनादेश का उल्लंघन करने के लिये दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन हो रहा है । निर्बल वर्ग आवास योजना वर्ष 1996-97 से स्थगित है ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला अस्पताल शाहजहांपुर में कार्यरत लैब टैक्निीशियन द्वारा खुलेआम रिश्वत लेकर खून की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल शाहजहांपुर में कार्यरत लैब टैक्निीशियन द्वारा खुलेआम रिश्वत लेकर खून की जांच करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

संख्या–क–2–नं०–035404 पर मा० स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में वर्णित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-3-98 को प्राप्त हुआ । किन्तु काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । मा० सदस्य विधान सभा से पत्र की दूसरी प्रति अग्रतर कार्यवाही हेतु प्राप्त की जा रही है ।

मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) में स्थित शारदा सहायक खण्ड–23 की नहर पटरी ठेकमा से गोसाई बाजार तक मेंहनगर से सिंहपुर बाजार के लेपन स्तर के संबंध में जानकारी

19–श्री रामजग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) में स्थित शारदा सहायक खण्ड 23 की नहर की पटरी ठेकमा से गोसाई की बाजार तथा मेंहनगर से सिंहपुर बाजार के लेपन स्तर तक किये जाने के संबंध में उनके पत्र दिनांक 31-12-97 पर कौन सी कार्यवाही की गई ? कब तक इस नहर की पटरी का लेपन करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उक्त पत्र दिनांक 31-12-97 के अनुपालन में मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में स्थित शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ की ठेकमा राजबाहा नहर की पटरी ठेकमा से गोसाई की बाजार तक "किमी० 28.95 से 36.63" तथा मेंहनगर से सिंहपुर तक "किमी० 46.250 से 49.00 एवं 49.400 से 58.400" लेपन स्तर तक के कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भेज दिया गया है । वर्ष 1998-99 में नहर पटरी पक्का करने के जिलावार लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित करके जिलाधिकारी को सूचित किये जा चुके हैं । जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके निर्धारित किलोमीटर्स सीमा के अन्तर्गत मार्गों का चयन करेंगे । नहर पटरी पक्का करने का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा ।

शारदा सहायक खण्ड–23 के पवनीकलां माइनर की खुदाई पानी की उपलब्धता तथा माइनर की सफाई हेतु खर्च का मामला

20—श्री रामजग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–23 के पवनीकलां माइनर की खुदाई हो चुकी है ? यदि हां, तो पवनीकलां माइनर में पानी क्यों नहीं दिया जाता है ? इस माइनर की सफाई में कितना पैसा खर्च किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पवनीकलां माइनर की कुल लम्बाई 8.60 कि०मी० प्रस्तावित है । कि०मी० 6.43 से 6.93 (0.50 कि०मी०) तथा कि०मी० 7.1 से 7.2 (0.1 कि०मी०) में निर्माण शेष है ।

पवनीकलां माइनर की निर्मित लम्बाई कि०मी० 6.43 तक पानी प्रणाली में जल उपलब्धता के अनुसार किया जाता है ।

वर्ष 1997-98 में इस माइनर की सिल्ट सफाई कि०मी० 0.00 से 2.00 तक कराई गई जिस पर रु० 9,160.00 (रुपया नौ हजार एक सौ साठ मात्र) खर्च किया गया ।

शारदा सहायक खण्ड–23 के ठेकमा राजबाहा में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

21–श्री रामजग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–23 के ठेकमा राजबाहा में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार हेड से टेल तक नियमित रूप से पानी पहुंचने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कनिष्ठ सहकारी अराजपत्रित अधिकारी के वेतन का मामला

22—श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि कनिष्ठ सहकारी अराजपत्रित अधिकारी का वेतनमान रु० 2200–4000 करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमान कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नर्स कम्पाउन्डर को 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त वेतनमान में पदोन्नति का मामला

23—श्री समरपाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि नर्स, कम्पाउन्डर को 14 वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतनमान में पदोन्नति देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो इस प्रकार की पदोन्नति का अगला वेतनमान क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार के कुम्भ मेला, 1998 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु मेला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति द्वारा फोटो लगाने विषयक सुझाव एवं शिथिलीकरण का मामला

24—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेला, 1998 हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु मेला स्वास्थ्य परामर्शदात्री समिति द्वारा फर्जी भर्ती रोकने हेतु फोटो लगाकर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो वह निर्णय किस अधिकारी द्वारा बदल दिया गया है ? क्या यह सही है कि उसके पश्चात् फर्जी भर्तियां की गयीं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण उपसमिति द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों की भर्ती में सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत फोटो लगाने का सुझाव दिया गया था ।

मेला प्रशासन एवं सफाई कर्मचारी संघों के साथ दिनांक 29-12-97 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रार्थना-पत्रों पर फोटो लगाने की प्रक्रिया को शिथिल किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस० बी० डी० जिला चिकित्सालय, सहारनपुर के आर० डी० एम० ओ० (सर्जन) द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस को तत्काल प्रतिबन्धित अभियान का उल्लंघन किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

25—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29 सितम्बर, 1997 को एस० बी० डी० जिला चिकित्सालय, सहारनपुर के आर० डी० एम० ओ० (सर्जन) द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस को तत्काल प्रतिबन्धित अभियान का उल्लंघन किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–2 नं०–029201–क० नं०–013312 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल सहारनपुर, सहारनपुर द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

26–श्री दद्दू प्रसाद–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं०–112 द्वारा उत्तरित]

27–श्री दद्दू प्रसाद–

[दिनांक 24-6-98 को अता० प्र० सं०–113 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में वर्ष 1998-99 में चिकित्सकों के स्थानान्तरण की नीति

28–श्री महेन्द्र कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या स्थानान्तरण नीति का पालन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 13-5-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत चिकित्सकों के नाम व अवधि बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी शासनादेश की प्रति संलग्न है ।

स्थानान्तरण नीति को दृष्टिगत रखते हुये, प्रशासनिक आधार पर अथवा निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण/तैनाती की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां सूची संलग्न हैं । †

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गई ।

वर्ष 1992 में अभिलेखों में अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन), मण्डल लखनऊ के अधीनस्थ विभिन्न खण्डों के गेज डिस्चार्ज साईट्स पर यंत्र एवं संयंत्र रखने हेतु स्टोर्स संबंधी जानकारी

29–श्री अज़य भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 में अनुसंधान एवं नियोजन (जलसंसाधन) मण्डल लखनऊ के अन्तर्गत खण्डों के गेज डिस्चार्ज साईट्स पर यंत्र एवं संयंत्र रखने के लिए कुल कितने स्टोर्स का अस्तित्व में होना अभिलेखों में अंकित था तथा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय कितने स्टोर्स पाए गये ? क्या वर्ष 1992 में विभागाध्यक्ष कार्यालय के संज्ञान में उक्त प्रकरण आ चुका था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण पर विभागीय स्पेशल आडिट करवा कर स्थिति से अवगत करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1992 में अभिलेखों में अनुसंधान एवं नियोजन (ज०सं०) मण्डल, लखनऊ के अधीनस्थ विभिन्न खण्डों में 22 स्टोर्स अस्तित्व में थे, तथा निरीक्षण के समय 22 स्टोर्स अस्तित्व में पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड लखनऊ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वयं अपने नाम से कन्वेयेन्स चार्जेज संबंधित वाउचर्स/हैण्डरिसीप्ट्स पारित करने विषयक जानकारी

30–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह जुलाई, 1989 से जुलाई, 1991 तक कितनी धनराशि के बाउचर्स/हैण्डरिसीप्ट्स प्रतिमाह कन्वेयेन्स चार्जेज के रूप में स्वयं अपने नाम से पारित किया है ? क्या सरकार इस प्रकरण में हुये वित्तीय अनियमितता का आडिट विभागीय सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वयं अपने नाम कन्वेयेन्स चार्जेज संबंधित कोई वाउचर्स/हैण्डरिसीप्ट्स पारित नहीं किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन असहाय व्यक्तियों के इलाज एवं पुत्रियों की शादी हेतु समय से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक जानकारी

31–श्री चेतराम–

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि अनुसूचित जाति के निर्धन असहाय व्यक्तियों के इलाज एवं पुत्रियों की शादी हेतु जो आर्थिक सहायता उ० प्र० सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उसमें लाभार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है तथा लाभार्थियों को प्रदत्त धनराशि पुत्री की शादी के करीब एक-एक वर्ष बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है ? क्या सरकार उक्त प्रदत्त धनराशि पात्र व्यक्तियों को पुत्री की शादी के समय ही उपलब्ध कराने की जनहित में व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सुगमतापूर्वक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सहायता स्वीकृत करने का अधिकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी में निहित है। संसाधन सीमित होने के कारण समस्त आवेदकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है तथा कतिपय मामलों में आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताएं ससमय पूर्ण न कराए जाने के कारण इसके निस्तारण में समय लग जाता है। पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रकरणों को त्वरित रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को दे दिए गये है तथापि यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी

32–श्री चेतराम–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में कुल कितनी सड़कें गन्ना विभाग द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत हुईं ? उनमें से कितनी सड़कें बनकर पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण होने के क्या कारण हैं ? अपूर्ण सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गन्ना विकास परिषद पुवायां जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 हेतु 5 सड़कें निर्माण के लिये स्वीकृत की गयी। गन्ना विकास परिषद् में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण एक सड़क के निर्माण की स्वीकृति निरस्त कर दी गयी। अवशेष चार सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में प्राइवेट वार्डों में भर्ती मरीजों से प्राप्त भोजन शुल्क एवं उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

33–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में गत वर्ष कितनी धनराशि प्राइवेट वार्डों में भर्ती मरीजों से भोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई और कितने मरीजों को उससे छूट दी गयी ? कितने मरीजों ने अस्पताल का खाना खाया और कितने मरीजों ने दूध एवं फल लिया ? अस्पताल द्वारा भोजन एवं फल हेतु प्रत्येक सामान के लिए क्या दरें निर्धारित हैं ? उक्त दर किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है और उसका आधार क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में गतवर्ष (1997-98) प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों से भोजन शुल्क के रूप में कुल धनराशि रुपये 3,42,279/- जमा करायी गयी और 221 मरीजों को उससे छूट दी गयी।

गतवर्ष (1997-98) में अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के 1,151 (एक हजार एक सौ इक्यावन) मरीजों ने अस्पताल का खाना खाया और 456 मरीजों द्वारा "दूध फल आहार" लिया गया।

गतवर्ष [1997-98] के लिए अस्पताल द्वारा भोजन एवं फल हेतु प्रत्येक सामान के लिए निर्धारित दरों की सूची संलग्न है।

अस्पताल हेतु भोजन एवं फल की निर्धारित दरें चिकित्सालय की क्रय समिति द्वारा वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं ।

[सूची देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ट 184-185 पर]

टुड़ियागंज आयुर्वेद यूनानी कालेज लखनऊ में वर्ष 1997-98 एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी

34–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में टुड़ियागंज आयुर्वेद यूनानी कालेज, लखनऊ में एम० बी० ए० की परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के देखरेख में ? क्या यह सही है कि उक्त कालेज की प्रिन्सिपल के (वर्तमान) के विरुद्ध कई जांच चल रही हैं ? क्या एम० बी० ए० की परीक्षा में भारी धांधली की भी जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ? सरकार जिम्मेदार व्यक्ति को दण्डित कब तक करेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

टुड़ियागंज आयुर्वेद यूनानी कालेज, लखनऊ में वर्ष 1997-98 में एम० बी० ए० की नहीं वरन् एम० डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा दिनांक 6-4-98 को हुई थी ।

एम० डी० (आयुर्वेद) परीक्षा का संचालन तत्कालीन निदेशक आयुर्वेद द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था । तत्कालीन प्रधानाचार्य पर जांच चल रही थी ।

एम०डी० (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में जांच चल रही है ।

निदेशक आयुर्वेद की प्रारम्भिक रिपोर्ट में की गयी संस्तुतिवार प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दण्ड का निर्णय लिया जायेगा ।

डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी चिकित्साधिकारी द्वारा सरकारी आवास में रहते हुए आवास भत्ता के रूप में दी गयी धनराशि की वापसी की जानकारी

35–श्री हरदेव सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० सुरेश चन्द्र द्विवेदी चिकित्साधिकारी सम्बद्ध निदेशालय आयुर्वेद यूनानी, लखनऊ द्वारा अगस्त, 1985 से मई, 1988 तक सरकारी आवास में रहते हुए आवास भत्ता लिया है ? क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण धनराशि उक्त चिकित्साधिकारी के वेतन से जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां ।

डा० सुरेश द्विवेदी के वेतन से अगस्त, 85 से जुलाई, 87 तक का आवासी भत्ते की कटौती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ द्वारा एवं अगस्त, 87 से मई, 88 तक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी झांसी द्वारा कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० शव विच्छेदन गृह में शव विच्छेदन कार्य में मदद करने वाले कार्यरत कर्मचारी एवं उनके वेतनमान के संबंध में जानकारी

36–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने शव विच्छेदन गृह हैं ? उनमें शव विच्छेदन कार्य में मदद करने वाले कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनके वेतनमान क्या हैं ? क्या सरकार उनके वेतनमानों को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश में कुल 93 शवविच्छेदन गृह है ।

शव विच्छेदन कार्य में मदद करने वाले कुल 186 कर्मचारी हैं ।

फार्मासिस्ट का वेतनमान रु० 4500–7000 है तथा स्वच्छक (स्वीपर) का वेतनमान रु० 2,550–3,200 है ।

वेतन समिति, उ० प्र० (1997) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार दि० 1-1-96 से समस्त राजकीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित हो गये हैं । फार्मासिस्ट का पुराना वेतनमान रु० 1350–2200 से पुनरीक्षित होकर रु० 4500–7000 तथा स्वच्छक (स्वीपर) का पुराना वेतनमान रु० 750–940 से रु० 2550–3200 हो गया है ।

तत्काल वेतनमान पुनः बढ़ाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में एलोपैथिक फैकल्टी में चिकित्साधिकारियों/फार्मोसिस्टों/वार्डब्वाय आदि के खाली पदों को भरे जाने की मांग

37–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में एलोपैथिक फैकल्टी में चिकित्साधिकारियों/फार्मोसिस्टों/वार्डब्वाय के सृजित पदों में से कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन पदों को वित्तीय वर्ष 1998-99 में भरे जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार मैनपुरी जनपद में उक्त खाली पदों का विवरण अस्पताल वाइज प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रक्त परीक्षण स्लाइड की खरीद में हुए घोटाले के संबंध में जनपद पीलीभीत के जिला मलेरिया अधिकारी डा० आर० पी० मलिक के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

38–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मलेरिया अधिकारी पीलीभीत के डा० आर० पी० मलिक के विरुद्ध वर्ष 1998 की रक्त परीक्षण स्लाइड आदि की खरीद में घोटाले की जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गयी है ? क्या यह सही है कि लाखों रुपयों की स्लाइड फर्जी कोटेशन के माध्यम से बिना जिला क्रय समिति के सहमति से खरीदा गया है ? क्या उसमें मुख्यालय से भी अनुमति नहीं ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला क्रय समिति की बैठक दिनांक 26-3-98 के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 27-3-98 को रु० 43,332.00 तथा दिनांक 28-3-98 को रु० 34,848.00 कुल रु० 78,280.00 की स्लाइड का क्रय किया गया ।

मुख्यालय से अनुमति नहीं ली गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही जांच आख्या में प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० पी० एन० रस्तोगी, वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

39—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 14-9-97 को या इसके आसपास डी० पी० एन० रस्तोगी, वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर के द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में दिया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां,

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20-8-97 शासन को प्राप्त हुआ है । उक्त शिकायती पत्र पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० के माध्यम से जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार गुणदोष पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर विकास खण्ड अकबरपुर में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की मजदूरी के भुगतान विषयक जानकारी

40—श्री राम अचल राजभर–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर विकास खण्ड अकबरपुर में वर्ष 1996-97, 1997-98 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कितने लाभार्थियों को चयनित किया गया ? क्या उन्हें निर्धारित पाइप की आपूर्ति की गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

वर्ष 1996-97 में 730 तथा वर्ष 1997-98 में 546 कृषकों को निःशुल्क बोरिंग कार्य हेतु चयनित किया गया ।

जी हां ।

वर्ष 1996-97 में 375 कृषकों को 5788.76 मीटर पाइप तथा वर्ष 1997-98 में 46 कृषकों को 783.73 मीटर पाइप दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

वर्ष 1996-97 के 241 कृषकों की बोरिंग पर मजदूरी भुगतान मु० 2,26,394.00 रु० किया गया तथा वर्ष 1997-98 में 4 कृषकों की बोरिंग पर मु० 4475.00 रु० मजदूरी भुगतान किया गया। शेष कृषकों की बोरिंग पर मजदूरी भुगतान की कार्यवाही शीघ्र ही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक खण्ड–40, सलेमपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच का मामला

41—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के 3सरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–95 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच आख्या पर अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने विषयक जानकारी

42—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1995 से 98 मार्च तक चयनित कितने अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का लेपन स्तर तक कार्य कराया गया है ? अवशेष बचे अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का सतह लेपन कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1995 से 98 तक कुल चयनित 29 अम्बेडकर ग्रामों में से 14 ग्रामों को पक्के मुख्य मार्ग से लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जा चुका है।

अवशेष बचे अम्बेडकर ग्रामों का सतह लेपन कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बोरिंग इंजन मशीन के संबंध में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री राम दुलारे पासी ग्राम–चन्दईपुर, ब्लाक गौरीगंज का प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43—श्री तेजभान सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परियोजना निदेशक, सुल्तानपुर को प्रेषित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री राम दुलारे पासी, ग्राम–चन्दईपुर, ब्लाक–गौरीगंज का दिनांक 29-12-97 का प्रार्थना-पत्र जिसमें बोरिंग इंजन मशीन हेतु प्राप्त ऋण को उपभोग न करने की फर्जी शिकायत पर ऋण वसूली जारी करने का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा की गयी तथा जांच का परिणाम क्या है ? यदि हां, तो फर्जी शिकायत करने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

प्रश्नकर्ता मा० विधान सभा सदस्य का उपरिपत्र दिनांक 29-12-97 प्राप्त हुआ है, किन्तु उपरिपत्र में वर्णित शिकायत कर्ता श्री रामदुलारे पासी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-12-97 प्राप्त नहीं है बल्कि श्री त्रिभुवन पुत्र श्री राम दुलारे पासी का प्रार्थना-पत्र जो बोरिंग इंजन से सम्बन्धित नहीं है, प्राप्त हुआ ।

श्री त्रिभुवन पुत्र श्री राम दुलारे पासी के प्रार्थना-पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी, गौरीगंज द्वारा जांच कराई गई जिसकी जांच में पाया गया कि श्री त्रिभुवन द्वारा इक्का, घोड़ी क्रय करने हेतु लिये गये ऋण के दुरुपयोग करने पर उनके विरुद्ध आर० सी० जारी कर बैंक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन के निर्माण में खर्च हुआ धन एवं प्रवेश हेतु ठोस कदम उठाये जाने का मामला

44—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उच्च सरकारी सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग संस्थान श्री शाहू जी महाराज भागीदारी भवन, लखनऊ के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ ? इसकी प्रवेश क्षमता कितने छात्रों की है ? क्या सरकार राष्ट्रीय एकीकरण की भावन को जागृत किये जाने के लिए इस संस्थान में गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वर्ग के छात्रों को भी प्रवेश दिये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी)–

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन के निर्माण हेतु कुल स्वीकृत धनराशि 866.96 लाख के सापेक्ष अब तक रु० 750.56 लाख व्यय हो चुका है इसके अतिरिक्त भूमि का मूल्य रु० 23,23,536 का भुगतान नगर निगम, लखनऊ को कराये जाने हेतु, की स्वीकृति अलग से प्रदान की गयी है ।

संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम प्रवेश क्षमता 300 है ।

संस्थान में प्रवेश हेतु 50% पिछड़ी जाति, 45% अनुसूचित जाति तथा 5% अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन के समक्ष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में सड़क एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु विधायकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अधिकारियों द्वारा धन निर्गत करने का मामला

45—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में सड़क एवं सम्पर्क मार्गों आदि के निर्माण हेतु समस्त विधायकों से दिनांक 5-12-97 को 10-10 लाख रुपये के प्रस्ताव वर्ष 1997-98 हेतु मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि समस्त विधायकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अधिकारियों द्वारा कोई धन निर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सुनिश्चित रोजगार योजना का सारा धन जिलाधिकारी द्वारा स्वेच्छा से खर्च किया गया है ? यदि हां, तो मनमाने तरीके से सुनिश्चित रोजगार

योजना के करोड़ों रुपये खर्च करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । पत्र संख्या–3636, दिनांक 5-12-97 के द्वारा मा० विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये थे ।

जी नहीं । प्रस्तावों पर स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण विधान सभावार निम्नवत् है :—

क्र०सं०	विधान सभा सदस्य का नाम	क्षेत्र	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	मा० डा० गंगा बख्श सिंह	हड़हा	48.22	26.05
2	मा० श्री उदय राज यादव	पुरवा	9.715	9.0
3	मा० श्री दीपक कुमार	उन्नाव	7.90	5.60
4	श्री कृपा शंकर सिंह	भगवन्तनगर	6.60	5.0
5	श्री मस्तराम	हसनगंज	12.156	10.096
6	श्री बाबूलाल कुरील	सफीपुर	15.79	11.00
7	श्री राम शंकर पाल	बांगरमऊ	13.916	10.14

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद के शारदा नहर की घाटमपुर एवं पाटन राजबहा से किसानों को सिंचाई के लिये टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी

46—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की शारदा नहर की घाटमपुर एवं पाटन राजबहा से किसानों को सिंचाई के लिये लगातार तीन वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त माइनरों में सिंचाई हेतु पानी टेल तक पहुंचाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । पाटन राजबहा में रबी 1404 फसली, रबी 1405 फसली एवं खरीफ 1406 फसली में टेल तक पानी पहुंचा है । घाटमपुर माइनर में रबी 1405 फसली में टेल तक पानी पहुंचा है ।

घाटमपुर राजबहा में इससे ऊपर की नहरों में पानी नियंत्रित करके इस राजबहा में और अधिक पानी डालने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानगंज, बेबर, जागीर एवं किशनी में पीने के पानी की भारी समस्या के निराकरण की मांग

47–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानगंज, बेबर, जागीर एवं किशनी में पीने के पानी की भारी समस्या है ? क्या सरकार मौजूदा जनसंख्या के आधार पर हैण्डपम्प लगवाये जाने के मानक को निर्धारित कर जल निगम को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । जनपद मैनपुरी के प्रश्नगत ब्लाकों में पीने के पानी की समस्या है ।

वर्ष 1991 की जनसंख्या को 40 प्रतिशत बढ़ाकर हैण्डपम्प लगवाये जाने के मानक को निर्धारित कर जल निगम द्वारा हैण्डपम्प स्थापित कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के बबेरू तिन्दवारी मार्ग से मल्लाडेरा सिंहपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई भारी अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 जो जनपद बांदा के बबेरू तिन्दवारी मार्ग से मल्लाडेरा सिंहपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में भारी अनियमितता की उच्च तकनीकी जांच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग की उच्च तकनीकी जांच न कराये जाने के कारण क्या हैं ? क्या उक्त कार्य की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-97 प्राप्त नहीं हुआ है ।

चूंकि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता शासन के संज्ञान में नहीं आयी है । अतः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद गोण्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाही का भवन निर्माण कार्य कराये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49—श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं०–ख–नं० 1531/40, दिनांक 17-4-97 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाही का भवन निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तहसील स्तर अपना मुख्यालय तथा आवास न बनाये जाने के संबंध में जानकारी

50—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के आदेशानुसार जनपद शाहजहांपुर के किसी भी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तहसील स्तर पर अपना मुख्यालय तथा आवास अभी तक नहीं बनाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ द्वारा तहसील पुवायां पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी का मुख्यालय तथा कार्यालय बना कर रहने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 17-1-95 को निर्देश निर्गत हुए थे । तद्नुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया, किन्तु भवन उपलब्ध न होने के कारण आवास तथा कार्यालय स्थापित नहीं किया जा सका ।

जनपद शाहजहांपुर में सेप्टीनेट योजना आई० पी० पी० योजना व सिप्सा योजना में व्यापक भ्रष्टाचार तथा योजनाओं में धन के गबन की जांच का मामला

51—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सेप्टीनेट योजना आई० पी० पी० 6 योजना सिप्सा योजना में व्यापक भ्रष्टाचार तथा योजनाओं में धन की गबन की जांच संयुक्त निदेशक मातृ एवं शिशु कल्याण उ० प्र० के द्वारा की जा रही थी ? क्या यह सच है कि संयुक्त निदेशक ने अपना रजिस्टर्ड पत्र 2 जुलाई, 97 को प्रश्नकर्ता को यह सूचित किया गया था कि वे जांच के लिये शाहजहांपुर आ रहे हैं लेकिन संयुक्त निदेशक की जांच के लिये आज तक शाहजहांपुर नहीं गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी से कराने पर विचार करेगी ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच हेतु नामित अधिकारी 31 जुलाई, 1997 को सेवा निवृत्त हो गये हैं ।

अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली को जांच हेतु नामित किया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर में फर्जी आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति एवं सरकारी दवाओं का बाजार में बिक्री के संबंध में प्रश्नकर्ता को प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के वर्ष 1996-97 में कुल कितने पत्र कब-कब किस-किस संबंध में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए तथा उन पत्रों पर क्या कार्यवाही कब-कब की ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में ज्यादातर आयुर्वेदिक चिकित्सालय कागजों पर चल रहे हैं तथा ज्यादातर कर्मचारी अधिकारी नदारद रहते हैं ? क्या सरकार दवायें बाजार में बिक रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा प्रश्नकर्ता को

जनपद शाहजहांपुर के सभी चिकित्सालयों की लिस्ट उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवकान्त ओझा–

प्रश्नकर्ता के वर्ष 1996-97 में तीन पत्र क्रमशः दिनांक 11-6-1996, 21-6-1997 तथा दिनांक 3-7-1996 को प्राप्त हुए थे जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर , शाहजहांपुर में पदस्थ श्री मुकुल पाठक, भृत्य के विरुद्ध शिकायतों से मूलतः सम्बन्धित है तथा एक पत्र में प्रभारी चिकित्साधिकारी, महिला के विरुद्ध चिकित्सालय के उक्त कर्मचारी से एकाउन्टेन्ट का कार्य लेने व उक्त कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने के उपरान्त भी उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने के आरोप लगाये गये थे। उपर्युक्त शिकायती पत्रों पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा श्री मुकुल पाठक वार्ड ब्वाय के विरुद्ध करायी गयी जांच में उसे निर्दोश पाया गया था परन्तु शासन स्तर पर उक्त जांच से संतुष्ट न होते हुए शिकायती बिन्दुओं पर पुनः जांच के आदेश दिये जा रहे हैं। जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में समस्त आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय स्थापित हैं। कर्मचारी/अधिकारी के नदारद रहने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, चिकित्सालयों की सूची संलग्न है।

(सूची देखिये नत्थी ''ख' आगे पृष्ठ 186 पर)

53—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[दिनांक 14-7-98 को अता० प्र० सं० 161 द्वारा उत्तरित]

54—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

55—श्री राजधारी–

[दिनांक 6-7-98 को अता० प्र० सं० 118 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी में नहर शाखा बेवर पर नगला शम्भू व तिलियानी के मध्य पुल निर्माण की मांग

56—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–172 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत नहर बेवर ब्रांच पर ग्राम तिलियानी एवं नगला शम्भू के मध्य फुट ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नहर बेवर ब्रांच के फुट ब्रिज का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पैदल पुल बनाने का निर्णय ले लिया गया है। जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा ? शेष प्रश्न नहीं उठता।

आशुलिपिकों के वेतन विसंगति को दूर करने सम्बन्धी शासनादेश का पालन और राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत आशुलिपिकों पर लागू करने का मामला

57—श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 ने अपने पत्र संख्या–वे०आ०–1/1311/दस–101/एम/89, दिनांक 16 जुलाई, 1993 तथा सं० वे०आ०–1/2513/दस–101/एम/89, दिनांक 8 अक्टूबर, 1991 के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में यह निर्णय लिया था कि आशुलिपिकों का वेतन विसंगति दूर करने के लिये आशुलिपिकों को उनके अधिकारी जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं, के वेतनमान के अनुसार दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सभी राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत आशुलिपिकों के लिये शासनादेश अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया है ? सरकार उक्त शासनादेश कब तक जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां । वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के गोपनीय अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे० आ०–1/1311/दस–101/एम/89, दिनांक 16 जुलाई, 1993 तथा अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे० आ०–1/2518/दस–101/एम/89, दिनांक 8 अक्टूबर, 1991 द्वारा आशुलिपिकों के संबंध में उक्त निर्णय लिये गये हैं । उक्त निर्णयों में शैक्षिक संस्थाओं के अन्तर्गत विद्यमान आशुलिपिकों के वेतनमानों को सम्बद्ध अधिकारियों के वेतनमानों के आधार पर संशोधित किये जाने का निर्णय लागू नहीं है । चूंकि राजकीय मेडिकल कालेज शैक्षिक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं अतः यहां पर यह निर्णय लागू नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, लखनऊ में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ पूर्व संसद सदस्य श्री जय प्रकाश के प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

58–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व संसद सदस्य श्री जय प्रकाश का शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन को दिनांक 20-4-98 तथा 29-4-98 को तथा राज्य मंत्री श्री फतेह बहादुर सिंह का पत्र दिनांक 22-4-98 को प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है, जो (अधिष्ठान बजट) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, लखनऊ में कार्यरत एक कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के विषय से संबंधित है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पत्रों पर जांच करायी गयी ? क्या जांचोपरान्त अब तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शासनादेश सं०–13/1/97–का–1, दिनांक 1-8-97 के प्रस्तर–1 के परिपेक्ष्य में जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गेंडास बुजुर्ग एवं उतरौला के ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक दी गयी धनराशि का वर्षवार विवरण एवं कार्य में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

59—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड गैंडासबुजुर्ग/उतरौला के ग्राम पंचायत इटईरामपुर, टेढ़वा तप्पा बाक, बन्जराहा, कंचनपुर, प्रानपुर, मधुपुर,

पेहर, रेहरा माफी को वित्तीय वर्ष 1993-94, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गयी और किस-किस कार्य में कितना-कितना व्यय किया गया ? क्या सरकार कराये गये कार्यों की भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गैंडासबुजुर्ग एवं उतरौला के ग्राम पंचायत इटईरामपुर, टेढ़वा तप्पा बाक, बंजराहा, कंचनपुर, प्रानपुर, मधुपुर, पेहर तथा रेहरा माफी को वित्तीय वर्ष 93-94 से 97-98 तक दी गयी धनराशि का वर्षवार विवरण एवं कार्य में व्यय की गयी धनराशि का विवरण † संलग्न है।

भौतिक सत्यापन एक माह में करा लिया जायेगा।

राजकीय चिकित्सालय चमरौली ब्लाक नवाबगंज, जनपद उन्नाव में जीवन रक्षक दवाओं का अभाव एवं आपूर्ति की मांग

60—श्री दीपक कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान समय में राजकीय चिकित्सालय चमरौली, ब्लाक नवाबगंज, जनपद उन्नाव में जीवन रक्षक दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली मूसाखाड़ा प्रखण्ड में डाड़ी बन्धी व रार्ल्हपुर माइनर में बिना कार्य कराये धन आहरित करने का मामला

61—श्री छब्बू पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चंदौली जनपद में मूसाखाड़ा प्रखण्ड में 1996-97, 1997-98 में डाड़ी बन्धी व रार्ल्हपुर माइनर में बिना कार्य कराये धन आहरित कर लिया गया है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

62—श्री जय प्रकाश निषाद तथा नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं० 5 द्वारा उत्तरित]

रिट याचिका सं०—701/एस एस/94 श्री वीरपाल सिंह बनाम राज्य व अन्य की पैरवी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानकारी

63—श्री रामवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं०–572/आई० एम०/97-सिं०-10-421/97, दिनांक 18-12-97 के प्रस्तर–17 में याची द्वारा संस्थित की गयी रिट याचिका/निर्देश याचिका

---

† छापी नहीं गयी।

की प्रभावी पैरवी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सीधे शासन स्तर पर करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या रिट याचिका सं०–701/एस एस/94 श्री बीरपाल सिंह बनाम राज्य व अन्य की पैरवी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में रिट याचिका की पैरवी न करने में शिथिलता बरतने के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रोन्नति के संबंध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिछड़ी जाति के अवर अभियन्ता (सिं०) की प्रोन्नति अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे में सहायक अभियन्ता (सिं०) के पद पर करने से संबंधित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश का पत्र सं०–07/97-98/एस०सी०/एस०टी०, दिनांक 20-11-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध प्रोन्नति को निरस्त कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अवैध प्रोन्नति को निरस्त करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले शहरी/ग्रामीण परिवारों को पुनर्वासित किये जाने का मामला

65—श्री लाखीराम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले शहरी/ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या क्या है ? कुल कितने परिवारों का अब तक पुनर्वास किया जा चुका है ? शेष विस्थापितों के पुनर्वास की योजना क्या है और उन्हें कितने समय में पुनर्वासित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले शहरी परिवारों की संख्या 5291 एवं ग्रामीण परिवारों की संख्या 4909 है ।

शहरी पुनर्वास में 5291 प्लाट/फ्लैट में से 5146 प्लाट/फ्लैट बनकर तैयार हो गये हैं तथा इनमें से 4469 प्लाट/फ्लैट आवंटित किये जा चुके हैं । ग्रामीण पुनर्वास में अब तक 4909 में से 2469 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है । शेष विस्थापितों के पुनर्वास की कार्यवाही टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, के द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वास समन्वय समिति के गठन में क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद को सदस्य बनाने का मामला

66—श्री लाखीराम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वास समन्वय समिति गठित की गयी है ? क्या उसमें क्षेत्रीय

विधायक एवं सांसद को सदस्य नहीं बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समन्वय समिति का पुनर्गठन कर विधायक/सांसद को भी सदस्य बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का कार्य टिहरी हाईड्रो डेंवलपमेंट कारपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा किया जा रहा है। पुनर्वास समन्वय समिति का गठन ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अन्य का प्रश्न नहीं उठता।

भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बन्धों के निर्माण का मामला

67—श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने बन्धों का निर्माण होना विचाराधीन है ? क्या सरकार किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बन्धों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो बांधों के निर्माण की योजनायें विचाराधीन हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना योजनाओं पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी स्वीकृति तथा धनावंटन पर निर्भर है।

भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक केन्द्र/उप सामुदायिक केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला

68—श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सामुदायिक केन्द्र/उप सामुदायिक केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और क्यों ? सरकार कब तक चिकित्सकों की नियुक्ति कर देगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के केवल नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में चिकित्सक तैनात नहीं है।

प्रदेश में रिक्त 1692 चिकित्सकों के पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी।

आर० बी० एन० एस० शुगर मिल लक्सर से कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान का मामला

69—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में तत्कालीन सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लक्सर, जिला सहारनपुर ने आर० बी० एन० एस० शुगर मिल, लक्सर से कृषकों के गन्ना भुगतान हेतु 15 दिन बाद के चेक लिये और भुगतान समिति के धन से किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाले कितने धन की क्षति हुई और इसके लिये उत्तरदायी कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गन्ना समिति लक्सर द्वारा लक्सर चीनी मिल से 15 दिन बाद के चेक भुगतान हेतु लिये जाने का कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है।

गन्ना समिति लक्सर को चीनी मिल से दिनांक 13-3-97 को रु० 1.00 करोड़ का चेक प्राप्त हुआ था जिससे 31-3-97 तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जाना था सामान्यतया दिनांक 13-3-97 को चेक प्राप्त होने के बाद ही भुगतान खोला जाना चाहिए था परन्तु चूंकि समिति में गन्ना मूल्य की मद में धनराशि उपलब्ध थी अतः कृषकों के हित में चेक प्राप्ति के 9 दिन पूर्व ही 3-3-97 से भुगतान खोल दिया गया तथा चेक प्राप्त होने पर धनराशि का समायोजन कर लिया गया। समिति का यह कार्य कृषक हित में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नहर की पटरी को सड़क में बदलने की योजना के अन्तर्गत हरिद्वार को सम्मिलित करने की मांग

70—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहर की पटरी को सड़क में बदलने की योजना के अन्तर्गत क्या जनपद हरिद्वार भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में संजय गांधी पी० जी० आई० के लैब अटेन्डेन्ट/अटेन्डेन्टों के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट साइंस की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के चयनित होने पर टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिलाये जाने का मामला

71—श्री राम जग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि संजय गांधी पी० जी० आई०, रायबरेली रोड, लखनऊ में वर्ष 1996-97 में जो टेक्नीशियन की भर्ती की गई उसमें कितने पी० जी० आई० के लैब अटेन्डेन्ट/अटेन्डेन्टों का चयन किया गया ? उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? क्या मंत्री जी ऐसे लैब अटेन्डेन्ट/अटेन्डेन्टों जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट साइंस है तथा जिन्हें पांच वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव है, प्राथमिकता के आधार पर टेक्नीशियनों के पदों पर भर्ती करने के बाद में टेक्नीशियन का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

संस्थान में माह अगस्त, 1997 में टेक्नीशियन ग्रेड–II (ओ० टी०) के पद पर संस्थान में कार्यरत एक लैब अटेन्डेन्ट एवं एक पेशेन्ट हेल्पर की सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति की गयी है। नियुक्त किये गये लैब अटेन्डेन्ट की शैक्षिक योग्यता बी० एस-सी० तथा आपरेशन थियेटर में 6 वर्ष 6 माह कार्य करने का अनुभव व आपरेशन थियेटर के उपकरणों आदि का भली प्रकार ज्ञान रखना है।

पेशेन्ट हेल्पर की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा आपरेशन थियेटर में ओ० टी० टैक्नीशियन का कार्य करने का लगभग 8 वर्ष का अनुभव एवं पूर्णतया प्रशिक्षित तथा आपरेशन थियेटर के उपकरणों एवं उनके रख-रखाव का ज्ञान रखना है।

संस्थान में टैक्नीशियन ग्रेड–II का पद सीधी भर्ती का पद है जिस पर निर्धारित अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं।

संस्थान की वित्त समिति की बैठक दिनांक 28-1-98 व 23-3-98 में संस्थान के लैब अटेन्डेन्ट हेतु एक वर्ष के प्रशिक्षण का विशेष अभियान आरम्भ करने तथा प्रशिक्षण में सफल होने व निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लैब अटेन्डेन्ट ग्रेड–I के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को टैक्नीशियन ग्रेड–II के उपलब्ध 15 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्रामों में राजकीय नलकूपों का लगवाया जाना

72—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पिछले बीस वर्षों से कितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त राजकीय नलकूप न होने से कृषकों के समक्ष सिंचाई की समस्या उत्पन्न है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहर का पानी भी उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार विकास खण्ड बिलग्राम के सढ़ियापुर, छिबरामऊ कोई, अकबरपुर, परसोला, शाहपुर, हरैया, बघेरिया एवं वि० खं० मल्लावां के रामपुर मंसूरपुर पूरनमऊ, बेरिया, नजीरपुर, हजरतपुर, शाहपुर एवं माधौगंज वि० खं० के ग्राम सरायऊद, विराइच मऊ, बावटमऊ तेरवी कुल्ली राधोपुर, ठठिया नरायनमऊ, सुआपुर, नई बस्ती इत्यादि ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में 22 राजकीय नलकूप लगाये गये।

जी हां ।

प्रश्नगत ग्रामों में राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला सिंचाई सलाहकार समिति, विद्युत सलाहकार समिति एवं जिला नलकूप स्थल चयन समिति के अनुमोदन पर निर्भर है । नये नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत आता है ।

जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना की मांग

73—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम मटियामऊ में कोई राजकीय चिकित्सालय न होने के कारण वहां के नागरिकों को कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त मटि ऊ ग्राम में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र में मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

जनपद मिर्जापुर के श्री मुन्ना लाल सिंह अध्यक्ष, प्रधान संघ, विकास खण्ड नरायनपुर के प्रार्थना-पत्र पर पारित आदेश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना लाल सिंह, अध्यक्ष–प्रधान संघ, विकास खण्ड–नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-9-97 पर मा० सिंचाई मंत्री द्वारा पारित आदेश पत्रांक 1341 सी/एम०आई०सी०/97, दिनांक 29-9-97 मुख्य अभियन्ता, सोन, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त

प्रार्थना-पत्र में संदर्भित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कार्यों का सर्वेक्षण करा कर प्राक्कलन बनवा लिये गये हैं । कार्य का आरम्भ होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

चकिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अहरौरा सेड हेतिमपुर से भीखमपुर मैन कैनाल (नकुइया नहर) की पटरी को पक्का कराने की मांग

75—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित अहरौरा रोड हेतिमपुर से भीखमपुर मैनकैनाल (नकुइया नहर) की पटरी का निर्माण न होने से लगभग चार दर्जन गांवों का विकास पूर्णतया अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर की पटरी को पक्का कराये जाने की योजना के तहत उक्त सर्विस रोड का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कच्ची सर्विस रोड निर्मित है ।

वर्ष 1998-99 में नहर पटरी पक्का करने के निर्धारित जिलावार लक्ष्यों के अनुसार जिलाधिकारी जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके निर्धारित किलोमीटर्स सीमा के अन्तर्गत मार्गों का चयन करेंगे । नहर पटरी पक्का करने का कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा ।

इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग के आवास के आवंटन एवं निर्माण में गम्भीर अनियमितता के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

76—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग के आवास के आवंटन एवं निर्माण में गम्भीर अनियमितता के बाबत प्रमुख क्षेत्र पंचायत जमालपुर श्रीमती अनुराधा पटेल के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्रांक–ज्ञाप/आशु० लि०/शि० जांच, दिनांक 27-5-96 द्वारा पारित आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी, चुनार द्वारा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्रेषित जांच आख्या दिनांक 5-6-96 प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त जांच आख्या के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त जांच आख्यानुसार संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

उक्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में दोषी पाये गये श्री हैदर अली, ग्राम पंचायत अधिकारी को कठोर चेतावनी दी गयी है तथा श्री रविन्द्र नाथ शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में 10 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

77—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, शाहजहांपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, तथा जिला चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में कितने कर्मचारी/अधिकारी विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय के कार्यालयों में गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण निम्नवत् अवलोकनीय है :—

	मु० चि० अधि० कार्या०	मु० चि० अधी० कार्या०	जिला चिकि०	मु० चिकि० अधी० कार्यालय जि० महिला चिकि०
अधिकारी	शून्य	शून्य	02	01
कर्मचारी	11	शून्य	29	19

जी हां ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

सी० एम० ओ० शाहजहांपुर द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

78—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-1-97 या इसके आसपास सी० एम० ओ०, शाहजहांपुर द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? उसमें दोषी कौन-कौन अधिकारी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं,

शिकायतकर्ता के महामहिम श्री राज्यपाल को सम्बोधित कतिपय शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे जिसकी जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली, मण्डल, बरेली द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

जांच आख्या की प्राप्ति पर तद्नुसार गुण दोष पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद मिर्जापुर में गांधी ग्राम के चयन में की गयी घनघोर धांधली की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग

79—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत धरवासपुर, विकास खण्ड—नरायनपुर, जिला मिर्जापुर के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-4-97, जो गांधी ग्राम के चयन में की गयी घनघोर धांधली के संबंध में है, सचिव, ग्राम्य विकास, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त जांच पर सचिव, ग्राम्य विकास ने अपने पत्र सं०—566/एस० आर० डी०/97, दिनांक 29-4-97 द्वारा मण्डलायुक्त, वाराणसी को स्वयं जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर मण्डलायुक्त की प्रस्तरवार सुस्पष्ट आख्या एवं जांच रिपोर्ट मंगाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उपखण्ड नलकूप तिलहर, शाहजहांपुर में घोर अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

80—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 2-9-97 को या इसके आसपास उपखण्ड नलकूप, तिलहर, शाहजहांपुर में घोर अनियमितताओं की जांच के संबंध में मुख्य मंत्री को दिया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत प्राचार्या/अनुदेशिकाओं को अपने विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के समय उनकी प्रशिक्षण केन्द्र में सेवा अवधि अथवा अधिकतम आयु सीमा में छूट

81—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत प्राचार्या/अनुदेशिकाओं को अपने विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के समय उनकी प्रशिक्षण केन्द्र में सेवा अवधि अथवा अधिकतम 15 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं की जाती है ? क्या इस संबंध में अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के आदेश पत्र सं०—1-12/88-सी०डी०, दिनांक अक्टूबर, 06, 1988 द्वारा राज्य सरकार के संबंधित सचिव/निदेशक को छूट दिये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं ? क्या सरकार प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुसार छूट प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा में भर्ती नियमावली वर्ष 1992 के अनुसार किसी भी पद हेतु ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि इस प्रकार की छूट प्रदान की जाये ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मुख्य सेविका के पदों पर 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाने हैं, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है । अतः इन 50% पदों के अतिरिक्त संख्या के पदों की आयु सीमा में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं है ।

गोमती नदी की बाढ़ से लखनऊ शहर की सुरक्षार्थ बन्धों के लांचिंग–एप्रन तथा स्लोप पिचिंग कार्य हेतु शत प्रतिशत बोल्डर स्टोन का प्रयोग

82—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी की बाढ़ से लखनऊ शहर की सुरक्षार्थ "गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमीशन–पटना" द्वारा मूलरूप से स्वीकृत प्रोजेक्ट 'टीमेड में हार्डिंग्ज ब्रिज से ऊपर नदी के दोनों किनारों पर निर्माण किये जाने वाले बन्धों के लांचिंग एप्रन तथा स्लोप पिंचिंग कार्य हेतु 70 प्रतिशत ब्लाक कंकर प्रयोग करने का प्राविधान था ? यदि हां, तो किसी स्वीकृति से ब्लाक कंकर के बजाये 100 प्रतिशत स्टोन बोल्डर से उक्त कार्य कराये गये हैं ? इससे शासन पर कितना व्यय भार बढ़ा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन जो राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित है, में शत प्रतिशत बोल्डर स्टोन के प्रयोग का प्राविधान है और इसी के अनुसार कार्य कराया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

83—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं०–128 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० में प्रशिक्षण प्राप्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सेवा में लिये जाने की मांग

84—श्री राजधारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में वर्ष 1988 से 90 तक कितनी महिलाओं को बेसिक हेल्थ वर्कर्स की प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है ? क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सेवा में लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उनको सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

वर्ष 1988 से 1990 तक कुल 5,925 महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) का प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है ।

जी हां ।

सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है । संशोधन के उपरान्त रिक्तियों के अनुसार सेवा में लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद में राजकीय नलकूपों द्वारा मानक के आधार पर की गयी सिंचाई की जानकारी

85—श्री विजयपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद में राजकीय नलकूपों द्वारा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में कुल कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी है ? क्या उक्त नलकूपों का निर्धारित सिंचाई का मानक प्रतिवर्ष पूरा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद में राजकीय नलकूपों द्वारा वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 में क्रमशः 866 तथा 725 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी ।

विद्युत आपूर्ति तथा पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण गूलों को ठीक कराने हेतु पर्याप्त धन के अभाव में उक्त नलकूपों का निर्धारित सिंचाई का मानक पूरा नहीं रहा ।

जनपद हरदोई के शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र में बन्द ट्यूबवेल को ठीक कराकर संचालित किये जाने की मांग

86—श्री बाबू खां–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र हरदोई में कितने ट्यूबवेल वर्ष 1996-97 से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो उनको कब तक संचालित कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र, हरदोई में वर्ष 1996-97 से कोई नलकूप लगातार बन्द नहीं हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर के गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान

87—श्री बाबू खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर, जिला हरदोई के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किट प्लाई चीनी मिल, रूपापुर, जनपद हरदोई पर किसानों का कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के राज्य चीनी निगम इकाई महोली में सेवामुक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना

88—श्री रमेश राही–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई, महोली, जनपद सीतापुर के 30 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी सेवामुक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उ० प्र० शासन ने अपने अधिसूचना आदेश सं 07/36-2-98-2/98, दिनांक 13-1-98 के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–3 के खण्ड–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके दिनांक 13-1-98 से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० की समस्त इकाइयों में 6 माह के लिये हड़ताल को प्रतिषिद्ध कर दिया था । उक्त अधिसूचना की अवहेलना कर 15-1-98 की रात्रि से अनुचित एवं अवैधानिक हड़ताल कर उत्पादन कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था ।

बर्खास्त कर्मचारियों से प्राप्त सेवा बहाली के प्रत्यावेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निगम की निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने पर उक्त सभी कर्मचारियों को बहाल किया गया जो वर्तमान में महोली इकाई में कार्यरत हैं ।

सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी, यंग डेमोक्रेटिक लीग, उ० प्र० 12/44 ग्वाल टोली, कानपुर के शिकायती-पत्र की जांच उप निदेशक, कानपुर द्वारा जांच पूर्ण होने एवं तथ्य की जानकारी

89—श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेयी, यंग डेमोक्रेटिक लीग उ० प्र० 12/44 ग्वाल टोली, कानपुर के शिकायती-पत्र दिनांक 20-7-96 की जांच निदेशालय के पत्रांक 1454/8-96/शिक्षा/स०क०/96-97 दिनांक 5-8-1996 के द्वारा उप निदेशक, कानपुर को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच पूर्ण न करने का कारण यह रहा कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा स्थलीय जांच कराई जा रही थी और श्री राजाराम, कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा निदेशक से शिकायत की गयी थी । तदोपरान्त श्री राजाराम को निदेशालय आदेश सं०–5021-26/स०क०/स्था०–3/97-98, दिनांक 9-3-98 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहित बहाल करते हुए श्री राजाराम को इटावा जनपद में स्थानान्तरित एवं तैनात कर दिया गया है और वह वहां कार्यरत हैं । इस प्रकार शिकायती-पत्र में की गयी प्रार्थना अनुसार श्री राजाराम का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है । वर्णित स्थिति में उप निदेशक द्वारा आगे जांच की आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

मूक–बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत सहायक अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति तथा वेतन का मामला

90—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूक–बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली बनाई गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने सहायक अध्यापकों एवं कर्मचारियों की जून, 1997 में सेवा समाप्त की गयी और

कितनों को 16 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? इस संबंध में संबंधित प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी नहीं ।

केवल एक सहायक अध्यापिका श्रीमती सुमनलता की सेवायें संस्था द्वारा समाप्त की गयी हैं । श्रीमती सुमनलता ने इसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच, लखनऊ में एक याचिका दायर की है । शासन को उपलब्ध सूचना के अनुसार अगस्त, 1997 से अभी तक संस्था के किसी अधिकारी/कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया है । संस्था में जूनियर हाई स्कूल के 13 अध्यापक तथा 13 कर्मचारी हैं । प्रशिक्षण महाविद्यालय में 3 पूर्णकालिक शिक्षक, 3 पार्ट टाइम शिक्षक तथा 5 कर्मचारी हैं । यह संस्था भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित संस्था है । संस्था के अवैतनिक सचिव के अनुसार संस्था को वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में भारत सरकार से अभी तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है ।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

संस्थान को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण ।

मूक-बधिर विद्यालय एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

91—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूक-बधिर विद्यालय (परिवर्तित नाम एन० सी० चतुर्वेदी बधिर विद्यालय) एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक कुल कितने विशेष आडिट एवं जांचें कराई गईं ? जांचोपरान्त उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

प्रश्नगत संस्था में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक एक सम्परीक्षा एवं दो जांचें हुईं ।

संस्था के लेखों के संबंध में की गयी सम्परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्ट में उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण के बारे में संस्था से प्राप्त अनुपालन आख्या पर शासन द्वारा निदेशक, विकलांग कल्याण को परीक्षण करने तथा सम्परीक्षा अधिकारी से आडिट आपत्तियों/निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अनुपालन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर चीनी मिल द्वारा ट्रैक्टर ट्राली व ट्रक आदि पर ओवर लोडिंग के संबंध में प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिस पर पत्र सं०–वि०को०/एम–3/8862/गोण्डा/98द्वारा सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को 8-4-98 को कोई निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के आरोप क्या-क्या थे और दोषी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि बलरामपुर चीनी मिल द्वारा अपने निजी साधन जैसे–ट्रैक्टर ट्राली व ट्रक आदि पर ओवर लोडिंग की जाती है जिसके कारण ट्राफिक जाम रहती है, दुर्घटना होती है तथा पुलिया और सड़कें टूट जाती हैं जिससे सरकारी राजस्व व जनता का नुकसान होता है ।

समस्या का निराकरण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

93—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं० 40 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर में श्रीमती कंचन लता देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री, जामो हरदो तथा चन्द्रावती देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94—श्री तेजभान सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती कंचन लता देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, जामो हरदो तथा चन्द्रावती देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शाहगढ़–II का दो अलग संलग्न प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-12-97 प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

दोनों शिकायती-पत्रों की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गयी । यद्यपि प्रथम शिकायतकर्ता श्रीमती कंचन लता देवी ने शिकायती-पत्र देना अस्वीकार किया, परन्तु फिर भी जांचोपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती सियालली द्वारा अभिलेख ठीक से न रखने एवं स्टाक कम पाये जाने के कारण उनसे रु० 4690.40 की वसूली के आदेश दे दिये गये हैं तथा आंगनबाड़ी केन्द्र रामपुर चौधरी की कार्यकत्री की सेवायें अनियमितताओं के कारण दिनांक 17-3-98 से समाप्त कर दी गयी है । जांच से प्रार्थना-पत्र के अन्य आरोप सही नहीं पाये गये । दूसरे शिकायती-पत्र की जांच से यह पाया गया कि प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री शाहगढ़–II को 9-9-97 से पोषाहार व मानदेय नहीं दिया है जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दिनांक 19-11-97 को केवल अग्रिम आदेशों तक मानदेय का भुगतान रोका था । इसके लिये प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा दिसम्बर, 97 से निरन्तर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ।

95—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

96—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के वार्ड खरिका तेलीबाग, लखनऊ व आसपास के गांवों में प्रसूति गृह एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

97—श्री पीतम राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के वार्ड खरिका तेलीबाग, लखनऊ में एवं वहां के आस-पास के गांवों में कोई प्रसूति गृह एवं स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण वहां के गरीब किसानों/नागरिकों को प्राइवेट नर्सिंग होम का सहारा लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर एक प्रसूति गृह एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर क्षेत्र वार्ड खरिका में एक मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित है तथा उससे एक किलोमीटर की दूरी पर उतरेटिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रिया शील है जिनके माध्यम से वहां की जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवायें प्राप्त होती है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आंगन बाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण योजना के निगरानी हेतु सरकारी अधिकारी की नियुक्ति का मामला

98—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण योजना के निगरानी हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में कौन सरकारी अधिकारी नियुक्त है एवं जिला स्तर पर कौन सरकारी अधिकारी नियुक्त है ? क्या सरकार राज्य स्तर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नामित करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आंगनबाड़ी प्रशिक्षण योजना के निगरानी हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ० प्र० तथा जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त हैं ?

उपरोक्तानुसार कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्व से ही व्यवस्था उपलब्ध है ।

प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के लिये पेंशन को जमा लागू होने विषयक जानकारी

99—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के लिये पेंशन योजना लागू करने के संबंध में अध्यक्ष, जिला पंचायत, बरेली द्वारा दिनांक 6-9-96 तथा मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 10-9-96 को सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग को रजिस्टर्ड पत्र लिखे थे ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई और कब तक पेंशन योजना डी० आर० डी० ए० कर्मियों हेतु लागू हो जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा–18 के अधीन पंजीकृत संस्था है । इनमें कार्यरत कार्मिक राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं । अतः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों को पेंशन अनुमन्य नहीं है ।

जनपद बलिया एवं मऊ में सिंचाई हेतु सहायक परियोजना के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक नहर प्रणाली एवं नहरों का पुनरोद्धार तथा नई योजना की स्वीकृति में व्यय धन और सिंचाई के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का मामला

100—श्री राजधारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ एवं बलिया में सिंचाई हेतु सहायक परियोजना के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक नहर प्रणाली, नहरों का पुनरोद्धार तथा कुछ नई नहरें बनाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत थी ? यदि हां, तो कुल कितनी लागत प्रस्तावित थी ? उसमें से कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या व्यय की गयी धनराशि से सिंचाई के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक नहर प्रणाली नहीं वरन् समानान्तर दोहरीघाट नहर प्रणाली की योजना स्वीकृत है ।

वर्ष 1985 के मूल्यों पर लागत रु० 742.40 लाख थी ।

रु० 515.59 लाख ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद के बढ़वारा झील की क्षमता बढ़ाने हेतु सम्बित योजना के संबंध में जानकारी

101—श्री चन्द्रपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के बढ़वारा झील की क्षमता बढ़ाने के लिये कोई योजना सरकार के पास लम्बित है ? क्या परियोजना निर्माण हेतु नजूल भूमि सिंचाई विभाग झांसी प्रखण्ड को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोले जाने के संबंध में जानकारी

102—श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

मनकापुर में 30 शैय्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत महिला चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर की तहसील मुख्यालय पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की मांग

103—श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के तहसील मुख्यालय पर क्या राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने हेतु कोई योजना इस वित्तीय वर्ष में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा मुख्यालय पर एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है । अतः इसके अतिरिक्त इस जनपद के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के लिये वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग की बैजानी नहर पर हुए व्यय और उससे हो रही सिंचाई की जानकारी

104—श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग की बैजानी नहर में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ? क्या बजानी नहर से सिंचाई हो रही है ? यदि हां, तो कितने हेक्टेयर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ की बैजानी नहर में कुल रु० 09.77 लाख मात्र खर्च किया गया है ।

जी नहीं ।

नहर मानसून अवधि में भू-स्खलन एवं ऊपर से मलबा आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी ?

मनकापुर, गोण्डा के खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पाइपों को ठीक कराने की मांग

105—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर (गोण्डा) के अन्तर्गत कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप खराब हैं ? इन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्तमान में 20 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थाई रूप से एवं 17 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं।

खराब हैण्डपम्पों को माह अगस्त, 98 तक ठीक करा लिया जायेगा।

शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र

106—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-4-95 या इसके आस पास शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में मंत्री जी को तथा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सीतापुर व जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम डमोरा, ब्लाक जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना द्वारा कराये गये फर्जी लोन वितरण की जांच

107—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 6-11-96 या इसके आस-पास एक रजि० पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर तथा उप निदेशक, समाज कल्याण, बरेली तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जो ग्राम डमोरा, ब्लाक जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के माध्यम से ग्राम विकास अधि० हरिजन समाज कल्याण, जैतीपुर (शाहजहांपुर) के द्वारा फर्जी लोन वितरण के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक जैतीपुर में व्यापक स्तर पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम से फर्जी लोन कराकर सरकार के कार्यक्रम का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां।

उक्त पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी, जैतीपुर से जांच कराई गई है।

पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों के मामलों में वित्त पोषण में विकास खण्ड जैतीपुर के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारियों (स०क०) द्वारा अनियमितातायें बरतने की पुष्टि हुई है।

इस अनियमितता के लिये तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) श्री राम कृष्ण शर्मा, (सेवानिवृत्त) एवं श्री श्याम मुरारी शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) पीलीभीत दोषी पाये गये।

उपरोक्त दोनों कर्मियों के विरुद्ध थाना जैतीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। दुरुपयोग हुई धनराशि की वसूली हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। इन दोषी कर्मियों में से कार्यरत

ग्राम विकास अधिकारी श्री श्याम मुरारी शुक्ला, पीलीभीत को निदेशालय के पत्र संख्या–1471/दिनांक 24-2-98 के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा विभागीय जांच संस्थित है ।

विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखरखुर्द को दस लाख कूप योजनान्तर्गत निःशुल्क बोरिंग हेतु स्वीकृत धन का दुरुपयोग एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

108—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखरखुर्द को दस लाख कूप योजना वर्ष 1997-98 में अधिक अनियमितता लघु सिंचाई बांदा को निःशुल्क बोरिंग हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? क्या यह बात सही है कि मौके पर काम न कराकर अनियमित ढंग से धन का दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बोरिंग स्थलों का मौके पर सत्यापन कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी बड़ोखरखुर्द को दस लाख कूप योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में निःशुल्क बोरिंग हेतु रु० 3.84 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच

109—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी अन्तर्गत पलरा से बंशीडेरा वाया सहूरपुर सम्पर्क मार्ग में वर्ष 1996-97 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी तथा निर्माण कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह बात सही है कि निर्माण में अनियमितातायें बरती गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड बांदा को वर्ष 1996-97 में प्रश्नगत निर्माण कार्यों के लिये रु० 1.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी । निर्माण कार्यों पर मु० 99,123.00 की धनराशि व्यय की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा द्वारा मिरगहनी अमरइया सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच

110–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिरगहनी अमरइया सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा को कुल

कितनी धनराशि सुनिश्चित रोजगार योजना से प्रदान की गई थी ? प्राप्त धन से कुल कितने मीटर कार्य सम्पन्न कराया गया ? क्या मार्ग के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड बांदा को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से रु० 5.00 लाख की धनराशि उपलब्ध हुई है ।

प्राप्त हुई धनराशि से 677 मीटर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है ।

निर्माण कार्य में अनियमिततायें नहीं बरती गई हैं । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के दोषीगण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

111–श्री अकबर हुसैन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद्र के कार्यालय का पत्रांक 3552/अ०लि०–प्रमुख सोहावल 94 दिनांक 5 सितम्बर, 1994 को पत्र के दोषीगण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो दोषीगण के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ? क्या दुरुपयोग किये गये धन की वसूली होगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकारी धन दुरुपयोग करने के बावत प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्राथमिकी अब तक दर्ज न कराये जाने का कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नही उठता ।

श्री अब्बास अली, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से रु० 1300.00 प्रतिमाह की दर से उनके वेतन से कटौती के आदेश अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) ने अपने आदेश दिनांक 15-4-94 द्वारा निर्गत कर दिये हैं । श्री रमा शंकर सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वसूली की कार्यवाही, यदि उचित पाया गया तो, की जायेगी ।

श्री रमा शंकर सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र का अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है तथा श्री अब्बास अली, अवर अभियन्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

थाना रौनाही, फैजाबाद में दिनांक 7-4-94 को प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है ।

आगरा कैनाल में पर्याप्त जल की आपूर्ति कराये जाने की मांग

112–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा कैनाल का नियंत्रण हरियाणा सरकार को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उ० प्र० की जनता के हितों को देखते हुए प्रश्नगत कैनाल में पर्याप्त जल की आपूर्ति करायेगी जिससे आगरा एवं मथुरा जनपद के किसान लाभान्वित हो सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद के पोस्टमार्टम गृह को नया वातानुकूलित बनाने हेतु आवंटित धन की जानकारी

113–डा० रामबाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के पोस्टमार्टम गृह को नया वातानुकूलित बनाने हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या इसके लिये स्थान आदि का चयन हो चुका है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

आगरा जनपद के पोस्टमार्टम गृह को नया वातानुकूलित बनाने हेतु धन आवंटित नहीं किया गया है, अपितु सामान्य शव-विच्छेदन गृह के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है।

रु० 3.29 लाख स्वीकृत किया गया है।

जी हां।

सामान्य शव-विच्छेदन गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश में स्वतंत्रता की 50वीं वर्ष गांठ पर चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने की मांग

114–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर कितने स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किये गये है और उनमें से कितने ग्राम पहले ही पक्की सड़कों से जुड़े थे ? क्या सरकार अवशेष ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये विशेष कार्ययोजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ब्लाक बेवर व ब्लाक सुल्तानगंज जनपद–मैनपुरी में क्रमशः टोडरपुर एवं ग्राम नगला मितकर स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में चयनित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या उनको पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त दोनों ग्रामों को वर्ष 1998-99 में पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग में तीन महानिदेशकों की स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

115–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग में तीन महानिदेशकों की स्थायी नियुक्ति हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त किये जाने हेतु की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पदोन्नतियां क्या वरिष्ठता एवं कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

महानिदेशक के पद पर पदोन्नतियां मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-3-95 व 26-7-96 के अनुपालन में प्रख्यापित वरिष्ठता सूची दिनांक 22-11-96 के अनुसार, पात्रता आने वाले अर्ह अधिकारियों के मध्य "श्रेष्ठता" के आधार पर की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर में मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का फर्जी भुगतान कराने की जांच

116–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर में 1-1-94 से 15-5-98 तक मातृत्व लाभ योजना में कितनी धनराशि शासन से प्राप्त हुई ? किन-किन लाभार्थियों को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या यह सही है कि धनराशि का आवंटन न करके फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठे लगाकर धन आहरित कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

मातृत्व लाभ योजना 15-8-95 से लागू की गई। वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 में विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत रु० 2.893 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

कुल 765 लाभार्थियों को रु० 300/- प्रति की दर से धनराशि वितरित की गयी। लाभार्थियों की सूची संलग्न है †

जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार फर्जी आवंटन/वितरण जैसी कोई घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में चयनित गांधी ग्रामों हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

117–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत किस-किस विकास खण्डों में कौन-कौन से ग्राम सभाओं में गांधी ग्रामों का चयन किया गया था और चयनित ग्राम सभाओं को किस-किस कार्य के लिये वर्ष 1995-96, 1996–97 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या आवंटित धनराशि से शासनादेश के अनुरूप कार्य पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड गैंडासबुजुर्ग, उतरौला तथा श्रीदत्तगंज में क्रमशः नरायनपुर, रूस्तमनगर तथा अगयाबुजुर्ग ग्राम सभाओं का चयन गांधी ग्राम के रूप में किया गया था। प्रश्नगत चयनित गांधी ग्रामों में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है। ††

---

† छापा नहीं गई।

†† छापा नहीं गया।

आवंटित धनराशि के विपरीत 3 इन्दिरा आवास, 26 शौचालय तथा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्नगत अवशेष निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

जनपद आगरा के विकास खण्ड समशाबाद में उटंगन नदी के धनौला कला घाट पर रपटा का निर्माण

118–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विकास खण्ड समशाबाद में उटंगन नदी के धनौला कला घाट पर सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रपटा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त रपटा का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

रपटा निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। निर्माण कार्य मार्च, 1999 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद आगरा क्षेत्र फतेहाबाद से भू-गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने से धनौला कला घाट उटंगन नदी पर जल भराव बांध निर्माण कराये जाने की मांग

119–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद से भू-गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने के कारण धनौला कला घाट उटंगन नदी पर जल भराव बांध निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-5-98 को एक पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। प्रश्नगत पत्र में दिये गये बिन्दुओं पर विस्तृत सर्वेक्षण एवं तकनीकी अध्ययन के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

120–श्री सन्तराम सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद अम्बेडकर नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० चन्दूलाल मेहरोत्रा के नाम से स्वीकृत आयुर्वेदिक अस्पताल के संबंध में जानकारी

121–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद–फैजाबाद वर्तमान जनपद–अम्बेडकर नगर की नगर परिषद् सीमा एक आयुर्वेदिक अस्पताल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० चन्दूलाल मेहरोत्रा के नाम से शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत हुआ है और उसके लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भूमि भी दान की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल के नवीन भवन के लिए विभाग द्वारा धन स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो कितना और कब ? क्या वह भवन बन रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

जी हां।

जी हां ।

शासनादेश सं०–874सेक–9/पांच–3 एस०एम०डी०/96 दिनांक 31 मार्च, 1996 द्वारा 8 लाख तथा शासनादेश सं०–7050/71-2-250/97 दिनांक 2 जनवरी, 1998 द्वारा 6 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की गयी है ।

जी नहीं ।

चिकित्सालयों के मानक के निर्धारण के अभाव में भवन निर्माण नहीं हो सका । अब मानक निर्धारित हो गये है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

122–श्री राम विशुन आजाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

123–श्री राम विशुन आजाद–

[दिनांक 1-7-98 को अता० प्र० सं०–63 द्वारा उत्तरित]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कन्टीजेन्सी के मद में आवंटित धनराशि की जानकारी

124–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1995 से अब तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कन्टीजेन्सी के मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? कानपुर मण्डल के उपनिदेशक ने किस-किस जनपद हेतु कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त की ? उससे क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी ? क्या नियमानुसार सामग्री क्रय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ''कन्टीजेन्सी'' मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में ''प्रशासनिक व्यय'' के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है ।

भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय की धनराशि प्रदेश के जनपदों को सीधे उपलब्ध करायी जाती है । अतः कानपुर मंडल के उपनिदेशक (स०क०) द्वारा किसी जनपद हेतु धनराशि प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक समाज कल्याण, कानपुर मण्डल द्वारा विभागीय कार्यालय/राजकीय संस्था का निरीक्षण

125–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मण्डल के उप निदेशक ने 1 जुलाई, 1996 से 31-12-96 के मध्य किस-किस जनपद में किस-किस कार्यालय/राजकीय संस्था की जांच की ? जांच में क्या-क्या वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताये पायी और उन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी नहीं । प्रश्नगत

अवधि में उप निदेशक, समाज कल्याण, कानपुर मण्डल द्वारा किसी विभागीय कार्यालय/राजकीय संस्था की जांच नहीं की गई । इस दौरान उनके द्वारा विभागीय कार्यालयों/संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा नहर प्रखण्ड सीतापुर में नहरों एवं नालों की सफाई

126–श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के मरम्मत, अनुरक्षण के कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०–5259/91–27/सिं–4 दिनांक 3 अक्टूबर, 1991 के विपरीत सीतापुर जनपद में नहरों आदि की सफाई कार्य स्थानीय व्यक्तियों से न कराकर पंजीकृत ठेकेदार व बाहरी व्यक्तियों द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इस शासनादेश के विपरीत कार्य कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा नहर प्रखण्ड सीतापुर में नहरों की सफाई का कार्य शासनादेश के अनुरूप श्रमिक मुखिया के माध्यम से कराया गया है । नालों की सफाई पंजीकृत स्थानीय ठेकेदारों से कराई गई हैं ।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

127–श्री रमेश राही–

[6ठें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में शव-विच्छेदन कार्य करने वाले कर्मचारियों की शव-विच्छेदन हेतु निर्धारित धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

128–श्री रमेश राही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शव-विच्छेदन गृहों में पिछले 50 वर्षों से शव-विच्छेदन के कार्य कर रहे व्यक्ति को मात्र 2 रुपये प्रति शव ही दिया जाता है ? क्या सरकार इस संबंध में पचास रुपये प्रति शव-विच्छेदन दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

शव-विच्छेदन का कार्य एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट तथा एक स्वच्छक की सहायता से किया जाता है । चिकित्सक को दि० 20-1-86 से रु० 10/- प्रति शव, फार्मासिस्ट को दि० 23-5-94 से रु० 4.00 प्रति शव तथा स्वच्छक (स्वीपर) को पचास वर्षों से रु० 2.00 प्रति शव दिया जाता है ।

जी नहीं ।

शव-विच्छेदन कार्य करने हेतु एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट तथा एक स्वच्छक की ड्यूटी लगायी जाती है । उक्त तीनों कर्मचारी राजकीय कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन के अतिरिक्त प्रति शव-विच्छेदन हेतु

निर्धारित धनराशि दी जाती है । चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट को निर्धारित धनराशि चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है, तथा स्वच्छक को पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है । चूंकि यह धनराशि वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है अतः सम्प्रति धनराशि बढ़ाने का प्रकरण चिकित्सा विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद आगरा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उटंगन नदी से रामपुर तक सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य कराने के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–आगरा जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण की वर्ष 1991-92 की बैठक में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उटंगन नदी से रामपुर तक सम्पर्क मार्ग का मिट्टी का लेपन कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का लेपन कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 की बैठक में केवल मिट्टी/पुलिया का ही निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था । लेपन का कार्य स्वीकृत नहीं था । इसलिए लेपन कार्य नहीं करवाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के विकास खण्ड समसाबाद में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों पर लेपन कार्य कराने के संबंध में जानकारी

130–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है जनपद आगरा के विकास खण्ड समसाबाद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में कुतबपुर से मझारा फार्म तक, कुतबपुर से बडोबरा कला खेड़ा नवादा से गढ़ी श्रीपति, लहरा से गढ़ी श्रीपति तथा रामपुर उटंगन नदी मार्ग से कछपुरा तक उक्त सम्पर्क मार्गों का मिट्टी का लेपन कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विकास खण्ड समशाबाद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में कुतबपुर से मझारा फार्म तक कुतबपुर से बड़ोबरा कला खेड़ा नवादा से गढ़ी श्रीपति, लहरा से गढ़ी श्रीपति तथा रामपुर उटंगन नदी मार्ग से कछपुरा सम्पर्क मार्ग किसी भी स्तर तक निर्मित कराने के लिए स्वीकृत नहीं । इसलिए इन पर लेपन नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड फूलपुर, जनपद–इलाहाबाद में 30 शैय्या के चिकित्सालय को चालू कराने की मांग

131–श्री जोखू लाल यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में 30 शैय्या का अस्पताल भवन बनकर तैयार हो गया हैं ? यदि हां, तो कब तक चालू कराया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

इस नवनिर्मित भवन में 30 शैय्या चिकित्सालय की विधिवत स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक परिव्यय हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

इलाहाबाद के प्रतापपुर में कतिपय माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

132–श्री जोखूलाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद–इलाहाबाद के बेला माइनर, वारी माइनर, भेलखा माइनर एवं रामपुर पट्टी माइनरों के टेल तक पानी न पहुंचने के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो टेल तक पानी पहुंचाये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

टेल तक पानी पहुंचाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है । योजना की स्वीकृति एवं धन आवंटन के बाद नहर को ठीक करके टेल तक पानी पहुंचाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ स्थित मेंहनगर ब्लाक में गोपालपुर माइनर की खुदाई से सम्बन्धित मुआवजे की मांग

133—श्री राम जग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के मेंहनगर ब्लाक में स्थित गोपालपुर माइनर की खुदाई हुए करीब 25 वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो धटिया, अमारी, गोपालपुर छिनहापुर गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त गांवों के किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में वर्णित ग्राम गोपालपुर माइनर के समरेखन पर नहीं पड़ते हैं । अतः इन ग्रामों के किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में स्थित मेंहनगर ब्लाक में कम्हरिया माइनर की खुदाई से संबंधित किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

134—श्री राम जग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थित मेंहनगर ब्लाक में कम्हरिया माइनर की खुदाई हुए करीब 20 वर्ष से अधिक हो रहा है और विशुनपुरा, भदिया, सरायभादी, परसोतमपुर के किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उक्त गांवों के किसानों का मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से परसोत्तमपुर एवं विशुनपुरा गांवों के कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है । भदिया एवं सराय भादी के कृषकों को प्रतिकर का भुगतान वित्तीय वर्ष 1998-99 में किये जाने का प्रस्ताव है ।

दुर्गापुर माइनर, जनपद आजमगढ़ के निर्माण में ग्राम–जिबोली, सकारामऊ तथा दुर्गापुर के किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

135—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–30 से निकली दुर्गापुर माइनर जनपद–आजमगढ़ के निर्माण में ली गयी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दुर्गापुर माइनर जनपद–आजमगढ़ के निर्माण में ग्राम जिबोली, सकारामऊ तथा दुर्गापुर के किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उनका मुआवजा दे देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम जिवली से सम्बन्धित कृषकों के भूमि के मुआवजे का भुगतान वर्ष 1998-99 में करने का प्रस्ताव है ।

136—श्री उबैदुर्रहमान–

[4थे गुरुवार में अता० प्र० सं०–53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना विभाग, गोण्डा द्वारा आदमतारा से तिलर/बिलासपुर से हुसैनाबाद मार्ग के निर्माण में फर्जी कार्य दिखाकर धन आहरित करने की जांच

137—श्री उबैदुर्ररहमान–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वित्तीय वर्ष 1995-96 में गन्ना विभाग, गोण्डा द्वारा आदमतारा से देवरिया मुबारकपुर/पड़रीराम नाथ से गायडीह तक/रमवापुर से तिलर/बिलासपुर से हुसेनाबाद मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराया गया है तथा फर्जी कार्य दिखाकर धन आहरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । निर्माण कार्य मानक के अनुसार ही कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा विकास खण्ड–प्रतापपुर एवं सैदाबाद, जनपद-इलाहाबाद के विभिन्न गांवों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु जल निगम, इलाहाबाद को उपलब्ध कराये गये धन की जानकारी

138—श्री जोखूलाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा विकास खण्ड–प्रतापपुर एवं सैदाबाद, जनपद-इलाहाबाद के विभिन्न गांवों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु जल निगम,

इलाहाबाद को वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या चयनित सभी गांवों में हैण्ड पम्प लगा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) बांदा द्वारा की गयी कथित अवैधानिक नियुक्तियों की जांच

139–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी० एन० शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) बांदा द्वारा अवैधानिक नियुक्तियों की रोक विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-98 व 1-5-98 जिलाधिकारी, बांदा, कोषाधिकारी, बांदा, अधीक्षण अभियन्ता (लघु सिंचाई) झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–जी–157, दिनांक [illegible] 1-97 द्वारा एवं तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–324, दिनांक 9-1-97 द्वारा पत्रावलियों को मंगाकर अवलोकन किया गया है तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है ।

पुनः मा० विधायक के संदर्भित पत्र के क्रम में पत्रावली जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-5-98 द्वारा परीक्षण हेतु मंगा ली गयी हैं, जिलाधिकारी द्वारा पत्रावलियों का परीक्षण पुनः किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) बांदा द्वारा बांदा जनपद में हैवी रिंग मशीन से बोरिंगों में अनियमितता की जांच

140—श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में हैवी रिंग मशीन से बोरिंगों में किसानों के साथ लूट खसोट तथा श्री डी० एन० शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) बांदा के भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का रजि० पत्र दिनांक 2-2-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

शासनादेश सं०–28 वी०आई०पी०/62-2-98-2/4(8)/97, दिनांक 3-2-98 द्वारा निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ से करायी गयी जिसमें जांच अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । जांच आख्या संतोषजनक न पाये जाने पर पुनः

शासन के कार्यालय आदेश सं०–3459/62–2-98–2/4(8)/97 टी०सी०, दिनांक 8-6-98 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (ल०सिं०) वृत्त लखनऊ को जांच हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद–बांदा में इटावा लहोरा सम्पर्क मार्ग में पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच

141—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में इटावा लहोरा सम्पर्क मार्ग में पुलिया निर्माण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना से वर्ष 97-98 में कुल कितनी धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा को प्रदान की गयी थी ? क्या यह बात सही है कि पुलिया निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य की तकनीकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां । वर्ष 1997-98 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड बांदा को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु० 1,48 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं । पुलिया के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में बन रहे गड़रिया सम्पर्क मार्ग व रामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच

142—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-4-98 जो जनपद–बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में बन रहे गड़रिया सम्पर्क मार्ग व रामपुर सम्पर्क मार्ग में अनियमितताओं की जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सम्पर्क मार्ग रामपुर एवं गड़रिया के निर्माण कार्य की जांच सहायक अभियन्ता (प्रथम), ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा कराई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रपटा/चैकडैम के निर्माण हेतु गुइयांकला, मद्रा (बांदा) साइटों पर हुए कार्य में गड़बड़ी की जांच की मांग

143—श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995-96 में रपटा/चैकडैम के निर्माण हेतु गुइयांकला, मद्रा (बांदा) साइट के लिये क्रमशः 3–30 लाख 8–028 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं ? क्या इन साइटों की सामग्री आपूर्ति के अनुबन्ध छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर सहायक अभि० द्वारा किन-किन तिथियों में कितनी-कितनी धनराशि के लिये गये हैं तथा टेण्डर मांगे जाने की क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है ? इन साइटों पर कार्य प्राक्कलन के अनुसार न कराकर नींव

खुदाई, कन्करीट कम, अनसाइजखण्डा बोल्डर तथा सीमेन्ट की मात्रा कम प्रयोग की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इन कार्यों की टी० ए० सी० जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं । चैकडैम गुइयांकला के लिये रु० 4.80 लाख तथा चैकडैम कम रपटा मढ़ा (बांदा) के लिये रु० 6.50 लाख की धनराशि दो किस्तों में प्राप्त हुई थी ।

साइटों की सामग्री आपूर्ति के अनुबन्ध निम्नांकित तिथियों में तथा उनके सम्मुख अंकित धनराशि के किये गये :—

चैकडैम मढ़ा

अनुबन्ध की तिथि	धनराशि
17-1-96	मु० 48576.00 रु०
13-2-96	मु० 48987.50 रु०
14-3-96	मु० 45100.00 रु०
20-6-96	मु० 29786.00 रु०
31-10-96	मु० 34420.00 रु०
15-11-96	मु० 45602.00 रु०

गुइयांकला (चैकडैम)

24-2-96	मु० 45084.16 रु०
27-2-96	मु० 35669.58 रु०
1-3-96	मु० 46647.38 रु०

निविदायें निर्धारित प्रक्रियानुसार आमंत्रित की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कु० सरला पैट्रिक (मैट्रन) बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ का स्थानान्तरण

144—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बिहारी लाल आर्य, राज्य मंत्री, लघु उद्योग का शिकायती-पत्र दिनांक 23-4-98 जो कु० सरला पैट्रिक (मैट्रन) बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के संबंध में है, कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मैट्रन लखनऊ जनपद में ही 30 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहकर कार्यरत है ? यदि हां, तो मा० मंत्री जी इनकी गम्भीर शिकायतों को देखते हुए इन्हें दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

कु० सरला पैट्रिक दिनांक 30-12-71 से विभिन्न पदों, जैसे स्टाफ नर्स, सिस्टर, पी० एच० एन, ट्यूटर एवं मैट्रन के पद पर लगभग साढ़े छब्बीस वर्षों से कार्यरत है।

वर्तमान में कु० सरला पैट्रिक "ट्यूटर-क्लोसिस आफ स्पाइन विद् डायविटीज रोग से पीड़ित हैं जिनका उपचार बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के न्यू प्राइवेट वार्ड संख्या–6 में किया जा रहा है।

मा० मंत्री जी के पत्र पर जांच कराकर दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु कोई कारगर योजना बनाने की मांग

145—श्री रामाधार सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे जा रहा है ? क्या सरकार भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु कोई कारगर योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां।

वर्षा की अनिश्चितता तथा भूगर्भ जल उपयोग की कृषि सिंचाई, उद्योग व पेयजल हेतु निरन्तर बढ़ती हुई मांग एवं निर्भरता के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भू–जल स्तर नीचे जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

भू–जल स्तर में गिरावट की समस्या की रोकथाम के लिए भू–जल भण्डारों के संवर्धन हेतु "कृत्रिम रिचार्ज" तकनीक का क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त पाये जाने पर प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक प्रदेश के लिए बिल्कुल नई है और इसकी सफलता उपयोगिता को प्रमाणिक पुष्टि हेतु प्रदेश के डार्क एवं ग्रे विकास खण्डों में भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण गिरते हुए भूमिजल स्तर की समस्या के समाधान हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा विशेष योजनायें प्रयोगात्मक रूप में संचालित की जा रही हैं। जनपद–रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम सरैया मुबारक के भूमिगत जल के कृत्रिम रिचार्ज हेतु रु० 7.25 लाख की लागत से पायलेट योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत ग्रेविटी हेड रिचार्जवेल की तकनीकी का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड बिल्हौर, ग्राम–सिधौली में रु० 13,80,700/- की एक और पायलेट योजना तैयार की गयी है जिस पर सर्वे इत्यादि का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत रिचार्ज शेफ्ट की तकनीकी का परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद जनपद के डार्क/ग्रे विकास खण्डों में रिचार्जवेल के निर्माण हेतु छः स्थानों पर तालाबों को गहरा करने हेतु रु० 21.49 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है। पायलेट योजनाओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रदेश के विकास खण्डों हेतु रु० 622.48 करोड़ की योजना भी लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी है तथा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता करने हेतु इस योजना को आर्थिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित कर दिया गया है।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में विशेष कोल आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों का विवरण तथा जांच

146—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 व वर्ष 1997-98 में जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में विशेष कोल आवास योजना के अन्तर्गत

कितने आवास निर्मित किये गये ? उनमें से कितने ध्वस्त हो गये ? क्या इस संबंध में जांच करवायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में विशेष कोल आवास निम्नवत् निर्मित किये गये :––

वर्ष	निर्मित आवासों की संख्या
1993-94	शून्य
1994-95	747
1995-96	870
1996-97	291
1997-98	481 (जून, 1998 तक)
कुल योग	2389

आवासों के ध्वस्त होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

जब यह जनपद बांदा का अंग था कोल आवासों का सत्यापन कराया गया था तथा स्थलीय सत्यापन के दौरान कतिपय आवासों की गुणवत्ता ठीक न होने पर सत्यापन में दोषी पाये गये पांच कर्मचारियों को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–महराजगंज के क्षेत्र पंचायत तखनपुर (नौतनवां) लक्ष्मीपुर, बृजमनगंज में विभिन्न ग्राम सभाओं के लिये स्वीकृत धन तथा किये गये कार्यों की जांच

147––श्री विनोद मणि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1997-98 में जनपद–महराजगंज के क्षेत्र पंचायत तखनपुर (नौतनवां) लक्ष्मीपुर, बृजमनगंज में विभिन्न ग्राम सभाओं को बिना आगणन एवं स्वीकृति के क्रमशः 8.35, 8.50, 6.17 लाख रुपये किसके प्रस्ताव एवं किस नियम के तहत अवमुक्त किये गये ? उक्त धन से कितने प्रतिशत कार्य हुआ ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में मा० युवा कल्याण मंत्री जी, श्री अमर मणि त्रिपाठी के प्रस्ताव पर विकास खण्ड नौतनवां को 8.35 लाख, विकास खण्ड लक्ष्मीपुर को रुपये 8.00 लाख एवं बृजमनगंज को रु० 2.95 लाख अवमुक्त किया गया था । पूर्व में बिना आगणन के धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी, परन्तु उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की गयी थी कि कार्य करने के पूर्व विस्तृत आगणन स्वीकृत कराते हुए अभिकरण में जमा करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय । उक्त निर्देश के क्रम में आगणन अभिकरण को प्राप्त हो गये हैं । शासनादेश संख्या–1675/38–4-97-50जे० आर० वाई०/97, दिनांक 14 मई, 1997 द्वारा जारी शासनादेश के पृष्ठ संख्या–15 पैरा 16.3 के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

दी गयी धनराशि से विकास खण्ड नौतनवां एवं बृजमनगंज में शत-प्रतिशत एवं लक्ष्मीपुर में 79.37% कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत नरायनपुर तालाब से खरियापुर ड्रेन एवं तिलहर ताल ड्रेन के कार्य हेतु फर्जी भुगतान की जांच

148—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के अन्तर्गत नरायनपुर तालाब से खरियापुर ड्रेन एवं तिलहर ताल ड्रेन का कार्य सिंचाई खण्ड, गोण्डा द्वारा कराया गया है ? क्या यह सही है कि नई ड्रेन न बना कर पुराने नालों की केवल सफाई की गयी है और बिना कार्य कराये स्वीकृत धनराशि का आहरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी भुगतान की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नई ड्रेन का निर्माण प्राकृतिक बहाव के रास्ते पर मानक के अनुसार कराया गया है । धनराशि का आहरण कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के कतिपय विकास खंडों में सरयू नहर परियोजना में सिंचाई विभाग द्वारा आवंटित वन का दुरुपयोग

149–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में सरयू नहर षष्टम् खण्ड जो तहसील उतरौला विकास खण्ड श्री दत्तगंज/गैंडासबुजुर्ग/उतरौला से होकर मुख्य नहर निर्माणाधीन है सिंचाई विभाग द्वारा उक्त वित्तीय वर्षों में किस-किस कार्य के कितना धनराशि आवंटित किया है और आवंटित धनराशि के विरुद्ध कितना कार्य कराया गया है ? कार्य गुणवत्ता के आधार पर नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में सरयू नहर षष्टम खण्ड कार्यरत नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

150–श्री उबैदुर्रहमान–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

आनन्द एग्रो इण्डस्ट्री प्रा० लि० लधऊआ, अलीगढ़ को चीनी मिल लगाने हेतु आवंटित भूमि के संबंध में जानकारी

151–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द एग्रो इण्डस्ट्री प्रा० लि० लधऊआ, अलीगढ़ को चीनी मिल लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गयी है ? क्या उक्त आवंटित भूमि पर चीनी मिल स्थापित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मिल स्थापित न होने पर आवंटित भूमि को वापिस लेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ? भूमि आवंटन की शर्तें क्या थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन द्वारा चीनी मिल लगाने हेतु 79.025 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गयी है ।

मिल निर्माण/स्थापना हेतु फाउन्डेशन का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि आवंटन की शर्तें निम्न थी :–

1–मे० एस० एन० चतुर्वेदी, प्रपोस्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर से दूनी दर पर आगणित कुल रु० 35,56,124.00 (पैंतीस लाख छप्पन हजार एक सौ चौबी रुपये मात्र) एक मुश्त देना होगा और नई दर पर निकाली गई कुल मालगुजारी के दूने के बराबर वार्षिक किराया भी अदा करना होगा ।

2–भूमि पर कम्पनी को सर्वाधिकार देने के बजाय 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दी जायेगी जिसका 30-30 वर्ष के लिये दो बार नवीनीकरण किया जायेगा । इस आशय का पट्टा विलेख भी निष्पादित किया जायेगा जिसका प्रारूप तैयार कर जिलाधिकारी द्वारा विधीक्षण हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त पट्टा विलेख शासन द्वारा निष्पादित हो चुका है ।

3–यदि उक्त भूमि या उसके किसी भाग को उपरोक्त चीनी मिल की आवश्यकता नहीं रहेगी तो चीनी मिल उसे शासन को वापस कर देगी और शसान द्वारा उक्त भूमि का मूल्य जितना कि चीनी मिल द्वारा उक्त भाग के लिये शासन को भुगतान किया गया होगा वापस कर दिया जायेगा ।

4–यदि कभी पुनर्ग्रहीत एवं आवंटित भूमि को पट्टे की शर्तों के विपरीत उपयोग में लाया जायेगा या उसे उपरोक्त स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के उपयोग में लाया जायेगा तो शासन को यह अधिकार होगा कि भूमि को पट्टेदार से निःशुल्क वापस ले ले ।

5–यदि इस भूमि के स्थानान्तरण के संबंध में निष्पादित होने वाले विलेख पत्र के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होगा तो वह निर्णय के लिये शासन के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के सचिव के पास भेजा जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर के संबंध में जांच

152–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता ने वर्ष 1996-97 में लगभग डेढ़ लाख रुपये का फर्नीचर खरीदा था ? यदि हां, तो क्या इसके लिये धन अलग से उपलब्ध कराया गया था ? यदि नहीं, तो यह क्रय किस मद से किया गया ? क्या इस खरीद के संबंध में कोई जांच शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो जांच कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 1996-97 में रु० 1,19,285.00 का फर्नीचर क्रय किया गया था ।

लेखा शीर्षक 4701 के उपशीर्षक उपकरण एवं संयंत्र मद में नवीन सम्पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में खण्ड को आवंटित धनराशि रु० 3.00 लाख के विरुद्ध उक्त फर्नीचर क्रय किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, अभी अनन्तिम जांच आख्या प्राप्त हुई है। पूर्ण जांच आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर के सेवा-निवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्री शिव दुलारे मिश्र की पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, जी० पी० एफ० आदि का भुगतान

153–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव दुलारे मिश्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, सुल्तानपुर, दिनांक 30-6-97 को सेवा निवृत्त हुये थे ? क्या इनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, जी० पी० एफ० आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

अन्तरिम पेंशन दिनांक 1-7-97 से 31-12-97 तक का रुपये 15,155.00 का भुगतान दिनांक 4-6-98 को कर दिया गया है तथा 1-1-98 से 30-6-98 की अन्तरिम पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ? श्री मिश्र को 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० रुपये 61,947.00 अन्तरिम ग्रेच्युटी रुपये 50,000.00 तथा सामूहिक बीमा की धनराशि रु० 10,648.00 का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों के लगाने में धांधली की शिकायत

154–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1998 से अब तक कितने इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगाये गये ? क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्प का कार्य जल निगम हरदोई से न कराकर लखनऊ डिवीजन के अभियन्ताओं द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्प अभियन्ताओं द्वारा चयनित स्थान एवं ग्रामों में न लगाकर मनमाने ढंग से अवैध धन अर्जित करके लगवाये गये हैं ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक शिकायती-पत्र मई, 1998 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में मंत्री जी को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1998 से जून, 1998 तक कुल 993 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

जी हां। वर्ष 97-98 में निर्धारित लक्ष्यों को मार्च, 1998 तक प्राप्त करने के उद्देश्य से 354 हैण्ड पम्प लगाने का कार्य द्वितीय निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को दिया गया था।

संदर्भित पत्र दिनांक मई, 98 नगर विकास मंत्री जी के यहां प्राप्त हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना (शारदा कैनाल), सण्डीला में कतिपय रजबहों की सिल्ट सफाई में धन के दुरुपयोग के संबंध में जानकारी

155-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना (शारदा कैनाल), सण्डीला में गत वर्ष 1996-97, 1997-98 में रजबहा हथौड़ा, सिधवल तथा माइनर तिलैइया जमसारा, भदेना, गोसवा, ककराली, सांक, सोम आदि पर सिल्ट सफाई पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त रजबहों एवं माइनरों की सफाई कार्य न करा कर धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त माइनरों में सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचा तथा फर्जी सिंचाई भी काश्तकारों पर लगा दी गई ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक शिकायती-पत्र उन्हें अप्रैल, 1998 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

रजबहा हथौड़ा, सिंधवल, तिलैइया जमसारा, भदेना, गोसवां, ककरासी सांक एवं सोम माईनरों के सिल्ट सफाई पर वर्ष 1996-97, 1997-98 में क्रमशः 1,80,913/- एवं 1,39,338/- खर्च किये गये ।

जी नहीं ।

जी नहीं । रबी 1404 में सिंघवल रजबहा के अतिरिक्त अन्य सभी आठों नहरों पर टेल तक पानी पहुंचा है तथा टेल पर सींच भी हुई है । रबी 1405 में हथौड़ा रजबहा तथा सिंघवल राजबहा के अतिरिक्त अन्य सभी सात नहरों पर टेल तक पानी पहुंचा है तथा हथौड़ा, सिंघवल और साक के अतिरिक्त अन्य नहरों के टेल पर सींच भी हुई है ।

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद में नलकूप लगाये जाने की मांग

156–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील फतेहाबाद में नलकूप निगम द्वारा टर्मीनल रजबहा की टेल पर नलकूप लगाये गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1992 की निगम की बैठक में निगम द्वारा पुनः सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त योजना पर अमल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की बैठक दिनांक 2-8-1992 में यह प्रस्तावित किया गया था कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद में टर्मिनल रजबाहे के किनारे निर्मित नलकूपों का पाइप उखाड़कर आस-पास के क्षेत्रों में जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्वतंत्र रूप से चलाने वाले नलकूप स्थापित करने पर विचार किया जाय । फलस्वरूप दो योजनायें बनाकर जिलाधिकारी आगरा को धन उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजी गयीं । धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण जिनका निर्माण नहीं कराया जा सका ।

जनपद सिद्धार्थनगर के प्रा० स्वा० केन्द्र, तिलौली पर कार्यरत फार्मासिस्ट द्वारा ताला तोड़ कर दवाइयां नष्ट किये जाने के संबंध में जानकारी

157–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1997 माह अगस्त में जनपद सिद्धार्थनगर के प्रा० स्वा० केन्द्र, तिलौली पर कार्यरत फार्मासिस्ट ने स्टोर का ताला तोड़कर तमाम पुरानी दवाइयां जनता के सामने नष्ट कर दिया था ? क्या इस घटना की जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर, सचिव और महानिदेशक चिकित्सा को दी गई थी ? यदि हां,तो क्या इस घटना की कोई जांच करायी गयी तथा फार्मासिस्ट के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलौली, जनपद सिद्धार्थनगर में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा० स्वा० केन्द्र, बांसी को महिला चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने की मांग

158–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के प्रा० स्वा० केन्द्र बांसी के संबंध में प्रश्नकर्ता का पंजीकृत पत्र दिनांक 18-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या बांसी नगर पालिका की आबादी को देखते हुये प्रा० स्वा० केन्द्र, बांसी को महिला चिकित्सालय में परिवर्तित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित विषय से संबंधित प्रश्नकर्ता मा० सदस्य का पत्र दिनांक 17-5-98 प्राप्त हुआ है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी स्थापना के पश्चात् महिला चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

चेकडैम बोझ, विकास खण्ड मऊ (बांदा) के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में जांच की मांग

159–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में चेकडैम बोझ, विकास खण्ड मऊ (बांदा) के निर्माण हेतु एस० आर० वाई० के अन्तर्गत रु० 4.57 लाख खर्च किये गये हैं ? ग्राम बोझ के कितने श्रमिकों को कितने दिन का कार्य दिया गया है ? क्या इन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन विकास खण्ड में है और इन्हें मानक के अनुसार मजदूरी दी गयी है ? क्या निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति, सीमेन्ट की मात्रा कम तथा घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी टी० ए० सी० जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रोजेक्ट का अनुबन्ध एक बार में किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं ।

प्रश्नगत चैकडैम के निर्माण हेतु एस० आर० वाई० योजनान्तर्गत रु० 4.80 लाख का व्यय किया गया।

ग्राम बोझ, ओवरी, ललई, चन्नाइ, एवं तिलौली के श्रमिकों द्वारा कुल 3277 मानव दिवस कार्य हुआ।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग बांदा का रपटा/चेकडैम/तालाब के लिये प्राप्त धनराशि के संबंध में जानकारी

160–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में लघु सिंचाई विभाग बांदा का रपटा/चेकडैम/तालाब के लिये कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुई है ? क्या इन कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति के लिये मुहरबन्द टेण्डर किन-किन तिथियों में आमंत्रित किये गये ? कितने टेण्डर प्राप्त हुये तथा किन-किन तिथियों में स्वीकार किये गये ? क्या इनका प्रचार व प्रसार सूचना निदेशक के माध्यम से समाचार पत्रों द्वारा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

वर्ष 95-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु० 53.79 लाख, जवाहर रोजगार योजना में रु० 19.98 लाख एवं दस लाख कूप योजना में रु० 69.08 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

इन कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की व्यवस्था हेतु दिनांक 4-4-95, 6-4-95, 23-5-95, 25-5-95, 14-6-96, 6-10-95, 9-10-95, 20-10-95, 7-12-95, 8-12-95, 31-12-95, 15-12-95, 16-12-95, 18-12-95, 27-12-95, 4-1-96, 5-1-96, 10-1-96, 15-1-96, 19-1-96, 27-1-96, 1-2-96, 14-2-96, 15-2-96, 7-3-96, 23-2-96, 15-3-96, 19-3-96, 23-5-96, 26-3-96, 30-3-96 एवं 18-10-95 में निविदायें आमंत्रित की गईं जिनमें 118 निविदायें प्राप्त हुईं और उन्हीं में से उन्हीं तिथियों में 36 निविदायें स्वीकार हुई।

जी नहीं।

क्यों कि सहायक अभियन्ताओं द्वारा योजना में धन की उपलब्ध एवं समय-समय पर सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अधिकार सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार निविदायें विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की गई।

लघु सिंचाई विभाग, बांदा को निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि के संबंध में जानकारी

161–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में लघु सिंचाई विभाग, बांदा को निर्माण कार्यों हेतु कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन कार्यों के लिये प्राप्त हुई हैं ? क्या उपरोक्त कार्यों के लिये कितने टेण्डर किन-किन तिथियों में आमंत्रित कर स्वीकार किये गये तथा किन-किन कार्यों की दरें विभागीय दरों से कितने प्रतिशत कम प्राप्त हुई तथा सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम भदेख, विकास खण्ड कुठौंद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी

162–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1997-98 में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम भदेख, विकास खण्ड कुठौंद में उपलब्ध कराई गई धनराशि से कोई कार्य नहीं कराया गया है? यदि हां, तो उक्त ग्राम के कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद जालौन में वर्ष 1997-98 में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम भदेख, विकास खण्ड कुठौंद में वनीकरण, खड़न्जा एवं रास्ते में मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है ।

वर्ष 97-98 में उक्त ग्राम को कुल रु० 89,709=00 प्राप्त हुआ जिस पर रु० 203=00 का ब्याज अर्जित हुआ था इस प्रकार ग्राम सभा को कुल रु० 89,912=00 की धनराशि प्राप्त हुयी । वर्ष 97-98 में ग्राम सभा द्वारा वनीकरण, खड़न्जा एवं रास्ते में मिट्टी भराई के कार्य में रु० 69.316=00 की धनराशि व्यय की गयी । ग्राम सभा द्वारा कराये गये कार्य का सत्यापन विकास खण्ड कुठौंद द्वारा कराया जा चुका है तदपि उक्त स्वर्ण जयन्ती ग्राम भदेख, विकास खण्ड कुठौंद, जनपद जालौन में दिनांक 31-7-98 तक कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन कराने का आदेश जिलाधिकारी, जालौन को दे दिया गया है ।

जनपद गोण्डा में पेयजल समस्या वाले ग्रामों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

163–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें पेयजल की समस्या गंभीर है ? कब तक उन ग्रामों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गोण्डा के किसी भी ग्राम में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार गंभीर पेयजल की समस्या नहीं है । जनपद गोण्डा के 1811 आबाद राजस्व ग्रामों में कुल 11546 मजरे हैं इनमें से 9821 मजरों को 14739 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प–2 लगाकर पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है । कोई मजरा अनाच्छादित नहीं है । शेष समस्त 1725 मजरों को 4981 हैण्डपम्प मार्च, 2000 तक लगाकर उन्हें भी पूर्णरूप से संतृप्त करने का लक्ष्य है । उक्त में से वर्ष 1998-99 में 2500 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का विधान सभा क्षेत्रवार वितरण में असमानता की शिकायत

164–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का वितरण ग्राम सभावार, क्षेत्र पंचायतवार एवं जिला स्तर पर अभिकरण अंश की धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार वितरण करने का निर्देश है ? यदि हां, तो क्या जनपद सीतापुर में जितनी धनराशि विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा एवं बेहटा में अभिकरण अंश के सापेक्ष दी गयी है उतनी ही धनराशि अन्य विधान सभा क्षेत्र में भी वर्षवार दी गयी है ? यदि नहीं, तो वह असन्तुलन क्यों रखा गया है ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

शासनादेशों के अनुरूप जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का वितरण ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा अभिकरण अंश में क्रमशः 70: 15: 15 के अनुपात में विभाजित कर अवमुक्त की जाती है । अभिकरण अंश की धनराशि विधान सभा क्षेत्रवार निर्गत करने के निर्देश नहीं है। जनपद में विधान सभा क्षेत्रवार कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी है । अतः इसमें कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र कराने की मांग

165–श्री विजय कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है ? क्या समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में शीघ्र कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

जी हां ।

लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया/प्रोन्नति से संबंधित अधिकारी के उपलब्ध होने के तत्काल पश्चात् ।

समाज कल्याण अधिकारी बांदा को सम्प्रति छत्रपति शाहू जी महाराजनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यों को सम्पादित करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है ।

जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में विकलांग पेंशन, विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी

166–श्री विजय कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में वर्तमान समय में कुल कितने लोगों को विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में वर्तमान में 395 लोगों को विकलांग पेंशन, 2066 विधवाओं को विधवा पेंशन तथा 6546 वृद्धों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन दी जा रही है ।

जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में क्षेत्र समिति, मऊ द्वारा कुछ व्यवसायिक दुकानों के निर्माण के संबंध में जानकारी

167–श्री विजय कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में क्षेत्र समिति, मऊ द्वारा कुछ व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इन दुकानों के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ है ? निर्मित दुकानों की संख्या क्या है ? क्या इन निर्मित दुकानों के आवंटन में आरक्षण प्राविधानों का पालन करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद से सम्बद्ध रामपुर माइनर पर स्थित देवली आदि गांवों के किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे की मांग

168–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद से सम्बद्ध रामपुर माइनर पर स्थित देवली आदि गांवों के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत माइनर से सम्बद्ध ग्राम रामपुर व देवली के उन कृषकों जिनके अभिलेख पूर्ण थे, के भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु उनके नाम बैंक ड्राफ्ट तैयार करा दिया गया है । शेष कृषकों द्वारा अभिलेख पूर्ण कर उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान संभव है । अन्य दो ग्रामों के दर निर्धारण का प्रकरण शारदा सहायक खण्ड–30 के पत्रांक–205/शा०–30/एल–3, दिनांक 10-2-97 द्वारा जिलाधिकारी, इलाहाबाद को संदर्भित है ।

सरकार द्वारा नसबन्दी ग्रीन कार्ड धारकों को सरकारी संस्थाओं में पदोन्नति संबंधी योजना की जानकारी

169–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ? क्या सरकार नसबन्दी ग्रीन कार्ड धारकों को सरकारी संस्थाओं में पदोन्नति किये जाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह–

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु भारत सरकार की सहायता से प्रदेश में वर्ष 1951 से परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार परिसीमन की अस्थाई एवं स्थाई विधियों को अपनाते हुये जनसंख्या को नियंत्रित करना है । प्रारम्भ से ही यह कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक है । उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे लक्ष्य परख रखा गया था । कालान्तर में परिवार परिसीमन के साथ-साथ माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के अन्य आयाम जैसे पूर्व प्रसव, प्रसव प्रसवोत्तर सेवायें, प्रतिरक्षण अन्धता बचाव तथा दस्त की रोकथाम जोड़े गये । तथा अब कार्यक्रम जन समुदाय की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किया जाता है । कार्यक्रम को और अधिक ग्राह्य और जनोन्मुख बनाने के लिये परिवार परिसीमन के साथ-साथ मातृ एवं बाल संरक्षण, प्रजनन, तंत्र संक्रमण एवं यौन जनित रोग नियंत्रण सेवाओं को समेकित कर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर, 1997 से प्रारम्भ किया

गया है । जिसके अन्तर्गत समुदाय की आवश्यकताओं एवं उनकी अभिरुचि के अनुरूप छोटे एवं स्वस्थ्य परिवार की अवधारणा को लक्षित करते हुये गुणवत्ता परख सेवायें प्रदान की जाती हैं ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव

170–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबों और दलितों के स्वास्थ्य के लिये जो दवायें सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करायी जाती हैं आवश्यकता से बहुत ही कम है ? यदि हां, तो सरकार उचित उपचार के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल/महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई एवं रख-रखाव हेतु आवंटित धन तथा व्यय का विवरण

171–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल/महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 1995 से 1998 मार्च तक शासन द्वारा कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारियों ने शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल/महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई एवं अनुरक्षण मदों हेतु वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक आवंटित धन तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है । †

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड–श्री दत्तगंज/गैड़ास बुजुर्ग/उतरौला/पचपेड़वा को क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण

172–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड–श्री दत्तगंज/गैड़ास बुजुर्ग/उतरौला/पचपेड़वा को 1 जनवरी, 96 से 31 मई, 98 तक क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिये किस-किस ग्राम पंचायत को आवंटित की गयी है ? कितना

---

† छापी नहीं गई ।

कार्य आवंटित धनराशि से कराया गया है ? क्या सरकार निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मानक की जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड–श्री दत्तगंज/गैड़ास बुजुर्ग/उतरौला/पचपेड़वा को 1 जनवरी, 96 से 31 मई, 98 तक क्षेत्र पंचायतों को निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है :–

क्र०सं०	विकास खण्ड	क्षेत्र पंचायतों को 1-1-96 से 31-5-98 तक आवंटित धनराशि
1	श्री दत्तगंज	2,95,415.00
2	गैंड़ासबुजुर्ग	2,79,616.00
3	उतरौला	2,08,645.00
4	पचपेड़वा	7,06,051.00
	योग :	14,89,727.00

क्षेत्र पंचायतों द्वारा आवंटित धनराशि के विपरीत ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। †

माननीय सदस्य की आकांक्षा के अनुसार टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मुजरख से लाहोरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच

173–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मुजरख से लाहोरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड (बांदा) को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? प्राप्त धनराशि से कुल कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या निर्माण कार्य मजदूरों के बजाय ट्रैक्टरों से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्माण में की गयी अनियमितताओं की तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा में वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मुजरख से लाहोरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को कुल रु० 2.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

काफी प्रयास के बाद भी मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः निर्माण कार्य विभाग की ओर से प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

---

† छापी नहीं गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

174–श्री रमेश राही–

[दिनांक 14-7-98 को अता० प्र० सं० 177 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा में लामा लुकतरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच

175–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में लामा लुकतरा सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बांदा को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? उक्त धनराशि से कुल कितने मीटर काम कराया गया ? क्या उक्त समपर्क मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं की तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बांदा में लामा लुकतरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बांदा को कुल रु० 1.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी । 450 मीटर लम्बाई में सोलिंग स्तर से टापकोट तक निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

इस मार्ग पर कार्यों की तकनीकी जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाहनों के ईंधन पर खपत सम्बन्धी व्यय नियंत्रण हेतु मितव्ययिता की शासकीय नीति तथा लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ का स्पेशल आडिट कराने की मांग

176–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता की शासकीय नीति के अनुसरण में वाहनों के ईंधन पर खपत संबंधी व्यय नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या 1820-टी/तीस–4–18–के० एम०–75, दिनांक 21-4-1977 का अनुपालन न करने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते हुए, उक्त आदेशों का अनुपालन सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करवाने की कृपा करेंगे ? उक्त प्रकरण पर विभागीय आंतरिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से ''लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ'' का स्पेशल आडिट करवा कर तथ्यों से अवगत करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत शासनादेश के अनुसार वाहनों के ईंधन पर खपत सम्बन्धी व्यय नियंत्रण हेतु मितव्ययिता की शासकीय नीति का सामान्यतः अनुसरण किया जा रहा है, अतः अन्य कार्यवाही का प्रश्न नही नहीं उठता ।

जी नहीं । महालेखाकार द्वारा विशेष आडिट किया जा चुका है ।

कैनाल कालोनी एवं हेवलक रोड लखनऊ स्थित सरकारी आवासों के लोक सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

177–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल, लखनऊ के पत्रांक 602/वि०स०प्र०, दिनांक 27-1-98 द्वारा जिन सरकारी आवास में रहने वाले लोक सेवकों की सूचियां विभागाध्यक्ष कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं, उनमें से कितने सेवकों ने सरकार से भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ जनपद में स्वयं के मकान बनवा लिये हैं ? कितने ने भवन निर्माणोपरान्त भवन मरम्मत हेतु अग्रिम ले लिया हैं ? उक्त प्रकरण में कितने लोक सेवकों द्वारा भवन निर्माण अग्रिम फार्म में यह अंकित किया गया है कि वे निर्मित भवन में स्वयं प्रवास करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल–लखनऊ के पत्रांक–602/वि०स०प्र०/दिनांक 27-1-98 द्वारा कैनाल कालोनी एवं हैवलक रोड लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में अध्यासित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से 50 लोक सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया गया है । अग्रिम लेकर लखनऊ जनपद में स्वयं के मकान बनवा लिये जाने की सूचना अभी तक किसी भी लोक सेवक से उपलब्ध नहीं हुई है ।

भवन निर्माणोपरान्त भवन मरम्मत हेतु 6 लोक सेवकों ने अग्रिम लिया है ।

उक्त प्रकरण में समस्त 50 लोक सेवकों द्वारा भवन निर्माण अग्रिम आवेदन पत्र में स्वयं प्रवास करने सम्बन्धी प्रविष्टि अंकित की गयी है ।

सिंचाई विभाग में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति

178–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के उपरान्त किस-किस अनुवादक ने किन-किन तिथियों में कार्यभार ग्रहण किया । कार्यभार ग्रहण के उपरान्त से दिनांक 30-4-1998 तक प्रत्येक अनुवादक द्वारा कुल कितने पत्रों का अनुवाद किया गया ? उक्त अवधि में प्रत्येक अनुवादक द्वारा वेतन, भत्तों एवं अन्यान्य प्रकार के मदों में कुल कितनी धनराशि राजकीय कोष से प्राप्त की जा चुकी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्ति नहीं की गई । बल्कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की गई है । शेष सूचना संलग्नक में दी गई है । †

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में धांधली की शिकायत

179–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र, 1996-97 में स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन करते हुये कितने ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया है जिन्हें एक ही जनपद में तैनात रहते हुए दस वर्ष हो चुके थे ? कितने ऐसे अवर अभियन्ता थे जिन्हें एक ही राजस्व मण्डल में तैनात रहते हुए पन्द्रह वर्ष हो चुके थे, फिर भी नीति अनुसार उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ? कितने

---

† छापी नहीं गई ।

ऐसे अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उक्त सत्र में नीति विरुद्ध किया गया जिन्हें एक खण्ड के अन्तर्गत तैनात हुए एक वर्ष या उससे कम समय हुआ था ? कितने अवर अभियन्ता (सिविल) की पदस्थापना में नीति विरुद्ध उनके निवास जनपदों में की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सीमित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1996-97 में 10 वर्ष की सेवा कर चुके 57 अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

स्थानान्तरण सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 में राजस्व मण्डल में पात्र अवर अभियन्ताओं (सिविल) के स्थानान्तरण नहीं किये गये । यांत्रिक पक्ष के ऐसे 6 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण नहीं किये गये थे ।

केवल एक अवर अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया था ।

दो अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण उनके निवास जनपद में अकार्यकारी खण्डों में किया गया था ।

लखनऊ जनपद स्थित कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दायर किये गये वाद की जानकारी

180–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) के "एम" ब्लाक निर्माणार्थ जो भूमि लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी, उस संबंध में दायर किये गये वाद संख्या–एल० एस०–56/1971 में सिविल जज, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-3-1972 को दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त खण्ड के अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही निष्पादित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित कैनाल की भूमि पर लखनऊ खण्ड, शारदा नहर द्वारा वन विभाग के सहयोग से लगाये गये वृक्षों के संबंध में जानकारी

181–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी से अनुलग्न हैदर कैनाल की सिंचाई विभाग के कब्जे वाली भूमि पर लखनऊ खण्ड शारदा नहर की पूर्व अधिशासी अभियन्ता (श्री रामशरण) द्वारा वन विभाग के सहयोग से कितनी व्यय करके कितने वृक्ष लगवाये गये थे ? वर्तमान में उक्तांकित स्थल पर कितने वृक्ष बचे हैं तथा उक्त स्थल पर अवैध कब्जे व वृक्षों की क्षति के विरुद्ध विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शासन को कब-कब अवगत कराया गया ? इरीगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्थल पर उपलब्ध वृक्षों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किन तिथियों में किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित कैनाल की भूमि पर लखनऊ खण्ड, शारदा नहर द्वारा वन विभाग के सहयोग से रुपये 35,000/–व्यय करके 1000 वृक्ष लगाये गये थे ।

प्रश्नगत स्थल लखनऊ नगर निगम के स्वामित्व में है । अतः स्थल पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम चमरौली से मझारा तक तथा विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम कौलारा कलां से कौलारी तक सम्पर्क मार्गों का खड़न्जा स्तर तक निर्माण

182–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम चमरौली से मझारा तक तथा विकास खण्ड शमसाबाद के ग्राम कौलारा कलां से कौलारी तक सम्पर्क मार्गों का खड़न्जा स्तर तक निर्माण हेतु जिलाधिकारी, आगरा द्वारा जून, 20, 1997 को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विकास खण्ड फतेहाबाद के चमरौली से मझारा तथा विकास खण्ड शमसाबाद से ग्राम कौलारा कलां से कौलारी तक सम्पर्क मार्ग का खड़न्जा स्तर तक निर्माण हेतु जिलाधिकारी, आगरा द्वारा दिनांक 20-6-97 को अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को आदेशित नहीं किया गया था । अपितु श्री विजयपाल सिंह सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर कार्यालय के पत्रांक–501/सु०रो०यो०/स्वीकृत/98-99, दिनांक 17-6-98 द्वारा दोनों मार्गों पर खड़न्जा स्वीकृत हुआ है ।

उपरोक्त से स्थिति स्पष्ट है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संबंध में जानकारी

183–श्री चन्द्रपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने सम्पर्क मार्गों का निर्माण चल रहा है ? क्या यह सही है कि गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो पुनः यह कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद झांसी में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तक 77 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा था । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण झांसी द्वारा गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने संबंधी किसी प्रकार के कोई आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं । विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत तीस सम्पर्क मार्गों पर कार्य चल रहा है जिसमें से 15 सम्पर्क मार्गों पर रु० 36.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

शेष सम्पर्क मार्गों पर कार्यों की प्रगति के आधार पर धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी अम्बेदकरपुरम्, तेलीबाग, लखनऊ की शारदा नहर में डूबने से मृत्यु होने पर दी गयी आर्थिक सहायता की जानकारी

184–श्री राम कृपाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी अम्बेदकरपुरम्, तेलीबाग, लखनऊ की मृत्यु दिनांक 23 जुलाई, 97 को शारदा नहर में डूबने के कारण हो गयी थी ? यदि हां, तो उसके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में समाज कल्याण राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 18-11-97 मा० मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मा० समाज कल्याण राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 18-11-97 नहीं अपितु उनका पत्र दिनांक 13-11-97 मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को 2,000/-रुपये की आर्थिक सहायता शासनादेश संख्या 1402/26-2-98–1 (297)/96, दिनांक 18 जून, 1998 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में इनवेलरिंग मशीन की आपूर्ति एवं मरम्मत में हुई अनियमितताओं की जांच

185–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद के रजि० पत्र सं० निर्माण संप्रेक्षण–3ग्रुप/33 दिनांक 24-4-98 द्वारा वर्ष 96-97 के लेखा परीक्षक के दौरान प्रस्तर 1 में इनवेलरिंग मशीन मरम्मत में रु० 6.36 लाख एवं प्रस्तर 4 में हैवी रिंग मशीन मरम्मत में रु० 26.98 लाख कुल रु० 33.34 लाख रुपये का अनियमित भुगतान की रिपोर्ट प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता का इस संदर्भ में रजि० पत्र दिनांक 6-5-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस अपराध के लिये श्री डी० एन० शुक्ला अधि० अभि० दोषी है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां । किन्तु उक्त पत्र के प्रस्तर–1 में इनवेलरिंग मशीन के मरम्मत हेतु नहीं, बल्कि इनवेलरिंग मशीन के आपूर्ति हेतु चैतन्य, इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद को रु० 6.36 लाख के भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ है तथा प्रस्तर–4 में रु० 26.98 लाख रुपये अनुमान से अधिक मशीन के मरम्मत एवं पी० ओ० एल० पर व्यय करने की बात कही गयी, जो सही नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रों की जांच शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०–28 वी०आई०पी०/62-2-99-E/4(0)/97 टी० सी० दिनांक 3-2-98 द्वारा निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी उन्होंने अपने पत्र दिनांक 17-4-98 द्वारा शासन को जांच आख्या प्रेषित की । उक्त जांच आख्या में उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । इसी बीच माननीय विधायक के उपरोक्त एवं तत्संबंधी कतिपय अन्य पत्र प्राप्त हुए । अतः जांच संतोषजनक न पाये जाने के कारण पुनः प्रकरण की जांच शासन के कार्यालय आदेश सं०–3459/62-2-98-2/4(8)/97 टी० सी० दिनांक 8-6-98 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (ल०सिं०) वृत्त लखनऊ को जांच हेतु निर्देशित किया है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् ही इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

गोंड़ जाति से संबंधित मा० उच्च न्यायालय की रिट याचिका के संबंध में शासनादेश की मांग

186–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं० 23299/94 निर्णय दिनांक 7-5-97 के निर्णयानुसार "गोंड़ एवं गोंड़ जाति में कोई अन्तर नहीं है ? गोंड़ जाति की उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा पठारी, राजगो को स्थानीय/स्थलीय जांच का आधार माना जाय" विषयक रिट याचिका सं० 5927/82 निर्णय दिनांक 6-2-86 के क्रम में इन दोनों बिन्दुओं को अंकित करते हुये गोंड़ जाति के संबंध में शासनादेश किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मा० उच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करने हेतु पुनरीक्षित शासनादेश जारी करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 15 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएँ स्वीकार की गई । इन सात सूचनाओं में से डा० वकार अहमद शाह तथा श्री राजेन्द्र यादव जी सदन में उपस्थित नहीं थे । इन दो माननीय सदस्यों की सूचना की जगह पर प्रतीक्षा सूची से श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जटा शंकर सिंह जी का नाम जब पुकारा गया तो ये दोनों माननीय सदस्य भी सदन में उपस्थित नहीं थे ।

(स्वीकृत 5 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

पुलिस ट्रेनिंग कालेज सीतापुर में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पुलिस अधिनियम की धारा–2 में समायोजित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल–

[महोदय, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, सीतापुर, में पुस्तकाध्यक्ष, सहा० पुस्तकाध्यक्ष आर्टिस्ट व फोटोग्राफर, आदि को पुलिस विभाग की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इन सभी को पुलिस अधि० की धारा–2 में समायोजित किये जाने हेतु तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस ट्रेनिंग कालेज सीतापुर ने पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को पत्र संख्या व–1/83 दिनांक 1-10-86 को लिखा था और मुख्यालय इलाहाबाद ने पत्र संख्या–3–क–116–92 दिनांक 5-2-93 को गृह सचिव अनुभाग–10, उ० प्र० शासन से लिखाया, परन्तु वह अभी तक यह मामला शासन में लम्बित है। पुलिस विभाग के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पुलिस अधि० की धारा–2 में सम्मिलित किया जा चुका है और इन्हें शासनादेश दिनांक 6/7 अगस्त, 86 के आधार पर समायोजित करके पुलिस रैंक प्रदान कर दिये गये हैं। उक्त कर्मियों में इस समय काफी असंतोष है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस अधिनियम की धारा–2 में इन कर्मियों को भी समायोजित करने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद जालोन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत मो० व राम चबूतरा रामगंज में पेयजल समस्या के निदान हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, उक्त नगर पालिका परिषद के मुहल्ला रामगंज व राम चबूतरा की 5000 की आबादी में पेयजल का गम्भीर संकट है लोग यमुना नदी का दूषित जल पीने को बाध्य हैं तथा निरन्तर बीमारियां फैल रही हैं लोग 10–12 वर्षों से निरन्तर एक पेयजल नलकूप की मांग कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज की मुख्य सड़क को ठीक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम पाल वर्मा–

[महोदय, विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध करना है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत बेनीगंज जिले की सबसे पुरानी नगर पंचायत है तथा अब तक सरकार ने उक्त नगर पंचायत के नागरिकों के हित में कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं किया है, नगर की मुख्य सड़क की दशा अत्यन्त खराब है, जिस पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तथा आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। साथ ही साथ पानी निकास के लिए नालियों की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय नागरिकों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है नगर पंचायत के पास नागरिकों की समस्या के निदान के लिए पर्याप्त साधन सुलभ नहीं है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह मांग करता हूं कि नगर पंचायत बेनीगंज को शीघ्र आवश्यकतानुरूप धन उपलब्ध कराकर जन समस्याओं का निदान कराने की कृपा करें ।]

जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूसेपुर रायपुर के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही–

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत विकास खण्ड हरगांव के ग्राम भूसेपुर रायपुर के बीच एक पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है । इस पुल के निर्माण से लगभग दस हजार व्यक्ति को आने जाने की सुविधा प्रदान हो सकती है । इस पुल के निर्माण न होने के कारण गन्ना किसानों को विशेष तौर पर लगभग बीस कि०मी० लम्बा सफर तय करना पड़ता है । मा० अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखकर उक्त पुल का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश सरकार को देंगे । ताकि दस हजार व्यक्ति लाभान्वित हो सकें ।

मान्यवर, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल पुल बनाये जाने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करेंगे ।]

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत नवीगंज से तिलियानी तक सड़क निर्माण में की गई कथित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ब्लाक बेवर की नवीगंज से तिलियानी तक लो० नि० वि० मैनपुरी द्वारा घटिया सड़क वर्ष 1997-98, 1998-99 में बनाये जाने की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं जिसमें डामर नाम मात्र का पड़ा है तथा 6.6" तक के गढ्ढे है और बड़े-बड़े पत्थरों से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है इस सड़क पर ठेकेदार तथा विभाग से जुड़े अभियंताओं द्वारा लाखों रुपयों का घपला किया गया है इसके अलावा जी० टी० मार्ग से सुरजनपुर, हलूखेड़ा मार्ग से जरायई–सुलामई, हलूखेड़ा मार्ग से देवगंज ब्लाक सुल्तानगंज तथा जी० टी० मार्ग से मेरापुर छदामी जी० टी० मार्ग से (जोगा से) महमुदिया की तरफ ब्लाक बेवर की आदि सड़के को मानक के अनुसार नहीं बनाया गया है जिस पर करोड़ों रुपयों का घपला कर लिया गया और सड़कों की हालत खराब है और सड़के ऊबड़-खाबड़ व उखड़ने लगी है, शिकायत करने पर जांच भी गोल माल हो गई है इस तरह से सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भारी क्षोभ व रोष जनता में व्याप्त है । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है ।

अतः मैं उक्त प्रकरण में जो लोक महत्व का है व अविलम्बनीय भी है पर करोड़ों रुपयों की घपले की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनायें जो अस्वीकार की गई उन माननीय सदस्यों के नाम हैं सर्वश्री राम नरेश यादव, बाबू लाल, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, रामतेज यादव एडवोकेट, राजेन्द्र सिंह, जगदीश नारायण राय,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गोरखनाथ पाण्डेय, भारत सिंह रावत, श्यामदेव राय चौधरी, भोला शंकर मौर्य, रामाधार सिंह, ददूदू प्रसाद, महेन्द्र कुमार व श्री अयोध्या प्रसाद पाल ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15-7-1998 को नियम 300 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की संविधान के अनुच्छेद 202 (3) में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय को केवल विधान सभा में मतदान के लिये न रखे जाने का ही उल्लेख है । उक्त अनुच्छेद ऐसे व्यय पर चर्चा का निषेध नहीं करता है । जहां तक प्रत्येक वर्ष विवाद न होने से संबंधित अनुदान की मांगों में परिवर्तन और उसमें वृद्धि किये जाने का प्रश्न है, ऐसे अनुदानों की मांगों में एक तरफा रही है, से संबंधित है । इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है । स्थापित परम्परा है कि बहुत से विभागों की अनुदानों मांगों पर विवाद नहीं होता है । फिर भी बाजपेयी जी आप कुछ कहना चाहते हैं ।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली विवाद न होने से सम्बन्धित अनुदान की मांगों में परिवर्तन तथा वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202(3) में लिखा है–निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्:–(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, (ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परि[illegible] दशा में विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति के भी वेतन और भत्ते, (ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं, (घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों और भत्तों के संबंध में व्यय (ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिये अपेक्षित राशियां (च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है । अब आप 203(1) को देखें । जिसमें कहा गया है–प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जायेंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवरित करती है । "इस प्रकार मान्यवर, 203(1) जिस पर विवाद नहीं करता है, तभी उस पर विवाद नहीं होता है और उसी के अनुसार वह कार्य सूची में आता है । "

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह मदें बार-बार बदलती रही हैं । वर्ष 1994-95 में 24 ऐसी मदें थीं जिस पर विवाद नहीं हुआ । वर्ष 1997-98 में 25 पर विवाद नहीं हुआ और 98-99 में यह 28 हो गयी । मान्यवर, मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि 94-95 में अनुदान सं०–40 नियोजन और 84 सामान्य प्रशासन में विवाद नहीं हुआ लेकिन अनुदान सं०–45 पर्यावरण में विवाद हो गया था । वर्ष 1997-98 में अनुदान सं०–45 पर्यावरण के लिये और अनुदान सं०–84 सामान्य प्रशासन और अनुदान सं०–40 नियोजन पर विवाद नहीं होगा था । वर्ष 1998-99 में अनुदान सं०–59 लोक निर्माण विभाग, अनुदान सं०–86 सूचना विभाग, अनुदान सं०–85 सार्वजनिक उद्यम और अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग पर विवाद नहीं होगा । मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर विचार नहीं करती । कार्य संचालन नियमावली के नियम 188(2) में दिया है कि नेता सदन नेता विरोधी दल के साथ परामर्श करके तिथिवार किस दिन कौन की मद रखी जाय विचार करते हैं । यह कहीं नहीं दिया है कि किस मद पर विवाद नहीं होगा यह कौन और कहां तय करेगा ?

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में जो प्रश्न विद्वान सदस्य ने उठाया है मैं कहीं यह नहीं सुन पाया कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है । आपने पढ़ा नियम 203 । इसमें 203(1) इसमें यह वह मांगें हैं जो यहां पेश ही नहीं की जायेंगी । (2) में यह हैं जो पेश की जायेंगी । केवल प्रस्तुत करने का प्राविधान हैं कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है कि इन पर विवाद होगा कि नहीं होगा । यह तो एक परम्परा है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन पर सारे माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए, उन पर चर्चा हो जाय । यह सदैव होता रहा है । यहां भी है और लोक सभा में भी है और कौल और शंखधर का मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि जो महत्वपूर्ण विभाग समझे जायेंगे उन पर चर्चा रखी जायेगी । यह अधिकार है ।

"दि स्पीकर इन कान्सलटेशन विथ दि लीडर आफ दि हाउस एलोटस डेज फार दि डिसकसन एन्ड वोटिंग आफ डिमान्डस फार ग्रान्ट्स ।"

इस तरह से यह करने का अधिकार प्राप्त है । इसके बावजूद भी स्पीकर नेता सदन से सलाह मशवरा करके तय कर लेते हैं । संविधान में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है कि हर अनुदान पर विवाद होगा । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता था कि जब संविधान में दिया है कि अनुदान की मांगें विधान सभा के समक्ष रखी जायेंगी । मंत्री जी ने बताया कि ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि किस अनुदान पर विवाद होगा किस पर नहीं, ठीक है मैं मानता हूं कि लेकिन आपको ऐसा करने का अधिकार संविधान में कहां दिया गया है कि जिस पर चाहे विवाद करा लें और जिस पर चाहें विवाद नहीं होगा । आप कह रहे हैं कि यह परम्परा है तो परम्परा संविधान की सीमा के बाहर जाकर नहीं बनाई जा सकती है । यह परम्परा है तो हर बार परिवर्तन क्यों हो जाता है ? जिस पर जिस मद की आवश्यकता समझ ली गई उसे ले लिया और अगली बार उसको छोड़ दिया ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान की धारा 202 खण्ड–3 में दिया है कि राज्य की संचित निधि पर भारित मद का उल्लेख है और इस अनुच्छेद में ऐसे व्यय पर चर्चा नहीं होती तो नहीं करते हैं परन्तु परम्परा इस बात की है कि किन्ही मदों पर विवाद नहीं होता है हम इस परम्परा का अनुपालन करते आये हैं इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन हर बार मदें बदलती...

श्री अध्यक्ष–

सामान्यतया एकरूपता रहती है । कभी अन्तर हो जाता है समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है । अब इसको समाप्त करें । अगली सूचनाएं श्री बाबू लाल, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० अशोक बाजपेयी और श्री राम औतार शाक्य की हैं, यह नियम-300 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य की जाती है।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत के हिसाब से छूट दिये जाने के बावजूद उनके परिवार के पुरुषों द्वारा उन्हें काम न करने देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरी सूचना महत्वपूर्ण है इसको सुन लीजिये। भारत के संविधान के अनुच्छेद-15 में दिया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इन आधारों पर कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं किया जायेगा।

लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया गया। उसमें 33 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, उसी संविधान संशोधन के अधीन प्रदेश में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था उ० प्र० वित्त आयोग का गठन किया गया। 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण के हिसाब से गत पंचायत चुनाव सम्पन्न हो या क्षेत्र पंचायत हुए। चाहे नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो या न्याय पंचायत हो सभी पदों पर 33 फीसदी आरक्षण करके महिलाओं को बिठाने का कार्य किया गया। 33% स्थानों पर महिलाएं चुनकर आईं। लेकिन मान्यवर, आज जो प्रकरण सदन के सामने प्रस्तुत है। आज जिला पंचायतों, नगर पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों की बैठकों की जो प्रक्रिया है उससे महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। महिला प्रधान अगर कोई है तो उसका कार्य उसका पति कर रहा है। महिला प्रधान को अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए लेकिन वह नहीं कर पा रही हैं। इसी प्रकार जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं नगर पंचायतों में हो रहा है। अतः जो बराबरी के अधिकार की बात है वह नहीं हो रही है जो महिलायें चुनकर आई हैं उनको उस जनतांत्रिंक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करे तथा आप स्वयं पीठ से ऐसी व्यवस्था दें कि महिलाओं को अपने अधिकार के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के अवसर प्राप्त हो। मान्यवर, लोक सभा और विधान सभाओं में महिला आरक्षण पर चर्चा चली है। लेकिन पंचायत जहां जनतंत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में वह चुनी गयी हैं वहीं उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो मान्यवर, महिला आरक्षण कानून का सही ढंग से उपयोग हो तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो तथा चुनी गयी संस्थाओं के संचालन का पूरा अधिकार हो इन्हें ही इसमें आप सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह ऐसी व्यवस्था करें ताकि आरक्षण का लाभ महिला नेतृत्व को मिल सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सदन के किसी कार्य से संबंधित यह प्रश्न नहीं है। डा० बाजपेयी जी ने प्रश्न किया तो मैं कहना चाहूंगा इनके दल के ही सदस्यों ने महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने में बाधा डाली। उसको पेश नहीं होने दिया। पूरे दल के लोग इसमें लगे रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य-मंत्री और अशोक बाजपेयी जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

महिलाएं भी पति की सहायता लेती है, तो क्या बात है ? वह सहायता ले सकती हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्नों का उत्तर विधान सभा में न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

शाक्य जी आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें। 23 जुलाई तक सदन चलने वाला है। मेरे दो प्रश्न लगे थे। प्रदेश में डाक्टरों फार्मेसिस्टों और वार्ड ब्वाय की कितनी जगह हैं ? दूसरा स्वर्ण जयन्ती गांव कितने हैं ? उनको सड़कों से जोड़ा जायेगा या नहीं यह साफ-साफ प्रश्न किया था। इसमें सरकार ने जान बूझकर कहा, रोजगार दिलायेंगे, सरकार के पास आंकड़ें नहीं हैं। कितनी डाक्टर, फार्मेसिस्ट और वार्ड ब्वाय की जगह खाली हैं। 23 तारीख को सदन समाप्त हो रहा है। 15 दिन बाद यह उत्तर देंगे तो यह और टल जायेगा।

इस तरह से उपवेशन खत्म हो जायेगा तो यह प्रश्न उत्तरितत नहीं होगा और यह प्रश्न रद्दी की टोकरी में पड़ जायेगा तो मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से आग्रह और अपेक्षा करूंगा कि वे इसी सत्र में यह दोनों प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जिन प्रश्नों का उत्तर सूचना एकत्र की जा रही है आता है वह लैप्स नहीं होते हैं वह पन्द्रह दिनों के बाद पुनः आ जाते हैं जिस दिन उनका दिन होता है। यह नियम–300 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जून, 1998 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 06 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 जून, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 01 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

(3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1998 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998

सचिव, विधान सभा–

(4) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जुलाई, 1998 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1998 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

लोक लेखा समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट, 1972-73 पर आधारित लोक लेखा समिति (1978-79) का प्रथम प्रतिवेदन (भाग–2) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में हैं, प्रस्तुत करता हूं ।

लखनऊ में टैम्पो हड़ताल से आवागमन न बाधित होने का प्रकरण उठाने का प्रयास

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज बड़ी विषम परिस्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है । विगत दो दिन से सारे टेम्पों हड़ताल पर हैं जो लखनऊ में लाखों की तादाद में लोग कार्यालय जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके सामने कठिन समस्या पैदा हो गयी है । लाखों की संख्या में लोग लाइन लगाये खड़े रहते हैं और वे कार्यालय समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं । अतः हम चाहते हैं कि इस पर नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा करायी जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में नियम–56 में सूचेना आयी थी और वह सूचना शलाका में नहीं आ सकी है।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह तो आपके विवेक पर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो दिन से यातायात ठप्प पड़ा है। सारा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अतः इसे नियम–311 के अन्तर्गत हम उठाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस सूचना को कल दे दीजियेगा। आज यह शलाका में नहीं आयी है। जो शलाका में नहीं आयी है, उसको लेकर स्वयं हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इसको सुन लें। पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप इसकी गम्भीरता को देख लीजिए इसी नियमावली में का प्राविधान है कि यदि आपकी सहमति हो; तो आप विषय ले सकते हैं। मान्यवर, आज लखनऊ में आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया है। टैम्पों चालकों की हड़ताल से सरकारी कर्मचारी दफ्तर नहीं आ-जा पा रहे हैं। छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह शलाका में आज नहीं आ पायी आप कल दुबारा सूचना दे दीजिएगा देख लेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, कल 13 तारीख से यह हड़ताल है। टैम्पों चालकों की टेम्पों हड़ताल से न केवल स्थानीय बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी परेशान हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुयीं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्रीमती गौरी देवी, श्री गोपाल कृष्ण, श्री श्याम सुन्दर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्रीमती माया प्रसाद, श्री कैलाश यादव, जी की है जो कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण नदियों की कटान तथा बंधों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरी भी इसी विषय पर है।

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, 9 तारीख को इसी सदन के माध्यम से मैंने सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम गोरखपुर की तरफ, उसकी जर्जर बाढ़ की स्थिति की ओर आकृष्ट किया था। यह संवेदनहीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार है । कोई ध्यान नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कल यह सौगुरूआ बांध टूट गया । हजारों एकड़ फसल पर और हजारों लोगों के जन-जीवन पर इसका असर पड़ा है ।

संसदीय कार्य-मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कल प्रदेश की बाढ़ की स्थिति के बारे में बड़े विस्तार से यहां पर प्रश्न उठाया गया । आपने पीठ से कृपा करके उस पर एक घण्टे के चर्चा स्वीकार कर ली । मान्यवर, मेरा आप से आग्रह है कि उसमें समस्त प्रदेश की बाढ़ की स्थिति पर चर्चा आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

कल रात बन्धा टूट गया है उनके यहां यह स्थिति उत्पन्न हुई है ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, कल सौगुरूआ बांध टूट गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह बाढ़ की विभीषिका अत्यन्त गम्भीर बात है । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आप कोई तिथि रख लें । चाहें तो कल रख लें । इस पर चर्चा हो जाय और दोनों ओर की बात आ जायं ।

श्री अध्यक्ष–

कल बजट के पहले चर्चा कर लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है आज बांध की बात बताई गयी कि बंधा टूट गया, तो इसका जवाब देने के लिए यहां पर सिंचाई मंत्री को रहना चाहिए । गांव में पानी भरा हुआ है । आप निर्देशित करें कि सिंचाई मंत्री आयें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार हुई वह कर लेते हैं । आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है । आपने जिन बातों का उल्लेख किया है । मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री के संज्ञान में ले आता हूं जो कार्यवाही करनी है । वह उसको तत्काल कर लें और कल इस पर चर्चा हो जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सूचना कोई लाटरी में नहीं आई है । आपने अपने विवेक से इसको चुना है । अगर माननीय विधायिका जी कुछ कह रही हैं तो इन्हें कह लेने दीजिए । संसदीय कार्य-मंत्री उनको नहीं रोक रहें हैं, वह आपको रोक रहे हैं, आपके विवेक को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने विवेक से इसको चुना है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, 9 तारीख, में मैंने यह मामला उठाया था कि मेरे क्षेत्र में सौगुरुआ बांध जर्जर हो गया है और इसके टूटने से हजारों गांव प्रभावित होंगे और हजारों एकड़ फसल बरबाद होगी मान्यवर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कल भोर में 5 बजे यह बांध टूट गया और इसके टूटने से करीब 2 दर्जन गांव में पानी घुस गया है और जनजीवन अस्तव्यवस्त हो गया है । 50 हजार लोग प्रभावित हैं । मान्यवर, जब परसों यह बंधा रिस रहा था, तो हमको सूचना मिली और हम उस बंधे पर गये और हमने देखा कि बांध किसी भी क्षण टूट सकता है । मान्यवर, परसों मैं कौड़ी राम में रूककर डी० एम०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कमिश्नर को सूचना दी और सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को भी सूचना दी । एस० ई० ने कहा कि ई०ई०, ए०ई०, जे०ई० सब सुबह पहुंच जायेंगे । जब यह लोग गये तो देखा कि रिसाव हो रहा है तो ढीला इंटा डाले, लेकिन बंधा बचा नहीं । मान्यवर, आज वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

आज वहां हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गई है, अगर अधिकारियों ने प्रयास किया होता तो यह नौबत न आती । आज वहां गांव के लोग बाढ़ से घिर गये हैं, यदि अधिकारियों द्वारा बोरियां-मौरंग आदि कुछ डाला जाता तो बांध न कटता । जब मैं वहां धरने पर बैठ गयी, चक्का जाम कर दिया, तो बांसगांव के एस० ओ० ने कहा कि हम डंडा चलाना भी जानते हैं और जेल भेजना भी जानते हैं और हम लोगों को डंडा दिखाकर उठा दिया । मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूं, अगर हमारी बात झूठ हो तो हम विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे । कल जब वहां 12 बजे हाहाकार मचा हुआ था, यहां सहजनवां के विधायक भी बैठे हैं, 12 बजे डी० एम० गये और चले आये । सौहगरा, बसावनपुर, चिमटहा सब पूरी तरह डूब गये हैं । वहां नाव भी नहीं लगी, दो लड़के मर गये । एक भगवानदास की 3 वर्षीय पुत्री और अजय कुमार के पुत्र राम केवल 14 वर्षीय । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करती हूं, कि दोषी अधिकारियों, चाहे वह ए० ई०, जे० ई, एक्स० सी० एन० कोई भी हों, उनको दण्डित किया जाय, निलम्बित किया जाय और वहां पर नाव की अविलम्ब व्यवस्था कराई जाय ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल एक घण्टे की चर्चा निर्धारित कर दी है, आप लोग कल अपने विचार व्यक्त करियेगा । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कह दिया है कि जो तत्काल व्यवस्था करनी है, वह भी करवा दें ।

(श्री विनोद मणि के खड़े होने पर)

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा लिया है, पहले उनकी बात सुन लें । फिर आपको सुन लेता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीया गौरी देवी जी ने जिस बांध की चर्चा की है, उसके संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री कल ही गोरखपुर पहुंच गये थे और जो बंधा-टूटा है, खुद वहां बन्धे पर खड़े होकर मरम्मत कार्य का संचालन करा रहे हैं । एस० पी० और डी० एम० भी मौके पर हैं । बाकी कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी, सब बातें आ जायेंगी ।

*श्री विनोद मणि–

पिछले हफ्ते की 10 तारीख को मेरी एक सूचना थी, पूर्वांचल की बाढ़ के बारे में, आपने मुझे उस पर ग्राह्यता हेतु सुना भी था, सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मैं चिल्लाता रहा, बार-बार निवेदन करता रहा, अध्यक्ष पीठ से निर्देश भी हुये थे कि कुछ जवाब आ जाय, मेरे पास जवाब है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जवाब कब आया है ?

श्री विनोद मणि–

[x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय क्या चल रहा है ? इस समय नियम–56 की सूचनायें चल रही है । माननीय सदस्य का कहा कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गौरी देवी जी ने कौड़ीराम के बन्धे के बारे में बताया है, इसी तरह कल रात को करमैनी–बिनौली का बन्धा मेरे जनपद में टूट गया, वहां 250 गांव डूब रहे हैं, उस बन्धे की मरम्मत के लिये भी व्यवस्था करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय सदस्यों के बीच में खड़ा होना स्वस्थ परम्परा नहीं है, इस पर कल चर्चा होगी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है ।

अगर आपको अपने क्षेत्र विशेष की कोई बात कहनी हो तो मा० मंत्री जी को लिखकर दे दें । मैंने स्वयं कह दिया है कि चर्चा स्वीकार हो गयी है, तो बाकी बातें कल कह दीजियेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

आप बोलिए, लिखा किसी का नहीं जायेगा । सभी लोग बिना अनुमति के खड़े हो जायेंगे तो सदन कैसे चलेगा ? अगर आपकी बात न माने होते तो कहते ।

(व्यवधान)

मैंने कहा है कि मा० मंत्री जी को लिखकर दे दें । अगर बोलना ही चाहते हैं, तो दूसरी बात है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप तो मेरे आदेश को मान ही नहीं रहे हैं । अगर आप कल चर्चा में भाग लेंगे, तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी । कल अगर मैं उपस्थित रहूंगा, तो अवसर नहीं दूंगा और अगर उपस्थित नहीं रहूंगा, तो पीठासीन अधिकारी से कह दिया जायेगा कि आपको अनुमति न दें ।

श्री हुकुम सिंह–

आपकी अनुमति के बिना नहीं बोलना चाहिए । माननीय सदस्य से मेरी विनती है कि माननीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करें ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो चर्चाएं स्वीकार होती हैं, लेकिन उनके लिए समय नहीं मिल पाता है । रोज स्थगित हो जाती हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन इन चर्चाओं के लिए स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

हम पुनः विचार कर लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम 56 में 1, 2 या 3 सदस्य जो कोई सूचना देते हैं, उस पर आप ग्राह्यता पर सुनते हैं । कभी-कभी उसी सूचना से मिली जुली सूचना लेकर जिनके उस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं और न उनकी सूचना होती है, ऐसी सूचनाओं पर माननीय सदस्य बराबर बोलने की चेष्टा करते हैं, इससे समय नष्ट होता है । आप एक व्यवस्था स्थायी रूप से दे दें कि जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं और जिनकी सूचना नहीं है, उनको बिलकुल अनुमति न दी जाय, चाहे कोई सदस्य हो । अगर यह व्यवस्था हो जायेगी तो नियमन आसान हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार की व्यवस्था है और मैं कोशिश करता हूं कि सामान्य राय से सदन चलता रहे । कभी-कभी व्यवस्था के बाहर भी हो जाता है ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह तो अपने आप में अव्यावहारिक हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय डाक्टर साहब ने जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है । (श्री अवधेश प्रसाद से) 3 मिनट में अपनी बात कह लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीया श्रीमती गौरी देवी जी ने पूर्वांचल में बाढ़ के संबंध में बंधे के कट जाने के बारे में सदन के संज्ञान में विषय उठाया है । आज तक पूर्वी उ० प्र० में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गयी है । यह बंधा जिसमें कटाव के कारण प्रतिवर्ष रख-रखाव में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है । बरसात हुये अभी 10, 10 दिन भी नहीं हुये, कौड़ीराम में यह स्थिति हो गयी है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोटाहारी बांध कट गया है । जिससे कम से कम 50 गांव पानी में डूब गये हैं । वहां एक रामतीरथ कनौजिया नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, उसको कोई राहत नहीं दी गयी है । यह एक गंभीर मामला है । पूर्वी उ० प्र० का सारा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है । ऐसे गंभीर मुद्दे पैर सिंचाई मंत्री जी को यहां पर होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार जनों को 5-5 लाख रुपया दिया जाय और जो लोग घर छोड़ कर बाग में आ गये हैं, उनके लिये टेन्ट लगाये जायं । वह लोग खाने के लिये मोहताज है, घर गिर जाने से खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह भूख से मर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाय । कल जब इस पर चर्चा हो तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुनिश्चित करें कि सिंचाई मंत्री जी सदन में रहें ताकि वह इसका जवाब दे सकें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। शेषं सूचनाओं पर एक घंटे की चर्चा कल बजट से पहले होगी। दूसरी सूचना माननीय राम विशुन आजाद जी की है। ग्राह्यता पर संक्षेप में कहें।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जब भी कोई जवाब देती है, तो कहती है कि किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति हम संवेदनशील हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जब से आयी है, तब से किसानों का शोषण कर रही है। आज पूरे प्रदेश में 36 लाख गन्ना किसान है और पूरे देश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। शीघ्र पकने वाली प्रजाति का दाम 50 रुपया प्रति कुन्टल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का दाम 75 रु० प्रति कुन्टल के हिसाब से दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बभनान और बलरामपुर शुगर मिल है। यह जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति 84/36 और सामान्य 84/32 है, आप सर्वे करा लें। मेरे यहां 84/36 जो शीघ्र पकने वाली प्रजातित है। वह उगायी जाती है, लेकिन इन मिलों ने जो किसानों का पेमेन्ट किया है। वह 75 रु० प्रति कुन्टल के हिसाब से पेमेन्ट किया है। इस प्रकार किसानों का पांच रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से बभनान और बलरामपुर सुगर मिल वालों से कम दिया है। जिससे वहां के किसानों को लगभग एक करोड़ रुपया कम मिला है मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्वे उसका करा लें। पिछले सत्र की पिराई के बाद जो गन्ना 84/36 है उसकी पेड़ी अभी लगी हुई है, तो मालूम हो जायेगा कि वह कौन सा गन्ना है यदि 84/36 गन्ना है तो 80 रु० प्रति कुन्टल के हिसाब से किसान को भुगतान कराया जाय और यदि 84/32 है तो फिर 75 रु० के हिसाब से दिया जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नवाबगंज शुगर मिल का पुराना करोड़ों रुपयों का बकाया है। लेकिन सरकार ने गन्ना बजट पर गन्ना मंत्री ने इस बकाये के भुगतान के बारे में कोई बात नहीं कही कि इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? किसानों का जो गन्ना होता है। वह गेट पर और कांटों पर कम तौला जाता है। उसके गन्ने की घटतौली की जाती है। मान्यवर, बभनान शुगर मिल बलरामपुर शुगर मिल गन्ना किसानों का शोषण किया। वहां पर सर्वे कराये। किसानों ने 84/36 शीघ्र पकने वाली प्रजाति बोई थी। लेकिन उसका मूल्य किसानों को नहीं दिया गया। 5 रुपया कम दिया गया। मैं मांग करता हूं इस पर एक घंटे की चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि 84/36 जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है उसका मूल्य दिलाया जाय। बजाय इसके 84/32 का मूल्य दिया गया है। मान्यवर, जो सत्र बीत गया है और बीता कब लगभग 30 अप्रैल को सभी फैक्ट्रियां बन्द हो गयी थीं। 6 महीने तक पेमेन्ट होता रहा। अगर ऐसी बात थी तो समय पर माननीय सदस्य इस बात को लाये होते, तो किसानों का हित होता आज न गन्ना है और न गन्ने के किसान का बाकी है और न रिकार्ड बाकी है, तो इसकी जांच कैसे हो ? माननीय सदस्य उस क्षेत्र के रहने वाले हैं ऐसी समस्या सामने आ रही थी, तो समय पर संज्ञान में लाते तो किसानों का भला होता। आगे-आने वाले सत्र में आपकी सूचना को आधार मानकर पुनः जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद अगर ऐसी बात की आशंका है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैंने गन्ना आयुक्त को लिखकर दिया था। आप कह रहे हैं कि सत्र बीत गया है। यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। 5 रुपया प्रति कुन्टल किसान का शोषण हुआ है। इसका भुगतान कराया जाय। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। वह गैर जिम्मेदाराना जवाब है। 84/36 का भुगतान होना चाहिए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अभी उसकी पेड़ी पड़ी है जांच करा लें 5 रुपया प्रति कुन्टल हजारों किसानों का काटा गया है। यह धनराशि करोड़ों रुपयों में आती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, आपकी बात आ गयी है और इस पर व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार किसान व मजदूर विरोधी है, 5 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से किसानों का घाटा हुआ है, हजारों किसानों का लाखों रुपया खा लिया गया। माननीय मंत्री जी से आश्वासन दिला दें कि इसकी जांच कराकर जो बकाया पैसा है, उसका भुगतान करायें।

* श्री आर० के० चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है। पिछले शासनकाल में आदरणीया सुश्री मायावती जी जब मुख्य मंत्री थी, तो उन्होंने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे, गोमतीनगर में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक अम्बेडकर उद्यान स्वीकृत कराकर बनाना शुरू किया। उस अम्बेडकर उद्यान के बारे में पूरे दश में चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के गिने-चुने विद्वानों में से थे, उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। अम्बेडकर साहब को लोग इज्जत देते हैं, उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ इतनी बड़ी योजना जो अरबों रुपये की लागत से बन रहा था, सुश्री मायावती जी की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और इस सरकार ने अम्बेडकर उद्यान के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मान्यवर, इतना लम्बा-चौड़ा उद्यान बन रहा था कि यहीं लखनऊ से आने वाले दिनों में उम्मीद थी कि मानवता का सन्देश पूरी दुनिया में जायेगा। पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने लखनऊ आयेंगे और

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेंगे । लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कहानी गढ़कर कि अम्बेडकर उद्यान के निर्माण में घपला, घोटाला हुआ है, उसके जांच के नाम पर काम रुकवा दिया । भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उत्तर प्रदेश के कोने में कहीं कोई काम हो । मान्यवर, इतना बड़ा अम्बेडकर उद्यान का निर्माण भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पायी ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, दूसरों की भावना का ध्यान रखें । उतने अंश को छोड़कर अपनी बात कहें ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पैसा लगाने की जो प्राथमिकता है । वह अम्बेडकर उद्यान में लगाने की नहीं है । उत्तर प्रदेश में जितने भी नदियों के किनारे नदी नाले हैं, उनमें साफ पानी नहीं रहता है । लेकिन उसके घाट बनाने के लिए पैसा दे रही है और प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है । पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाये, तो अम्बेडकर उद्यान एक ऐसा बड़ा पर्यटक स्थल बनकर तैयार होगा, जो दुनिया का सबसे प्रमुख उद्यान होगा और विश्व का आठवां आश्चर्य होगा । सुश्री मायावती जी के शासनकाल में अम्बेडकर उद्यान को मेन्टेन करने के लिए, सफाई की व्यवस्था के लिए 40 रुपये रोज की दर से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 25 स्वीपर व 12 माली रखे गये थे । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है । उसने छोटे तबके के कर्मचारियों की तनख्वाहें रोक दी है, वह भूखे मर रहे हैं । नौ महीने हो गए हैं । इसके अलावा जो अम्बेडकर उद्यान में काफी काम हो चुका है । उसकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया । वह बर्बाद हो रहा है । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, श्री आर० के० चौधरी ने जिस प्रश्न के माध्यम से कार्य-स्थगन का प्रश्न रखा है । वह विद्वान सदस्य हैं, अम्बेडकर का नाम लेकर उन्होंने अपना पूरा चिन्तन यहां दर्शाया है । इसमें संदेह नहीं कि अम्बेडकर एक महापुरुष थे, चिन्तक थे । जहां तक इस पार्टी का सवाल है, सरकार का सवाल है । जितने भी कार्यक्रम होते हैं । उनमें जितने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाती है, अम्बेडकर भी उनमें से एक हैं । जिनकी फोटो रखकर उनके चित्र पर माला अर्पित की जाती है । दलितों के प्रति जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया अम्बेडकर भी उनमें से एक थे । लेकिन इस सूचना के पृष्ठ दो को आप देखें । आज हमारी मानसिकता कहां से कहां पहुंच गई है । हमने इतने बड़े वर्ग पर प्रहार करने का प्रयास किया है । इस देश की संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किया है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको मैंने मना कर दिया है और चौधरी जी ने उसका जिक्र नहीं किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक अम्बेडकर उद्यान का प्रश्न है इस उद्यान का कोई विरोध नहीं है, विरोध होने का कोई प्रश्न भी नहीं है । केवल उसमें वित्तीय अनियमितता हुई है । डा० अम्बेडकर के नाम से करोड़ों रुपये कमाए गये हैं । उसकी जांच चल रही है । हम तो डा० अम्बेडकर के चिन्तन से सहमत हैं, उनका सम्मान करते हैं । लेकिन उनके नाम का फोटो की राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं । न ही किसी वर्ग को बांटने का काम करते हैं । हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी ने दो बातें कही हैं। एक तो 40 रुपये दैनिक वेतन पर 37 कर्मचारी नियुक्त किए गये थे। उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। दूसरे अम्बेडकर उद्यान का बिजली पानी काट दिया गया है। अगर पानी नहीं मिलेगा, तो उसमें जितनी घास वगैरह है वह सूख जायेगी व बिजली न होने से असुरक्षा रहेगी। इसको सुनिश्चित करिए कि बिजली पानी की आपूर्ति होती रहे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री श्रीराम पाल–

अध्यक्ष महोदय, इस समय जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं। इस सरकार के द्वारा उनका पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। यह सरकार बहुजन समाज के महापुरुषों डा० भीमराव अम्बेडकर, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज की विरोधी है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री श्रीराम पाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम ललित चौधरी, श्री आर० के० चौधरी को सुनने व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त इस सूचना को मैं अग्राह्य कर रहा हूं।

श्री चेतराम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में एक लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आसीन हुई है। पूरे प्रदेशमें किसानों का खुले रूप से शोषण और उत्पीड़न हो रहा है।

मान्यवर, मैं अपने जनपद के विधान सभा क्षेत्र पुवांया की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान अपनी कड़ी मेहनत से अनाज उत्पन्न करता है। अन्न उत्पादन के मामले में हमारा क्षेत्र प्रदेश में पहला स्थान रखता है। हमारे यहां किसानों का खुले रूप में शोषण हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पुंवाया की ब्लाक खुटार के किसानों ने 31 मई से 8 जून के मध्य अपने गेहूं को उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो केन्द्र खुटार पर विक्रय किया था, परन्तु एक महीने तक लगातार सेन्टर के इन्चार्ज और उच्चाधिकारी टालमटोल करते रहे और उनके गेहूं का भुगतान नहीं किया गया। आज वहां के किसान पूरी तरह से परेशान है। किसानों का ऊपर के अधिकारियों की सांठ-गांठ के कारण भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में जनपद के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको इसकी सूचना दे दी गई है और संबंधित थाने में एफ० आई० आर० भी लिख दी गई है। आज किसान दर-दर भटक रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के करीब 1700 बोरी गेहूं का तत्काल भुगतान कैराया जाय और जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, किसानों की मेहनत का मामला है और 1700 बोरी के भुगतान का मामला है । इसका भुगतान कराया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय श्री चेतराम जी ने जो प्रश्न यहां पर उठाया है । यह बात सही है और वहां पर अनियमितता हुई है । उनके क्षेत्र के कुछ किसानों का गेहूं लेने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिला । वास्तव में यह दर्दनाक घटना है । किसान के गेहूं का भुगतान न करने के लिये दो कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है । एक वेदपाल है,जो प्रभारी है, दूसरा वी० डी० सिंह यादव है, जो हेल्पर हैं । इन लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० भी दर्ज कर दी गई है और निलम्बित भी कर दिया गया है । आज ही निर्देश भी दे दिये गये हैं कि इसकी जांच कर एक महीने के अन्दर किसानों की अदायगी हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री चेतराम जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना की अग्राह्य किया जाता है और शासन को निर्देश देता हूं कि वह इस पर कार्यवाही करे ।

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री शिशुपाल सिंह जी की प्रदेश में विशेषकर जनपद मिर्जापुर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों पर उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, आप इस सूचना को कल ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

पुनः आपको सूचना देनी पड़ेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से निर्देश हो जायेगा तो दुबारा लाटरी से यह सूचना नहीं निकाली जायेगी । अपने आप कल ले ली जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, कल ले ली जायेगी, लेकिन सूचना तो आपको देनी ही पड़ेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है, मैं दे दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक सूचना को आपने कल के लिये कर दिया है । हम लोगों ने भी कृपापूर्वक एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष जी को हम 15/20 सदस्यों ने आज की जो परिस्थिति लखनऊ में है, टैम्पो की हड़ताल है उससे लोगों को जो असुविधा हो रही है । उसके संबंध में कहा था कि सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप उसके लिये अलग से सूचना दे दीजियेगा । जैसी पद्धति अपनाई जाती है । उसके अनुसार कल कार्यवाही हो जायेगी । सूचना देने की सुविधा तो खुली हुई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तात्कालिक है, हड़ताल चल रही है, राजधानीवासियों को कष्ट हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिये होंगे उसके अनुसार कार्यवाही हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसके संबंध में उनका उत्तर आ जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री गौरीशंकर एडवोकेट की लखनऊ महानगर में हुसैनगंज चौराहे से ऐशबाग जाने वाले मुख्य मार्ग पर दिनोदिन बढ़ते अतिक्रमण से यातायात बाधित होने के कारण जन सामान्य को ही रही भीषण असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री श्रीराम यादव की जनपद जौनपुर के थाना सिकरारा के थानाध्यक्ष द्वारा श्री ओम प्रकाश उर्फ नन्हें सिंह की हत्या संबंधी केस में कतिपय व्यक्तियों को बदनीयतीसे प्रेरित होकर चालान किये जाने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री श्री श्रीराम पाल की जनपद जालौन में नरौल ग्राम के पास पहुज नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंधमें है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य की जनपद कन्नौज में सरायमीरा में तीन लोगों की हत्या कतिपय व्यक्तियों का अपहरण किये जाने तथा बदमाशों द्वारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने वालों को धमकियां दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री सीताराम निषाद की प्रदेश में ग्राम सभाओं के तालाबों का मत्स्य पालन के लिये पट्टों का आवंटन स्थगित करने संबंधी शासनादेश (23 जून, 1988) जारी करने से मछुआ समुदाय के समक्ष उत्पन्न रोजी-रोटी की गंभीर स्थिति के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम–56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, अतः अस्वीकार की गयीं :–माननीय श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर० के० सिंह, श्री धर्मराज निषाद, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, डा० अशोक बाजपेयी, डा० वकार अहमद शाह, श्री विनोद मणि, श्री रामकृपाल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री दिलीप कुमार, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री सत्यप्रकाश सोनकर, श्री भोनूराम सोनकर, श्री अशोक बाजपेयी, श्री अरविन्द गिरि, श्री रामप्यारे, श्री रामअचल राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा, श्री समरपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम ललित चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री राजेन्द्र यादव, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राजपाल सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बिजेन्द्र आर्य, श्री कौकब हमीद, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री भोनू सोनकर, श्री अवधेश प्रसाद की हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी जो सूचनाएं आपने निरस्त कर दी । आपकी जो व्यवस्था है, वह शिरोधार्य है । लेकिन किसी माननीय सदस्य के साथ जब कोई विशेष घटना होती है, तो परम्परा रही है कि इस सदन में कि आपकी पीठ से उनको सुना जाता है । मान्यवर, श्री अरविन्द गिरि ने इस सदन में बात रखी थी और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इस बात का खतरा है कि मेरे वहां जाने के बाद कोई गंभीर घटना हो जायेगी । मान्यवर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बाद यह वापस लौट आये इनके जाने के बाद पीछे से वहां पर इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया । मेरा निवेदन है कि इनकी बात सुन ली जाय । क्षेत्र की समस्या की बात नहीं है इनकी अपनी समस्या है ।

श्री अरविन्द गिरी–

मान्यवर, इस माननीय सदन में मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूं, पुनः अनुरोध है कि मान्यवर, आज जहां यह सरकार भयमुक्त समाज देने की बात कर रही है । वहीं यह भी सही है कि बदले की भावना से इनके लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वह सही नहीं है । जिस मकान पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता है वहां के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है । श्री विजय कुमार और कमरूद्दीन पर कोई मुकदमा नहीं था । इन पर झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया । सैकड़ों लोगों पर गुण्डा एक्ट लगाया गया । इसका एक उदाहरण दि० 11 जनवरी को सम्पन्न हुए एम० एल० सी० चुनाव के दौरान मामूली विवाद को इस प्रकार सत्ता के मद में चूर मा० मंत्री जी के और हमारे कार्यकर्ताओं के मध्य तूल दिया गया । दोनों पक्ष थाने पहुंच गये, मामला खतम हो गया । मैं थाने से वापस आ गया उसके बाद माननीय मंत्री जी के निर्देश हुए, मुकदमा कायम हुआ । पुलिस ने ए० सी० के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया । मेरी बदनामी हो रही थी । मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे सिर्फ इस नियत से कार्य किया गया । सैकड़ों लोग थाने पर जमा हो गये, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया । लखीमपुर खीरी, हैदराबाद की यह घटना है । झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है । मेरा निवेदन है कि झूठे मुकदमों को वापस लिया जाय । मेरे पक्ष में लिखा गया मुकदमा स्पंज कर दिया है और झूठे मुकदमें में चार्जशीट दी गयी है । 3 तारीख को मैंने इसको संज्ञान में रखा था । मैंने निवेदन किया था कि वहां धरना और प्रदर्शन हजारों लोगों द्वारा किया जा रहा है । मान्यवर, तीन तारीख को वहां धरना और प्रदर्शन हुआ । 2.30 बजे अधिकारी वहां पहुंचे । उनके आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ । उसके बाद 6-7 पुलिस कर्मी जाते हैं और गांव वालों को प्रताड़ित करते हैं । मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया । लेकिन कुछ नहीं हुआ । 66 लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर दिये गये । जिनका कोई वास्ता नहीं है उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है । मैं चाहता हूं इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कराई जाय । साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह निर्देश दें कि झूठे मुकदमे जो कायम किए गए हैं, उनको वापस लिया जाय और जिनके माध्यम से झूठे मुकदमे कराये गये हैं और जिन्होंने किये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरे पास कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । बिना जानकारी के कुछ भी कह देना उचित नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे दिखवा लीजिएगा । मा० गिरी जी का व्यक्तिगत विषय है ।

श्री अरविन्द गिरी–

जो मैंने कहा है उसमें बिल्कुल असत्यता नहीं है । जो कहा गया है । वह पूरी तरह सत्य कहा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको दिखवा लीजिएगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

इसमें वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे गम्भीरता से दिखवा लेंगे । मैंने इसमें ध्यान आकर्षित कर दिया है । क्योंकि यह गिरी जी का व्यक्तिगत मामला है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चाएं लगी हैं और इस विषय पर शासन का ध्यान भी आकर्षित कर दिया गया है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसको समझते हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं । यह हमारे जनपद का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मैंने व्यवस्था दे दी है । इस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । अब आप बैठ जायें । मैंने नियम–56 को समाप्त करके अगली मद पुकार ली है ।

प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियन्त्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिए पीपल व नीम के वृक्षों का राजमार्गों के दोनों ओर वृहदरूप से वृक्षारोपण किये जाने सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिए, पीपल व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर बृहदरूप से वृक्षारोपण किया जाय ।"

माननीय अधिष्ठाता जी, पर्यावरण के प्रदूषण से चारों ओर वातावरण दूषित हो रहा है । स्थिति आज भयानक हो गयी है । समुद्र के गर्भ में रह कर अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक जैसबेस को स्टयू की एक भविष्वाणी से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 30 वर्षों में जल प्रदूषण के जीवों की जो मृत्यु हो रही है । उससे लगता है कि पचास वर्षों ही मानव जीवन अवशेष पृथ्वी पर है । हमने 50 वर्षों में इतनी ऊर्जा का शोषण और खर्च किया है, जितना हम दस हजार वर्षों में भी नहीं कर सकते । अब भोजन की एक यूनिट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसकी पन्द्रह गुनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है । हरे पौधों से जितना कुल उत्पादन होता है 56 प्रतिशत स्थलीय पौधों से और 43.6 प्रतिशत जलीय पौधों से मिलता है । एक वृक्ष अपने 60 वर्ष के जीवनकाल में लगभग ढाई लाख रुपये का आक्सीजन देता है तथा 5 लाख रुपये प्रदूषण नियंत्रण पर होने वाले धन को बचाता है । वामन पुराण, कर्मपुराण और अग्निपुराण में पेड़ों के अब तक के बारे में बतलाया गया है । श्रीमन् प्रकृति के साथ हम लोग बलात्कार कर रहे हैं और इससे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ प्रारम्भ हो गया है । भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए दसवें अध्याय में अर्जुन से कहा था कि वृक्षों में मैं ही पीपल हूं, आकाश में मैं ही आकाश गंगा स्त्रियों में मैं ही लज्जा हूं । मान्यवर, आज गांव से पीपल गायब होता जा रहा है ।

पीपल की पूजा सेवा पूजा पाखंड नहीं है । मान्यवर, नीम लगभग 200 कीड़ों की जातियों के लिए घातक होता है जिसको समाप्त करता है । वर्ष 1962 में जब राजस्थान में विशाल टिड्डी दल का प्रकोप हुआ था तो नीम ही ने खेती को बचाया था । मान्यवर, आज पीपल की पूजा हर गांवों में होती है । यह 162 वर्ग मीटर में फैला पीपल का वृक्ष मात्र एक घंटे में लगभग 2500 किलोग्राम कार्बन खाता है और साथ-साथ 1712 किलोग्राम आक्सीजन उड़ेलता है । मान्यवर, यही नहीं पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान तथागत बुद्ध ने मोक्ष को प्राप्त किया था श्रीमन् आज हम देख रहे हैं कि यह जो वृक्षारोपण होते हैं, उसमें यह सद चीजें गायब हो गयी हैं । दूसरे लम्बे चौड़े वृक्ष चारों तरफ दिख रहे हैं । मान्यवर, मैं अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि हम अपनी संस्कृति के अनुरूप पीपल और नीम के जो वृक्ष हैं । उनका रोपड़ चारों तरफ इस प्रकार से किया जाए कि हम अपनी संस्कृति और धरोहर की रक्षा कर सकें । वहीं हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण की प्राप्ति हो सकेगी । आज की परिस्थितियों में हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं जो इस देश की संस्कृति की ओर ध्यान नहीं है, जब तक एक समर्पण भाव से नहीं रहेंगे । हमारे साथ एक धोखा होता । हमें सचेत होकर-आज के मानव को इस दृष्टिकोण से सोचने की महती आवश्कता है । हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां जो राष्ट्रीय मार्ग है, राज्य मार्ग हैं, अब वर्षा आने का समय है, नीम और पीपल के वृक्षों का ही दोनों ओर रोपण किया जाए । वन विभाग जो भी रोपण का कार्यक्रम चलाये उसमें इनके अलावा अन्य वृक्षों को प्राथमिकता न दी जाए । आज हम भ्रमित होते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को पहचानें उसका अपना एक महत्व है । मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः शासन से अनुरोध करूंगा कि अपनी संस्कृति के अनुरूप इस हिन्दुस्तान को बनाने के लिए राज्य मार्गों के दोनों ओर नीम और पीपल के वृक्ष लगाये जाएं साथ आबादी के क्षेत्रों में भी लगाना न भूलें ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, श्री अजय कुमार पोइया जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि जब हमारे वन मंत्री जी उठेंगे, तो इसे अंगीकार करेंगे । मान्यवर, पूरी दुनिया में पर्यावरण संतुलन के लिए तमाम मुल्कों में चाहे वह यूरोप के देश हों, राजनीतिक पार्टियां का पर्यावरण का विषय मैनीफैस्टो का भाग हो रहा है । मान्यवर, अपने भारत में भी यह सर्वमान्य नियम है कि 33 प्रतिशत भू-भाग पर वृक्षारोपण होना चाहिये । दो चरणों में सामाजिक वानिकी का कार्य हो चुका है । 500 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 19 प्रतिशत भू-भाग पर वृक्षारोपण का दावा हमारे यहां वन विभाग का है । रिमोट सेंसिंग से जो किया गया है । आज भी केवल 14 प्रतिशत वृक्षारोपण इस प्रदेश के भू-भाग पर है । आपने सामाजिक वानिकी का तीसरा प्रस्ताव लिया है, प्रति वर्ष हमें सामाजिक वानिकी के लिए ग्राम समाज की जो जमीन मिलती थी । आज वह जमीन की उपलब्धता भी नहीं रह गयी है । मंत्री जी यह जरूर बतायेंगे कि कितने हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्य के लिए ली है और पिछले 5 सालों में कितनी ली है ? हमारा यह मानना है कि निरन्तर इसमें रकबा घटता जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है । मान्यवर, आप एक जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव करते हैं । मेरा कहना है कि जब वन महोत्सव करते हैं, तो उसमें प्रदेश के सभी मंत्री एक-एक जनपद में जाते और वहां के स्कूलों के लड़के लड़कियां लेकर वृक्षारोपण का एक जनान्दोलन करते, लेकिन यह सब कुछ नहीं हो रहा है, केवल परम्परागत तरीके वन महोत्सव सप्ताह मना लिया जाता है तो इसको कब जनान्दोलन का स्वरूप बनायेंगे । मान्यवर, पहले सड़क के किनारे पेड़ छायादार लगाये जाते थे, जो पथिक होते थे, उनके लिए भी वह साये का काम करते थे, लेकिन आज सड़क के किनारे जिस तरह से वृक्ष काटे जा रहे हैं । वह चिन्ता का विषय है । आज आप एक हेक्टेयर में 2,000 वृक्षारोपण करता है लेकिन हम कुछ सालों के बाद देखते हैं कि उसमें 40 प्रतिशत की मोर्टलिटी हो जाती है । मान्यवर, आज प्रदेश में जो सड़कें हैं उन सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है ।

लखनऊ, गोरखपुर रोड पर 8,000 गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं । आज शहरों की बात आप छोड़ दीजिए जो हाइवे हैं उनके किनारे के जो कस्बे हैं, जो ब्लाक हैं वहां भी आज प्रदूषण चिन्ता का विषय होता जा रहा है और आज लोगों की मानसिकता हो रही है कि आज लोग गांव को छोड़कर सड़क के

किनारे बसना चाहते हैं । मान्यवर, जहां सड़कों के किनारे कोई नहीं रहता था । वहां आज सड़कों के किनारे लोग बस रहे हैं और तमाम दुकानें होती जा रही हैं और पेड़ कम होते जा रहे हैं । आज हम लोग संजय गांधी जी को याद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने वृक्षारोपण का अभियान चलाया था । एक मनुष्य एक वृक्ष लगाये । मान्यवर, आज सारी सड़के नंगी हैं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण नहीं हो रहा है अगर कहीं वृक्षारोपण करते हैं तो उसके रख-रखाव के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और सामाजिक वानिकी के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, प्रदूषण को देखते हुए छायादार वृक्ष अवश्य लगाये जायं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री अजय कुमार पोइया जी के प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा हो रही है और मैं इस पर अपना विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आप इस बात से सहमत होंगे कि मान्यवर, आज न केवल उत्तर प्रदेश के लिये, बल्कि सम्पूर्ण देश के लिये और इस सृष्टि के लिये सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण है । श्रीमन्, आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे सनातन धर्म में यह अवधारणा रही है, वृक्षों के ऊपर देवी-देवता निवास करते हैं, इस बात को आदि काल में लोगों ने स्वीकार किया था । अलग-अलग पेड़ों पर अलग-अलग जो देवी देवताओं की उपस्थिति की जो अवधारणा है, शायद वह इस बात के लिये है कि देवताओं की उपस्थिति के भाव से कि वृक्षों का कटान रुके, ताकि पर्यावरण को खतरा न उत्पन्न हो सके इस विषय में यह चिंतन बहुत पहले से था । प्रदूषण से सबसे बड़ा खतरा आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में उत्पन्न हो गया है, क्योंकि सर्वाधिक हर प्रकार से हमारे देश में पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है । इसलिये जो पोइया जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं तथा मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय वन मंत्री जी कम से कम जो हमारे प्रदेश में राजमार्ग हैं उनके किनारे पीपल के पेड़ नीम के पेड़ लगवाने की कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, कागजों में जो सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो औपचारिकता में भर पूरी की जाती है, उसी के कारण लोक कल्याणकारी योजनाओं के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं । मान्यवर, जब तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं होगा, प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जायेगी, कम नहीं होगी । अभी माननीय पाल जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में हमारा देश दुनिया में सबसे नीचे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया जाना चाहिये और जनता में इसके प्रति रुचि पैदा की जानी चाहिये और इसको एक जन आन्दोलन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिससे पर्यावरण को जो खतरा है, वह समाप्त हो सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री पोइया जी ने जो विषय उठाया है, वह मानवता से सीधे जुड़ा हुआ है । एक ओर भारत की बढ़ती हुई आबादी खतरा बन गयी है और दूसरी ओर सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण का बन गया है । आज जो प्रदूषण का स्वरूप होगा, वह कैसा होगा ? वर्षा, गरमी और सरदी का जो कलेन्डर बना हुआ था, वह पूरी तरह से बदल गया है । वायु मंडल में जो कार्बन डाइआक्साइड और आक्सीजन का अनुपात था, वह पूरी तरह से प्रभावित हो गया है । मैं पोइया जी की बात का समर्थन करता हूं और माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वृक्ष लग रहे हैं और सघन कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको स्वर्गीय संजय गांधी ने जागरुकता के साथ किया था और तब मान्यवर, सारे पहाड़ नंगे हो चुके थे । पोइया जी ने कहा कि इस बात पर विचार करना है कि वृक्ष किस प्रकार के लगायें जायें, आनमिंटल वृक्ष लगाये जायें या जो प्रदूषण को रोक सकें, वह लगाये जाये । अनादिकाल से यह स्पष्ट है कि नीम का पेड़ पूरी तरह से औषधि का वृक्ष है और उनकी जो कमी हुई है, उससे तमाम तरह की बीमारियां फैली हैं और प्रदूषण फैला है । मेरा कहना है कि राजमार्गों के किनारे वृक्ष तो लगाये जायें, लेकिन यूकिलिप्टस के पेड़ न लगाये जायें, यह जमीन से ज्यादा पानी लेते हैं और

जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देते हैं और किसी न किसी रूप में लाभ की जगह हानि में परिवर्तित हो रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, चलिए वहीं पुराने दौर में एक बार फिर नीम का वृक्षारोपण सड़कों के किनारे करें क्योंकि सड़कें ही एक मात्र स्थान रह गये हैं जहां पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। सड़कों के किनारे कुछ ऐसे वृक्ष लग जाते हैं, जिनमें फल लगता है, लेकिन उससे कुछ कठिनाई होती है, लेकिन नीम वृक्ष ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की कठिनाई की सम्भावना नहीं रहती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, माननीय मंत्री जी को भी उत्तर भाषण करना है।

श्री प्रमोद कुमार–

हम इस प्रस्ताव का समर्थन करता हैं, इसमें आधे घन्टे से अगर एक घन्टा भी बोलने के लिए दे दें तो कोई अन्यथा नहीं होगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि यह प्रस्ताव, प्रस्ताव ही न रहें बल्कि इसे अमली जामा पहनाया जाएं। इसे हमें जन आन्दोलन के रूप में चलाएं। जितनी ग्राम सभाएं और ग्रामी क्षत्र है वहां पर रहने वाले लोगों का सहयोग ले और सघन वृक्षारोपण नीम का कराये जिससे प्रदूषण जो सड़कों पर वाहनों से होता है, वहीं पर समाप्त हो जाएं।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, यह बहुत ही समीचीन प्रस्ताव मा० सदस्य ने रखा है और हमारे वक्ताओं ने जैसे पाल साहब ने, सुबाष जी ने, और प्रमोद जी ने जो सुझाव रखे हैं वह बहुत उपयोगी है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सदन में आज पर्यावरण मंत्री के रूप में बैठे मा० मंत्री जी जब विपक्ष में बैठते थे तो उन्होंने कई बार इस पर चिन्ता जतायी थी और मांग की थी कि पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है इसको सुधारने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है यहां कार्य केवल सरकार का नहीं है, मुझे याद है जहां पाल जी बैठे हैं वहीं पर इन्होंने यह बात पूरी जोर से उठायी थी। सौभाग्य से वह आज पर्यावरण और वन मंत्री हैं जिन पर यह जिम्मेदारी है। पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया है। फिर भी हमारा सुझाव है कि केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की इच्छाशक्ति पर न रखा जए। अगर सरकारी संसाधनों पर पर्यावरण को रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी पर देखना सम्भव नहीं होगा। निश्चित रूपसे इसको जन आन्दोलन का रूप देना पड़ेगा।

पक्ष और विपक्ष की बात भूलकर सभी लोगों को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। हमें याद है कि कई बार 20 सूत्रीय कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रम चला कर वृक्षारोपण करने की कोशिश की गई लेकिन जन सहयोग के अभाव में वह कार्यक्रम केवल कागज पर रह गया। मैं विपक्ष के भाइयों से कहूंगा कि इसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित न करें सभी लोग इसको एक जन आन्दोलन के रूप में लें जिससे आने वाले दिनों में हम अपने उत्तराधिकारियों को एक अच्छा जीवन दे सकें स्वच्छ वातावरण दे सकें और स्वच्छ पर्यावरण दे सकें जिसमें प्रदूषण न हो। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य करें न केवल राजमार्गों पर नीम और पीपल के वृक्ष लगाये जावें बल्कि हर जमीन पर चाहे वह नदियों के किनारे की हो, नहरों के किनारों की हो, वहां पर सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने के लिए सहयोग प्रदान करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पर्यावरण का प्रस्ताव माननीय पोइया जी के माध्यम से रखा गया है । वह बहुत महत्वपूर्ण है । आज पर्यावरण प्रदेश, देश की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है । जिस तरह से बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हो रहा है । उससे कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा बढ़ रही है । आने वाले 2030 में पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ जायेगा जिससे हिम शिखर और ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी और महानगरों में बाढ़ आयेगी । आज आये दिन वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है । आज सरकार सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत भारी पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य करें । हमारे शास्त्रों में नीम-बरगद-पीपल के वृक्षों की महत्व को बताया गया है । आयुर्वेद में नीम के वृक्ष के बारे में कहा गया है कि यदि आदमी उसके नीचे सोयेगा तो निरोग हो जायेगा और यदि इमली के नीचे सोयेगा तो रोगी हो जायेगा । सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए नीम, बरगद, पीपल वृक्ष बड़े पैमाने पर लगाये जायें और जो सड़कों के किनारे अर्जुन और यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जाते हैं, जिनसे छाया नहीं मिलती है, और पर्यावरण भी ठीक नहीं होता है । उनके स्थान पर नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों का भारी पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, हमारी धार्मिक विरासत सांस्कृति विरासत और वैज्ञानिक विश्लेषण इस बात का गवाह है कि पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है । मान्यवर, गौतम बुद्ध जी ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित किया था और पीपल के पेड़ की खास बात है कि इसमें कार्बनडाईआक्साइड नहीं है आक्सीजन है । जिस पेड़ में आक्सीजन ही आक्सीजन हो उसको लगाने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ? माननीय पोइया जी का जो प्रस्ताव है आपके माध्यम से मैं वन मंत्री से कहना चाहूंगा कि सरकार अधिक से अधिक पेड़ों को लगवाने का काम करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे । जिन्होंने देखा तक कि साधारण-साधारण व्यक्ति विज्ञान को नहीं समझ सकेगा इसलिए उन्होंने कहा कि नीम के वृक्ष में शीतला माता का निवास है । वट वृक्ष में विष्णु जी का निवास है और पेड़ों से देवताओं से जोड़कर साधारण व्यक्ति को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जोड़ते हुये पेड़ों के काटने को रोकने के लिये धार्मिक स्वरूप देकर पेड़ काटना प्रतिबन्धित किया । आज हमारे सारे विश्व में पर्यावरण की समस्या हो गई है ।

आज ग्रीन हाऊस इफेक्ट हो रहा है । मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रकृति माता के समान है, जिस प्रकार माता बच्चे को स्तनपान कराती है, तो उससे बड़ा ममतामयी कोई नहीं है, लेकिन यदि बच्चा स्तन को काटने लगता है, तो उसे उठाकर पटक देती है, दंडित करती है । प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है । बबूल के वृक्ष लगाने का क्या औचित्य है ? फलदार वृक्ष लगायें जिससे प्रचुर मात्रा में आक्सीजन मिले, ऐसे पौधे लगाये जिनमें औषधीय गुण हो । ऐसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हों जो पर्यावरण को सुधारें । मान्यवर, मैं दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त करूंगा । इस संकल्प में केवल राजमार्गों के लिए अनुरोध किया गया है । मेरा कहना है कि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ही नहीं, जहां-जहां भूमि उपलब्ध है, गांव सभाओं में, अस्पताल परिसर में, तहसील के परिसर में, जिलाधिकारी आवास में यदि भूमि पड़ा है तो वहां वृक्ष लगाये जाये । आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद ।

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य पोइया जी ने और कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । श्रीमन्, मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं । जब डी०आर०डी०ए० तथा एस०आर०वाई० की बैठक होती है जिसमें हमारे माननीय सदस्य भाग लेते हैं और उनके निर्देश पर पैसा कटकर आता है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने वेदना व्यक्त की है, उससे अपने-आपको जोड़ते हुए एक अनुरोध करना चाहूंगा । आप सब जो पैसा एक साल के लिए एक पेड़ पर देते हैं, लक्ष्य ज्यादा रखते हैं । एक पेड़ को बच्चे की तरह पालने के लिए उसका 4 वर्ष तक वित्त पोषण करें । आप लक्ष्य कम करें, वहां पर कहे कि भाई हमें नीम व पीपल के पेड़ लगाने हैं, इसमें वन विभाग आड़े नहीं आयेगा । जो पैसा मिलता है डी०आर०डी०ए० से उस राशि में 10 प्रतिशत बढ़ा दें । हमें इन पेड़ों को लगाने में कोई आपत्ति नहीं है । दो-तीन बातें रखना चाहता हूं, पाल जी ने वित्तपोषण की बात रखी और यह कहा कि फर्जीफिकेशन होता है ।

मान्यवर, आप सबके सहयोग से हमने यह किया है कि जो पेड़ लगेगा उस पर नम्बर पड़ेगा, ट्री गार्ड बनेगा, उसका नम्बर होगा । अगर वित्तपोषण 4 वर्षों का होगा, तो फर्जीफिकेशन बन्द हो जायेगा । पेड़ सूर्य से ऊर्जा और जमीन से पानी लेते हैं और इनसे पानी लेने के बाद वायु से कार्बनडाईआक्साइड लेते हैं और हमें आक्सीजन प्रदान करते हैं, वह जो भोजन करते हैं, उससे उत्पाद देते हैं । वह भी लाभदायी होता है । पेड़ों की पत्तियों के पिछले हिस्सों में जो सफेद रोयें होते हैं उसमें पानी की आर्द्रता होती है, वह मिट्टी के कण, धूल आदि को सोखते हैं और साफ करके फिल्टर करता है । आज फैक्ट्रियों में प्रदूषण संयंत्र लगाये जाते हैं, लेकिन वह संयंत्र काम नहीं करते हैं लेकिन पेड़ के साथ जो फिल्टर है वह काम करता है और उसकी पेड़ों को बड़ी आवश्यकता है । जिस तरह से सभ्यता का विकास हो रहा है, तकनीकी बढ़ रही है, विज्ञान प्रगति कर रहा है उसी अनुपात में प्रदूषण भी बढ़ रहा है । वन विभाग के अन्तर्गत जितने सड़कें आई हैं मैंने आदेश दिया कि उनके किनारे पीपल और नीम के पेड़ लगाए जाएं । वन विभाग की जमीन, नगरों की जमीन, सड़कों के किनारे की जमीन सब जगह उपयोगिता वाले पंचवटी वृक्ष गूलर, दूधदार वृक्षों की जरूरत है । यह आक्सीजन देने का काम करते हैं । यह वृक्ष प्रदूषण रोकने का काम करते हैं । पीपल का पेड़ लगाने में एक दिक्कत आएगी कि वह जगह बहुत घेरते हैं । हमें छाया भी चाहिए और सुन्दरता भी चाहिये । इसलिए इस वृक्ष को लगाने में जगह का ध्यान रखना पड़ेगा । जो पोइया जी ने अपनी बात कहीं व डाक्टर साहब ने इस पर अपनी बात कही इस सम्बन्ध में मैंने विभाग में विस्तार से चर्चा की है । मैं फलदार वृक्षों के लगाने व जिनसे प्रदूषण रुकता है उनको लगाने के लिए भी सदन में वायदा करता हूं । और अनुरोध करता हूं कि उसमें सभी माननीय सदस्य अपना-अपना सहयोग दें । जो सड़क की पट्टी होती है उसमें चाहूंगा कि एक तरफ तो फलदार वृक्ष लगें दूसरी तरफ दूसरे वृक्ष लगें । इसको जन आन्दोलन के रूप में वन विभाग चलाना चाहता है ।

इस आन्दोलन में जन सहभागिता हो । इसलिए फल पट्टी बनाकर नालों के किनारे, सड़क के किनारे किसानों के सहयोग से फल पट्टी विकसित करने का काम करेंगे । ताकि हर एक आदमी का पेड़ से जोड़ा जा सके । नगरों में हम दो हमारे 10 के तहत हर आगंन में प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाने की योजना है । इसको एक अभियान के रूप में चला रहे हैं । यह योजना जन सहभागिता के अन्तर्गत चल रही है । इससे निश्चित रूप से प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी । एक बात यूकिलिप्टस की आई है । यह हमने नहीं किया इसको पूर्व की सरकारों ने किया है । हमने आदेश दिया है कि इस पेड़ को हटाकर नीम का वृक्ष और दूध वाले वृक्ष लगाएं जाएं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात मंत्री जी समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एक बात और कहना चाहता हूं कि नीम के जो छोटे-छोटे वृक्ष होते हैं, उनको दातून करने के लिए तोड़ने पर पूरा पेड़ ही टूट जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पोइया जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अजय कुमार पोइया–

मंत्री जी ने आई०आर०डी० एवं डी०आर०डी०ए० की बैठक में रखने की शर्त लगा दी है। जो कि जनरल है, जो स्वीकार योग्य नहीं है शासन स्तर पर मंत्री जी स्पष्ट निर्देश दें कि आई०आर०डी० एवं डी०आर०डी० स्तर की बैठक से इसको न जोड़े जो कि उचित नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय पोइया जी की जो भावनाएं थी, उनका मैंने आदर किया। मैं चाहूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अजय कुमार पोइया–

मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं चूंकि मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव के अनुरूप कार्य कराये जाने का आश्वासन दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि श्री अजय कुमार पोइया के प्रस्ताव को वापस लेने की सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत डाक्टरों का एकीकरण कर समेकित श्रेष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत हजारों पी०एम०एस०, पी०एम०एस० (महिला) पी०एच०एस० डाक्टरों का एकीकरण कर समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के विषय में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा इसीलिये स्वीकार हुई क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर संतोषजनक नहीं आया। कई कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति हो गई और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पायी। समेकित ज्येष्ठता सूची के निर्माण के लिये कार्मिक विभाग ने एक शासनादेश जारी किया। 13 नवम्बर, 1996 के शासानेश में कहा गया है कि "पात्रता सूची तैयार करना जहां मानदण्ड योग्यता हो–जहां पदोन्नति के लिये मानदण्ड योग्यता हो, जहां नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम यथासम्भव, रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ रखें जायेंगे।" दूसरा जी० ओ० 24 अप्रैल, 1987 का है, जिसमें कहा गया है "थ्री टाइम्स दि नम्बर आफ वैकन्सीज सबजेक्ट टु दि मिनिमम 8"। परन्तु इस प्रक्रिया में इन दोनों जी०ओ० का पालन नहीं किया गया।

22 मार्च, 1987 को एक शासनादेश और जारी हुआ, जिसमें कहा गया "है–श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया–(क) उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निर्धारित अनुपात में रखे गए पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिए । "श्रेष्ठता" के मापदण्ड के अनुसार चयन का तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पात्रता क्षेत्र में से सर्वोत्तम अधिकारियों को चयनित किया जाये । अतः पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्यांकन कर उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय में निर्णय लिया जाना चाहिये ।" इसके बाद सर्वोच्च का एक आदेश हुआ है, प्रमोशन के संबंध में । सिविल अपील सं० 4482–42, 1995 अप्रैल, 95। मैं इस भाग का हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं–"अभिलेखों से यह विदित होता है कि तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्सकों में से कुछ चिकित्सक अधिवर्षता की आयी पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त हो चुके हैं । उस सन्दर्भ में यह निदेश दिया जाता है कि ऐसे चिकित्सकों को संगत नियमों के अधीन पेन्शन एवम् सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभ के लिये उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से उनको प्रतीक रूपसे नियमित सेवा में माना जायेगा । अस्थायी तथा तदर्थरूप से सेवारत चिकित्सकों की आपसी ज्येष्ठता हेतु यह रीति नहीं अपनायी जानी चाहिये ।" इसे स्पष्ट करने के लिये में निर्णय का एक्सट्रेक्ट रखना चाहता हूं –(1) वरिष्ठता निर्धारण हेतु चिकित्सकों को निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है–वह तदर्थ नियुक्ति अधिकारी जिनकी याचिकाओं पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है । (अ) वह तदर्थ अधिकारी जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

(ब) वह अधिकारी सेवारत् हों । इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें नोशनली ट्रीट करते हुए नियमित रूप से प्रथम नियुक्ति की तिथि से नियुक्त मानते हुए केवल सेवानिवृत्त के देय लाभ दिये जायेंगे तथा उनके बारे में इण्टर सी वरिष्ठता हेतु कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, ग्रुप बी में ऐसे तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में लोक सेवा अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम नियुक्ति के दिनांक से तैनाती हेतु निर्देश प्राप्त हो चुके हों तथा उनके मामलों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका हो, को वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति की दिनांक से प्रदान की जाय ।

मान्यवर, सेवा पद्धति के बारे में माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है । सेवारत तदर्थ अधिकारी जिन्हें माननीय न्यायालय के निर्देश का लाभ प्रदान करते हुए प्रथम नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है, तथा वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा गया है, के बारे में न्यायालय के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णयों में दिये गये निर्देशों को जब भी लागू करना हो तो माननीय न्यायालय के निर्णय में दिये गये निर्देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लागू करते समय उसका केवल मात्र एक भाग ही लागू नहीं किया जा सकता तथा जब तक निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन नहीं कर लिया जाता जब तक उसे अन्तिम रूप से क्रियान्वित नहीं माना जा सकता । प्रभावित होने वाले अधिकारियों से कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई । इसके बाद एक वरिष्ठता सूची शासन द्वारा जारी की गई । वरिष्ठता सूची दिसम्बर, 93 में जारी की गई थी । आपने चार वरिष्ठता सूची बना दी । पुरुषों के लिये अलग, महिलाओं के लिये अलग, उत्तरांचल के लिये अलग और अनुसूचित जाति के लिये अलग । 2 अप्रैल, 96 को अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई । अन्तिम वरिष्ठता सूची

के संबंधमें एक नियम यह है कि जब एक बार अन्तिम सूची प्रकाशित कर दी गई, तो फिर शासन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।

न्यायालय के आदेश के बाद ही उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। इस वरिष्ठता सूची में जो 2 अप्रैल, 96 को जारी की गई थी उसमें 13 फरवरी, 1998 को परिवर्तित करके दो लोगों का नाम बीच में डाल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है और कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किया है। फरवरी से मई 4 माह में तीन डी० पी० सी० की गई। उसका परिणाम यह है कि जो व्यक्ति जनवरी में असिस्टेन्ट डायरेक्टर थे फरवरी में ज्वाइन्ट डायरेक्टर अप्रैल में एडिशनल और मई में डायरेक्टर जनरल बना दिये गये। एक व्यक्ति को चार महीने में तीन-तीन प्रमोशन दे दिये। इस तरह से कार्मिक के शासनादेश का उल्लंघन किया गया। 15 नाम मंगाने चाहिए थे, आठ भी नहीं मंगाये ए० सी० श्रीवास्तव और आर० बी० सिंह फरवरी की डी० पी० सी० में रिजेक्ट कर दिये गये थे, निदेशक के पद के लिये और मई में वही सुपात्र हो गये।

मान्यवर, दो शासनादेश हैं। इसमें लिखा है...

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें। मुझे बाध्य न करें कि मैं आपकी बातों को कार्यवाही में अंकित होने से रोकूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ। जो आरक्षित पद थे, उनको आरक्षित नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। मंत्रियों और अधिकारियों ने हेरा-फेरी की है, मुझे ऐसा लगता है। मान्यवर, इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण में वित्त, कार्यकुशलता इन्वाल्व है। इसको विधान सभा की एस्टीमेट कमेटी को संदर्भित कर दें जो इस सारे प्रकरण की जांच कर ले।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 24 जून को तारांकित प्रश्न में दिया गया उत्तर पूर्ण रूप से स्पष्ट था। इस संबंध में इस चर्चा में 2-3 बिन्दुओं को आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। मान्यवर, पात्रता सूची में शासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया। नेशनल प्रमोशन में भी शासन के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। वरिष्ठता सूची को ध्यान में नहीं रखा गया है। जो अधिकारी प्रभावित हुए इनसे किसी तरह की आपत्ति आमंत्रित नहीं की गयी है। कुछ महीने पहले महानिदेशक डा० बच्चीलाल जिनके समय में एक हत्याकाण्ड हुआ और उसमें सी० बी० आई० की जांच कराई गई जिसमें बच्ची लाल संदेह के घेरे में थे। वह फाइल आज भी मंत्री जी के पास पड़ी है। जब कि उनको दण्डित होना चाहिए था। उनको दण्डित न करके प्रमोशन दे दिया गया है। मान्यवर, पी० एम० एस० में ग्यारह हजार डाक्टर हैं। उसमें से डी० जी० नहीं बनाया गया है। जब कि पी० एच० एस० से डाक्टर वैश्य को डी० जी० बना दिया गया। इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक माह में 3 डी० पी० सी० की गयीं। इसकी जांच कराई जाय। जो नियुक्तियां की गयी हैं उनको निरस्त कराया जाय। मान्यवर, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाय। सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराई जाय। स्वास्थ्य विभाग की जांच प्राक्कलन समिति द्वारा हो रही है। इन सारे प्रकरणों की जांच प्राक्कलन समिति के माध्यम से कराये जाने के लिये आप निर्देश दे दें।

* स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

चिकित्सकों की वरिष्ठता से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित याचिकाओं विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 23-3-95 एवं सपठित निर्णय दिनांक 26-7-96 में निर्देश दिये गये हैं। वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए उनकी नोशनल नियमित नियुक्ति मानते हुए सेवानिवृत्तिक एवं पेंशनरी लाभ दिये जायं।

(2) ऐसे चिकित्सक, जिनके पक्ष में किसी न्यायालय का निर्णय अन्तिम हो गया है, की वरिष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाय और उन्हें वर्ष 1972 में आयोग से चयनित चिकित्सकों के ऊपर रखा जाय।

(3) वर्ष 1972 में आयोग से चयनित चिकित्सकों की वरिष्ठता उनकी मैरिट के आधार पर निर्धारित की जाय और उनके नीचे आयोग की चयन सूची दिनांक 23-12-77, 16-6-78 एवं 10-5-79 में चयनित चिकित्सकों को, आयोग की मैरिट के आधार पर, रखते हुए वरिष्ठता निर्धारित की जाय।

(4) शेष ऐसे तदर्थ/विनियमित (नान सेलेक्टी) चिकित्सकों को, आयोग की चयन सूची दिनांक 10-5-79 के नीचे रखते हुए, उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाय।

(5) आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की वरिष्ठता क्रमावली (रोस्टर) के अनुसार निर्धारित की जाय।

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डी० पी० सी० निर्धारित करके प्रोन्नति कर दी है। इसके अलावा कार्मिक विभाग और न्याय विभाग की सहमति भी ले ली गयी है। लोगों को यह भी कह दिया गया था कि आपकी वरिष्ठता सूची निर्धारित कर दी गयी है अगर आपको कोई आपत्ति है तो निर्धारित समय में दे दें। मान्यवर, इसको किसी ने निर्धारित समय में नहीं दिया। फिर चार लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये। इन चार लोगों का हमारे ऊपर, विभाग के ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए यह सर्वोच्च न्यायालय चले गये और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए जैसा वह निर्णय देगा हम उसी के अनुसार कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, चूंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में यह है कि ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हों उस पर यहां पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह बात पहले ही संज्ञान में आ जानी चाहिए थी। अगर किसी कारण से नहीं आयी है तो यह विभाग की गलती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय ने सारी पत्रावली, नियमावली मंगा ली है । हमने उनसे प्रार्थना की थी । उन्होंने कहा था कि अपनी बात कह दीजियेगा । मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जो तय हो जायेगा उसी के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में दो योग्य, सक्षम चिकित्सक पूरे प्रदेश में जनता की सेवा कर रहे हैं उनके मन में गलत तरीके से जो प्रोन्नति की जा रही है, इससे रोष व्याप्त है । यह बड़ा ही रोचक और गम्भीर प्रकरण है । समय की कमी है इसलिये पूरे विस्तार से नहीं कह पा रहा हूं । मान्यवर, प्रकरण केवल इतना है कि 1962 में कुछ डाक्टर्स की नियुक्ति हुई, फिर 72 में हुई और फिर 74 में हुई । यह सब कमीशन से नियुक्त हुए और जो यह सूची बनायी गयी है, उन्हें पूरा अवसर देने के बाद कि वो कमीशन से पास कर लें, उन्हें सूचित किया गया । कुछ कमीशन में उपस्थित नहीं हुए और कुछ उपस्थित हुए तो वह असफल हो गये तो वह पीछे छूट गये । इसके बाद इन लोगों ने न्यायालय में एक याचिका दाखिल की ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी आप तथ्यों को दोहरा रहे हैं । आप केवल स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मंत्री जी ने न्यायालय का आदेश का संदर्भ दिया । कहीं यह बात नहीं आयी है कि विनियमितीकरण किये हुए डाक्टर्स को सर्विस कमीशन से चयनित होकर पहले से चले आ रहे डाक्टर्स को सुपरसीट करके उनके ऊपर रखा जाए । माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नोशनल प्रमोशन उनका जो सेवानिवृत्त हो गये हैं उनके ज्वाइन करने के डेट से मान लिया जाए और जो काम में हैं उनकी वरिष्ठता में असर नहीं पड़ेगा केवल रिटायरमेंट के जो बेनिफिट हैं उन्हें नोशनल प्रमोशन से मिल जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

"आप केवल स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, उसकी आड़ में इतनी बड़ी अनियमितता हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रख सकते हैं और वाणी पर कन्ट्रोल नहीं है वह लाबी में जा सकते हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 2-4-96 की सूची पूरी आपत्तियों के निस्तारण के बाद सबकी सहमति से अन्तिम की गयी । मान्यवर, इसे किसी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं दिया, इसे छिपाया गया । जो दूसरा सर्वोच्च

न्यायालय ने आदेश किसी, पहले आदेश को ही डिटो किया है । मान्यवर, मंत्री जी को ये अधिकारी कनफ्यूज कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी आप बैठें । अन्य कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, गम्भीर प्रकरण है हम चाहेंगे और निवेदन है कि इसका पूरा विस्तार से परीक्षण हो ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह जो वरिष्ठता सूची को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है उसका दुष्परिणाम स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है । मान्यवर, कल मैं बजट पर मंत्री जी का भाषण सुन रहा था उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जैसे निर्देश होंगे तद्नुसार पदोन्नतियां करते जायेंगे । मान्यवर, यह विचार बनता जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने यह नियति बना ली है कि तैनाती, पदोन्नति सब मामले अदालत ही तय करे और विभाग प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन में पूर्णतः असफल है । मान्यवर, क्या इस बात को बिल्कुल कर दिया गया है कि जो भी व्यवस्था करेंगे वह न्यायालय के माध्यम से करेंगे विभाग इस काम को नहीं करेगा । आप सहमत होंगे कि स्वास्थ्य सेवा ऐसा विभाग है जो प्रोफेसनल का विभाग है, वहां इक्सपरटीज की जरूरत है मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं के मुखिया पद पर, जिम्मेदार पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मेडिकल सर्विसेज मे इक्सपरटाइज है । कभी आप वहां पर आई० ए० एस० को बैठा दे रहे हैं कभी पी० सी० एस० को बैठा दे रहे हैं यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके विभाग के प्रमुख सचिव और इनके महानिदेशक को किस तारीख को कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में इसी मामले में बुलाया गया है ?

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, शासन की ओर से माननीय मंत्री जी अपने तथ्य रखें । जिन मापदण्डों को उन्होंने पढ़ा, मैंने भी उनका उल्लेख किया था । मेरा यह कहना है कि वह मापदण्ड सर्वोच्च न्यायालय ने बनाये थे उसका पालन नहीं किया गया । आपने यह भी बताया कि इसमें सारी फाइलें अध्यक्ष जी को सौंप दी गयी हैं । मंत्री जी ने यह भी बताया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है इसी ग्राउण्ड पर चर्चा स्थगित की गयी थी । मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी कनविन्स हो गये होते कि सर्वोच्च न्यायालय में होने के कारण सदन चर्चा नहीं कर सकता तो आज चर्चा नहीं होती । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गम्भीर विषय है और इसमें पत्रावली अध्यक्ष जी के पास है कृपा करके आप इसमें अपना निर्णय सुरक्षित करें और जो निर्णय पीठ का होगा वह स्वीकार्य है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, 13 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभाग को बुलाया था कंटेम्प्ट के लिए बुलाया था, सर्वोच्च न्यायालय में सूची पेश कर कर दी गयी है, सर्वाच्च न्यायालय यथा स्थिति से अवगत हो गया । सर्वोच्च न्यायालय में 4 लोग गये हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह तो तब ठीक होता जब वह विभाग में अपील के लिये आते । मान्यवर, लिस्ट के अनुसार कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से परामर्श लेकर काम को पूरा किया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः उस अपील को लेकर के गये

हैं । मान्यवर, जिस वस्तुस्थिति को सर्वोच्च न्यायालय ने इंगित किया था उसके अनुसार किया था । जिनको विश्वास नहीं था विभाग में, वह सर्वोच्च न्यायालय में गये हैं । सर्वोच्च न्यायालय जैसा इंगित कर देगा, निर्णय दे देगा हम उसके अनुसार कार्यवाई करेंगे ।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा का न्यून उत्पादन तथा इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुत्ता काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाये जाते हैं उनका नितान्त अभाव है इस पर इस सदन में कई बार चिन्ता व्यक्त की गयी । अभी तक यह नहीं हुआ है कि अस्पतालों में इन इंजेक्शनों की उपलब्धता हो जाय और उपलब्धता होने के बाद यह इंजेक्शन पीड़ित व्यक्ति को बिना सुविधा शुल्क लिये मिल जाय । मान्यवर, यह व्यवस्था प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में अभी तक नहीं है । कुत्ता काटने के बाद उसका असर 30-30 साल बाद हुआ है, ऐसा मैंने स्वयं देखा है । ए०आर०बी० का जिस वक्त प्रभाव हो जाता है फिर संसार में ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसका इलाज कर सके । गरीब आदमी जब जिला अस्पताल में जाता है तो यदि उसके पास पैसा नहीं है तो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होता । बाहर दलाल खड़ा रहता है, यदि उसको 150 रुपये दो तो इंजेक्शन मिल जायेगा, अन्यथा वह गरीब आदमी अपने मरीज को भगवान भरोसे मरने के लिये लेकर चला जाता है । एक खास बात और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इंजेक्शन में जो ताकत पोटेन्सी होती है, उसको पानी मिलाकर डाइल्यूड किया जा रहा है, इससे उसका असर कम हो जाता है ।

हमारे मेरठ जनपद में इस तरह की 4 मौतें हो चुकी हैं जांच की बात कही गई लेकिन आज तक जांच नहीं हुई । हमारे यहां नौशाद अहमद एक व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल गया, उसे इंजेक्शन नहीं मिला, जब 150 रुपये दे दिये तो उसी वक्त इंजेक्शन मिल गया । परन्तु काटे व्यक्ति को यदि समय पर इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है और परिवार का व्यक्ति उसको मरते हुए देखता है, ऐसे इंजेक्शन की व्यवस्था अस्पतालों में नहीं है यदि है तो केवल पैसे के बल पर है । 1400, 800, 400 रुपये देकर बाजार में इसकी डोजेज मिल रही हैं, यदि गरीब आदमी के बच्चे को कुत्ता काट ले तो वह निश्चित ही भगवान के भरोसे है अन्यथा वह मरने के लिये तैयार हो जाय । मैं इस चर्चा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को सचेत करें कि कम से कम प्रत्येक जिला अस्पताल में प्रचुर मात्रा में इस इंजेक्शन की उपलब्धता सरकार कराये और क्वालिटी के हिसाब से, बिना सुविधा शुल्क के कराये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुत्तों की कई प्रजातियां हैं, वैसे यह विशेषज्ञ बता सकते हैं कि कितनी तरह के कुत्ते होते हैं । मूल रूप से दो तरह के कुत्ते हम लोग देखते हैं । एक तो वह होते हैं जो खास लोगों के गुदगुदी पैदा करने के लिये रखें जाते हैं । दूसरी तरह के कुत्ते वह होते हैं, जो भौकतें भी हैं और कभी-कभी काटते भी हैं, आप मान्यवर, सुविज्ञ हैं, आप खुद डाक्टर भी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुदगुदी पैदा करने वाले कुत्ते अथवा भौकनों वाले कुत्ते जो काट भी लेते हैं, या गलियों में दौड़ाकर काटने वाले कुत्ते, चाहे जो भी हों, के काटने से रेवीज हाइड्रोफाविया होती है, वह एक ही श्रेणी की होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने कुत्तों की कई तरह की प्रजातियां बताई, जानकर प्रसन्नता हुई, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन चिकित्सा शास्त्र में इस तरह के कुत्तों का कहीं वर्णन नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

विद्वान अधिष्ठाता जी द्वारा एक साधारण सदस्य को जानकारी दी गई, मैं आभारी हूं। मैं यह कह रहा था कि सभी प्रकार के कुत्तों के काटने की भयावहता बहुत बुरी है, जब बीमारी फैल जाती है तो दुनिया में कोई दवा कोई चिकित्सा उसको बचा नहीं सकती यह इसकी गम्भीरता है और उसमें पहले ही सुई लगायी जाती है तब उपचार शुरू होता है और वह सुई जिला अस्पतालों में ही उपलब्ध होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि कई बार यह प्रश्न यहां पर उठाया जा चुका है इसको दुबारा उठाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस पर बार-बार चर्चा हुई है, कम से कम पांचवी बार इस सत्र में यह सवाल भिन्न-भिन्न अवसरों पर उठाया गया है। स्थिति यह है कि पटवा डांगर में जो फैक्ट्री है जहां पर यह दवा बनती है वह बन्द हो रही है। यह दवा विशेष प्रकार की भेड़ों से बनायी जाती है जो राजस्थान में पायी जाती हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उन भेड़ों को सप्लाई करने वाले लोगों को भुगतान नहीं किया गया। अब अगर वह भेड़ें मिलने भी लगे तो कम से कम चार पांच महीने का समय उन सुइयों के बनने में लगेगा। इस बात का खतरा था कि यह भेड़े सप्लाई नहीं की जायेगी क्योंकि उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सरकार ने इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया है।

मान्यवर, इस सुई के अतिरिक्त चिकने इम्प्रियों से भी एक इंजेक्शन बनता है। ए०आर०वी० का जो इंजेक्शन है वह पेट में लगता है और चिकने इम्प्रियों का इंजेक्शन बांह में लगता है अगर सरकार दूसरी फैक्ट्री को चलाकर इंजेक्शन तैयार करे तो भी गरीब लोगों का भला हो सकता है। मान्यवर, इस स्थिति में तीन विकल्प हैं पहला विकल्प यह है कि मौजूदा सिस्टम को स्ट्रेंगथेन किया जाय और यह इंजेक्शन अगर न मिले तो दूसरे सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया जाय और उसकी फैक्ट्री चलायी जाय। तीसरी यह है कि अस्पतलों के गेट के बाहर कुत्ता काटने वाली दवाएं मिल रही है वहीं से उन दवाओं को परचेज किया जाय और गरीब लोगों को देने का काम किया जाये। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन तीन विकल्पों में से कोई एक विकल्प सरकार चुन लें मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारी संख्या में गरीब लोग मर जायेंगे। और भयावह स्थिति समाज में आने वाली है इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संबंध में अपनी कोई नीति बनायेगी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे अपने-अपने प्रियजनों में एक-एक गुदगुदी करने वाला कुत्ता भिजवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दो बाते कहना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

सावन का महीना चल रहा है और कुंवार आने वाला है, तो गड़बड़ी पैदा होगी।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

मान्यवर, मेरा नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, कुत्तों की प्रजातियों के बारे में इनसे बड़ा और कोई विशेषज्ञ नहीं है कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है। इनके पास कौन सा कुत्ता है और कौन सी प्रजाति का है जिसके बारे में यह चिंतित है जो पागल हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आपके बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरी जानकारी है कि जो पहले वाली देशी पद्धति है जो पेट में लगने वाली सुइयों का प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। चूंकि बहुत सी विदेशी

मल्टी नेशन कम्पनियां जो इम्प्रेश मसकुलर इंजेक्शन बनाती है उनकों लाभ पहुंचाने के लिए इसमें कमी की जा रही है। इस पर जरा ध्यान रखें कि किस प्रकार गरीब आदमी को साधन मुहैया करायें जाएं और इन विदेशी कम्पनियों में जाने से बचाया जा सके। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) यहां पर विद्वान सदस्य बैठे हैं नियम 49 में आधे घन्टे का समय रहता है। जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा है पहले वह व्यक्ति बोलेंगे और उसके बाद मा० मंत्री जी अपनी बात उत्तर में कहेंगे। फिर स्पष्टीकरण के लिए एक-एक मिनट जो चाहेंगे समय दिया जाएगा अन्त में जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनको भी स्पष्टीकरण करने के लिए समय मिलेगा। (व्यवधान) नियम के अनुसार चलेंगे तो सबको अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, यह बात सच है कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है और इसकी दवा कभी-कभी नहीं मिल पाती है। हमारे चौधरी साहब चले गये वह कह रहे थे कि मैं संवेदनशील नहीं हूं। नैतिक नहीं हूं और मुझमें नैतिकता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुझमें और हमारी सरकार में नैतिकता भी है और संवेदनशीलता भी और उसी के आधार पर पूर्ण रूप से हम व्यवस्थित हैं। (व्यवधान) संवेदनशीलता और नैतिकता दोनों है। मान्यवर, पटवाडांगड़ में हमारी जो एन्टीरेबी फैक्टरी है उस फैक्टरी से जितना उत्पादन हमें मिलना चाहिए था उतना वाकई में बन नहीं पा रहा है। उसका कारण "रा" मैटेरियल की कमी है। "रा" मैटेरियल के लिए स्पेशल भेड़ होती है जिससे यह "रा" मैटेरियल प्राप्त होता है वह प्राप्त नहीं हो रहा है फिर भी हमने प्रयास किया है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कि हर व्यक्ति को कुत्ते के काटने की दवा उपलब्ध करायेंगे उसके लिए हमारी प्राथमिकता है और जिम्मेदारी भी है अब तक औसतन 45 से 50 हजार तक कुत्ते के काटने के व्यक्ति आते थे और इनके लिए 23 लाख से 25 लाख एम०एल० वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती थी औसतन 17 लाख से 21 लाख एम०एल० की व्यवस्था है। और पांच लाख से आठ लाख की और आवश्यकता थी इसको देखते हुए किस प्रकार एन्टीरैवीज वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएं उसके लिए पटवाडांगड़ की क्षमता बढ़ाने का प्रयास है, आज जो हमारी स्थिति है उसमें 2 लाख 80 हजार 460 एम०एल० पटवाडांगड़ में वैलेन्स है। 2 लाख 29 हजार 660 मि०ली० हमारी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये मौजूद है। मान्यवर, जो मंडलवार स्थिति है वह इस प्रकार है लखनऊ मंडल में 10 हजार, इलाहाबाद में 10 हजार, झांसी में 10 हजार, आगरा में 8 हजार, आजमगढ़ में 10 हजार, कानपुर में 12 हजार, वाराणसी में 14 हजार, गोरखपुर में 6 हजार, फैजाबाद मण्डल में 6 हजार मि०ली० वैक्सीन आपूर्ति की जाती है।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, यह सूचना गलत है आप सर्वे करा लजिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो यह कहा था कि डेढ़ सौ रुपया देने पर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है उस पर भी आप बता दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपका प्रश्न सुन लूंगा।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अभी हमने 50 हजार मि०ली० का आर्डर कसौली को दिया है। 15 हजार मि०ली० रविपुर से मंगा लिया है। हमारी कसौली और पटवाडांगर से जो वैक्सीन आती है वह साढ़े 7 रुपये

में 10 मि०ली० आती है । रविपुर से जो आती है वह 185 रुपये की 1 मि०ली० आती है । यह 4–5 लगती हैं । सरकार वैक्सीन की आपूर्ति के लिये प्रतिबद्ध है । हमने महानिदेशक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में सांप काटने और कुत्ता कांटने की दवा उपलब्ध होनी चाहिये । हम आश्वासन देना चाहते हैं कि दवाई की अनुपलब्धता नहीं होने देंगे ।

मान्यवर, दुकानों में रविपुर की जो वैक्सीन है वह 185 रूपये पर उपलब्ध रहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

मरीजों को अगर वह डेढ़ सौ रुपया दे दें तो वैक्सीन अस्पताल में मिल जाती है इसके बारे में बतायें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अगर ऐसी बात कहीं पर है तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें मैं जांच कराऊंगा । साढ़े 7 रुपये की वैक्सीन डेढ़ सौ में खरीदने का औचित्य समझ में नहीं आता है । आप लिखकर दे दें मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय मैं एक प्रश्न स्पष्टीकरण के रूप में स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं । कुत्ते के काटे का इलाज संभव नहीं है अगर वैक्सीन समय पर न मिले । मैं समझता हूं कि राजनीतिक परिवेश में कुत्ते आदमी से ज्यादा वफादार साबित हो रहे हैं । जो लोग अपनी पार्टी से विश्वासघात करते हैं और लोकतंत्र को काटने का काम करते हैं, अगर लोकतंत्र पागल हो गया हो इस देश का क्या होगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों के इलाज के लिये कोई वैक्सीन बनायेंगे जो आदतन दल बदल लिया करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी, आपने जो बात कही है उस पर उन सभी माननीय सदस्यों को जो अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, उनकी आपने जिनसे कम्पेरिजन कर दिया है, शायद एतराज होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं । इतनी विद्धतापूर्ण बात आपके अलावा कोई कह ही नहीं सकता था ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरे कायल हैं, मैं यह जानता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह बात किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कही है । मेरी चिन्ता उनके प्रति है जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं । आप तो पार्टी के वफादार हैं । मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोकतंत्र को काट रहे हैं, पार्टी बदलकर चले गये हैं उनके काटे का इलाज अगर हो तो माननीय मंत्री जी बता दें ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी ने जो बात उठाई है उसी पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि उधर के तमाम लोग पागल हो गये हैं और तमाम लोगों की वफादारी पर शक है । हमने 18 वोट को 35 वोटों में परिवर्तित कर दिया, बिकनेवालों की वजह से हमने अपने प्रत्याशी को राज्यसभा में भेज दिया, इनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, रुपयों की आवश्यकता है और उसे हमारी सरकार पूरा नहीं करेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वैक्सीन तो 150 रुपये में आयेगी लेकिन अमरमणि जैसे लोगों के लिए [xxx] में आयेगी।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा। प्रमोद जी, एक चिकित्सक के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि कुत्ता वफादार हो या गैर वफादार हो अगर कुत्ता पागल है तो एन्टी रैवीज के इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह सही है कि आमोद-प्रमोद होना चाहिए लेकिन जिस तरह की बातें कही गयी वह ठीक नहीं है, इसे आप दिखवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार के अंश कार्यवाही में नहीं लिखे जायेंगे, जो संसदीय नियमों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें निकलवा दिया जायेगा।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही धी। पिछले समय में हमने एन्टी रेवीज का प्रश्न उपस्थित किया था मैंने प्रश्न रखा था जिस पर माननीय मंत्री जी का समुचित उत्तर नहीं आया उसके बाद नियम–49 में चर्चा की मांग की गयी थी। आज मैं बड़े पीड़ित मन से इस सम्मानित सदन में कहना चाह रहा हूं कि इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब लोग जो पैदल या साईकिलों से चलते हैं उन्हें ही ज्यादातर कुत्ते काटते हैं, जो कारों से या अन्य सुरक्षात्मक तरीके से चलते होंगे उन्हें कुत्ते कम ही काट पाते हैं। यह बहुत गम्भीर प्रकरण था, इस गम्भीर प्रकरण को जितना हल्का किया गया है यह खेद का विषय है यह मजाक का विषय नहीं था। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए था। यह प्रदेश के गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल हैं उनके जीवन मरण का सवाल है। मंत्री जी कल्पना पर आधारित आंकड़े दे रहे हैं। हमारे यहां कानपुर में एक होमगार्ड को पिछले माह एक कुत्ते ने काट लिया। उर्सिला अस्पताल में उसको ले जाया गया। वहां पर कुत्ते काटने की दवा नहीं मिली जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह पीड़ा की बात है। वह वेकनगंज का निवासी था। मंत्री जी कह रहे हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मिल रही हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर प्रकरण को नमूने के तौर पर जांच करवाने के लिए लिया जाए जो लोग भी दोषी हों उनको दण्ड देने की व्यवस्था की जाए।

डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है कि अस्पतालों में दवाई मिल रही है वह सही नहीं है। बहराइच में आठ-दस मरीजों को कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया हो गया जिसके

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कारण उनकी मृत्यु हो गयी । कुत्ता गरीबों को ही ज्यादातर काटते हैं । जिनके परिवार में हाइड्रोफोविया का मरीज हो जाता है उसके यहां अन्य लोग भी असुरक्षित हो जाते हैं । मंत्री जी अपने परिवार के लोगों को एक डेढ़ लाख की दवाइयां लोकल परचेज करा देते हैं । आप इसको सुनिश्चित कराएं कि हर अस्पताल में एण्टी रैवीज मौजूद रहे । और अगर न हो तो रविपुर की वैक्सीन लोकल परचेज करावें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह आंकड़े उन्हीं अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं जिन अधिकारियों से व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है । जब सदन के सभी माननीय सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि एन्टी रैवीज अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है तो यह जन प्रतिनिधियों का विश्वास करेंगे या अधिकारियों का। हमारे यहां नौशाद अहमद की मृत्यु कुत्ते के काटने से हो गई उसको एन्टी रैवीज उपलब्ध नहीं हो सकी ।

श्री रमापति शास्त्री–

मैं आश्वासन देता हूं कि जिन गरीबों को कुत्ता काटने की दवा उपलब्ध नहीं होगी उसको एल०पी० द्वारा व्यवस्था की जाएगी । बालचन्द्र जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कानपुर के मामले की बात की इसकी जांच करवा लेंगे और जो अनुपलब्धता होगी उसकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे । लक्ष्मीकान्त जी ने जिस मेरठ के मामले की बात की उसको भी दिखवा लेंगे । यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब चर्चा समाप्त हुई ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह –

मंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन के उपलब्धता के बारे में प्रयास करूंगा । उन्होंने कहा कि रवीपुर से लोग खरीद लें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जितनी जरूरत होगी, उसके लोकल परचेज की व्यवस्था करवा देंगे ।

वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या–8 उद्योग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

सहकारिता मंत्री (राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,78,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग) भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,91,98,000 रुपये धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लियेआवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,07,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आज इस सदन के अन्तर्गत यह उद्धत करना चाहता हूं कि जबसे उदारीकरण एवं भू-मण्डलीयकरण की प्रक्रिया लागू होने के पश्चात् से भारतीय अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रही है । दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था भी स्वाभाविक रूप से इससे प्रभावित हुए है । आज हम एक नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर मुक्त अर्थ व्यवस्था की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहे हैं । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि औद्योगीकरण हमारे आर्थिक प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है तथा कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था के स्थान पर अब एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं । जिसमें उद्योग हमारी समस्त आर्थिक संरचना की धुरी होगा । यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योगों के विकास से नये रोजगार के मार्ग खुलेगें तथा हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी ।

इस दृष्टि से हमारा प्रदेश सौभाग्यशाली भी है, क्योंकि, वह उन सभी संसाधनों से मुक्त है जो कृषि विकास के साथ ही औद्योगीकरण के लिये आवश्यक है । प्रचुर मात्रा में भूमि, जल एवं मानव संसाधन, उपयुक्त जलवायु, दक्ष एवं अनुशासित श्रमिक वर्ग, विशाल बाजार तथा असीमित कच्चे-माल एवं खनिजों की उपलब्धता हमारे औद्योगिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करती हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय हमारे प्रदेश में लघु उद्योगों की संख्या मात्र 1647 थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग 03.14 लाख हो गई है । इसी प्रकार भारी व मध्यम उद्योगों की संख्या जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 52 थी वह आज बढ़कर 2147 हो गई है । यह उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं फिर भी उत्तर प्रदेश अभी देश के औद्योगिक मानचित्र में वह स्थान प्राप्त नहीं कर सका है जिसे प्राप्त करने की हमें पूरी क्षमता है । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है औद्योगीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने की हमने स्थितियां पैदा की हैं । प्रदेश के अन्दर औद्योगीकरण का वातावरण पैदा हो और उसके आधार पर अधिक से अधिक निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित हो सकें । आज उद्योग के क्षेत्र में एक निवेशोन्मुखी वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक उद्यमी यहां आ सकें । उद्योग के क्षेत्र में कितनी भी लम्बी बातें कर लें लेकिन जब तक उसमें उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, हमारी सरकार एक रणनीति अपना कर उद्यमियों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है पहले उद्यमी यहां आने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि यहां की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी यहां पर बहुत जटिलता थी आज उसको समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के साथ सम्पर्क व सार्थक सम्वाद स्थापित करने का काम किया है । यह किसी बिचौलिये के माध्यम से नहीं किया है । यह एक पारदर्शी खुला सम्वाद है । उत्तर प्रदेश में अवस्थापन संस्थान के उच्चीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया है । सुरक्षा का माहौल पैदा करने का काम किया है । न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने का काम किया है । औद्योगीकरण के लिये सहायक कर व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था का प्रयास किया है और इसके साथ-साथ बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये प्रयास कर रहे हैं । उद्यमियों के साथ एक बेहतर सम्वाद

की व्यवस्था का प्रयास किया है अभी तक उद्यमियों को अपनी समस्याओं के लिये कई दरवाजों पर जाना पड़ता था। उनकी इन समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग बन्धु की स्थापना की गई।

आज प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्य मंत्री जी और जनपद स्तर पर प्रभारी मंत्री के साथ बैठकर अपनी समस्याओं के निराकरण कर सकता है। मण्डल स्तर पर व्यवस्था थी उसमें मण्डलीय अधिकारी उद्यमियों के साथ बैठेंगे लेकिन उसके लिये दिन निश्चित नहीं था कि कब बैठेंगे। उसको हमने निश्चित कर दिया है कि एक माह में एक बार बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अप्रवासी भारतीयों के लिये उनके साथ प्रमुख सचिव उद्योग हमारे प्रति माह बैठेंगे। जब उनकी समस्याएं होंगी बैठ कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। हमारी सरकार ने 9 महीने में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। नई उद्योग नीति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में सघन विचार विमर्श उद्यमियों के साथ चल रहा है ताकि वे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा सकें। खनिज विकास के बारे में भी जल्दी ही हम घोषणा करने वाले हैं। 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होती है।

दिल्ली से विस्थापित होने वाले उद्यमी देश के किस कोने में जाकर अपना स्थान खोजेंगे उनकी इस चिन्ता को समझते हुए उनको सुख सुविधाएं देकर अपने यहां आमंत्रित करने का निश्चय हमारी सरकार ने लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत दिल्ली से विस्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास किया जा रहा है विस्थापित इकाइयों को व्यापार कर की वो सुविधाएं जो नई इकाइयों को मिलती हैं उपलब्ध कराई जायेंगी। विद्युत तथा भूमि एवं अवस्थापना में भी किश्तों में सरलीकरण किया है और उसके लिये दिल्ली में एक कार्यालय की भी स्थापना की है। मान्यवर, नैगप्टिव पावर प्लांट से जनित विद्युत के स्व उपयोग को विद्युत ड्यूटी से मुक्त किया गया है। कई वस्तुओं के व्यापार कर में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कमी की गई है। यह वस्तुएं जिसमें छूट दी गई है वह है–फुटवियर, अगरबत्ती वेंत का फर्नीचर, हाइबोर्ड, फाईवर शीट, स्टील सेफ, अल्मारी प्लास्टिक फर्नीचर, प्रेशर कुकर तथा सोना एवं चांदी। इन पर विशेष छूट दी गई है। इसी तरह से स्टील/लोहा तथा इस्पात का माडवेट की सुविधा लागू की गई है। व्यापार कर के बारे में कहना चाहूंगा रु० 50 करोड़ से ऊपर की सभी इकाइयों को समान रूप से 15 वर्ष की व्यापार कर मुक्ति की सुविधा दी गई है। नई इकाइयों के बारे कहना चाहूंगा कि वह दूसरे स्थान पर जाएंगी तो क्या नीति रहेगी प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश से स्थानान्तरित औद्योगिक इकाई को नये उद्योगों की समस्त व्यापार कर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

व्यापार कर के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। जो बीमार इकाइयां हैं रुग्ण इकाइयों को बिक्री के अलावा अन्य विधियों से लिये जाने पर उत्तराधिकारी इकाई को अवशेष अवधि की व्यापार कर से छूट उपलब्ध करा दी गई है। पहले यह छूट केवल क्रय करने की दशा में उपलब्ध थी। इसी प्रकार मान्यवर, विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत पड़ने वाली इकाइयों के भवन मानचित्रों को स्वीकृत करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रतिनिधानित किया गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं का समाधान होगा। मान्यवर, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे जुड़े हुए जितने उद्यमी है उनकी सुरक्षा की, प्राथमिकता के आधार पर चिन्ता की है। हमने औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।हर जनपद में प्रत्येक माह जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उद्यमियों के मध्य एक त्रिपक्षीय बैठक की भी व्यवस्था की गई है ताकि उद्यमियों की समस्त सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का नियमित तौर पर निराकरण हो सके।

मेरठ तथा मुरादाबाद की इनलैण्ड कन्टेनर डिपो को आपात की सुविधा कराई गई है यह उत्तर प्रदेश में अभी तक उपलब्ध नहीं थी । सहारनपुर तथा ऊधमसिंह नगर में कागज मिलों के कच्चे माल की समस्या के निराकरण हेतु ट्रांजिस्ट पास जारी करने की व्यवस्था समयबद्ध तथा सरल बनाई गयी है। उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों में संशोधन के लिए सचिव, श्रम की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी की सम्भावनाओं के पूर्ण विकास के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है । मान्यवर, सिंगिल प्वाइन्ट मण्डी शुल्क की भी व्यवस्था की गई है ।

जो दुनियां है उसमें उत्तर प्रदेश कहां पर है और उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है यह मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, इच्छा-पत्रों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के तृतीय स्थान पर है जबकि आशय-पत्रों में वह पांचवे स्थान पर है ।

मान्यवर, 1997-98 में भारतीय अर्थ व्यवस्था मंदी के दौर से गुजरी है जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में निवेश में कमी आयी है । यह उल्लेखनीय है कि आशय-पत्रों में यद्यपि संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कमी आयी है परन्तु कुल पूंजी निवेश की दृष्टि से वर्ष 1996-97 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे प्रदेशों में भी इस मद में कमी आयी है । वर्ष 1997-98 में केवल भारत में ही नहीं अपितु एशिया के अधिकांश आर्थिक रूप से सम्पन्न देश जैसे थाइलैण्ड, कोरिया, हांगकांग तथा सिंगापुर में भी मंदी का दौर रहा है । वर्तमान समय में इण्डोनेशिया तथा जापान में भी मंदी की स्थिति है । अखिल भारतीय स्तर पर इच्छा-पत्रों तथा आशय-पत्रों में से केवल 9.11 प्रतिशत का वास्तविक क्रियान्वयन होता है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन का प्रतिशत 7.17 है । राष्ट्रीय औसत के ऊपर केवल कुछ ही प्रदेश है जिनमें महाराष्ट्र तथा गुजरात सम्मिलित है । हम दूसरे प्रदेशों की तुलना में अपने को आगे बढ़ाये, अग्रणी भूमिका निभायें इसके लिए हमको वातावरण बनाना पड़ेगा और हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है जिसके माध्यम से हम दुनियां में अपनी स्थिति को सुधार सकें । मान्यवर, इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है । इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के उत्पादन में, प्रथम दो-तीन राज्यों में से एक है । इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से अनुकूल है । इस सेक्टर में न केवल रोजगार देने, बल्कि निर्यात की असीम संभावनाएं हैं ।

हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि इनमें निहित संभावनाओं को अधिक से अधिक दोहन जो इस उद्देश्य को शासन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो सूचना प्रौद्योगिकी की नीति गठित करेगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु कार्य-योजना भी शासन को प्रस्तुत करेगा । इस टास्क-फोर्स में विशेषज्ञों के साथ उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है । नोएडा में इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना करायी जा रही है एवं इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में टाप सिटी, जो इलेक्ट्रानिक पर आधारित होगी, की स्थापना कराने की योजना प्रस्तावित है । कानपुर में स्थापित साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क के विदेश संचार लि० के गेट के स्थापित हो जाने के पश्चात् पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जायेगा ।

मान्यवर, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विस्तृत प्राविधान किये गये हैं । हमारी सरकार ने एक अलग इन्फारमेशन टेक्नोलाजी निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया है । इसके साथ ही आगरा, नोएडा, देहरादून एवं वाराणसी में सांफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क का निर्माण प्रस्तावित है तथा कानपुर तथा इलाहाबाद में इन्फारमेशन टेक्नोलाजी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रस्तावित की गयी है । आगरा एवं अलीगढ़ में विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा आगरा को इलेक्ट्रानिक नगर के रूप में विकसित किया जायेगा । यह सरकार सतत् प्रयत्नशील है और प्रयत्नशील होकर सारे देश के अन्दर जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है जो विगत वर्षों में थी अच्छे रूप में सामने आये इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है ।

मान्यवर, सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है उसमें भारी एवं मध्यम उद्योग मुद्रण तथा लेखन सामग्री खान और खनिज में जो धनराशि बढ़ाई है वह भी निश्चित रूप से अभी तक जो व्यवस्थायें हैं उसमें बढ़ा कर की गयी हैं।

मान्यवर, औद्योगिकीकरण को नया आयाम देने के लिए नयी औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया है। खनिजों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत खनिज नीति तैयार करने की कार्ययोजना तैयार की है। मान्यवर, हम अन्य प्रदेशों की तुलना में आगे बढ़ रहे हैं। खुली पारदर्शिता-इसकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। अभी तक पारदर्शी व्यवस्था न होने के कारण उद्यमियों को भटकना पड़ता था अब एक ही छत के नीचे बैठकर बराबर का स्थान प्राप्त कर कार्य होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर भाषण के लिए भी छोड़ दें।

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते थे तो मैं जानकारी दे रहा था प्रगति की। जो प्रदेश में माहौल है उस माहौल को ठीक करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उद्यमियों को अपने प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए एक वातावरण बना रही है। हमने जो वातावरण पैदा किया है यह उत्तर प्रदेश के विकास की गति को औद्योगिकीकरण की गति को ठीक करने के लिए ऐसा प्रयास होगा जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा।

(श्री चन्द्र नाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय काय मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, कटौती प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य एक ही सदस्य हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अभी तक प्रस्ताव एक-दो तीन के आ गये हैं, अभी कटौती माननीय चन्द्र नाथ सिंह जी रख रहे हैं और दो के पश्चात् जितनी कटौतियां है वह माननीय लोकपति त्रिपाठी जी रखेंगे।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उद्योग विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। इस प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगें यह लोकप्रिय सरकार का प्रयास होना चाहिए। इस बजट को आज माननीय मुख्य मंत्री जी पेश करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन बहुत अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी यहां स्वयं नहीं हैं। बहरहाल माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, सहकारिता मंत्री ने यह नहीं बताया गया कि उत्तर प्रदेश में खाने और खनिज उद्योग के बारे में सरकार की क्या नीति है ? प्रदेश में बहुत सी प्राकृतिक संपदा यहां की भूमि पर उपलब्ध हैं उसको निकालकर उपयोग में लाने के लिए और इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए इस सरकार की कोई भी योजना नहीं है। उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं पिछड़े क्षेत्र के लगाये जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आर्थिक उन्नाति हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार लगाती है।

मान्यवर, उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि लाभ प्राप्त कर सकें, व्यवसायिक उद्देश्य नहीं होता। मान्यवर, हमारी यह सरकार कल्याण सिंह की सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, खनिज विभाग के जितने उद्योग है सबके सब इस सरकार ने बेच दिया था बन्द कर दिया जिससे आज बीसों हजार श्रमिक सड़क पर आ गये हैं।

मान्यवर, यह सरकार श्रमिकों का विकास नहीं चाहती हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। यह केवल अपना विकास कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश को एक नया उद्योग दिया है, इतनी बड़ी संख्या में मंत्री पैदा कर दिये हैं, केवल माननीय मंत्रियों का उद्योग दिया है और उस फैक्ट्री से 96-98 मंत्री निकाले गये हैं। इसके साथ ही जो घाटे में उद्योग चल रहे थे उसमें कम से 80-90 चेयरमैन स्थापित कर दिये हैं जिससे प्रदेश पर भार बढ़ रहा है। आज माननीय मंत्री जी ने कोई भी घोषणा नहीं की है कि यह सरकार कोई नई फैक्ट्री लगाने जा रही है जिससे प्रदेश का विकास होगा और बेरोजगार को रोजगार मिल जायेगा। बल्कि जितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उन सबको एक साथ बन्द कर दिया और लोगों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने जरूर एक बात कही है कि प्रोत्साहन दिया जायेगा जो यहां पर उद्योग लगाने के लिए आयेगा तो कौन यहां पर उद्योग लगाने के लिए आयेगा खनिज विभाग या किसी विभाग में जब प्रदेश का वातावरण भयमुक्त हो गया है। जो उद्योग चल रहे हैं उनसे 10-20 लाख रुपये वसूले जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे नेता जी मा० श्री मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और वहीं पर एक माफिया चुनाव लड़ रहा था तो जो वहां पर उद्योग पतियों के द्वारा 10-10-, 20-20 लाख रुपया वसूले गये हैं। तो इस भाजपा की सरकार के चलते यहां पर कोई भी उद्योग लगाने के लिए नहीं आयेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम एक विभाग बनाया गया है जिसमें सबसे पहली फैक्ट्री लम्बीधार खनन परियोजना, देहरादून है। यह परियोजना 4.5 लाख टन प्रतिवर्ष लाइमस्टोन के उत्पादन हेतु 16.05 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गयी थी। यह 1988 में चालू हुई थी और 26 जनवरी, 1996 को बन्द हो गयी है। इस इकाई की परिसम्पत्तियों को विक्रय किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है और इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशन करने की कार्यवाही प्रगति पर है। मान्यवर, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि जो लोग काम कर रहे थे उन श्रमिकों को कहां रखा जायेगा, इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इसी तरह से मान्यवर, भलुवा लाइमस्टोन एवं बारी डोलोमाइट खनन परियोजना, चोपन है। यह भी बन्द कर दी गयी है। इस फैक्ट्री को न चलाने का कारण बताया जा रहा है कि वर्तमान में वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विवाद उत्पन्न कर दिये जाने के कारण उक्त इकाई का कार्य अवरुद्ध हो गया है तथा उत्पादन ठप्प हो गया है तो अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया था तो सरकार को चाहिये था कि विवाद सुलझाती। इसके बाद है रांक फास्फेट खनन परियोजना, ललितपुर। उसको भी बन्द कर दिया गया और रांक फास्फेट खनन परियोजना, ललितपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा वन अधिनियम, 1980 का बहाना लेकर खनन का कार्य बन्द करा दिया गया और इससे खनन का उत्पादन ठप्प हो गया, इस तरह से सरकार का करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है, इसके लिये विचार करने की फुर्सत किसी को नहीं है।

मान्यवर, मोठ ग्रेनाइट, जनपद झांसी को भी बन्द कर दिया गया, इसके लिये कहा गया कि उत्पादन लागत प्रति टन अधिक होने के कारण इकाई अधिक लाभप्रद नहीं रह गयी, अन्ततः बन्द करने का निर्णय लेना पड़ा । इकाई के अधिकार उपकरणों को अन्य इकाइयों पर पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा शेष उपकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, साथ ही मोठ में प्रस्तावित वृहद योजना को न बनाने का निर्णय ले लिया गया है, मान्यवर, जो फैक्टरियां सार्वजनिक क्षेत्र की होती है, सरकारी क्षेत्र की होती है, उनको लाभ के लिये नहीं चलाया जाता, झांसी अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है, वहां काफी खनिज पदार्थ हैं, इस प्रकार ऐसी फैक्टरियों को चलाने की इस सरकार की सोंच नहीं है, तमाम श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया गया है । मान्यवर, पिछली सरकार ने चाहा था कि मोंठ क्षेत्र का विकास हो, लेकिन यह सरकार किसी भी तरह से इसको चलाने के लिये तैयार नहीं है ।

खनिज विधिकरण इकाइयों के अन्तर्गत उ० प्र० कार्बाइड एवं कैमिकल्स, देहरादून को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत अनुदान बन्द कर दिये जाने के कारण परियोजना अलाभकारी हो गई जिसे बी० एफ० आई० आर० के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद उसे भी बन्द कर दिया गया। अब मान्यवर, यदि कल्याण सिंह सरकार के पास इन फैक्टरियों को कैसे चलाया जाये, यह सोचने की फुर्सत नहीं है तो हम लोगों से बात कर लेते ।

इसी कड़ी में विन्ध्यांचल एग्रेसिव लिमिटेड, मानिकपुर, बांदा को भी बन्द कर दिया गया । इस क्षेत्र में बहुत खनिज पदार्थ हैं । इसके बारे में भी कहा गया कि 75.00 लाख का नुकसान हो [illegible] कम्पनी की मशीनरी की दशा जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण कम्पनी को बन्द कर दिया गया । इसके बाद यू० पी० मिनरल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो जनपद मेरठ में लगाई गई थी, उसको भी कल्याण सिंह सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया, कहा गया कि फायदा नहीं हो रहा था, अब कहा जा रहा है कि इसको फिर से चालू करेंगे, कैसे चालू करेंगे ? माउन्ट विक्टोरिया ग्रेनाइट लिमिटेड, ललितपुर, यह फैक्टरी भी सही प्रकार से नहीं चल रही है । कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास परियोजना, जनपद साहू जी महाराज नगर में है । मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि जापान से उद्यमियों को आकर्षित किया जा रहा है, वह यहां उद्योग लगायेंगे, लेकिन मान्यवर, वास्तविकता यह है कि इस फैक्टरी के लिये कई फैक्टरी मालिकों से बात की गई, लेकिन कोई लगाने को तैयार नहीं हुआ, सरकार का पैसा भी लेकर चले गये और कोई लगाने को तैयार भी नहीं हुआ ।

(इस समय 3 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास परियोजना, बरगढ़, जनपद शाहू महाराज नगर में स्थापित की जा रही है । परियोजना के अन्तर्गत 250 लाख वर्ग मीटर, दो मिलीमीटर आधार, शीट ग्लास उत्पादित किया जायेगा । परियोजना की लागत 442.16 करोड़ रुपये है, इस परियोजना के प्रारम्भिक सह प्रवर्तक कान्टीनेन्टल कान्सट्रक्शन क० से प्रबन्धन के कार्य को निगम द्वारा अक्टूबर, 1992 में ले लिया गया था तदोपरान्त श्रीमन्त जो आरी एग्रो लि० एवं श्रीमन्त एच० एस० जी० एल० द्वारा इस परियोजना में सहभागीदार बनने में अपनी रुचि दिखायी गयी । शासन एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन दोनों कम्पनियों को अनुमोदन प्रदान किये जाने के बाद भी कतिपय कारणोवश वह परियोजना में सम्मिलित नहीं हो सके तत्पश्चात् श्रीमन्त यू० आई० आई० एल० के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किया गया, परन्तु इस पार्टी द्वारा भी धन निवेश [illegible] गया । वर्तमान में एन: हरियाणा शीट ग्लास द्वारा परियोजना में सह

प्रवर्तक के रूप में आने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । परन्तु मुम्बई पोट ट्रस्ट द्वारा उपकरणों की नीलामी कर दिये जाने के कारण परियोजना के पुर्नवासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

सी० एफ० जी० तथा गल्फ मेरीन डेवलपमेन्ट सर्विसेज के द्वारा नीलामी के विरुद्ध उच्च न्यायालय, मुम्बई में एक एस० एल० पी० दायर की गयी है । अग्रिम कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त ही की जायेगी । इस तरह से यह फैक्ट्री इसी तरह से पड़ी हुई है, सरकार का इसमें पैसा लगाहै । सरकार ने लिखा है कि उच्च न्यायालय के बीच में यह मामला आ गया है । उच्च न्यायालय से ये कैसे मामला सुलझे और फैक्ट्री चले उस पर सरकार को विचार करना चाहिए । मान्यवर, सिलिक सैण्ड खनन एवं उच्चीकृत परियोजना, जनपद इलाहाबाद के लालापुर कोल्हाई क्षेत्र में फ्लोट ग्लास संयंत्र एवं देश के अन्य कांच संयत्रों को उच्च एवं स्थिर श्रेणी के सिलिका सैण्ड की आपूर्ति हेतु स्थापित की जा रही है इस परियोजना के अन्तर्गत 3,50,000 टन सिलिका सैण्ड उत्खनिज कर 3,00,000 टन अभिशोधित शिलिका सैण्ड उत्पादित किया जायेगा । परियोजना की पुनरीक्षित लागत अब 26.00 करोड़ रुपये अनुमानित है परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा प्लान्ट कमीशनिंग हेतु तैयार है एच० एम० सी० द्वारा परियोजना में भाग न लिए जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा इस संयंत्र को सर्वप्रथम बिक्री करने और बिक्री न होने पर इसे संयुक्त क्षेत्र में चलाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है ।

मान्यवर, जनपद ललितपुर में नियम द्वारा 65.00 करोड़ रुपये की लागत पर रांक फास्फेट खनन एवं अभिशोधन संयंत्र संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इस बीच जिला प्रशासन द्वारा ललितपुर खदान बन्द कर दिये जाने तथा सहप्रवर्तक द्वारा धन निवेश न किये जाने के कारण परियोजना अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है ।

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में अस्कोट परियोजना है । यहां पर उपलब्ध खनिज के अन्वेषण एवं विकास का कार्य किये जाने के उद्देश्य से श्रीमन्त पेबिल क्रीक पांवर क० के साथ दिनांक 10 मार्च, 1997 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । यदि अन्वेषण के उपरान्त खनिजों की व्यवसायिक उपलब्धता प्राप्त हुई तो एक सहायक क० के माध्यम से खनिज विकास का कार्य किया जा सकेगा ।

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त निगम ने विभिन्न जनपदों में बालू, रेता एवं गोल्डर आदि की आपूर्ति शासन के विभिन्न विभागों एवं निजी पार्टियों को की है परन्तु वर्तमान में उपखनिज नीतियों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में यह कार्य निजी पार्टियों को दे दिया गया है । वर्तमान में उपखनिज का कोई भी कार्य निगम के पास नहीं है । निगम का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिससे यह सार्थक भूमिका निभा सके । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निगम के पास फिलहाल कार्य का अभाव हो गया है । जब तक शासन द्वारा उपखनिज का कार्य निगम को प्राथमिकता के आधार पर नहीं दिया जाता है, तब तक निगम द्वारा कार्य किया जाना संभव नहीं है ।

मान्यवर, सीमेन्ट फैक्ट्री है, उसकी हालत खराब है । आज 160 रुपये की सीमेन्ट की बोरी है । प्रतापगढ़ का आटो ट्रैक्टर्स कारखाना अवनति की कगार पर है । वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है । मजदूर इस सरकार को कोस रहे हैं । लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है । यह

सरकार गरीबों की विरोधी है। इसलिए मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस बजट की धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाये।

मान्यवर, इस संबंध में इस सदन की एक कमेटी बना दी जाएं और जो मसवरा दे कि कैसे फैक्टरी को चलाया जा सकता है, यह बजट किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के कल्याण का नहीं है, अहितकारी है, इसलिये इसको यहां प्रस्तुत नहीं किया जाय। इसलिये मैंने कटौती की बात कही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कटौती प्रस्तुत करने के लिये कहा है तो यह कटौती कैसी किसके लिये पेश करू, क्योंकि इसमें आपने लिया है कि मुख्य मंत्री अनुदान पेश करेंगे। वह यहां पर है ही नहीं, यह बात सही है कि एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या उसके आधार पर कोई सम्मानित मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश इस सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर दे सकता है। तो मैं कटौती किस चीज की प्रस्तुत करूं, क्योंकि कोई बजट है ही नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय त्रिपाठी जी, आप पहले नत्थी "च" "छ" में अनुदान संख्या–7 व 8 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाएं। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उद्योगों की कोई नीति नहीं आयी हमारे मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी का एक भाषण दे दिया। क्या नीति है, उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विस्तार कैसे होगा, उद्यमियों की उत्तर प्रदेश में आने के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या बिजली दी जा रही है, क्या सैलटैक्स में छूट दी जा रही है और फिरौती टैक्स कहां से आयेगा, इन बातों का जिक्र आपने नहीं किया है। गाजियाबाद, नोएडा जिसको आपने उत्तर प्रदेश की नाक बनाया है उद्योगों की। वहां एक और टैक्स लगता है फिरौती टैक्स। अब श्रीमन् यह टैक्स लखनऊ में आ गया है इसकी कोई चर्चा पुस्तिका में नहीं है जो उद्योग विभाग ने दिया है। फिरौती टैक्स कहां से आयेगा और इसमें सरकार कितना अनुदान देगी उसका भी कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, उद्योग बन्द हो रहे हैं। सीमेन्ट उद्योग इस उत्तर प्रदेश का प्राथमिक वृहद उद्योग था, जिसकी स्थापना 1951–52 में हुई थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस फैक्ट्री की संरचना की थी रिहन्द बांध बनाने के लिए। इस सीमेन्ट फैक्ट्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगे इसको

चर्चा इस पुस्तिका में नहीं की गई । मैंने माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा सीमेन्ट उद्योग के बारे में। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं जिस दिन चुर्क और डाला के मजदूरों पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसको पुनः चालू करने का प्रश्न नहीं उठता । मुझे खेद है अपनी सरकार के अधिकारियों पर जिन्होंने इस प्रकार का हमारे संसदीय कार्यमंत्री को सुझाव दिया ।

मान्यवर, शासन को किसी फैक्ट्री को चलाने का अधिकार है । 1993 में सरकार इसको चलाना चाहती थी, मैंने तत्कालीन राज्यपाल महोदय से बात की थी । वर्तमान मुख्य मंत्री को सारा हवाला लिखकर भेज था कि कैसे फैक्ट्री को चलाया जा सकता है लेकिन आज तक मुख्य मंत्री जी ने उस पत्र का उत्तर नहीं दिया । आप कहते हैं कि हमको इतने अरब रुपये दे दो उद्योगों के विस्तार के लिए । आप बतायें कि कौन-कौन से उद्योग आप ला रहे हैं कहां-कहां उद्योग लगाने जा रहे हैं ? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि दिल्ली से उद्योगों को हटाया जाय, प्रदूषण दूर करने के लिए । वह उद्योग उत्तर प्रदेश नहीं आये वह उद्योग राजस्थान और हरियाणा चले गये । अगर वह उद्योग उत्तर प्रदेश में आते तो दिल्ली के नजदीक आते और उत्तर प्रदेश में आने पर उन्हें फिरौती टैक्स देना पड़ता इसलिए वह नहीं आये । आज आप उद्योगों को बिजली नहीं दे सकते हैं । आप कहते हैं कि उद्योग आयें तो अनवरत 24 घंटे बिजली देंगे और उसके बाद कहते हैं कि अपने पावर प्लांट लगा लें । जब वह अपने पावर प्लांट लगाते हैं तो आप उस पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं, यह आपकी घोषणा है, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग हों । हमसे पिछड़े प्रदेश उड़ीसा माना जाता है । विगत दो वर्षों में उड़ीसा में 5 हजार करोड़ रुपये की उद्योगों की शुरूआत हुई है । आपके यहां कुछ नहीं हुआ ? 3500 के लाइसेंस जारी करवाये गये, 1300 के लगने की उम्मीद हो 600 लगे । यह इनकी नीति है । इसका विस्तार हमारे मुख्य मंत्री जी, जो उद्योग विभाग के मंत्री भी हैं को करना था । हमारे मित्र जिन्होंने उद्योग विभाग का बजट रखा है, वह इसमें कुछ नहीं कर सकते वह तो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं इसमें वह क्या कर पायेंगे ? श्रीमन्, एक और आन्दोलन फिरौती के अलावा चल रहा है वह है स्वदेशी का । हम जिस जगह के रहने वाले हैं वहां करघा उद्योग है और हमारे बगल के भदोही जनपद में भी करघा उद्योग है । आज से 18 वर्ष पहले वहां का 60 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट था, आज 800 करोड़ रुपये के लगभग है । वह देश जो भारत के अलावा कालीन बनाते हैं वह केवल उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्मित कालीन को न पनपने देने के लिए षड़यंत्र रच रहे हैं । 1972-73, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1977-78 में जहां-जहां कालीन के ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किये गये थे वहां-वहां पर प्राथमिक विद्यालय भी खोले गये थे, बुनकरों को करवा दिया गया था । आज उनमें जो काम कर रहे हैं, तो षडयंत्र रच करके यह कहा जाता है कि वह बाल-श्रमिक है ।

मान्यवर, उनके द्वारा कमाया हुआ रुपया इस देश और प्रदेश में आता है, उनसे कहा जाता है कि कालीन न बुने । कुछ लोग जो इस कालीन उद्योग के खिलाफ हैं, जो बनारस की बुनी हुई साड़ियों के खिलाफ हैं, वह उन मुल्कों के एजेण्ट हैं । हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्वदेशी आन्दोलन करेंगे । आज कौन सी चीज विदेशी है ? यह जो माईक जिस पर बोल रहे हैं, यह भी स्वदेशी है, जिस मोटर पर आप चल रहे वह भी स्वदेशी है, जिस एअरकण्डीशन में हम लोग बैठे हुए हैं वह भी स्वदेशी है । क्या हमारा खून विदेशी है ? इसको स्वदेशी बनाना है । श्रीमन, इधर तो मुझे नहीं मालूम लेकिन एक बार एक प्रश्न इसी सदन में आया था कि सदन की कार्यवाही पर का क्या खर्च है ? उस तरफ हम बैठे थे और इधर आप 5-7 की संख्या में बैठे हुये थे । यह उत्तर दिया गया कि 10 हजार रुपया प्रति मिनट खर्च होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री भी हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है, इनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है ।

इस बजट पर सम्मानित मंत्री जी 40 मिनट बोले, हमारे मित्र 20 मिनट बोले । 10 मिनट से बोल रहा हूं। सदन की कार्यवाही पर इतना खर्चा होता है उसके बावजूद मुख्य मंत्री जी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है, मैं कुछ प्रश्न मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता था वह तो आए नहीं इसलिये मैं आपके पास भेज दूंगा जिन्हें आप मुख्य मंत्री जी को भेज दें । उत्तर प्रदेश में उद्योग की वास्तविक स्थिति क्या है ? उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण होना है अथवा नहीं । आज बजट से पता नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण की क्या स्थिति है ? उद्योगपति आ रहे हैं कि नहीं अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है ? आपने इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाया गोरखपुर और जौनपुर को राज्यमंत्री उद्योग बैठे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने उद्योग लगे ? कितने उद्योग बन्द हो गये ? हमारे जनपद में पत्थर की खदान होती है, बाढ़ आ गई जिससे बांध टूट गया पत्थर की खदान रुक गई जिसके कारण बंधा नहीं बन सका । इसके लिये बार-बार मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया । आज तक जनपद सोनभद्र से बोल्डर उठाने का काम नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पिकप और यू० पी० एस० ई० बी० के असहयोग के कारण फैक्ट्रियां बन्द हो रही हैं, आज उत्तर भारत में जितनी सीमेन्ट फैक्टरियां हैं सब चल रही हैं, नए-नए उद्योग लग रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का सीमेंट निगम बन्द हो गया इसका क्या यह कारण नहीं है कि इसको सही हाथों में नहीं दिया गया ? क्या यह सही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग निगम के रनिंग डायरेक्टर होते रहे ? यह ठीक है कि वह बुद्धिमान होते हैं, यह ठीक है कि वह हर चीज कर सकते हैं लेकिन उद्योग नहीं चला सकते हैं । जब तक उनके हाथ में उद्योग रहेगा वह बैठ जायेगा । क्योंकि उस काम में उनको रुचि नहीं है । वह वहां रहना नहीं चाहते हैं । जब रहेंगे तो लखनऊ को हेड क्वार्टर बना देंगे । उद्योग में यह नहीं चलता है ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

आज पूंजी निवेश कितना हो रहा है । इसके लिये आपने कौन से कार्यक्रम बनाये हैं । आपने 3500 करोड़ रुपये इसमें रखा है परन्तु आपकी प्राप्तियां 610 करोड़ हैं, शेष क्यों नहीं आ रहा है ? आपने इस बारे में कभी सोचा । आज क्यों लोग उड़ीसा और मध्य प्रदेश की तरफ चले जा रहे हैं ? पीतल नगर मुरादाबाद को बनाया गया था, इसका उद्देश्य यह था कि एक्सपोर्ट किया जायेगा, परन्तु आज इसकी क्या स्थिति है ? इसी प्रकार स्वदेशी आन्दोलन के तहत जो कुटीर उद्योग थे, उसमें मिर्जापुर के उद्योग की क्या हालत है ? वह क्यों बन्द है ? आज बुनकरों को सूत व रेशम नहीं मिल पा रहा है । कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है । गोरखपुर का खाद का कारखाना बन्द है, सीमेन्ट निगम बन्द है, स्पिनिंग मिल बन्द है, उद्योग बन्द हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण देना शुरू करें तो उस समय इन प्रश्नों के उत्तर में वह स्पष्ट करें कि प्रदेश को औद्योगीकरण के किस रास्ते में वह ले जा रहे हैं । धन्यवाद ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो अनुदान संख्या 3, 4, 5 तथा 6 रह गयी हैं, हमको भी एक साथ रख दिया जाय और एक साथ सब पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं भी इसे उचित समझता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

जितने अनुदानों पर कटौती रख दी गई है पहले उन पर आप चर्चा करवा लें, शेष को बाद मे लेना।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी ने हमारे ऊपर एक कमेन्ट किया। श्रीमन्, पहली बार इतनी योग्यता वह समझते हैं कि हर विषय पर मैं अपनी बात कह सकता हूं। मेरे प्रति इस धारणा के लिये मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर, आपने उद्योग विभाग पर अपने विचार रखने के लिये आपने अवसर दिया, इसके लिये आभारी हूं। संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, जब हम मानव के विकास की चर्चा प्रारम्भ करते हैं तो स्टोन ऐज से लेकर आज तक विभिन्न सोपानों और सीड़ियों पर चढ़कर हम वर्तमान तक पहुंचे एग्रीकल्चर का इजाद हुआ, कृषि की खोज हुई और कृषि के बाद श्रम को मल्टीप्लाई करते हुए जब हमारे नये नये औजार बनते चले गये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विश्व में फैली हुई सारी मानवता ने औद्योगीकरण को बढ़ाया। आप सब जानते हैं कि इतिहास में एक समय आया जब दुनिया में औद्योगिक क्रान्ति हुई और उस क्रान्ति के फलस्वरूप इस देश का ही नहीं तमाम दुनिया का नक्शा बदला। सामाजिक विचारधारा बदली, राजनैतिक अवधारणा बदली। एक नये युग में मान्यवर हम लोगों ने प्रवेश किया। आज उस औद्योगीकरण के इतने लम्बे समय बाद और स्वतंत्रता के 50 वर्ष व्यतीत होने के बाद बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस औद्योगीकरण में उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान था वह वहां से खिसकते हुए पीछे आ गया। मैं अभी माननीय मंत्री जी को सुन रहा था वे कह रहे थे कि ऐसे बहुत से प्रान्त इस देश में हैं हम औद्योगीकरण में जिनके साथ हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम ले रहे थे कि वह हमसे आगे हैं।

मान्यवर, यह तो उसी तरह हो गया कि अगर एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह असफल लोगों की खोज किया करता है और गौरव के साथ कहता है कि इतने लोग और असफल हैं और उन सबमें मेरे नम्बर सबसे ज्यादा हैं। वह कभी उन लोगों की बात नहीं करता है जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं। आज आप अपने को बता रहे हैं कि हमारा प्रदेश इस स्थान पर है और इनसे आगे है। परन्तु आपने यह संकल्प नहीं लिया कि जो प्रदेश हमसे आगे हैं हम उनसे आगे होकर दिखावें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में आगे था। आजादी के बाद औद्योगीकरण में विशिष्ट स्थान था। क्या कारण है कि आज आजादी के पचास साल बाद हम सन्तोष कर लें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक हमसे आगे हैं। हम क्लेम करते हैं कि यह सबसे बड़ा प्रान्त है इसकी आबादी 16 करोड़ है हमको सर्वाधिक मदद केन्द्र से मिलनी चाहिये।हम मांगने के लिये तो सबसे ज्यादा की बात करते हैं। औद्योगीकरण की बात थी आप सीना ठोंक कर कहते कि हम आम राय बनाकर ऐसी नीतियां बनायेंगे कि निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश में औद्योगीकरण के नाम पर सबसे शीर्ष स्थान पर होगा। आप यह संकल्प लेते तो मैं भी आपको साधुवाद देने का काम करता। मान्यवर, जितनी बात अभी माननीय मंत्री जी ने औद्योगीकरण के बारे में कही मैं बताना चाहता हूं एक कहावत है ऊपर से मीठा अन्दर से कड़वा शुगर की हेड मिल बहुत दूर की बात कर रहे थे। मान्यवर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर चर्चा हुई उसके मालिक मजदूर का हक मारा गया। डी० एम० ने फैसला किया फैक्ट्री चली नहीं है। जो कताई मिल थीं वह बन्द पड़ी हैं उसमें चर्चा हुई सरकारी उद्यम है सरकार के पास कोई जबाव नहीं था। सरकार ने कोई नीति स्पष्ट नहीं की इस तरह कैसे चलेगा। मान्यवर, इन्होंने उल्लेख किया कि संगठनात्मक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा तो यह इसमें क्या करेगा। हम उन मिलों को चला नहीं सकते हैं उत्पादन से देश को समृद्ध नहीं कर सकते हैं तो खाली बजट भाषण देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, परसों संसदीय कार्यमंत्री डाला सीमेन्ट फैक्ट्री और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बोल रहे थे। उनको दस महीने से वेतन नहीं मिला ठीक दस महीने से ही भाजपा की सरकार है हम पूछना चाहते हैं आपने क्या किया, नोएडा का विकास किसने किया, गीडा का विकास किसने किया भारतीय जनता पार्टी ने ? कौन सी नयी योजना भारतीय जनता पार्टी के पास है ? श्रीमन् कानून व्यवस्था के बारे में कहा जाता है आपकी कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छी नहीं है। कई लोगों से नोएडा में फिरौती मांगी गयी, कितने उद्योगपतियों से लखनऊ में फिरौती मांगी गई यहां के लोग होम सेकेट्री को पत्र लिख देते हैं भारत सरकार को पत्र लिख देते हैं। इससे ज्यादा क्या होता है ? यह कहते हैं कि प्रदेश में इण्डस्ट्री लाइजेशन हो रहा है अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यही हालत रही तो जो प्रदेश में इन्डस्ट्री हैं वह भी उठ जाएंगी। आपने उद्योगपतियों के लिये कितनी सड़कें बनाई ताकि उद्योगपतियों को कच्चा माल लाने की सुविधा हो। कोई हवाई अड्डा बनाने का कार्य आपने नहीं किया है कि उद्योगपति दिल्ली से दिन में आकर इण्डस्ट्री देख ले और रात तक वापस चले जाए। मंत्री जी सिंगल विन्डों की बात कर रहे थे विन्डो का मतलब "खिड़की" उद्योगपति बाहर खड़े हैं हम अन्दर बैठे हैं। क्या 425 लोग यह भी नहीं जानते हैं कि सिंगल विन्डों क्या होता है ?

मान्यवर, यह कहा गया कि जिला योजना में विद्युत फीडर लगाये बिजली मिलेगी, तो बिजली कितने घंटे मिलेगी जितने घंटे मिली जे० इ० इन्सपेक्टर पैसा वसूल करेगा। मान्यवर, यू० पी० एस० आई० पी० सी० राज्य औद्योगिक विकास निगम के कितने प्लान ऐसे हैं जहां इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई है। 1995-96-97-98 आंकड़े देखें कितने प्लाट खाली पड़े हैं। इसके बारे में शायद जानकारी माननीय मंत्री जी अपने भाषण में दें मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जांच करा लें। आप इस पर ध्यान दें कि कितनी सिक इण्डस्ट्री हो गई हैं कितनी चलने की स्थिति में नहीं हैं इससे प्रदेश की इण्डस्ट्री लाइजेशन की तस्वीर साफ हो जायेगी। जो भूखण्ड हैं उन पर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इण्डस्ट्री लगाने का काम नहीं हो रहा है। आप नोएडा की बात करते हैं कहते हैं बहुत सहूलियत दी। निजीकरण की चर्चा करना चाहते हैं तो निजीकरण के नाम पर एक बात कहना चाहूंगा सरकार का जो 40 करोड़ बकाया है उसका कुछ नहीं हुआ एक पूंजीपति के ऊपर न उसने विद्युत वितरण का काम किया और न कैपिटव फार प्लांट लगाया श्रमिक कानून की चर्चा कर रहे थे कि हम पूंजीपतियों से बात करके श्रमिक कानून बनायेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो श्रमिक कानून है वह पर्याप्त नहीं है उन्हें संरक्षण देने के लिये, इस पर यहां पर रोजाना बहस होती है। अगर इस सरकार ने कोई प्रयास किया। पूंजीपतियों के कहने पर औद्योगिक मजदूरों का हक छीनने की कोशिश की तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रमिक अशान्ति हो जायेगी और स्थिति बदतर हो जायेगी। अभी पिछले वर्ष जुलाई में चर्चा हुई थी बबराला और गीडा पर। वहां किसलिये अशान्ति हुई थी ? इसलिये हुई कि वह लोग चाहते थे कि जो प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति हैं जो योग्यताओं को पूरा करते हैं उन स्थानीय लोगों को फैक्टरी में नौकरी दें और फैक्टरी मालिक इसके लिये तैयार नहीं थे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गीडा और बबराला की घटना को अगर आप टालना चाहते हैं तो ऐसा कानून बनायें कि जो फैक्टरी लगे अगर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित योग्य लेबर उपलब्ध हैं तो पहले उसको काम मिले बाद में बाहर के लोगों को काम मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जो सारे औद्योगीकरण की स्थिति है यह हमारे प्रदेश के सीधा-सीधा ताल्लुक रखती है। आखिर आप सेन्टर से कितने उद्योग ला पाये। एक जमाना था कि बी० एच० ई० एल० और आई०

सी० पी० एल० लगे । लेकिन आज कितने बड़े उद्योग केन्द्र सरकार से आप ले पा रहे हैं । आपने यह कहा कि फारेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है यह बता दें कि कितने आ गये ? आशय-पत्र तो बहुत साइन हुए होंगे लेकिन कितने लोगों ने काम किया । मान्यवर, आजादी के पचास वर्ष में उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ वह नौजवान सम्मिलित है जिन्होंने आजादी के बाद कल्पना की थी कि दो बाजुओं का काम मिलेगा और वे तमाम शक्ति से जो हिमालय को पलटने की शक्ति रखते हैं वह बेताब हैं, बेकरार हैं कहीं तो काम मिले लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थिति बहुत भयावह हो गयी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सी० पी० एन० सिंह जी और श्री लोकपति त्रिपाठी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री बी० आर० वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट –

मान्यवर, श्री राम नक्षत्र जी तीन दिन से हड़ताल पर थे इनकी तबियत खराब हो रही है पहले इन्हें बोलने का अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बुद्धिजीवियों की खोपड़ी के बल पर उन अधिकारियों द्वारा लिखित भाषण को पढ़ते हुए अपना बजट यहां पेश किया । मान्यवर, हम यहां न किताब से बोलने आये हैं बल्कि आपकी विधान सभा की छाती पर 4 दिन तक डाला और चुर्क सीमेन्ट के कर्मचारियों की जो व्यथा रही वह सुनाने आये हैं । चिल-चिलाती धूप में बिना खाये पिये बीमार हो करके विधान सभा के मुख्य रास्ते को जाम किये हुए थे । लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया । हमने 10 तारीख की रात्रि में जब उनका वहां हाल देखा उन लोगों की कहानी बता रहा हूं जलती हुई सड़क पर बिना चादर के देख कर मैं भी अपना धैर्य नहीं रोक सका । आप डाला-चुर्क के कर्मचारियों की समस्याओं की अनुभूति करें वह 10 महीने से तनख्वाह नहीं पायें उनके पास रोजी-रोटी नहीं थी सिर्फ डाला और चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री की नौकरी थी । अगर मान्यवर, हम लोगों को 3 महीने का वेतन न मिले माननीय मंत्रियों की बात छोड़ दीजिये, जो सदस्य खरीद-फरोख्त में विश्वास रखते हैं उनकी बात छोड़ दीजिये, बाकी चाय पीने के लिये मोहताज हो जायेंगे । वह मजदूर विधान सभा की छाती पर मर रहे थे हमने मुख्य मंत्री जी को राज्यपाल महोदय को फैक्स किया कि वह लोग धीरे-धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं आपका प्रशासन सारा मीडिया आपको नहीं बता सका और 12 तारीख को 2 लोग मौत के मुंह में चले गये ।

मान्यवर, अगर हम न गये होते तो दो ही नहीं कम से कम 25 लोग मर गये होते वे हड़ताल पर क्यों थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री बन्द है बन्द होने के कारण घाटा बताया जा रहा है लेकिन हम तो कह देंगे कि यह घोटाला कारण है । वह मांग कर रहे थे कि जांच करवा लीजिये । दो लाख का सामान 10 लाख में दिखाया गया है वह भी डुप्लीकेट सामान दिखाया गया जो टूट भी गया तो डबल नुकसान फैक्ट्री का हुआ आपने घाटे के आधार पर बिना छानबीन किये फैक्ट्री को निजी क्षेत्रों में बेचने का षडयन्त्र किया । आप घोटालों की सी० आई० डी० जांच करवा लीजिये । मान्यवर, कारखानों को शुरू कीजिये । मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, जितनी भी गन्ना मिलें हैं उनमें भी गन्ना ज्यादा और अच्छे से अच्छा गन्ना देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, जो कारखाने घाटे में आये उनकी आप जांच कराइये और जांच कराकर उन दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय तथा बन्द होते कारखानों को चलाया जाय । मान्यवर, इसके लिये इनके बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री अपनी आंखों से उनके दर्द को देख कर आये हैं इन्होंने उनके दर्द को नहीं समझा तो हम नहीं कह सकते कि इनका दिल कैसा होगा ।

आज प्रदेश में सीमेन्ट के कारखानें के बन्द करने जा रहे हैं, प्रदेश में एक मात्र सरकारी कारखाना है । इसमें एक ही रात में जब डालमियां को सौंप रहे थे तो 95 की सीमेन्ट की बोरी एक ही दिन में 135 रुपये में हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, अब कुछ नहीं लिया जायेगा ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये, कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री मेजर जगत पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा राज्य है । भूमि, जल, जलवायु, कच्चा माल, मानक संसाधन, अनुशासित श्रमिक, बाजार की उपलब्धता देखते हुए इस प्रदेश में औद्योगिक विकास की असीम सम्भावनायें हैं । मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में वृहद और मध्यम उद्योग जो हैं, उनकी संख्या 2147 है, इसमें 33.973 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और इसके माध्यम से 682949 व्यक्ति कार्यरत हैं । इसी प्रकार लघु उद्योग के अन्तर्गत 3 लाख 42 हजार इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें 3 लाख 23 हजार 143 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है और इसके अन्तर्गत 14 लाख 30 हजार हाथों को काम दिया गया है ।

मान्यवर, इस बजट के माध्यम से सरकार ने वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं । उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तर पर अवस्थापना कोष स्थापित किया गया है । इसी प्रकार राज्य पूंजी कोष की स्थापना की गयी है । उद्योगों को आकृष्ट करने के लिये इन्सेन्टिव योजना शुरू की जा रही है । वैसे हमारे प्रदेश में पहले से औद्योगिक विकास हेतु पूंजी उपलब्ध कराने के लिये पिकअप उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में एकल खिड़की व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्था स्थापित की गयी है ।

नोट –[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लघु उद्योगों के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है, इसके लिये राज्य व्यापार विकास संगठन की स्थापना की गयी है । हस्तशिल्प तथा अन्य शिल्प उद्योगों के विकास व प्रोत्साहन का काम किया जा रहा है । वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं । खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने ग्रामीणों में पिछड़ापन दूर किया है और उनको रोजगार उपलब्ध कराये हैं जिससे ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन बंद हो । इसी प्रकार रेशम उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स, लेखन सामग्री के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव व अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे मुरादाबाद जनपद में गजरौला को पहले इन्डस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, वहां जे० पी० नगर में हवाई पट्टी का प्रबन्ध किया जा रहा है, हमारा जनपद निर्यात के माध्यम से करोड़ों रुपये की विदेशी पूंजी अर्जित करता है । गजरौला में वेन आग्रेनिक, रोनक मिल तथा एक पेपर मिल चल रहा है । ठाकुरद्वारा के पास पेपर मिल का 86-87 में शिलान्यास किया गया, लेकिन मिल आज तक नहीं बना । इसी प्रकार मुरादाबाद में देहली रोड पर इन्डस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना थी जो जमीन अधिग्रहण न हो पाने के कारण एक्सपोर्ट्स ने हथिया ली है ।

मान्यवर, जनपद ठाकुरद्वारा के पास एक मिल का उद्घाटन 1985 में माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, वह हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ा रहा और अब 13 वर्षों बाद बिड़ला ग्रुप वहां काम प्रारम्भ कर रहा है । इसी प्रकार गजरौला में कुछ उद्योग बीमार चल रहे हैं । इनके जीर्णोद्धार के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिए । मुरादाबाद में पाकबड़ा डागरपुर मार्ग इन्डस्ट्रियल एरिया निर्मित हो रहा है, प्रगति धीमी है, लेकिन अभी वहां कोई उद्योग नहीं है, वहां अवस्थापना की सुविधायें जल्द से जल्द सुलभ कराई जायें, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसकी प्रबल संस्तुति करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो उद्योग मंत्री तो नहीं हैं, लेकिन किसी विवशता के कारण उद्योग विभाग पर अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया है । मैंने उनको सुनकर समझने की कोशिश की है । जो नई औद्योगिक नीति बनायी है वह क्या है । मैं सोचता था कि जो नई औद्योगिक नीति बनी है वह ऐसी होगी जिससे सारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं या निजी क्षेत्र में उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिये क्या नीति बनाई गयी है इसके बारे में मंत्री जी बतायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वह किस हालत में पहुंच गये हैं, इसकी कई मा० सदस्यों ने चर्चा किया है । मैं समझता था कि कोई नयी नीति घोषित होगी जिससे जो उद्योग दम तोड़ रहे थे उनको ताकत मिलेगी और जो श्रमिक और मजदूर उन उद्योगों में लगे हुए हैं वह उन उद्योगों को चलाने में पूरा योगदान दे सकेंगे लेकिन इस बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला इससे घोर निराशा हुई । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योगों की हालत ऐसी क्यों पहुंची है । आज आप सार्वजनिक उद्योगों को नहीं बचा पाये तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि निजी उद्योगों के बारे में कोई नीति नई बनायी है । सिंगिल विन्डो सिस्टम से, सिंगल टेबुल सिस्टम हो गया है यही आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है । क्या इसी तरह से प्रगति कर जायेंगे और बेरोजगारी नहीं रह जायेगी और उत्तर प्रदेश का मुकाबला करने वाला कोई राज्य नहीं होगा ।

(लाल बत्ती होने पर)

यदि आप लाल बत्ती जलायेंगे तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मुझे कुछ और समय दे दीजिए और लाल बत्ती बुझा दीजिए ।

तो मैं बात कर रहा था कि निजी क्षेत्रों में जो आपने नीति घोषित किया है अगर मैं कुछ जान सकता हूं तो क्या उससे प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो जायेगा । आज हमारे प्रदेश का ऋण जमा अनुपात जो है वह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है कोई बड़ी औद्योगिक यूनिट नहीं आ रही है । हमारे प्रदेश का जमा पैसा दूसरे प्रदेशों में खर्च हो रहा है इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस नयी औद्योगिक नीति के तहत जब तक उत्तर प्रदेश में जैसा कि लोकपति त्रिपाठी जी ने जिक्र किया है कि दिल्ली में उद्योग प्रदूषण के कारण बंद किये गये हैं इनमें से उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं है । परन्तु उ० प्र० की सीमा पर वह नहीं आ रहे हैं । तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिये क्या होगी ? उसका कारण यह है कि कोई 200, 400 करोड़, 5000, 10000 करोड़ रुपया लगाएं और उत्तर प्रदेश में आकर उसकी जान माल भी सुरक्षित न रहे तो वह क्यों आयेगा ? वह उद्यमी दूसरी जगह जाएगा , जहां उसे सुरक्षा मिलेगी, तो इसके लिये पहले जरूरी है, पहले कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें । केवल कहने मात्र से यह नहीं होगा । हमें संकल्प करना होगा चाहें किसी की सरकार हो या हमारी सरकार हो, यह प्रदेश की चिन्ता का विषय है इस पर सबको चिन्तन करना पड़ेगा । सचमुच में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा जिससे उद्यमी निर्भीक होकर खुले मन से यहां पूंजी लगा सकें और उसे विश्वास हो कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहेगी । उसका परिवार सुरक्षित रहेगा । उसका मैनेजमेन्ट सुरक्षित रहेगा । इस तरह का वातावरण जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई उद्यमी यहां उद्योग लगाने वाला नहीं है ।

दूसरा उनको इन्फ्रास्टेक्चर की, अवस्थापना की सुविधाएं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वह देनी होंगी, उसमें सबसे प्रमुख विद्युत सुविधा है, तो कौन से यूनिट विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिये लगा रहे हैं जिससे उद्यमी आश्वस्त हो सके कि हमें 24 घन्टा बिजली मिलेगी । आज माइक्रोहाड्रिल की उत्तर प्रदेश में अपार सम्भावना है । अगर माइक्रोहाड्रिल की पूरी व्यवस्था सरकार कर ले तो उत्तर प्रदेश में इतना विद्युत उत्पादन होगा कि हम अपने प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद दूसरे प्रदेशों को देने की स्थिति में होंगे । हमारी इतनी क्षमता हो जायेगी कि हम दूसरे प्रदेशों को विद्युत देंगे । केवल उत्तराखण्ड अंचल में ही इतनी विद्युत पैदा हो सकती है कि जहां माइक्रोहाड्रिल की अपार सम्भावना है । इस पर हमें चिंतन करना होगा । इसमें कोई पक्ष व विपक्ष की बात नहीं है । पूरे प्रदेश और सदन को इस पर सोचना होगा कि इसके लिये कैसे हम प्रयास करें ? आज ट्रांसपोर्टेशन की दूसरी आवश्यकता है और "रा" मैटेरियल की उपलब्धता तीसरी आवश्यकता है । खान और खनन के लिये उत्तर प्रदेश की ज्योलोजीकल सर्वे की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश भू-गर्भ शास्त्रियों सें जानकारी करायी जाएं कहां पर किस प्रकार के खनिज कितनी मात्रा में उपलब्ध है । इस बात की इसमें घोषणा होती तो हम इसका स्वागत करते आज ज्योलोजी के क्षेत्र में हमें जानकारी करनी होगी । पूरे उत्तर प्रदेश का हमें ज्योलोजीकल सर्वे कराकर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है । आज एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, जरा संक्षेप करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आजकल डेवलप कन्ट्रीज जिन्होंने इन्डस्ट्रियल रिसोरसेज का दोहन कर लिया है और जो पोलूसन पैदा कर चुके हैं वह डेवलप कन्ट्रीज को दोहन न करने के बारे में बतलाते हैं और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगायी जाती है । इससे सचेत होना पड़ेगा और बैलेन्स बनाके हमें काम करना पड़ेगा ।

पर्यावरण और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये । जब मुझे पर्यावरण मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था । उस समय मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की ब्रदर हुड की एक्टीविटी होगी । मैंने कहा था जो इन्डस्ट्रीज लगी हैं उनके ऊपर दबाव न डालकर ऐसी व्यवस्था की जाय कि वह अपना काम करती रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे । मैंने व्यवस्था की थी कि उद्योगों से बैंक गारन्टी ले ली जाए । बैंक गारन्टी लेकर उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया जाय ताकि वह पाल्यूशन नार्मस मीट आउट करती रहे । आज जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनमें आप कुछ कर नहीं पाये और जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज थोड़ी बहुत हैं अगर उन पर दबाव पड़ता रहा, हमारी निगाह भी उन पर रहती है चुनाव में चन्दा उन्हीं से लेते हैं तो अगर सारे दबाव उन पर न रहे तो कौन सी इन्डस्ट्री आयेगी? अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो और हम उद्योगों को आमंत्रित करें तो शायद आपके प्रदेश में इन्डस्ट्रीज आ सकती हैं और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की दिशा में प्रगति हो सकती है और आपके प्रदेश वासियों को रोजगार मिल सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह उसको यूं रखते, पहले यह बताते कि कौन-कौन सी इकाइयां बन्द हो गयी हैं और कहां-कहां ताले लग गये हैं और कौन-कौन इकाइयों के मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? अगर इससे शुरुआत करते तो अच्छा होता । कानपुर की स्पानिंग मिल बन्द हुई, त्रिवेणी इंजीनियरिंग बन्द हुई । स्कूटर इण्डिया और सीमेन्ट कारपोरेशन की क्या हालत है आप जानते हैं कि अभी वहां जो मजदूर धरने पर बैठे थे उनमें से एक की भूख से मौत हो गयी थी । यदि इस बात से शुरू करते कि यह सारी चीजें अब तक हो चुकी हैं उनको ठीक करेंगे तो अच्छा होता । उत्तर प्रदेश की जो सोलह करोड़ जनता है उसको आप आश्वासन दें कि इकाइयां अब बन्द नहीं होंगी तो शायद बात बनती । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने नोएडा का जिक्र किया था, पता नहीं कि वहां कौन सी इकाई अलग से लग रही है । मैं कहना चाहता हूं कि नोएडा में जो इकाइयां लगी हैं उसमें आपका योगदान नहीं है । वह इकाइयां 80-84-86 में लगी हैं । पिछले दो तीन सालों में कोई नई फैक्ट्री लगी हो तो आप बता दें ? आपने जो वहां की विद्युत व्यवस्था थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया । जो गोयनका को दे दिया, चला नहीं पाये । उसके बाद वहां से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बन्द कर लीं । नोएडा अब रहने की जगह जरूर बन गयी है वहां इन्डस्ट्री लगाने की आपकी कोई नई योजना जरूर होगी लेकिन लगाने कोई नहीं जा रहा है । जिक्र इसका भी है कि बाहर से मल्टीनेशनल कम्पनियां यहां आयेंगी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने उनसे बात की है । आप ने कोका कोला, पेप्सी कोला यहां बन्द कर दिया, आपके गेस्ट हाउसेस के कैन्टीन्स हैं उनमें आपने बन्द कर दिया । मुझे इससे कोई मुहब्बत नहीं है, इसको पूरी तरह से भारत सरकार बन्द करेगी । आप इण्टरप्रेन्योर कहां से लायेंगे, पूंजी निवेश कहां से लायेंगे, इण्डस्ट्री आपके यहां से कोई लगाने वाला नहीं है । बाहरी मुल्क से कोई बात नहीं चल रही है ।

यह हमारा दावा है कि कोई भी आप के यहां इण्डस्ट्री लगाने वाला नहीं है । माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दें तो आप 2-3 ऐसी कम्पनियों का नाम बता दें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं । चाहे नोयडा या मुरादाबाद के पास का इण्डस्ट्रियल बेल्ट हो वहां कौन से तकनीक ईजाद कर रहे हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अगर आप बिजली के आकड़े देखें तो 1990-91 में 31.9 प्रतिशत, 1991-92 में 28 प्रतिशत, 92-93 में 27.8 प्रतिशत, 1994-95 में 25 प्रतिशत, 96-97 में 22 प्रतिशत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और 1998 में 20 प्रतिशत बिजली की खपत इण्डस्ट्री में है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इण्डस्ट्री में बिजली की डिमाण्ड घटती जा रही है आप कौन ऐसी चीज ला रहे हैं जो बगैर बिजली से चलेगी ? बिजली देने के लिये आप के पास नहीं है, तमाम उद्यमी पारमानेंट डिसकनेक्शन करा कर चले गये हैं । मान्यवर, दिल्ली की 132 इण्डस्ट्रीज जो बन्द हो रही थी वह सब हरियाणा और राजस्थान चली कि कुछ बागपत में आयेंगी क्योंकि यह दिल्ली के नजदीक था । दिल्ली में भी आपकी ही पार्टी की सरकार थी लेकिन वहां के मुख्य मंत्री ने बंशीलाल जी से और भैरोसिंह शेखावत से बात कर उन्हें इन प्रदेशों में भेज दिया लेकिन कल्याण सिंह से बात नहीं की क्योंकि वह जानते थे कि वहां न बिजली न माहौल है ।

मान्यवर, आपको पता होगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से सोनिका को जमीन उपलब्ध करायी गयी थी और यह दिल्ली से मिला हुआ है लेकिन आज तक उस पर अपट्रानिका की हालत वैसी की वैसी है । सड़कें बन गई हैं । एक आध पोल लग गया है । कई इंडस्ट्रीज खेकड़े के अन्दर और लोहनी के अन्दर हैण्डलूम की इकाई लगाई गयी थी वह बन्द पड़ी हैं । उनके शेड़ पड़े हुए हैं । डायमण्ड कटिंग इण्डस्ट्री हल्द्वानी के अन्दर लगायी गयी थी उसके बारे में क्या हुआ ? जबकि इस समय डायमण्ड के बारे में बड़ा एडवरटाइज आ रहा है । हल्द्वानी की डायमण्ड कटिंग इण्डस्ट्री बन्द हो गयी या क्या हुआ उसका इसको मंत्री जी बताने की कृपा करें ? यू० पी० एफ० सी० जो लोन देता है वह प्रार्थना-पत्र ले लेता है उसका पूरा करने में कितना टाइम लेता है, कितना प्रतिशत धन लेता है इस संबंध में मुख्य मंत्री जी दो चार लोगों से अपने कमरे में बातचीत करें तो सारी जानकारी प्रकाश में आ जाएगी । इसमें बड़ा कमीशन चल रहा है । टूरिज्म को इण्डस्ट्री का दर्जा देने की बात कही गयी कुछ मिला भी है । आपने यह नहीं बताया कि हम टूरिज्म के लिये प्रदेश में यह करने जा रहे है । कुछ लोग स्विटजरलैण्ड में हैं जो टूरिज्म उद्योग में पैसा लगाते हैं उनसे बात की होती ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

फिल्म इण्डस्ट्री को नया उद्योग का दर्जा मिला है । एक फिल्म सिटी आपने नोयडा में बनाई थी दूसरी लखनऊ में बनाने जा रहे हैं । नोयडा में केवल दो स्टूडियो रह गये हैं बाकी कुछ नहीं है । जो आपकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनके बारे में जिक्र है आपके यहां चीनी का उद्योग बड़ा उद्योग है, यह किसानों से जुड़ा हुआ उद्योग है । जब अजीत सिंह जी उद्योग मंत्री थे उस समय उन्होंने 11 को लाइसेंस दिये थे जिसमें दो लगे बाकी को आप जमीन उपलब्ध नहीं करा पाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

जब मंत्री जी जवाब देंगे तो यह जो बिजली का कंजप्सन है यह गिरता जा रहा है, उसकी वजह क्या है । इसके लिये यह क्या कर रहे हैं ? नोयडा में कौन सी इण्डस्ट्री आ रही है ?

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कौकब जी ने कहा कि दिल्ली की इण्डस्ट्री यहां नहीं आई तो जो दिल्ली में गन्दगी फैला रही हैं तो क्या उन्हें यू० पी० में गन्दगी फैलाने देंते ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

दूसरा, कारण यह है कि दिल्ली के 50—60 कि०मी० के बाद कहीं पर भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर इण्डस्ट्री लगवायी जा सके। यहां पर लेबर कम मिलती है और राजस्थान में लेबर फालतू है। हम इण्डस्ट्री के बारे में सजग हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो अन्य नेता हैं वह मजदूरों को भड़का देते हैं। यू० पी० के लेबर भैय्या के नाम से जाने जाते हैं और इससे लोग डरते हैं, इसलिये यह सोच कर नहीं आते हैं। विदेशी कम्पनियों के जो कोकाकोला है, जिसकी लागत 10 रुपये प्रति बोतल है, जिसमें एक पैसे का भी नरसिमेंट नहीं है, केवल 2 प्रतिशत अल्कोहल है, जिसको लोग पीते हैं। हमारा पैसा लूटकर विदेशों को ले जा रहे हैं इसलिये हम इसे यहां नहीं चलने देंगे। माननीय सदस्य कम बोलें ताकि समय बरबाद न हो। धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि आज जो अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं, वह तीन भागों में विभाजित हैं और तीन मंत्रीगण को उन पर अपने विचार रखने हैं। अभी पहले पर ही चर्चा हो रही है। अच्छा होता यदि तीनों को एक साथ रख दिया जाता। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसका कोई न कोई समाधान निकालना होगा। क्योंकि जो विचार इस समय आ रहे हैं कमोवेश यही विचार अन्य अनुदान मांगों पर भी आने थे। यदि इस प्रकार एक-एक करके होता रहेगा तो रात के साढ़े ग्यारह बज जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर काफी चर्चा हो गयी है। अगली जो अनुदानें हैं उनको एक साथ रख दिया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सुझाव पहले ही यहां से आ गया था कि तीनों मंत्रिगण एक साथ अपने अनुदान रख दें और उन पर जो कटौती के प्रस्तावक हैं वह अपनी-अपनी बात कह दें फिर माननीय सदस्यगण के विचार आ जायेंगे। चूंकि इस बजट पर इतनी डिवेट हो चुकी है इसलिये इसे जल्दी समाप्त करा कर अगली शेष अनुदान मांगों को एक साथ आप ले लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा भी यही सुझाव है। जो माननीय सदस्य रह जायेंगे वह अपनी बात किसी भी अनुदान के बारे में कह सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

कल भी यह प्रश्न आया था। कल तीनों मंत्रिगण ने अपनी अनुदान मांगें रख दी थी परन्तु कटौती के प्रस्तावक श्री आर० के० चौधरी जी थे और आज सभी मांगों को एक ही मंत्री जी ने रखा है और कटौती के प्रस्तावक अलग-अलग हैं। आप लोगों की बात सही है शेष अनुदानों को एक साथ रख दिया जायेगा। श्री चन्द्रनाथ सिंह और श्री लोकपति त्रिपाठी जी का उत्तर भाषण आ जाये उसके बाद में दूसरे अनुदान रख दिये जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भारी और मध्यम उद्योग की अनुदानें हैं। हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं इसलिये मैं भी बोलना चाहता था इस पर।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, किन्तु संक्षेप में।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय चन्द्रनाथ जी और लोकपति त्रिपाठी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं और आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये उद्योगों का केन्द्र बिन्दु बनाकर कार्य करेंगे। निश्चित तौर से मंत्री तो आप सहकारिता के हैं। मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता। केवल उद्योग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। उधार के मंत्री हैं बड़ी विनम्रता और चतुराई के साथ अच्छे वाक्यों और शब्दों के साथ बजट प्रस्तुत कर दिया। श्रीमन्, किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये क्या आवश्यक है यह तो आप भी जानते हैं। मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, सारी सुविधायें हैं लेकिन किसी भी प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और मैं समझता हूं कि जब तक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी कोई उद्यमी यहां आकर्षित नहीं होगा। जब तक उचित मात्रा में पावर उपलब्ध नहीं होगा, सुरक्षा की भावना उसके मन में नहीं होगी उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई उद्योग नहीं लगायेगा।

प्रदेश के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी दिल्ली जाते हैं तो वहां से लौटते हैं तो प्रदेश की जनता उनसे यह अपेक्षा रखती थी कि यह प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये कोई नीतिगत घोषणा करेंगे, नये उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिये घोषणा करेंगे। लेकिन उनका वक्तव्य आता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है इससे पूरे भारतवर्ष में जो पूंजीपति हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। इससे इस सरकार की नीयत पर एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर के बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं। कई इण्डस्ट्रियां अभी अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही हैं। चाहे वह टेहरी सहारनपुर हो। ग्रोथ सेन्टर को विकसित करने के लिए वक्तव्य नहीं देते हैं वक्तव्य देते हैं मंत्री जी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है इस पर, तो कहीं न कहीं उद्योगपतियों के मन में यह भावना पैदा होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है उसके बाद भी उद्योग लगाने की शुरुआत नहीं हुई। मान्यवर, इन्होंने 100 विकास केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की है जिसमें आठ विकास केन्द्र उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये हैं इन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तिका में किया है सहजनवां, गोरखपुर, मुंगरा, सहतरिया, जौनपुर, बंथरा, शाहजहांपुर, शिवराजपुर, पदमपुर, पौड़ी गढ़वाल, बिचौली बुजुर्ग, झांसी, चौधरपुर, मुरादाबाद, दिवियापुर, इटावा, दशहरा खुर्जा, बुलन्दशहर। एक और दो नम्बर पर जो हैं विकास केन्द्र, उनको विकसित किया जा चुका है। ग्रोथ सेन्टर बन्थरा (शाहजहांपुर) को स्थापित करने की कार्यवाही यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा कर रहे हैं। 6 ग्रोथ सेन्टर के लिये कार्यवाही हो रही है।

मान्यवर, 6 ग्रोथ सेन्टर के लिये 1988 से कार्यवाही हो रही है। ग्रोथ सेन्टर बिचौली बुजुर्ग (झांसी) में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 300 एकड़ भूमि में योजना प्रस्तावित है। मान्यवर, यह सैद्धान्तिक स्वीकृति यह प्राप्त कर रहे हैं निजी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही यह कर रहे हैं। ग्रोथ सेन्टर चौधरपुर, मुरादाबाद के स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है और यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा मुरादाबाद से भूमि चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने इस सदन में 10 साल पहले प्रश्न किया था इस प्रदेश में वर्गीकरण किया है ए० बी० सी० तीन श्रेणी हैं। जनपद में उद्योग लगाने पर छूट होती है बड़े उद्योगपति इसलिये जनपदों में जाते हैं। बस्ती, बलिया, बुलन्दशहर जैसे जनपदों में जाते हैं। लेकिन आज वह नोयडा ग्रेटर में उद्योग लगाना चाहते हैं इससे दिल्ली को लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश को

लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप ध्यान देने की कृपा करें । नेशनल कैपिटल योजना दिल्ली के आस-पास के इलाकों में विकसित करें । इन्डस्ट्रिलाइजेशन की बात की जाती है । पहले ब्लाक स्तर पर पार्यावरण स्कीम के अन्दर छूट दी गई थी उत्तर प्रदेश के अन्दर अब कोई छूट नहीं दी गयी । राज्य उपादान योजना बन्द कर दी गयी है पहले 15 परसेन्ट छूट दी जाती थी । अब राज्य उपादान योजना के अन्दर छूट दी जाती है । डाला, चुर्क, चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों ने अभी धरना दिया लोगों के प्राण निकल गये आपने कहीं से व्यवस्था करके साढ़े चार महीने के भुगतान की व्यवस्था कर दी ताकि वह वापस चले जाएं । फिर दस महीने का वेतन हो जाएगा हाई कोर्ट में कार्यवाही नहीं होगी तो निश्चित रूप से फिर कोई उपाय नहीं होगा । इसी तरह से हमारे यहां 1700 मजदूरों को वेतन नहीं मिला आप कह दें कि अब कोई नये उद्योग न लगायें, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी न दें लेकिन जो रोजगार दिये हैं जो उद्योग हैं उनको तो चलाया तो उनके पी० एफ० और ग्रेच्युटी का पैसा तो दीजिए ताकि वह दुकान आदि कर लें । आप कहते हैं हमने विकास किया आप उन्हीं को जिम्मेदारी दे दें तो कम से कम गीडा का विकास हो जाय । आपने गीडा में कितनी जमीन अधिग्रहीत की क्योंकि जो आपकी योजना थी कि इतनी जमीन अधिग्रहीत करेंगे उतनी नहीं कर पाये ।

आज उन जमीनों का किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा है । जो 50 गांव की जमीन का अधिग्रहण करने का लक्ष्य था उसकी कार्यवाही आपने रोक दी है । इसका मतलब यह हुआ कि आप गीडा का विकास नहीं चाहते हैं । ये पूर्वांचल की तकलीफ थी अगर आप उसका विकास करते तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बाहर जाकर बम्बई, कलकत्ता जाकर मजदूरी न करनी पड़ती । आज आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप यह कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं हैं । आप कहते हैं कि हम इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं । आप औद्योगीकरण कर सकते हैं । जो पब्लिक सेक्टर में नहीं कर सकते तो प्राइवेट सेक्टर का वातावरण तैयार करिये । मैं शुक्रवार को दिल्ली गया था वहां पर मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सरफेस ट्रांसपोर्ट तथा चार अन्य सचिवों से बातचीत हुई । मैंने यह कहा कि बस्ती वालों के लिये इण्डस्ट्रीलाइजेशन करा दीजिये । तो उन्होंने यह कहा कि आज नोयडा और ग्रेटर नोयडा में कोई नहीं जाना चाहता है । जो उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ अधिकारी है, वह बताता है उत्तर प्रदेश के विकास को चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं है ।

मान्यवर, इन्होंने वह कहा कि हम नयी चीनी मिलें लगाने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के कारपोरेशन की चीनी मिलें सिक पड़ी हैं, मान्यवर, 1979 में जब हम सरकार में थे तो हर साल दो नयी चीनी मिल लगती थीं । आज उनके विस्तारीकरण की कार्यवाही नहीं हो रही है । बी० आई० एफ० आर० में वह चली गयी हैं । जो 34 चीनी मिलें लगी हैं आज उनका भुगतान नहीं हो रहा है । रिकवरी घट रही है । अगर आपने आज तक एक भी चीनी मिल की स्थापना की होती तो मैं उसका स्वागत करता । आज हजारों हजार श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । उनके पास खाने को पैसा नहीं है, बेटियों को ब्याहने के लिये पैसा नहीं है । उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने बीमार पिता की सेवा कर सकें । वह बेचारा मारा जा रहा है । तो यह वास्तविकता है ।

आज आप औद्योगीकरण को ढिंढोरा पीट रहे हैं । कौन से उद्योग लगे हैं । आपने यह कहा कि आजादी से पहले इतने थे अब इतने हो गये हैं । आपने यह कहा कि भारी व मध्यम उद्योग की संख्या जो 52 में थी आज वह बढ़कर 2147 हो गयी है । मान्यवर, आजादी हमें सन् 47 में मिली । उस समय की संख्या बता दें और आज की संख्या बता दें कि इन नौ महीनों में आपने कितने भारी उद्योग लगाये हैं, कितने मजदूरों को नौकरी दी है.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस दिन से राजीव गांधी नहीं रहे उस दिन से सुल्तानपुर में एक भी उद्योग नहीं लगा है। जो अमेठी, सुल्तानपुर और जगदीशपुर में उद्योग लगे हैं आज उनको बिजली नहीं मिल पा रहा है.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

आशय पत्र में आप पांचवें स्थान पर हैं, आप बतायें कितने आशय पत्र आप स्वीकृत कर पाये हैं। गाजियाबाद में इलेक्ट्रानिक्स सिटी बनाने जा रहे हैं। जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, मैं मंत्री था, तब ही हम लोगों ने इलेक्ट्रानिक्स इकाइयों की स्थापना में अग्रणी भूमिका अदा की थी। आज आपका अपट्रान बैठा जा रहा है। सीमेन्ट निगम, स्पेनिंग मिल बैठी जा रही हैं कोई कारपोरेशन बता दें जो लाभप्रद हो। आप हमारे यहां की नगहर मिल के बकाये के भुगतान की घोषणा कर दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, निश्चित रूप से यह वर्ष उद्योग शून्य वर्ष है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक विकास विभाग के बजट को यहां बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया, मैंने इसे पढ़ा और देखा इसमें खूबसूरती वाली कोई चीज नजर नहीं आयी। जहां तक नोयडा की बात है 16 अप्रैल, 1976 को इसकी स्थापना की गयी। 73 गांवों की जमीन अधिसूचित की गयी, 19600 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित है, जनसंख्या 3 लाख 80 हजार है। अब तक 12 हजार से ऊपर एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है नोएडा के अन्तर्गत 34सी इकाइयां कार्यरत हैं 20 उद्योग बहु राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से चल रहे हैं और 120 इकाइयां निर्यात संस्थान क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह नहीं बताया कि आज की तारीख में वहां कितनी फैक्ट्री बन्द हैं। हम से लोन लेकर मजदूरों का पी० एफ० आदि लेकर कितने लोग वहां से पलायन कर गये, आधे शेड खाली पड़े हैं रजिस्टेशन है। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिन लोगों की जमीन ली गयी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। नोएडा में करोड़ों-करोड़ रु० किसानों का मुआवजा का शेष है किसान रोजाना वहां आन्दोलन करते हैं नोएडा अथारिटी, ग्रेटर नोएडा के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं जो उनकी जमीन चली गयी उसकी कीमत 4 हजार रु० मीटर, 6 हजार रु० मीटर और कहीं कहीं 50 हजार रु० मीटर तक जमीन है। जो कामर्शियल लैंड नीलामी में 50 हजार रु० मीटर तक बिकी हैं और दूसरी ओर जो किसानों का 160-180 रु० गज का मुआवज़ा है उसके लिये उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।

मान्यवर, सरकार संवेदनशील है, मान्यवर, जितनी प्रापर्टी डीलिंग एजेन्सी हैं, आई० ए० एस० भी उसमें संलग्न हैं, और दोनों तरफ से कमीशन खा रहे हैं। किसान का जो मुआवजा तय किया जाता है किसान सुकुन में बैठा रहता है कि हमें वहीं मिल जाये ताकि कोई रोजगार कर लें। बजट में तो यह दिया है, लेकिन कितना दिया गया है, कहीं जमीन एलाट नहीं की गयी है। ग्रेटर नोएडा में आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात कर रहे हैं, वहां ऐसे किसान हैं इतने पढ़े लिखे लोग हैं लोकल व्यक्ति, इंजीनियरिंग कालेज, आई० टी० आई० कालेज खोलने की, पालिटेक्निक खोलने की बात कर रहे हैं बात आती है कि सरकार ने जो जमीन ले ली सरकार हमें भी कुछ देगी। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा। मान्यवर, करोड़ों रुपया स्थल तय करके एक रुपया, 5 रुपया गज जमीन

दी गयी कि यहां शिक्षा मिलेगी । आई टी० आई० में बच्चे जायेंगे उनको नौकरी मिलेगी लेकिन वहां कोई एडमीशन नहीं देता है । डी० पी० एस०, ए० पी० जे० सेन्ट्रल स्कूल सब मौजूद हैं लेकिन वहां पर किसान का बच्चा पढ़ नहीं सकता है । कहां कहां से लोग आकर के जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं, सस्ती दर पर जमीन और ऋण ले लेते हैं मगर किसान के बच्चे का एडमीशन नहीं होता तो जिन लोगों का पैसा है उसमें भी उनके लिये कोई योजना होनी चाहिये । नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों की मांग चली आ रही है 10 प्रतिशत भूमि बढ़ोत्तरी के लिये जमीन छोड़ दी जाय, कहा कि विकसित जमीन देंगे, नहीं दी गयी है । रेवेन्यू मिनस्टिर के साथ मीटिंग हो चुकी है । माननीय राम शरण दास जी जब मिनिस्टर थे तब भी तय हुआ था दोनों जिले के कलेक्टर, मैं और रेवन्यू मिनिस्टर सब थे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला ।

मान्यवर, ग्रेटर नोएडा की स्थापना 28 जनवरी, 1991 को हुई उसमें सिकन्दराबाद तहसील में 53 गांव और दादरी में 73 गांव आते हैं कुल 126 गांव आते हैं । सरकार ने संकल्प लिया कि 3 लाख की जनसंख्या के साथ 5 हेक्टेयर जमीन विकसित करने की योजना है । आज तक वहां पर कुछ नहीं हो पाया है । एक जिला नया बन गया हैं गौतम बुद्ध नगर जिसका डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर वहां पर बन रहा है जिसकी जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी है उसके आसपास गोल्फकोर्स बन रहा है जिसकी मेम्बरशिप फीस 10 लाख रुपया है । वहां पर घोड़ा दौड़ाने और जुआं खेलने के लिये लोग विदेशों से आयेंगे । यहां का कोई आदमी वहां का मेम्बर बनेगा, मैं नहीं समझता कि कोई 10 लाख रुपया देकर बनेगा । तो यह स्थिति है अब ग्रेटर नोएडा में जो जमीन 1995 में हम लोगों से ली काटना हल्दोका ऐच्छर आदि गांव में उसमें 12 अगस्त, 1997 में नियम 52 मेंआधे घंटे की चर्चा हुई थी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार दिनों में काम कर रही है, सालों में नहीं, 160 रुपये गज का मुआवजा दे देंगे । लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है । ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन 5 प्रतिशत, 8 प्रतिशत रिश्वत की बात करता है, एवार्ड तक नहीं घोषित किया गया है । वहां के किसानों का कहना है कि एवार्ड घोषित कर देते तो हम कोर्ट में चले जाते और वहां से हमें न्याय मिल जाता । मान्यवर, 12 अगस्त, 1997 को इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री ने घोषणा की थी कि 160 रुपये देने में कोई आपत्ति नहीं है । इसी मार्च, 1998 में उस जमीन पर ग्रेटर नोएडा में एक योजना निकाली आवासीय प्लाट देने की और उसमें पंजीकरण मांगा । 1100 आवासी प्लाटों के लिये उन्होंने आमंत्रित किया और उसके अगेंस्ट 16000 पंजीकरण हुए । जिसमें 10005.89 लाख ग्रेटर नोएडा का आ चुका है । अभी जब हाउस शुरू होने वाला था, जून में तो इन्वाइट किया कि हम साढ़े 1600 रु० मीटर की दर से जमीन देंगे, इसी जून में लोगों से पैसा ले लिया, सारे देश भर से पैसा इकट्ठा हुआ है, लखनऊ में भी इसका काउन्टर लगा था । लेकिन अभी बाद में निर्णय ले लिया गया कि अब वही जमीन 2400 रु० मीटर की दर से दी जायेगी । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन के साढ़े 1600 रु० का दाम तय किया गया था, उसका 2400 रु० मीटर क्यों किया गया, इतने दिनों में कौन सी चीज महंगी हो गयी । एक अल्पवेतन भोगी व्यक्ति जिसने इसमें साढ़े 1600 रु० पर आवेदन किया था, वह अब 2400 रु० में इसको कैसे ले पायेगा ? इस जमीन का 1995 में हम लोगों से कब्जा ले लिया गया, लेकिन आज तक 160 रु० गज की दर से मुआवजा नहीं दिया गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यह पूरी तरह से दादागीरी है, यह न्याय नहीं है, क्या इसके बारे में सरकार चिन्तित है ? आज 200 मीटर के प्लाट पर 1 लाख 60 हजार रुपया बढ़ रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सारी एथारिटीज में 5 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, एम० एल० ए० और एम० पीज का है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा दो एथारिटीज ऐसी हैं, जहां इस सदन का कोई एम० एल० ए० जमीन नहीं ले सकता । मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया था, जबाव आ गया यह संभव नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब 5 प्रतिशत कोटा

सब जगह है तो यहां क्यों नहीं है ? एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां का कम्प्यूटर भी विशेष तरह का है, जितने कार्नर के प्लाट हैं, वह सारे के सारे एथारिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम ही निकलते हैं, अन्य किसी आम आदमी के नाम उसमें नहीं निकलते हैं। यह भी विचारणीय बात है।

मान्यवर, सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रियल एरिया मेरे क्षेत्र में है, मैं वहीं से विधान सभा सदस्य हूं। वहां पर 106 यूनिट काम कर रही थीं, जिसमें से 70 इस समय बन्द हो गयी हैं। इसी वर्ष बिलार्ड लिमिटेड वाले बन्द कर के भाग गये, वहां 702 आदमी काम कर रहे थे, उन्होंने शुगर मिल खोल ली, न उन्होंने मजदूरों का पैसा दिया, न हिसाब किया, आज वहां का मजदूर सड़क पर घूम रहा है। इसी तरह डी० एस० एम० पेपर मिल थी, वह भी बन्द करके भाग गये, उसमें 550 लोग काम कर रहे थे। इसी प्रकार प्रीमियर मिल, विनायल मिल, वह भाग गये, इस मिल में 400 लोग काम कर रहे थे। इसी तरह एक आयल मिल थी, जिसमें 270 लोग काम कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां 70 यूनिट आज की तारीख में बन्द हैं। यह विकास है उद्योग का। मैं इनके बन्द होने का कारण भी बताना चाहता हूं, सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रियल एरिया में सब्सिडी है, जब तक इन यूनिट मालिकों को सब्सिडी रहती है, तब तक यह बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिस दिन से सब्सिडी की डेट खत्म हो जाती है, उसी दिन यह लोग हरियाणा, राजस्थान भाग जाते हैं जिसको पांच वर्ष है वह पांच वर्ष बाद चला जाता है और जिसको 7 वर्ष है वह 7 वर्ष बाद चला जाता है। सब्सिडी का टाइम समाप्त होने पर वह चला जाता है।

मान्यवर, एक बहुत कीमती सुझाव देना चाहता हूं यमुना नदी पर मझावली घाट पर इनकोर में 1992 में पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ने उस पुल को धनाभाव के कारण निरस्त कर दिया था, उस पुल का रुड़की में माडल स्टडी हो चुका था जिस पर 14 लाख रुपये खर्च हुए थे, इस पुल के बनने सें उत्तर प्रदेश सरकार का केवल एक तिहाई पैसा खर्च होना था एक तिहाई दिल्ली को खर्च करना था और एक तिहाई पैसा हरियाणा को खर्च करना था। ग्रेटर नोएडा आज भी उत्तर प्रदेश के हिस्से का पैसा देने को तैयार है इस सरकार को उस पुल के लिये एक भी पैसा नहीं देना है वह बिना पैसे के पुल बनकर तैयार हो जायेगा इससे हजारों ग्रामवासियों को सुविधा होती।

मान्यवर, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, 1992-93 के बजट में उद्योग बजट पर बोलते हुए कल्याण सिंह ने केन्द्रीय सरकार को बहुत कोसा था और कहा था कि 18 उद्योगों को छोड़कर डिलाइसेंसिंग पालिसी आ गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो माननीय कल्याण सिंह जी को अपना वादा पूरा करना चाहिये और डिलाइसेंसिंग पालिसी को समाप्त करना चाहिये। मान्यवर, यह धारणा है कि जो भी मुख्य मंत्री नोएडा में किसी चीज का उद्घाटन करता है वह मुख्य मंत्री के पद से हट जाता है। वहां की दो फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ, एक तो न्यू हालैण्ड ट्रैक्टर का उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में बैठ करके किया। पिछली बार जब मायावती जी ने उद्घाटन किया था तो उन्होंने गाजियाबाद में बैठकर रिमोट कन्ट्रोल से किया था। मान्यवर, होंडा सी० एल० कार फैक्ट्री का उद्घाटन होना था उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते जाने का अवसर मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि जापान में पहुंच गया हूं। वहां पर इस प्रदेश का कोई आदमी नहीं है और 850 करोड़ रुपये की लागत से फैक्ट्री बनी है। पचास हजार रुपये लेकर रोजगार दे रहे हैं।

किसानों की जमीन भी चली गयी और रोजगार के लिये पचास हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि डिलीवरी सिस्टम लागू कर रहे हैं और जिला उद्योग केन्द्रों को निकनेट से जोड़ने की बात कहा है और उसके लिये 36 लाख रुपये बजट में रखा है तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में यह खर्च होगा या जिला में खर्च होगा या तहसील में खर्च होगा या किसी अमुक स्टेशन पर खर्च होगा। अगर दूसरा

डिलीवरी सिस्टम मान लें तो अभी सरकार और औद्योगिक विभाग का मन्थली सिस्टम ही ठीक नहीं है तो डिलीवरी सिस्टम कैसे मान लें ? जिला उद्योग केन्द्रों को जोड़ने की बात कही लेकिन यह डिलीवरी सिस्टम पर यह सरकार कहां पहुंच गयी (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मैं इन शब्दों के साथ कटौती पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आपने मान्यवर, मेरे को बुला लिया था उतने में माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये तो मुझे बैठना पड़ा, मुझे बोलने के लिये कह दिया था इसलिये मुझे बोलने का अवसर दें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम तेज जी का तेज ही इतना है कि जब आपकी तबियत चाहती है आप खड़े हो जाते हैं (व्यवधान) ठीक है इसके बाद आपको समय मिलेगा।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश या प्रदेश के विकास में कृषि के बाद उद्योग का नम्बर आता है लेकिन उ० प्र० उद्योग के मामले में सबसे पीछे है। इसीलिये यहां गरीबी और बेरोजगारी सबसे अधिक है। भूमि सीमित है। जमीन उपजाऊ तो बनाई जा सकती है लेकिन उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। आज आबादी बढ़ती जा रही है उस बढ़ी हुई आबादी को रोजगार देने के लिये और कृषि पर लोड घटाने के लिये उद्योगों की तरफ ले जाया जा सकता है जिससे बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सकती है। मानव जीवन की सारी सुख-सुविधायें उद्योगों पर ही निर्भर है। आज मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, कपड़ा, दवा आदि उद्योगों की उपज है। आज उ० प्र० में कोई उद्योगपति उद्योग नहीं लगाना चाहता है। उद्योग लगाना दूर रहा इच्छा भी जाहिर नहीं करता है। अगर हम 1993 से लेकर आज तक उद्योग लगाने वालों के इच्छा पत्रों को देखें तो पायेंगे कि उद्योग लगाने की इच्छा रखने वाले उ० प्र० में सबसे कम हैं। जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं – 1993 में महाराष्ट्र में 1399, गुजरात में 647, तमिलनाडु में 406, और उ० प्र० में 329 सबसे कम, 1994 में महाराष्ट्र में 852, गुजरात में 819, तमिलनाडु में 580 और उ० प्र० में 302 सबसे कम 1995 में महाराष्ट्र में 1014, गुजरात में 768, तमिलनाडु में 815, और उत्तर प्रदेश में 503 सबसे कम, 1996 में महाराष्ट्र में 794, गुजरात में 723, तमिलनाडु 623, उत्तर प्रदेश में 500 सबसे कम इसी प्रकार 1998 में (जून तक) उत्तर प्रदेश में 417 लेकिन इसमें से एक भी नहीं लगाये तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में विदेशी पूंजी लगाने वाले नहीं आ रहे हैं लोग यहां पर उद्योग लगाने में कतरा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 1998 में जो आशय पत्र आये हैं उनकी संख्या 417 है जो अखबार में भी छपा है लेकिन वह उद्योग लगाने को तैयार नहीं हैं वह उद्योग लगाने में यहां कतरा रहे हैं अगर हम इस पर गहराई से जाये तो कारण पायेंगे कि यहां कानून व्यवस्था एक दम

रद्दी है, व्यापारी और बैंक लुट रहे हैं, बिजली की व्यवस्था यहां एकदम रद्दी है, सड़कों की व्यवस्था एकदम रद्दी है । कच्चे माल की एबिलबिलटी यहां नहीं है । तैयार माल के लिए बाजार नहीं है । सरकार में लूट है । हेरा फेरी और कमीशन खोरी है । कानून व्यवस्था का यह हाल है कि जब व्यापारी की हत्या होगी और उसके बेटे का अपहरण होगा तो कौन सा उद्योगपति यहां उद्योग लगाने आयेगा । बैंकों की ताबड़तोड़ लूट होगी तो कौन सी बैंक यहां रुकेगी । बैंक भी यहां से भाग जायेंगी । आज गुण्डा टैक्स नेता टैक्स लग रहा है तो कौन यहां उद्योग लगाने आयेगा ?

बिजली की यह हालत है कि बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर में आठ-आठ घंटे की कटौती हो रही है । तो कौन उद्योग लगाकर अपना काम करा सकता है । जब बिजली ही नहीं होगी तो कौन सा उद्योगपति अपने लेबर को मुफ्त में वेतन देगा । हमारे यहां के रोड खराब हैं, कच्चा माल नहीं मिलता है और तैयार माल के लिये बाजार नहीं है । तो नये उद्योग लगाने की बात दूर रही पुराने उद्योग भी ध्वस्त होते जा रहे हैं । यहां का नौजवान जो बेरोजगार है सरकार उद्योगों को समाप्त करके उससे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में बोरे ढुलवाने का षड़यंत्र कर रही है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश की भूमि जलवायु श्रम और दूसरे संसाधन ऐसे हैं कि प्रदेश की भुखमरी और गरीबी से हम अच्छी तरह से निपट सकते हैं । इन संसाधनों का इस्तेमाल करके उद्योग और कारोबार को बढ़ाया जाय । लेकिन इसका उल्टा हो रहा है । मान्यवर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मा० मुलायम सिंह जी ने इसी सदन में कहा था कि उद्योगों में पैसा लगे और अच्छी तकनीक आये और धरती पर, जमीन पर से आदमियों को बोझ हटा दिया जाये तो प्रदेश की गरीबी कम हो जायेगी लेकिन इसका उल्टा हो रहा है । न खेती सही तरीके से हो रही है न उद्योग धन्धे लग रहे हैं । हमारे भाजपा के दोस्त हैं इस समय वह सो रहे हैं मैं चाहता हूं कि उनको जगा दिया जाय वह अगर मेरी बात सुन लेंगे तो अच्छा होगा । उन्होंने कहा था कि दिल्ली से उद्योग इसलिये हटाये गये कि वह प्रदूषण कर रहे थे हम उत्तर प्रदेश में क्यों लगायें ? जब हमने एक बार 14 महीने आपका प्रदूषण झेल चुके हैं और आठ नौ महीने से झेल रहे हैं तो उद्योगों को आने दीजिए उनका प्रदूषण भी झेल लेंगे । हम लोग कई बार आपका प्रदूषण झेल चुके हैं तो आप प्रदूषण से क्यों भाग रहे हैं ?

उद्योगों को आने दीजिए बेरोजगार नवयुवकों को काम मिल जायेगा । अभी गाजियाबाद के माननीय भाटी साहब ने बताया कि क्या हालत हो गयी है । ऐसी स्थिति में कौन आयेगा कारोबार छोड़ कर उद्योग लगाने के लिए ? जब बम्बई के होटल में 20 करोड़ रुपया व्यापारी देगा तो कौन सा उद्योग अपने प्रदेश में लग पायेगा ? आज भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार के लोगों के हाथ इसमें रंगे हैं व्यापारियों का बैंक में पैसा जमा होता है जब वह पैसा निकाल कर चलते हैं तो उनको यह पता नहीं होता कि भाजपा का कौन नेता मिनिस्टर या एम० एल० ए० हमारा पैसा लेकर चला जाएगा ? क्योंकि इनके सारे लोग लखनऊ में आ गये हैं और अच्छे-अच्छे होटलों में टिके हैं, व्यापारियों को रात में टेलीफोन करते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया सवेरे दे आओ वरना तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा, आज प्रदेश में यह स्थिति है वह कैसे अपना रोजगार करेगा । उन्होंने जब बी० जे० पी० को वोट दिया था

तो सोचा था कि हमारे उद्योग बढ़ेंगे लेकिन अब उनकी सोच बदलने लगी है । लघु उद्योग की बात आयी ।

हमारे प्रदेश में बहुत सा कच्चा माल है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है । प्रदेश में कोई उद्योग नहीं लगा रहा है । जिला उद्योग केन्द्र हर जिले में बनाया गया है लेकिन कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, कितनी महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों को आपने प्रशिक्षित किया । आज आप युवकों को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें । प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना व हस्तशिल्प योजना में गांवों के जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं उन्हें स्वरोजगार के लिये ऋण/अनुदान दिये जाते हैं । हस्तशिल्प को अगर आप ले तो आज हर काम बिजली से हो रहा है, लोग मिट्टी के कप-प्लेट में खाना पसन्द नहीं करेंगे, कुम्हार के कुल्हड़ में चाय पीना पसन्द नहीं करेंगे । ऐसा परिवर्तन आया है जिससे इस तरह की बातें सामने आ रही हैं लेकिन सरकार को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए । यू० पी० एफ० सी० कानपुर की हालत बहुत खराब है, पिकप जो कुछ काम कर रहा था, उसका सत्यानाश हो गया है ।

सीमेण्ट निगम की हालत तो आप लोग देख ही चुके हैं, अभी दो दिन पहले उस निगम का एक मजदूर अपनी जान दे चुका है । खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की हालत बहुत जर्जर है । अगर आपको महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है तो खादी को बढ़ावा देना होगा । यह सरकार खादी को बढ़ावा नहीं दे रही है । स्वयं महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह देश जब गांधी के विचारों को अपनायेगा तभी खादी का विकास होगा । आज हर व्यक्ति टेरीकाट का इस्तेमाल कर रहा है । दिल्ली में प्रधान मंत्री जी भी धोती और कुर्ता टेरीकाट का पहनते हैं तो खादी एवं ग्रामोद्योग का प्रचार कहां से होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, खादी के बने हुए कपड़ों पर टैक्स लादा जा रहा है, जिससे आम जनता इसको खरीद नहीं पा रही है । आज हम जिसके चित्र के नीचे बैठे हुए हैं अगर हमें उसके सपनों को साकार करना है तो ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाना होगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा । लेकिन यह सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आप तो स्वयं समझदार हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपके माध्यम से अन्त में एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी इसको सुन लें । उद्योग व्यापार तो कहीं चल नहीं रहा है लेकिन इनका तबादले का उद्योग फल-फूल रहा है, जो अच्छा पैसा दे वह अच्छी जगह चला जाये । मान्यवर, यह बेशर्म सरकार है, यह कुछ कर नहीं पा रही है । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कुछ बिन्दुओं पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके अपनी वाणी को विराम दूंगा । मान्यवर, नोएडा के बारे में बताना चाहता हूं वहां पर तीन विभागाध्यक्ष के पद हैं मुख्य परियोजना अभियन्ता, मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता और मुख्य तकनीकी परीक्षक तीन पद हैं । तो जो नोएडा की सेवा नियमावली है उसके हिसाब से किसी विभागीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी । यह तीनों पद प्रतिनियुक्ति के हैं । मुख्य परियोजना अभियन्ता के पद पर राष्ट्रपति शासन में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह निर्णय हो गया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठान से प्रतिनियुक्ति होगी । इस तरह से मई, 1997 में एक मुख्य अभियन्ता श्री टी० पी० एस० त्यागी की नियुक्ति मुख्य परियोजना अभियन्ता के पद पर हो गई । किन्तु उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया ।

मई, 1997 में उनकी नियुक्ति हुई उनको चार्ज नहीं दिया गया । एक वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता जो नोएडा के हैं जो नियमों के अनुसार उस पद पर प्रोन्नत नहीं हो सकते । कार्यवाहक भी नहीं किया जा सकता । उनको मुख्य परियोजना अभियन्ता के पद पर कार्यवाहक करके नियुक्त कर दिया गया । इसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री का हाथ था । उन्होंने बाकी दो पदों पर भी जिस मुख्य परियोजना अभियन्ता के पद पर कार्यवाहक कर दिया उसी को अनुरक्षण अभियन्ता, उसी को मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर भी स्थापित कर दिया । वह अधिकारी इस बात से अर्ह भी नहीं हैं कि उनकी किसी एक पद पर नियुक्ति की जाए क्योंकि यह प्रतिनियुक्ति के पद हैं ।

इस दूरदृष्टि वाली सरकार के मंत्री जी का इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नियुक्ति में जो कदाचार किया गया है, नियमों को शिथिल किया गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं । तीन पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई । इस ओर मुख्य मंत्री जी ध्यान आकृष्ट करें । इसको तत्काल मंत्री जी संज्ञान में लें । मैं मिनी सीमेन्ट प्लांट की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह प्लांट वायबिल्टी के अभाव में बन्द हो रहे हैं । दो वर्षों में 43 नये मिनी सीमेंट प्लांट को फाइनेंस किया गया । यह भी एक बिडम्बना है । इसमें वायबिल्टी का परीक्षण करके नई फैक्ट्रियां फाइनेंस करें । व कुछ प्रतिशत यथा 20% सरकारी कार्यों में इस सीमेंट को खरीदें जैसे राजस्थान में किया जा रहा है । इससे यह जो बीमार इकाई है वह फिर वायविल हो जाए । वह लाभ में चलने लगेंगे ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

अन्त में मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कानपुर का अपना एक इतिहास था, जिसे मानचेस्टर आफ इण्डिया कहा करते थे, पूरे देश में उसका अपना एक बहुत बड़ा स्थान था परन्तु विगत अनेक वर्षों से जो कुप्रबन्धन वहां पर रहा, उससे वहां की स्थिति खराब हो गई । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कानपुर को उसकी पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास किया जाय ताकि वहां पर जो मजदूर हैं, जो रोजी-रोटी के लिये तड़प रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चों को रोजी रोटी मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उद्योग विभाग का बजट पेश किया है। इसी से पता चलता है कि उद्योगों के बारे में यह सरकार कितनी गम्भीर है। अच्छा होता कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर होते। तमाम माननीय सदस्यगण के बहुमूल्य सुझाव यहां पर आ रहे हैं उन पर वह गम्भीरता पूर्वक विचार करती। परन्तु आज बजट रखने के बाद कल से आपके पास यह विभाग नहीं होगा और जो तमाम सुझाव यहां पर आये हैं उन पर कार्यवाही कर सकने में आप सक्षम नहीं होंगे, इसलिये अच्छा होता यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट को प्रस्तुत करते। आज प्रदेश की औद्योगिक विकास की दर निरन्तर घटती जा रही है। पिछले पांच वर्षों में कितने नये उद्योग यहां पर लगे। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की यहां पर चर्चा हुई। जब दिल्ली से उद्योगों को हटाने की बात आयी तो उस समय यह लगा कि ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में नये उद्योग आयें लेकिन वह उत्साह फीका पड़ता गया।

आज पूरे प्रदेश के लिये यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास कैसे हो ? बिना औद्योगिक विकास के विकास दर नहीं बढ़ सकती है। आज जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का युग चल रहा है तो बिना औद्योगिक विकास के हम अपनी विकास दर को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि प्रदेश में शान्तिपूर्ण माहौल का सृजन हो और दूसरा नौकरशाही का रुख सहयोगी हो, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और साथ ही प्रोफेसनल बैंकिंग्स हों। जब तक यह मूल-भूत ढांचा तैयार नहीं होगा तब तक।

(इस समय 6 बजकर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। पहले जो इण्डस्ट्रियल स्टेट बनाये गये थे, जिन पर सड़कें बना दी गयी थी, शेड्स बना दिये गये थे, आज उनकी क्या प्रगति है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है। इन औद्योगिक के होने पर पहले दौर में जो इकाइयां लगी थी, उनमें अधिकांश में ताला पड़ा हुआ है और जो इकाइयां चल भी रही हैं तो यह मृतप्राय हो गयी हैं। क्या कभी आपने उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश की ? मैं यह जानना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में प्रदेश में नये उद्योगों को लगाने के लिये कितने लेटर आफ इन्टेन्ट सरकार ने जारी किये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसी नई इकाई नहीं लगी है जो 100 करोड़ से ज्यादा की हो। आज प्रदेश में उद्यमियों की सुरक्षा नहीं है। आज यहां की शांति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब तक समुचित औद्योगिक वातावरण सृजित नहीं किया जायेगा तब तक प्रदेश में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कोई भी नया विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं बनाया गया और 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसी नये विद्युत उत्पादन केन्द्र का कोई प्रस्ताव नहीं आया। यदि विद्युत उत्पादन ही आप नहीं बढ़ा पायेंगे तो उद्योग कैसे आयेंगे और क्या आप प्रदेश को उद्योग शून्य बनाकर 21वीं सदी की तरफ ले जायेंगे ? आज उत्तर प्रदेश की विकास दर शून्य है। आपने 7 प्रतिशत की कल्पना की है, बड़ा अच्छा होता ? इसे आप दृढ़ संकल्प के साथ 5 प्रतिशत रखते और उसे प्राप्त करते। आज तो स्थिति यह है कि प्रदेश की विकास दर 2 प्रतिशत से भी कम है। एक प्रकार से माइनस में जा रही है। कब तक प्रदेश के उद्योग को आप राजनैतिक शब्दजाल में फंसाते रहोगे। आज निजी क्षेत्र में उद्योग लग नहीं रहे हैं, सरकार लगा नहीं रही है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एक–एक कर मरते जा रहे हैं तो कब तक आप राजनैतिक शब्दजाल में प्रदेश को फंसाते रहोगे ?

पहली पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान में हमारा दूसरा नम्बर था । विकास की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर का राज्य था । नई पंचवर्षीय योजना के आते-आते उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य हो गया । यह पूरे प्रदेश की चिन्ता का विषय है । इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस पर केवल शब्द जाल से काम नहीं होगा । इस शब्द जाल से कौन भ्रमित हो रहा है हम लोग कभी आप इधर होते हैं कभी हम उधर होते हैं । यह सबकी चिन्ता होनी चाहिए कि प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हो । औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में कैसे आयें । हमारी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है । दुनिया को कोई व्यक्ति हमारे साथ साझे में व्यापार नहीं करना चाहता है । सुरक्षा का वातावरण ठीक नहीं है इसलिये कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता है । निर्यात की हमारी कोई स्पष्ट नीति नहीं है इससे उद्यमों निर्यात नहीं कर पाते । अतः निर्यात की सरल व्यवस्था बने तथा औद्योगिक के क्षेत्र में नये उत्पादन करने चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश के उत्पाद को बाहर भेजा जा सके । यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि पर आधारित उद्योग लगने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगा सकते हैं जिससे हम अपने फल उत्पादों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे धन अर्जित कर सकते हैं । आपने मुझे समय दिया इसके लिये आभारी हूं मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए केवल सतही चर्चा से कुछ नहीं होगा, शब्द जाल से कुछ नहीं होगा । मैं इसीलिये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं कि आप इनको चाहे जितना क्यों न दे दें । चाहे उन्हें कुबेर का पूरा खजाना दे दें इनकी नियति ठीक नहीं है इनकी इच्छाशक्ति नहीं है कि यह प्रदेश का औद्योगिक विकास कर सकें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान परिषद् में एक रिपोर्टर हैं नरेश जायसवाल महानगर से दिन में दो बजे उनकी भांजी का अपहरण हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह का हस्तक्षेप नहीं । एक तो वह प्रदेश के दूसरे सदन के हैं । दूसरे वे एक नागरिक हैं । ऐसा तो नहीं है कि आप दूरदर्शन पर 10 बजे समाचार देखें । । बजे समाचार देखें, 2 बजे समाचार देखें उसमें कुछ न कुछ आयेगा इस तरह का । इस तरह का नहीं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप जैसा समझें । मैंने तो आपके संज्ञान में लाना चाहा ।

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, मैं इसके बाद हथकरघा पर बोलूंगा ।

* श्री मोती लाल पैलवी–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया मैं आपका आभारी हूं। मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में उद्योग विकास के लिये चार बातें जरूरी हैं जो कि हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में विशेष कर मौजूद हैं। यातायात, श्रमशक्ति, कच्चा माल। हमारे यहां अपार वन सम्पदा है। मैलानी में बहुत समय पहले एक पेपर मिल स्वीकृत हुई थी जिसके बारे में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह लग नहीं पाई। अलग यह मिल लग जाती तो इससे हजारों बेरोजगार जनता को वहां रोजगार मिल जाता। इसी प्रकार से हमारे यहां गन्ना काफी होता है। गन्ने पर हमारे यहां थ्रेसर हैं, शूगर फैक्ट्री हैं। वहां पर इतना गन्ना होता है कि 2/3 शूगर फैक्ट्री और लगाई जा सकती हैं। इजुवा में हमारे यहां बेरोजगारी बहुत है अगर शूगर फैक्ट्री लग जाय तो यह बेरोजगारी खत्म हो सकती है। इसी तरीके से हमारे लखीमपुर में पांच उद्योग अच्छे चल सकते हैं। टाफी उद्योग। गोला की टाफियां विश्व के लोग खाते थे। यह फैक्ट्री बन्द कर दी गई है उसको फिर से चालू कर दिया जाय।

इसी तरह से ओएल में जो उद्योग थे वह भी खत्म हो गए हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमारा कृषि प्रधान देश है इसलिए छोटे-छोटे उद्योग कृषि उत्पादन में लगाए जायं। कुटीर उद्योग लगाए जायं ताकि बेरोजगार लोग जो खेती पर निर्भर करते हैं उनको लाभ मिल सके।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। चर्चा हुई है बड़े उद्योग लगें जिससे हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिले। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सरकार को कोई पैसा खर्चा नहीं करना है बिना पैसा खर्चा किए लाखों लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं। तमाम नदियां हमारे प्रदेश में पाई जाती हैं। पहाड़ों से नदियां आती हैं उसमें बालू, मौरंग भरा पड़ा है उस पर हमारे प्रदेश के लाखों लोगों की जीविका निर्भर करती है। उप खनिज परिहार नियमावली लागू है। जिस समय यह व्यवस्था थी कि नदियों के तल से बालू मौरंग का खनन का व्यवसाय परम्परागत तरीके से जो इसमें लगे हैं उनको दिया जाएगा। इस प्रदेश में 1980 से 1990 तक जो सरकारें रही हैं उसने यह नीति अपनाई थी कि परम्परागत पेशेवर लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं मल्लाह निषाद आदि यह बालू मौरंग के खनन का कार्य करते हैं उनको यह कार्य दिया जाए।

मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जब मुख्य मंत्री थें जब वीर बहादुर सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उन्होंने नीति बनाई थी हमने निवेदन किया था सरकार का कोई खर्चा नहीं होना है। बिना पैसे के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। करोड़ों रुपयों का राजस्व सरकार को मिलेगा। मेरे सुझाव को मानकर एक-एक नीति बनाई थी उप खनिज परिहार नियमावली की धारा–9 में उपधारा (3) में जोड़कर कि प्रदेश के मल्लाह समुदाय निषाद समुदाय के लोग जो परम्परागत तरीके से इस व्यवसाय में लगे हैं उनकी सहकारी समितियों को बालू मौरंग और खनन के पट्टे देने की व्यवस्था की गई वह कानून लागू किया शासनादेश लागू किया।

मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में उस उप खनिज परिहार नियमावली में संशोधन किया ऐसी व्यवस्था दी कि जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यवस्था लागू हो गई। वर्तमान सरकार उस व्यवस्था को लागू नहीं कर रही है जिसका नतीजा यह है कि सारे प्रदेश में मल्लाह समुदाय के गरीब लोगों को उपेक्षा हो रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कानून बनाया शासनादेश बनाया

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसका पालन नहीं किया जा रहा है । सारे प्रदेश में माफिया लोग हावी हैं उनको पट्टे दिए जा रहे हैं गरीब मल्लाह लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं । माफिया गरीबों के नाम पर पट्टे ले रहे हैं गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं निषाद कल्याण सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया 29-6-98 को माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं । वीडियो फिल्म भी इनकी दी गयी है और यह अनुरोध किया गया था कि आप देखें खनिज विभाग के प्रबन्ध में कितना घोटाला है जहां यहां यह बालू मौरंग निकलता है । किस तरह से चोरी हो रही है । माफिया लोग हावी हैं । इस पर अंकुश लगाया जाय । मान्यवर, निषाद कल्याण सभा उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करके कि उत्तर प्रदेश में इतने माफिया हैं, उनकी सूची दी गयी ।

जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, वाराणसी, जालौन, बलिया, मऊ, झांसी, बुलन्दशहर, एटा, आगरा, गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती और फतेहपुर इत्यादि इन जिलों में जहां बालू और मौरंग खनन का कार्य ज्यादा होता है हर जगह पर माफिया लोग हावी हैं और खनिज विभाग के लोगों को पैसा देकर पट्टा लिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे माफियाओं को गैंगस्टर एक्ट में, रासुका में चालान किया जाना चाहिए जो गरीबों का हक मार रहे हैं । इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा जो 1994 में जो उप खनिज परिहार नियमावली में संशोधन करके व्यवस्था की गयी थी उसको सुनिश्चित करायें और गरीब लोगों को पट्टा मिल सके, उनकी रोजी-रोटी चल सके । इसी निवेदन के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती राजराय सिंह–

मान्यवर, मैं अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों के समर्थन में खड़ी हूं और उसका पुरजोर समर्थन करती हूं । मान्यवर, जब से प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार का गठन हुआ है प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इस उल्लेखनीय प्रगति को देखते हुए पूंजी निवेश में भी वृद्धि हुई है । नये-नये उद्योगों का जाल बिछ रहा है । जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं । यदि उद्योगपतियों को माननीय मुख्य मंत्री जी से इसी प्रकार उत्प्रेरन मिलता रहा तो हमारा प्रदेश पहले पंक्ति में गिना जाने वाला प्रदेश होगा ।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े, विभिन्न जनपदों में, हमारी पार्टी के कार्यकाल में हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी भी प्रदेश की जनता को देने का कष्ट करें । मान्यवर, पीलीभीत औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि वे कृपा कर पीलीभीत के औद्योगिक विकास के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने की अनुकम्पा करें । यदि किन्हीं कारणोवश माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पीलीभीत की ओर नहीं दिया गया है तो विशेष अनुकम्पा करते हुए पीलीभीत के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस योजना तत्काल लागू करायें । इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार के होते हुए अधिक से अधिक भारी और मध्यम उद्योग लगाने का प्रयास करें और पिछड़े क्षेत्र में स्थापित करने का कष्ट करें ।

हमारी पार्टी देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए वचनबद्ध है इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकेगी यदि समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से महिलाओं,अल्पसंख्यकों, युवावर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों में उद्यमिता का विकास करते हुए उन्हें विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकें । श्रीमन्, सरकार ने इस क्षेत्र में भी विशेष कार्य

अवश्य किया होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से प्रदेश की जनता को प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रदेश के विभिन्न वर्गों की भागीदारी के संबंध में वस्तुस्थिति से भी अवगत कराने की अनुकम्पा करें तो बहुत ही अच्छा होगा । इसी के साथ ही मैं एक बार पुनः इस बजट का समर्थन करती हूं और साथ ही साथ आपने इस सदन में पहली बार बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी उद्योग विकास से संबंधित तीन और आय-व्ययक हैं अगर इस पर आप लोगों की अनुमति हो तो इन तीनों पर मतदान कराके शेष पर चर्चा करा लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तीन पर मतदान कराके 6 प्रस्तुत करा दें, हम लोग भी जायें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, प्रस्तुत करा दें मतदान अन्त में करा लें, कंटीन्यूटी बनी है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल टेक्निकल बात है ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जैसा आप चाहें ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके संदर्भ में मैंने बहुत सी बातें पहले बतायी । मैं उनकी नीति से इत्तफाक करता हूं कि क्योंकि वह सारे उ० प्र० को उद्योग रहित करना चाहते हैं, यह उद्देश्य है कि प्रदेश में उद्योग न रहें जितने लगे थे वह सारे के सारे समाप्त कर दिये गये हैं । मैंने एक विवरण दिया है । कम से कम खान खनिज के 20-22 उद्योग इस सरकार ने बन्द कर दिये हैं । उ० प्र० खनिज विकास निगम एक लाभकारी संस्था थी घाटे पर नहीं थी अचानक कल्याण सिंह जी की सरकार पदारुढ़ हुई और यह घाटे पर आ गया ऐसी स्थिति बन गयी है कम से कम 12-13 खनिज उद्योग संचालित हो रहे थे, सब एक साथ बन्द कर दिये गये । खनिज विकास निगम में 10 हजार श्रमिक कर्मचारी है, उन पर एक लाख लोगों का परिवार टिका हुआ है वह आज एक दम से बन्द कर दिया गया ।

यह अकूत प्राकृतिक सम्पदा उत्तर प्रदेश में है और इस सरकार ने बजट में प्राकृतिक सम्पदा के बारे में कुछ नहीं कहा, इसके अतिरिक्त माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में खोज की जायेगी कि सोना कहां मिल रहा है, हीरा कहां मिल रहा है कहां प्राकृतिक सम्पदा है लेकिन उसके लिए क्या कार्ययोजना है वह नहीं बताया । टास्कफोर्स की चर्चा की गयी यह आया और खनिज विकास निगम खा गया । जैसे पुलिस में टास्कफोर्स बन गया वैसे खनिज विकास निगम में बन गया और उसका कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है । हजारों मजदूर जो भुखमरी की कगार पर हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है उनको कहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समायोजित किया जायेगा । उनको नोटिस दे दी गयी है । उनको 10-10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है । सरकार को उनके बारे में जरा भी सोचने की बुद्धि नहीं आ रही है ।

मैं चाहूंगा कि सरकार को यह बुद्धि आये और वह सोचे । प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में शासनादेश हो गया कि कर्मचारियों को समायोजित कर लिया जायेगा लेकिन दह 8 साल से सड़क नाप रहे हैं सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं । मेरी मांग है कि सबसे पहले उनको रखा जाय । ए० टी० एल० को सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है । यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना जिस समय लगाया गया था उस कारखाने के लिए राजा दिनेश सिंह ने प्रयास किया था कि वह भारत में सबसे बड़ा कारखाना हो लेकिन आज वह कारखाना बन्द होने जा रहा है । वहां एक ट्रैक्टर का उत्पादन नहीं रहा है। मान्यवर, खनिज उत्पादन के लिए नये उद्योग लगाने, जो फैक्ट्री बन्द पड़ी हैं, उनके लिए और सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए अगर बजट में प्राविधान रखा गया होता तो मैं कटौती का प्रस्ताव नहीं रखता । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार उन श्रमिकों की भलाई के लिए सोचे । ऐसा लगता है कि इस सरकार की मंशा है । फैक्ट्री की जो सम्पदा है, वह उत्तर प्रदेश के काम में न आये । निगमों के चेयरमैन बने हुए हैं और मंत्री लोग है, यह बेच खाने के उद्देश्य से फैक्ट्री बन्द कर रहे हैं । अगर सरकार उद्योग नहीं चला सकती है, तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने कुछ प्रश्न सम्मानित मंत्री जी से किया था और उसका कोई उत्तर नहीं आया है, यह उत्तर प्रदेश के लिए दिशाहीन बजट है । इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, इसे वापस नहीं लेता हूं, इस पर मतदान हो ।

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, सत्तापक्ष के 15 आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और प्रदेश के औद्योगिक विकास पर चिन्ता व्यक्त की है । मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की औद्योगिक स्थिति ठीक हो, उद्योगों का प्रदेश में विकास हो । जैसा आदरणीय वरिष्ठतम सदस्य त्रिपाठी जी ने विचार रखा, माननीय चन्द्र नाथ सिंह जी ने विचार रखा । उन्होंने 2-4 बातें ऐसी कहीं कि जो समझ से परे हैं । इस सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है, उसमें जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उनको अपना आत्मलोचन करना चाहिए ।

पहले अपने गिरेवान में देख लेना चाहिये । मान्यवर, आरोप लगाये गये कि मंत्री जी बेच देना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जब आप सरकार में थे, तो बेचने की घोषणा किसने की थी ? श्रमिकों के बारे में कोई विचार क्यों नहीं किया था ? केवल आरोप के लिये आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है । यह भी कहा गया है कि माननीय मंत्रियों का उद्योग लगा दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि यहां तो घोषित मंत्री हैं, और यह सुनिश्चित है कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग देखता है और सभी मंत्रीगण इस प्रदेश का विकास करने के लिये कृतसंकल्पित हैं । मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जब वह सरकार में थे, तब तो मिनी मुख्य मंत्रियों की संख्या का अता-पता ही नहीं था, कौन से जनपद में कौन मिनी मुख्य मंत्री है ? उसका पता ही नहीं था । उस समय प्रदेश की स्थिति किस तरह की थी, प्रदेश की जनता भलीभांति जानती हैं । यह भी कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजनायें नहीं चल रही हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश में जो परियोजनायें आई हैं, उसमें कृभको की फर्टीलाइजर फैक्ट्री, जो गोरखपुर में लग रही है, वह 1600 करोड़ रु० की है । इसी तरह भारत पेट्रोलियम की इलाहाबाद में रिफायनरी लग रही है जो 7000 करोड़ रुपये की है, इसी प्रकार भारत पेट्रोलियम की

बीना–कानपुर पाईपलाइन जो ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात व कानपुर शहर को कवर करेगी, लग रही है, यह परियोजना 453 करोड़ की है।

मान्यवर, आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण नहीं है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार सुरक्षा का माहौल देने के लिए कृतसंकल्पित है और हमने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है कि सरकार पूरी सुरक्षा की गारन्टी दे रही है और प्रत्येक जनपद में पुलिस अधिकारी को योजनाबद्ध ढंग से लगाया गया है कि वह उद्यमियों की सुरक्षा की चिन्ता करें। अवस्थापना की बात कही गई। मान्यवर, बताना चाहता हूं कि अवस्थापना कोष की स्थापना कर दी गई है और उद्यमियों को सुविधा देने के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस बजट पर प्रतिपक्ष की ओर से अच्छे सुझाव आये हैं, यह सरकार उनका स्वागत करता है।

हमारी सरकार औद्योगिक विकास के लिये प्रयत्नशील है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार अपने कार्यकाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके दिखायेगी, जिसका आपको भी स्वागत करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी जी व श्री सी० एन० सिंह जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

चन्द्रनाथ जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, जिन उद्योगों के बारे में मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के दौरान नाम गिनाये हैं, जिनको बन्द कर दिया गया है, अगर उनको यह सरकार चलाने को तैयार हो जाय और कर्मचारियों को समायोजित करने की बात कहे, इसकी घोषणा कर दे और यदि इसके लिये वह और धन मांगे तो हम तैयार हैं और तब हम कटौती प्रस्ताव भी वापस ले लेंगे, लेकिन अगर नहीं तैयार हैं तो हम कटौती प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,78,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,22,91,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,07,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

* लघु उद्योग, निर्यात एवं प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबूराम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,83,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,02,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,43,70,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री बाबूराम एम० काम०–

महोदय, प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को संतुलित एवं सुदृढ़ बनाने एवं क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा प्रदेश में सर्वांगीण विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका है । मार्च, 98 तक प्रदेश में 3.42 लाख लघु उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 3231 करोड़ रु० का पूंजी विनियोजन तथा 14.20 लाख का रोजगार सृजन हुआ है । प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग में 44.848 इकाइयां स्थापित हैं तथा 7,51,050 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है । इस प्रकार कुल 21.71 लाख का रोजगार सृजन हुआ ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष 98-99 में कुल 32600 लघुतर इकाइयां पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है । हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में भारी, मध्यम तथा लघु उद्योगों का समन्वित एवं सामन्जस्यपूर्ण विकास हो । सभी सेक्टर एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी के रूप में नहीं बल्कि सहायक, पोषक तथा पूरक के रूप में विकसित हों ।

मान्यवर, वर्ष 1998-99 में हमारी रणनीति मूल रूप से एक नये पर्यावरण को सृजित करने के प्रति केन्द्रित होगी । वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना की योजनायें चलायी जा रही है। इन समस्त योजनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने एवं डवटेलिंग करते हुये जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र में "स्वरोजगार बन्धु" की स्थापना का निर्णय लिया गया है । बेरोजगार युवकों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना संचालित की जा रही है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० की स्थापना 20 जनवरी, 1966 को हुई थी । निगम द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरों में 6 एवं प्रदेश के बाहर 9 कुल 15 गंगोत्री प्रदर्शन कक्षों का संचालन किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि० कानपुर की स्थापना लघु औद्योगिक इकाइयों को उनकी मांग के आधार पर कच्चा माल उपलब्ध कराना विपणन में सहायता प्रदत्त करना तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन हेतु एक पूर्ण कम्पनी के रूप में जून, 1958 में की गयी थी । यह निगम प्रगति के पथ पर अग्रसर है ।

श्री राजा राम पाण्डेय–

मान्यवर, खादी ग्रामद्योग क्षेत्र चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं० 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था तदोपरान्त उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं० 64/1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया । इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय उ० प्र० से समस्त खादी ग्रामोद्योगी के योजनाऐं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार परम्परागत कारीगरों गरीब एवं पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को खादी ग्रामद्योग की इकाईयां स्थापित कर स्वरोजगार उपलब्ध करा रहे हैं । अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1998 तक 2.88 लाख ईकाईयां स्थापित करने के लिए 275.71 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है । जिससे 6.47 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विस्तृत विवरण तो दिया है, सभी को सामग्री मिली है । अब आगे लें ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है उसके द्वारा परम्परागत कुशलता एवं कलात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ समाज के बेरोजगार एवं निर्बल वर्ग के लोगों को वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है । वर्ष 1996 की गणना के आधार पर कुछ बुनकरों की संख्या 7.10 लाख है । करघों की संख्या 2.33 लाख एवं कुल पंजीकृत समितियों की संख्या 4999 है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

इस पर कटौती प्रस्ताव मान्यवर, रखा दें । कार्यक्रमों की जानकारी तो पुस्तिका में दी हुई है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाएं । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज देश में बुनकरों की संख्या किसानों के बाद सबसे ज्यादा है, और यह सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जो किताब दी है जिसमें बुनकरों का विकास हो उसमें कोई योजना प्रस्तुत बजट में नहीं की गई है । इससे ज्यादा अफसोस की दूसरी बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) मान्यवर, इस पुस्तिका को पढ़ने से ऐसा लगा कि इस सरकार की कोई दिलचस्पी बुनकरों के बारे में नहीं है, क्योंकि जो पुस्तिका छपी है उसमें न तो बुनकरों की तादाद का उल्लेख है न उनकी कोई योजना है । मैं जानना चाहता हूं कि जो विभाग मंत्री जी देख रहें हैं, वह सिर्फ यह बता दे कि पूरे प्रदेश में हैण्डलूम और पावर लूम की तादाद क्या है ? माननीय मंत्री जी को तादाद भी मालुम नहीं होगी कि पूरे प्रदेश में हैण्डलूम एवं पावर लूम की कितनी समितियां हैं । पूरे देश में जो कपड़ा बनता है और उत्तर प्रदेश में 72 फीसदी हैण्डलूम व 20 फीसदी पावरलूम से बनता है और 8 प्रतिशत मिलों पर बनता है । लेकिन पूरे बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है । उनके लिए कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है । जबकि 90 प्रतिशत लोग इन्डीवीजुअल (व्यक्तिगत) काम करते हैं और अपनी पूंजी पर निर्भर है । सरकार के रहमों करम पर नहीं है । वह अपनी पूंजी पर निर्भर है सरकार के रहमो करम पर नहीं हैं । हथकरघा दस्तकारी उनके काम का सबूत है । सरकार का रहमों करम उस पर नहीं है न उनके विकास की कोई योजना चलाई गई है और न कोई सहायता दी गई है ?

आज टैक्सटाइल इन्डस्ट्री एक मछली मण्डी की तरह हो गई है । जैसे मछली मण्डी में जहां तो हर एक मछली अलग वजन की अलग साइज की मिलेगी वैसे ही टैक्सटाइल इन्डस्ट्री की हालत है, उसमें न क्वालिटी मिलेगी न स्टैन्डर्ड मिलेगा । एक सिगरेट की डिब्बी में जो दस रुपये की मिलती है । उसका साइज, सिगरटों की संख्या वगैरह लिखी होती है । लेकिन टैक्सटाइल इन्डस्ट्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह रोजाना सुबह को सूरज निकलता है दिन में तीन बार (यार्न) सूत के दाम बढ़ते घटते हैं । मान्यवर, रूई साल में एक बार पैदा होती है, तो कम से कम तीन महीने के लिए यार्न के दाम तय कर दें । मान्यवर, बनुकरों के लिए कोई काम नहीं किया गया ? कहा गया था कि बुनकरों को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन न बजट में इसका उल्लेख है न इसके लिए रुपया दिया गया है । भारत सरकार की राज्य सरकार की एक बुनकर कालोनी बनाने की योजना थी उसके लिए 7 करोड़ रुपया दिया गया था । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पैसे को दूसरे मद में खर्च कर दिया ।

आज भी अमरोहा में पैसे का बंटवारा हो रहा है और फंड का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, बुनकरों के कर्जे माफ करने की स्कीम चलाई गई थी बुनकरों पर 46.15 छयालिस करोड़ पन्द्रह लाख का कर्ज था, इसके पहले गर्वनर रूल में कहा गया इसको माफ कर दिया जायेगा । प्रधान मंत्री ने कहा माफ कर दिया जायेगा, राज्यपाल महोदय ने कहा माफ कर दिया जायेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा माफ कर

दिया जायेगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 24 करोड़ रुपया दे दिया लेकिन सरकार ने उस पैसे को दूसरी मद में खर्च कर दिया और बुनकरों के कर्ज माफ नहीं किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि 24 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने दिया था, वह कहां गया ? आज बुनकरों का कर्जे के मामले में उत्पीड़न हो रहा है । आज बुनकर को रिकबरी के नाम पर जीप में बैठाकर जेलों में बन्द किया जा रहा है और केन्द्र सरकार ने जो 24 करोड़ रुपया दिया था, उससे लोग ऐश की जिन्दगी गुजार रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वह 24 करोड़ रुपया जो कर्ज के नाम केन्द्र सरकार ने दिया था, वह पैसा कहां है ? उत्तर प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं और उनकी खराब स्थित को देखते हुये एक राम सहाय कमीशन बैठाया गया था । उसने रिपोर्ट दे दी है कि बुनकरों की यह समस्यायें हैं ।

एक समस्या तो उनकी पूंजी की और दूसरे उनके माल की निकासी की है । वर्ष 1973 में यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन कायम किया गया था । आज यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन एक सफेद हाथी की तरह बनकर खड़ा है । अगर मुझसे कोई यह पूछे कि भ्रष्टाचार का अड्डा कहां है । तो मैं यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन को बता दूंगा ? आज इस कारपोरेशन में लगभग 200 करोड़ रुपये का माल शार्ट है, यह बात बुनियाद हुसैन नहीं कह रहा है बल्कि जो आडिट की रिपोर्ट है, उसमें यह बात आयी है । किसी में 42 लाख, किसी में 33 लाख और कम से कम 30–30 लाख रुपये का माल हर शो-रूम में शार्ट है और अन्दाजन 200 करोड़ रुपये के आस-पास बैठता है । इससे आप समझ लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार है ? यह वह कारपोरेशन है जिसने 500 करोड़ रुपये का गबन किया, भारत सरकार से जनता धोती के नाम पर ले करके फर्जी बिलिंग करके उस पैसे को खा गये और फर्जी विलिंग दिखाकर उस पैसे का यूटिलाईज कर लिया गया । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जितना ज्यादा गबन किया है, वह उतने ही बड़ी कुर्सी पर बैठा है । 6 महीने से कर्मचारियों को तन्ख्वाह नही दी गयी है ।

(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा सुझाव दिये जाने का आग्रह करने पर शोर/व्यवधान)

इसको भी आप सुनिये, उसके बाद सुझाव भी दूंगा । मान्यवर, एक संस्था यूपिका है, यह सरकार की नहीं है, बल्कि बुनकरों की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा है । यह अलग बात है कि जब बुनकरों का कोई प्रतिनिधि अध्यक्ष या चेयरमैन बन जाता है, तो कोई न कोई आरोप लगाकर उसको हटा दिया जाता है या सस्पैंड कर दिया जाता है ।जनप्रतिनिधि को हटाना इनके बांये हाथ का काम है । मान्यवर, जो बड़े-बड़े [xxx] बैठे हैं ।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा आपत्ति किये जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, [xxx] शब्द संसदीय नहीं है, इसे कार्यवाही से हटा दिया जाये ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, यह बिल्कुल संसदीय शब्द है ।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द संसदीय है या नहीं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा लेकिन यह शोभनीय नहीं है ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक सीमा होती है इन्होंने इधर इशारा किया। यह इस शब्द को वापस लें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, संसदीय कार्य-मंत्री जी इसको वापस ले लें, मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि इस पुस्तक में कुछ बुनकर वह बूदी फण्ड के नाम से प्रकाशित किया गया है। बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बुनकर के स्वास्थ्य के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, चश्मा बनाने के लिए, पढ़ाई और शादी के लिए ऐसा लगा यह बड़ी सहायता कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बुनकर वह बूदी फण्ड सरकार का है जबकि एक नया सिक्का भी सरकार से लेना देना नहीं है। हमने बुनकर गरीब मजदूरों की गाढ़ी कमाई का पैसा जमाकर यह फण्ड बनाया है, सरकार कभी मदद नहीं करती है। मात्र दावा करती है। बुनकर अपनी वह बूदी के लिए फंड जमा करता है यह कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। आपने कभी दो रुपए किसी बुनकर को चिकित्सा के लिए नहीं दिए हैं, कभी उनकी बीमारी में एक टेबलेट नहीं दी है, कभी किसी की शादी में बुनकरों को कोई मदद नहीं की है ? मैं अपना कटौती का प्रस्ताव न रखता अगर सरकार इनकी वह बूदी के लिए ठोस कदम उठाती। कोई योजना बनाती बजट में।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

उत्तर प्रदेश में बुनकरों की 10 प्रतिशत तादात ऐसी है जो कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। यहां 4600 कोआपरेटिंग सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। सबसे शर्मनाक और अफशोस की बात यह है कि इस सरकार में 90 प्रतिशत सोसाइटियां मरणावस्था में हैं। मरी पड़ी हैं। 10 प्रतिशत आज काम कर रही हैं। इसका कारण यह है कि इनकी गलत पालिसी के कारण जानबूझकर ऐसे कानून बनाए जिससे इन सोसाइटियों ने दम तोड़ दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हैण्डलूम विभाग की जो समितियां रजिस्टर्ड होती हैं, उसमें फोटो लगाने का प्राविधान कर दिया लेकिन अल्पसंख्यकों की औरतें पर्दानशीन होती हैं वह फोटो नहीं लगाती इसलिए ऐसी सोसाइटियों को डिफाल्टर घोषित कर दिया। जितनी खादी ग्रामोद्योग की सोसाइटियां हैं सबमें फोटो लगाने का प्राविधान नहीं है यदि कर दिया होता तो इसमें भी हम स्वीकार कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब अपनी बात समाप्त करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

इस सरकार में साहस नहीं है कि हैण्डलूम की तरह सबमें फोटो लगाने का प्राविधान कर दे । हैण्डलूम के साथ इनका सौतेला व्यवहार है । बुनकरों की हालत आज बड़ी खराब है । पूंजी उनके पास नहीं है । आज जिनके हाथों में दस्तकारी है वह मजदूरी करने का काम कर रहे हैं । वह पत्थर तोड़ने को मजबूर है । जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी सेहत के लिए खाने को अच्छी-अच्छी चीजें दी जाती है । दूध फल दिया जाता है । लेकिन बुनकरों पर इनकी जुल्म सितम जरीफी अभी चल रही है । बुनकरों के ऊपर जुल्म का बोझ लादा जा रहा है । पूरे प्रदेश में इनकी राहत देने की कोई योजना नहीं है । पूरे बजट में न तो बुनकरों को कर्ज देने की बात है न उनके माडर्नाइजेशन की बात है । तमाम बीमार मिलों के आधुनिकीकरण किये जा रहे हैं इसी तरह हथकरघों को भी आधुनिक बनाया जावे ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

न कोई बजट में प्राविधान किया गया है । आज बुनकरों का करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम तथा यूपिका के ऊपर बकाया है । इन गरीब बुनकरों का माल तो खरीद लिया गया परन्तु आज 2–2 साल हो गये हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया है । आज उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हैं, उनकी हाथों में मेंहदी नहीं लग पा रही है और सिसकियां लेकर वह दम तोड़ रही हैं, इसलिये यदि इस सरकार में हिम्मत है और माननीय मंत्री जी में हिम्मत है, तो वह आज इस सदन में घोषणा करें कि 6 महीने में हम एक-एक बुनकर का पैसा अदा कर देंगे । वरना मैं जानता हूं कि आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । यदि आप उनका भुगतान 6 महीने के अन्दर देने की यहां पर घोषणा कर देंगे तो मैं समझूंगा कि यह सरकार बुनकरों के प्रति संवेदनशील है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद । मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि मैं अंतिम वक्ता हूं, इसलिये आप कृपा पूर्वक मुझे कुछ समय देंगे । सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे एक दुखद आश्चर्य हुआ कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उद्योग मंत्री की हैसियत से जो मैराथन स्पीच पढ़ी, बिना सांस लिये, मैंने उनके कुछ कुतर्कों को भी सुना कि क्या सिंगल बिंडों सिस्टम है और क्या सिंगल टेबल सिस्टम अन्डर वन रूफ है । मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रदेश का औद्योगीकरण राजनीत से ऊपर उठकर एक मुद्दा है । भाई अम्दरीष कुमार जी ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो एक कल्पना की गई थी कि करोड़ों नौजवानों के खाली हाथों को काम मिलेगा । बेसक फंडामेंटल राइटस इसको नहीं बनाया गया परन्तु संविधान में हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी है, उसमें प्रदेश का यह दायित्व है कि रोजगार के अवसरों का सृजन करें । इससे पहले हम सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी का सम्मान नहीं करती थी ।

हम लोग सुनते थे कि उनकी नीतियों का विरोध करते थे । इससे ज्यादा और गम्भीर बात है कहूंगा तो हंगामा होगा । इसलिये नहीं कह रहा हूं । लेकिन श्रीमन्, मुझे आज आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर कि जिस दर्शन का गांधी जी ने जीवन पर्यन्त प्रचार और प्रसार किया–खादी का, काटेज इन्डस्ट्री का, विलेज इन्डस्ट्री का, बुनकर का, उस सेक्टर की बात सुनने का धैर्य माननीय मंत्री जी में नहीं है । यह मुझे बड़ी शर्मनाक बात लगी आपके लिये । मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के यदि औद्योगीकरण की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हिस्सा है, आइसोलेशन में रखकर किसी वाटर टाइम कम्पनियों में रखकर नहीं कर सकते हैं कहीं न कहीं, देश के रिसपेक्ट में रखना होगा ? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी मान्यवर, आप विद्वान हैं, मेरा संरक्षण करेंगे । आप नजर डालें । यह औद्योगीकरण की बात करते हैं ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर जो औद्योगिक श्रमिक हैं कर्मकार, जो इन्डस्ट्री में इम्प्लायड परसन है, वह साढ़े छः व्यक्ति प्रति हजार है। मैं कहना चाहता हूं आज भी अगर कोई यह कहें कि बड़े 10,12,20 भारी उद्योग लगाकर उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण कर देंगे तो मैं इस विचार धारा को, चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि यह कदाचित् सम्भव नहीं है। जहां तक प्रदेश के औद्योगीकरण का सवाल है, हमको औद्योगीकरण को 2/3 सेक्टर में बांटना होगा। एक है भारी उद्योग जिसे हम कह लेते हैं। कैपिटल इन्सेन्टिव कह लेते हैं। इसमें भारी रकम लगानी पड़ती है। एक है लेबर इन्सेन्टिव जिसमें पूंजी कम लगती है लेकिन मानव हाथ ज्यादा काम करते हैं। जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही लाखों करोड़ों लोग सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जिसकी आबादी 16 करोड़ है, का वास्तव में औद्योगीकरण करना है तो इसमें लेबर इनसेन्टिव इन्डस्ट्री लगाने की बात भी करनी होगी। 2,4,10 खोल दिये जायेंगे ऐसे आंकड़े देकर भला होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि रेशम उद्योग मंत्री जी हैं धैर्य से सुन रहे होंगे। गीडा, नोयडा की बात कर दी, उत्तर प्रदेश की इतिश्री बात हो गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री मुन्ना चौहान–

मेरे स्वभाव में नहीं है उत्तेजित होना लेकिन किसी चीज को समझने की कोशिश करे अपनी अज्ञानता की ब्राडकास्टिंग मत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जानते हैं इस बात के लिये आप 100 करोड़ रुपये, पांच हजार करोड़ रुपये पूंजी निवेश की बात कर लीजिये। फर्ज कीजिये मैं उत्तरांचल की बात करूं लाखों करोड़ों रुपये कैपिटल होते हुए भी आप वहां पर भारी उद्योग नहीं लगा सकते हैं। हैवी मशीनरी, इक्यूपमेंट का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे उद्योग लगायेंगे ? लेबर इन्सेन्टिव उद्योग लगायेंगे तो लाइट मशीनरी काम आयेगी। यह विजन होना चाहिए। मैं ऐसे जनपद और ऐसे विधान सभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। जिसको इस बात का गौरव हासिल है, हिन्दुस्तान के अन्दर कि बेहतर क्वालिटी का रेशम हमारे यहां पैदा होता है। रेशम मंत्री जी इस बात को जानते हैं। रेशम को बढ़ाने के कार्यक्रम की आउटलाइन क्या होगी ? अभी मंत्री जी उछल-उछल कर कह रहे थे मैं जानना चाहूंगा, मान्यवर, हम किसी न किसी बात पर पर्यावरण का जिक्र रोज करते हैं। श्री बी० आर० वर्मा जी औद्योगिक इकाइयों और पर्यावरण के बारे में कह रहे थे। लाखों लोगों को रोजगार रेशम की वजह से मिलता है। लोग घरों में रेशम के कीड़े पालते हैं।

(व्यवधान)

आज देहरादून के अन्दर, मैं नहीं कह रहा हूं भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है वहां ज्यूलौजिकल सर्वे कराया गया वह बहुत सेंसटिव क्षेत्र है...

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

थोड़ा समय दे दें। मान्यवर, मैं कह रहा था जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है यह बहुत ही सेंसटिव है...

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

दिल दिमाग से पैदल लोग इस तरह की बात की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें । चौहान जी समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

आप जानते हैं मैं उत्तेजित नहीं होता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी का जो कहना है, वह इनकी खुद की मानसिकता को दर्शाता है । इनके सोचने का स्तर कहां तक है ? मान्यवर, इकोलौजिकल फ्रैजाइल जोन है...

एक माननीय सदस्य–

यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं ।

डा० बकार अहमद शाह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आचरण को सुधारने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इतनी देर में तो माननीय चौहान जी का भाषण समाप्त हो जाता । सत्ता पक्ष से भी भाषण होते हैं और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होता है । तो विरोध पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होती है और जब विरोध पक्ष की तरफ से कोई भाषण में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें, तो सत्ता पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शांतिपूर्वक सुनें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री हैं । वहां पर जो इण्डस्ट्रीयल स्टेट हैं । उसका उन्होंने दौरा किया, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए दिशा निर्देश दिये । जो इकोलौजिकल फ्रेजाइल जोन हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से और पर्यावरण विभाग की तरफ से ऐसी सूची जारी की गयी जिसे हरी सूची कहा गया। इस सूची के अन्तर्गत केवल हरी सूची के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं । मान्यवर, मुझे लोगों ने अपने क्षेत्र से इसलिए चुनकर भेजा है कि मैं इसके अन्तर्गत कोई बात कहूं ? और औद्योगीकरण की बात अगर मैं यहां पर नहीं करूंगा तो कहां पर करूंगा ? मान्यवर, उत्पाद की बात कही गयी । जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर इकोलौजिकल फ्रेजाइल जोन है वहां पर इसकी वजह से भारी उद्योग नहीं लग पा रहे हैं । सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं आयी है ।

मान्यवर, जो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दी जाती है मैं उसका विरोध करता हूं । हम लोग पचास हजार की, चार लाख की सब्सिडी देते हैं लेकिन होता क्या है ? उसका दुरुपयोग किया जाता है । जिनको सब्सिडी दी जाती है वह उद्योग बंदकर भाग जाते हैं । हमें सब्सिडी वह दें

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लेकिन बिजली के रूप में दे और ऐसी चीजों पर दें जो कि जेबों में न जा सके । कारखाने में उसका उपयोग हो सके । 5 वर्षों तक सौ प्रतिशत पावर सब्सिडी दे । मान्यवर, इलेक्ट्रानिक ऐसा उद्योग है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में लग सकता है । यूरोप के अन्दर जो तरक्की इस उद्योग ने की वह इसी वजह से की । आपने यह कहा कि हम आगरा में लगायेंगे । अगर आप वहां पर लगायेंगे तो आपको ए० सी० लगाना पड़ेगा । पहाड़ों में तो प्राकृतिक रूपसे ए०सी० होता है । मान्यवर, यह इस सदन की जिम्मेदारी है कि एक ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करें कि किसी तरह से औद्योगिक प्रतीत हो । तभी औद्योगिक क्रान्ति हो सकती है । केवल हम 6.5 व्यक्ति प्रति हजार की बात करें और इतने बड़े सेक्टर को दर किनार करें । तो मैं नहीं समझता कि औद्योगिक क्रान्ति हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जहां पर रेल हैड नहीं होता है, वहां पर भारी मशीनें नहीं लगायी जा सकती हैं । वहां पर छोटी इण्डस्ट्री लगायी जानी चाहिए ताकि उनकी जो मशीनें हैं वह छोटी गाड़ी में पहुंच सकें बाजार तक पहुंच सके, मेरा आग्रह है कि चूंकि 3–3 अलग मंत्री हैं वर्मा जी पूरे विभाग के मंत्री के रूप में इस समय हैं, जो शंकायें हैं, उसका उत्तर देंगे । भारत सरकार में लेबर मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किये हैं जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो आरगनाईज सेक्टर हैं, जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों हैं उसमें । 11 परसेंट की, बजाय बढ़ोत्तरी के, इम्पलायमेंट की कमी आयी है 31 हजार लोग ज्यादा बेरोजगार हुए हैं । औद्योगिक क्रान्ति हो गयी होती, तो रोजगार के अवसर बढ़ते । आई० डी० पी० एल० और बी० एच० ई० एल० यह पहले लग चुके हैं । आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, कृषि के बाद में यह हथकरघा उद्योग सबसे बढ़ा उद्योग है । 1996 की जनगणना के अनुसार करीब 7 लाख 10 हजार लोग बुनकर हैं । भाजपा स्वदेशी के नारे को देकर ही वहां सरकार बना पायी, केन्द्र में यहां बना पायी । हम चाहते हैं कि जो बुनकर हैं, जो हस्तकला है, उनको अधिक से अधिक मदद करें, रोजगार दें और उनका जो सामाजिक आर्थिक जीवन है । उसको ऊपर उठायें । मान्यवर, रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत सभी स्वरोजगार योजना को समेकित किया गया है । वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा इन पुनीत कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हुए इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बुनकरों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का निश्चय किया गया है । प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अन्तर्गत 10,000 बुनकरों को, हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना योजना में 2500 बुनकरों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना/अम्बेडकर रोजगार योजना में 5000 बुनकरों को एवं राज्य हथकरघा निगम तथा यूपिका के माध्यम से और 2500 बुनकरों को रोजगार प्रदान किया जायेगा । इस योजना में बुनकरों को प्रशिक्षण, मार्जिन मनी, करघे/उपकरणों के क्रय, डिजाइन का विकास, छोटे रंगाई केन्द्र की स्थापना, वर्कशेड का निर्माण एवं विपणन सहायता उपलब्ध करायी जाती है । मान्यवर, माननीय अंसारी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही है, इसका निदान एक दिन की तो बात नहीं है हम तो इनके पापों को ढो रहे हैं बुनकरों का खून चूसने का काम जो पिछली सरकार ने किया है वह वाकई शर्मनाक है । हमने कानपुर में एलान कर दिया कि जिस अधिकारी ने बदनाम अधिकारी ने जिस बेरहमी के साथ खून चूसा है, उसको कबीर भवन में उल्टा लटका दिया जायेगा । मान्यवर, 50 सालों में इन बुनकरों के साथ खिलवाड़ पिछली सरकारों ने किया है, वह हम बता देना चाहते हैं, आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को और माननीय सदन को कि आकाश में जो जनता वस्त्रों में हेराफेरी हुई उसमें सीबीआई बैठी हुई है, पूरे कागजात दे दिये हैं । तमाम मामलों में हमने सतर्कता बैठा दी है । जो जांच अधूरी पड़ी हुई थी, आपके जमाने से उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इसमें तेजी से कार्यवाही की जाय । जो बड़े-बड़े अधिकारी रहे हैं, एम०डी० रहे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस दी जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय जो बम्बई में क्षेत्रीय आर०एम०एम० था, मैं खुद गया, जांच कराई और 65

लाख का सरसरी तौर पर घाटा मिला कपड़ों में, सस्पेन्ड कर दिया, एफ०आई०आर० कर दिया । इसके अतिरिक्त तमाम अधिकारी उसमें सस्पेन्ड किये गये हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे । इस तरह से एक अभियान चला दिया है श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में की जितना भी भ्रष्टाचार है, वह दूर हो सके । बुनकर वह बूदी फण्ड की बात कही गयी ।

आप भी मेम्बर हैं, आप जैसा कहते हैं शादी विवाह, बिजली पानी के कनेक्शन की सुविधा जो भी देते हैं आपकी राय में देते हैं । जो उनके आवास की व्यवस्था की बात कही गयी बनारस में 2,000 बुनकरों के आवास बन रहे हैं । जमीन गड्ढे में है उसकी तकनीकी कमेटी बनाई है चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग और चीफ इंजीनियर पी० डल्लू० डी० से जांच करा रहे हैं और कमिश्नर से कह दिया कि अगर जगह उपयुक्त हो तब तो बनेगा नहीं, तो दूसरी जगह जो अच्छी होगी वहां बनेगा । इस तरह से यह सरकार बुनकरों के प्रति सतर्क हैं । उनके आर्थिक उन्नयन के लिए दिन रात प्रयत्नशील है । मान्यवर, हथकरघा निगम के लिए रिबाइबल पैकेज पर वित्त विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है इसमें हमने कहा है हथकरघा निगम को 7 करोड़ की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाय, बैंकों से ऋण साख सीमा को रु० 5 करोड़ से रु० 10 करोड़ तक बढ़ा दिया जाय, समस्त सरकारी कार्यालयों में यूपिका एवं हथकरघा निगम के उत्पादों का क्रय अनिवार्य किया जायेगा, हथकरघा निगम को दिये गये ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जाए और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की जाय ।

यूपिका से भी रिवाइवल पैकेज का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जिस पर वित्त विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है, हमारे निगम और वित्त विभाग से वार्ता चल रही है । मैं स्वयं केन्द्रीय वस्त्र उद्योग मंत्री से मिला था उन्होंने हमें बड़े सहानुभूति से सुना और हमारे सुझाव पर 18 जून को पूरे देश के वस्त्र उद्योग मंत्रियों की कांफ्रेस आयोजित की थी, लेकिन राज्य सभा के चुनाव आ गये और अब यह 3 अगस्त को हो गया है । उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे । यह जो विभाग थे, ज्यादातर केन्द्र की योजनाओं से चल रहे थे । केन्द्र ने जनता धोती योजना बन्द कर दिया ।

कर्ज माफी की बात कही गई उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कर्ज माफी की जो घोषणा हुई थी, उसके तहत अक्टूबर, 1986 से पूर्व लिये गये ऋण, जिनकी अदायगी अक्टूबर, 89 तक न दी गई हो, ऐसे 10 हजार के ऋण माफ कर दिये गये हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस हेतु 28 करोड़ 73 लाख की धनराशि बुनकर भाइयों के लिये अवमुक्त की गई है । इस योजना के अन्तर्गत 40,779 बुनकर लाभान्वित हुये हैं । लेकिन जो इस योजना से आच्छादित नहीं होते थे, उनसे उसी तरह से वसूली हो रही है, जिस तरह से अन्य देयों की होती है ।

मान्यवर, रेशम की बात कही गई, रेशम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में मात्र 37 मीट्रिक टन इस प्रदेश में उत्पादन हुआ है, जबकि चीन ऐसे देश में 90 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है । हमारे देश में ही अन्य प्रदेश जैसे तामिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश इस क्षेत्र में हमसे काफी आगे निकल गये । चीन में हमारे यहां के जैसी ही जलवायु है । हमारे यहां पहाड़ पर सबसे अच्छा रेशम पैदा हो सकता है, लेकिन पिछली सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया, हम इसके माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार देकर विशेषकर महिलाओं की गरीबी को दूर कर सकते हैं । हमारा यह प्रयास है कि हम इसके उत्पादन को बढ़ायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी छतरी योजना के अन्तर्गत रेशम उत्पादन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और इसके लिये सरकार अधिक से अधिक सुविधायें देगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके लिये पत्र भी लिखा गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव को आदेशित किया है कि वह हर जिलाधिकारी को लिखें कि रेशम उत्पादन के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार होना चाहिये, इसके माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं . मान्यवर, मैं माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करूंगा कि वह भी रेशम पर विशेष ध्यान दें । जो भी पेस्टीसाइड्स, विपणन, कीड़ों आदि की सुविधाओं की बात है, वह सरकार करेगी, इस तरह का निर्णय किया गया है और हम हर हालत में रेशम हथकरघा उद्योग के माध्यम से प्रदेश की गरीबी दूर करेंगे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिये । मैं बुनियाद भाई से अनुरोध करूंगा कि यह गरीबों का बजट है, आप भी उद्योग से जुड़े हुये हैं, अतः कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास हो जाने दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लघु उद्योग मंत्री, खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

(किसी के न खड़े होने पर)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं बड़ी उम्मीद लगाये बैठा था कि माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण में उसके बारे में अवश्य जवाब देंगे, जो प्रश्न मैंने किये थे लेकिन अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के हाथ में जो कागज पकड़ा दिया, उसे उन्होंने पढ़कर सुना दिया । मैंने उनका भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना । मंत्री जी केवल यह बता दें कि यह जो बजट पेश किया गया है, उसमें कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का है ? बहुत सी बातें कही गई, बुनकर कालोनी, बनारस में बनवा रहे हैं, आकाश फेडरेशन में सी०बी०आई० जांच कर दी है इससे राज्य सरकार से क्या मतलब है ? बुनकर कालोनी आकाश सी० बी० आई० भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

बुनकरों के लिये कालोनी बनाने के लिये 7 करोड़ रुपया दिया गया और आपने कहा कि बनारस में पानी भर गया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सीतापुर में भी पानी भर गया और अमरोहा में भी पानी भर गया । वह रुपया कहां गया ? बुनकरों का कर्जा 10 हजार है और माफ हो गया 2 लाख रुपया । 24 करोड़ रुपये भारत सरकार ने बुनकरों के कर्जे की माफी के दिये और 22 करोड़ 15 लाख रुपया राज्य सरकार ने दिये । वह पैसा कहां है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बजट प्रस्तुत हो गया और कटौती का प्रस्ताव आ गया आर उत्तर भाषण उसके बाद देना होता है, अब तो यह था कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

वह कह रहे हैं कि यह यह नहीं हुआ, इसलिये कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेगें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं 15 वर्षों से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ बैठ रहा हूं । आपकी विद्धता में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप तो यह भी परम्परा भूल रहे हैं ? कटौती में यह उम्मीद की जाती है कि उनका उत्तर आयेगा । मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

नयी-नयी परम्पराओं से अनभिज्ञ हूं । इससे पहले कभी यह अवसर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

आप सीमित कर लें । आप बता दें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यह सरकार कुटीर उद्योगों को मिटा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है । आप दुहरा रहे हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

बजट में बुनकरों का तो जिक्र भी नहीं है । बुनकरों के नाम पर दो रुपये भी नहीं हैं । हमें बुनकरों को बराबरी का दर्जा चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप यह बतायें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, बुनकरों के हित की योजना इसमें नहीं है इसलिये मैं कटौती वापस नहीं लेता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी उन्होंने अपनी बात कह दी अब हमको अपना काम करने दीजिए।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,83,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,02,13,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,43,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,79,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,79,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 15 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं :–

श्री शिवपाल सिंह यादव	की	जनपद–इटावा में लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्जी भुगतान करके करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा
श्री मानिक चन्द्र यादव तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट	की	की सम्पूर्ण प्रदेश में किसान पशु व्यवसायियों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने तथा पुलिस उत्पीड़न के चलते बाजारों को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि होने के कारण किसान पशु व्यवसायियों तथा मेला व्यवसायियों में व्याप्त भारी असंतोष के संबंध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

श्री राम विशुन आजाद	की	जनपद–गोण्डा की तहसील–मनकापुर के अन्तर्गत सीलिंग भूमि के पट्टे तहसील अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को न देकर अन्य अपात्र व्यक्तियों को दिये जाने के संबंध में,
श्री अजय कुमार पोइया	की	जनपद–मथुरा में मांट खण्ड ब्रांच गंगा नहर में अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में तथा
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की	उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को गृहकर एवं सम्पत्ति कर से छूट दिये जाने के संबंध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निनांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

श्री रामाधार सिंह	जनपद–झांसी में बरुआ सागर के पास परिवहन निगम की बस को बुन्देलखण्ड मुक्ति मोर्चा के आन्दोलनकारियों द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाये जाने के फलस्वरूप 20 लोगों के जलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री श्याम सुन्दर	जनपद–रायबरेली के बछरावां क्षेत्रान्तर्गत चिलौली (सुल्तानपुर) के प्राथमिक विद्यालय भवन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री महेन्द्र कुमार	जनपद–सीतापुर में संचालित 'सबके लिये शिक्षा योजना' के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को स्थानान्तरित किये जाने तथा गांजर क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री राम औतार शाक्य	रेशम निदेशालय गोमती नगर, लखनऊ में साज-सज्जा के नाम पर अनियमित रूप से करोड़ों रुपये व्यय कर भ्रष्टाचार एवं मनमानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं ।

जनपद बागपत में हिन्डन नदी पर निर्माणाधीन पुरामहादेव के पुल के निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद बागपत में हिन्डन नदी पर पुरामहादेव सेतु जिसकी लम्बाई 140 मीटर थी, के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 08-10-91 में रु० 172.00 लाख के लिये प्रदान की गयी थी । स्थल की आवश्यकता अनुसार रु० 208.15 मीटर लम्बे सेतु की आवश्यकता थी जिसके लिए पुनरीक्षित स्वीकृति रु० 307.86 लाख की लागत के लिये दिनांक 17-10-97 को प्रदान की गयी । कार्य की महत्ता को देखते हुए

पुनरीक्षित स्वीकृति की प्रत्याशा में पुरानी स्वीकृति के आधार पर दिनांक 10-06-96 को कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। इतने लम्बे सेतु के निर्माण में लगभग 2 से $2\frac{1}{2}$ वर्ष का समय लगता है और इस प्रकार कार्य पूर्ण करने के लिये सम्भावित तिथि दिसम्बर, 1998 होती है परन्तु इसके महत्व को देखते हुए इसे पूर्ण करने की तिथि 30-06-98 रखी गयी थी। निर्माण के दौरान नींव के एक कुएं में तकनीकी समस्या आने एवं उसके समाधान के उपरान्त निर्माण कार्य करने में समय लगने के कारण सेतु का निर्माण लक्ष्य के अनुसार पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्नगत सेतु में 7 दरें हैं जिसमें से 6 दरों के बीम एवं 2 दरों के डैक स्लैब का कार्य किया जा चुका है तथा शेष बीम, डैक स्लैब का कार्य अक्टूबर, 1998 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कार्य की कुल भौतिक प्रगति 83% है। पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रचलित है। सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 1999 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।]

जनपद–गोण्डा के थाना कटरा अन्तर्गत करनैलगंज कटरा जाने वाले राजमार्ग पर शातिर अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों की जीप से कुचलकर निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरायन पुत्र बेंचू दयाल निवासी भरवा थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 3-7-98 को थाना–कटरा बाजार में लिखित सूचना दी कि उनका छोटा भाई राधेश्याम उर्फ छोटू ग्राम प्रधान थे। दो बार ग्राम प्रधान हुए उनके खिलाफ प्रधानी का चुनाव ग्राम–भुतही, थाना–कौड़िया के निवासी भगवान शरण तिवारी पुत्र राम सुन्दर चुनाव लड़े थे परन्तु वे हार गये। भगवान शरण तिवारी ने तिलक राम तिवारी निवासी भरवा, थाना–कौड़िया की 25 बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए थे किन्तु राधेश्याम उर्फ छोटू ने उक्त भूमि पर तिलक राम तिवारी को कब्जा दिला दिया था। इसलिये भगवान शरण तिवारी राधेश्याम उर्फ छोटू से रंजिश रखने लगे।

दिनांक 3-7-98 को राधेश्याम उर्फ छोटू अपनी मोटर साइकिल से तहसील कर्नलगंज गये थे और वापस आते समय वे अपनी मोटर साइकिल पर पीछे की तरफ श्री ब्रह्मा पुत्र नकदू निवासी इटहिया, थाना–कौड़िया को बैठाये हुए थे। जब राधेश्याम ग्राम–बैजनाथ पुरवा, सा० मवैया के पास करीब 3 बजे दिन में पहुंचे तो मौका पाकर कर्नलगंज के रहने वाले जुगुन मुसलमान की कमान्डर जीप संख्य–यू०पी० 32 एम० 4940 के चालक फरियाद पुत्र मुन्ना निवासी बसोहा थाना–कर्नलगंज व उसके साथी अल्लन उर्फ अख्तर इरशाद निवासी बचईपुरवा, थाना–कटरा बाजार एवं निरंकार उर्फ पण्डित पुत्र देशबन्धु निवासी नचनी थाना–कर्नलगंज तथा भगवान शरण तिवारी पुत्र रामसुन्दर तिवारी निवासी–भुतही, थाना–कौड़िया ने योजना बनाकर उक्त कमाण्डर जीप से राधेश्याम उर्फ छोटू के ऊपर चढ़ा दिया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी तथा पीछे बैठे ब्रह्मा पुत्र नकदू गम्भीर रूप से घयल हो गये जिनको उपचार हेतु तुरन्त पी० ए० सी० कटरा बाजार में दाखिल किया गया जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गयी।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया गया।

श्री नरायन की उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना–कटरा बाजार में मु०अ०सं०–121/98 धारा 302/307 एवं 7 सी० एल० ए० एक्ट बनाम भगवान शरण तिवारी, फरियाद, अल्लन उर्फ अख्तर एवं निरकार उर्प पण्डित के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

पंजीकृत अभियोग के वांछित अभियुक्तों में से फरियाद पुत्र मुन्ना एवं अल्लन पुत्र अख्तर को गिरफ्तार किया जा चुका है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये सघन प्रयास किये जा रहे हैं । उक्त घटना को लेकर किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है ।]

प्रदेश में पशु मेलों में बिक्री हेतु मवेशियों को लाने ले जाने की सरकारी अनुमति के बावजूद जनपद–अम्बेडकर नगर कोतवाली टाण्डा की पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केसल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28/29-6-98 की रात्रि में एस० एस० आई श्री रामसरन यादव कोतवाली टांडा, जनपद–अम्बेडकरनगर हमराही कर्मचारीगण के साथ चेकिंग पिकेट ड्यूटी जुबेर तिराहा कस्बा टांडा पहुंचे कि करीब एक बजे रात्रि को ट्रकों का समूह तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई पड़ा । रोक कर जांच करने पर पाया गया कि कुल 5 ट्रकों में 143 बछड़े क्रूरता पूर्वक निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक लदे पाये गये जो ट्रक चालकों व व्यापारियों द्वारा बंगाल में काटने के उद्देश्य से ले जाये जा रहे थे । क्रुरता पूर्वक लोड किए गये बछड़ों की जान खतरे में थी और इससे बछड़े मर सकते थे । अतः थाना कोतवाली टांडा में मु० अ० सं० 267, 268, 269, 270, 271/98 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत विरुद्ध ट्रक चालक योगेन्द्र कुमार, जयवीर, संजय कुमार, रवीन्द्र, सत्तार एवं व्यापारी असलम, यासीन, साजिद अंसारी व मोहम्मद शाह पंजीकृत करके ट्रक संख्या यू० टी० एक्स० 7743, यू० टी० एक्स० 7437, एच० वाई० के० 1806 यू० पी० 15 डी० 2041 तथा यू० पी० 15 बी० 8220 तथा कुल 143 बछड़ों को कब्जे में लेकर बछड़ों को खाने पीने की व्यवस्था थानान्तर्गत कांजी हाउस में की गयी । इसकेबाद उक्त 143 बछड़ों को गोरक्षा आन्दोलन समिति के विशेष अनुरोध पर समिति के कुल 5 सदस्यों की सुपुर्दगी में नियमानुसार दिये गये । यह उल्लेखनीय है कि बछड़ों को रिलीज करने के संबंध में मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

यह कहना पूर्णतया गलत है कि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है । पुलिस द्वारा विधि के अनुरूप ही कार्यवाही की गयी है । किसी भी जानवर व्यापारी द्वारा उनको प्रताड़ित करने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र आदि पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया गया ।]

नोट :– [ ] यहअंश पढ़ा हुआ माना गया गया ।

मिर्जापुर स्थित टाण्डा फाल बीयर का पानी नहर में न जाकर हर्रई नदी में जाने तथा उससे कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद मिर्जापुर के विकासु खण्ड सीटी में हर्रई नदी पर स्थित टाण्डा फाल के ऊपर सिंचाई के उद्देश्य से वर्ष 1952 में बीयर का निर्माण कराया गया था । इस बीयर से पहाड़ी के ऊपर 1.1 किमी० नहर का निर्माण कर 660 मी० लम्बी पाईप लाइन के माध्यम से पानी को मैदानी क्षेत्र में लाया गया है, जहां से एक और नहर का निर्माण करके सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है । बीयर से निकली पहाड़ी के ऊपर निर्मित नहर का शीर्ष निस्सरण क्षमता 55 क्यूसेक है ।

यह नहर हर्रई नदी के दायें तट पर पहाड़ के ऊपर स्थित है । पहाड़ी भाग में पत्थर के चट्टानों में छोटी-छोटी दरारों के विकसित हो जाने के कारण शीर्ष भाग से ही जल का क्षरण होकर लगभग 30% जल हर्रई नदी में चला जाता है । अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से हर वर्ष मरम्मत का कार्य कराकर जल के क्षरण को कम किया जाता है । इस समस्या के समाधान हेतु नहर को अधिक दिनों तक चलाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । फसल के सूखने अथवा नष्ट होने की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । विभाग को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से धन स्वीकृत कराके बियर को ठीक प्रकार से मरम्मत कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 6 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ
15 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35-36 पर)

क्रम-सं०	आहार सामग्री का नाम	अनुमोदित दरों पर	
1	गेहूं की सफाई, बिनाई तथा पिसाई चार्जेज	1.40	प्रति कि० ग्राम
2	चावल बासमती	16.00	प्रति कि० ग्राम
3	चावल देहरादून	27.00	–तदैव–
4	दलिया प्रथम श्रेणी	13.75	–तदैव–
5	मोहन कार्नफ्लेक	115.00	–तदैव–
6	दाल मूंग प्रथम श्रेणी	29.70	–तदैव–
7	दाल मलका मसूर	28.50	–तदैव–
8	दाल अरहर प्रथम श्रेणी	29.60	–तदैव–
9	शक्कर प्रथम श्रेणी	कन्ट्रोल भाव	
10	वनस्पति घी नं०–1	48.00	प्रति कि०ग्राम
11	मीट फ्रेश	88.00	–तदैव–
12	अंडा मुर्गी का	1.50	प्रति अंडा
13	आयोडाइज नमक (टाटा)	1.50	प्रति कि०ग्राम
14	मसाले मिक्सड	70.00	–तदैव–
15	विजिटेबिल नान लीफी	7.80	–तदैव–
16	आलू	5.90	–तदैव–
17	टमाटर	11.00	–तदैव–
18	प्याज	4.00	–तदैव–
19	अमचूर	55.00	–तदैव–
20	हरा धनिया	7.00	–तदैव–
21	पुदीना हरा	7.00	–तदैव–
22	मुसम्मी	15.00	–तदैव–
23	सेव अच्छी श्रेणी	24.00	–तदैव–
24	संतरा	2.00	प्रति
25	अनार का दाना	33.00	प्रति कि० ग्राम
26	दशहरी आम	18.00	–तदैव–
27	लीची	20.00	–तदैव–

अप्रैल प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	आहार सामग्री का नाम	अनुमोदित दरों पर	
28	पपीता	7.00	प्रति कि० ग्राम
29	मूली	0.75	प्रति मूली
30	खीरा	0.75	प्रति खीरा
31	सलाद	1.00	प्रति
32	केला	10.00	प्रति दर्जन
33	नीबू	0.75	प्रति नीबू
34	ब्रेड 400 ग्राम	6.00	प्रति ब्रेड
35	दही	24.00	प्रति कि० ग्राम
36	किसान फ्रूट जाम	110.00	–तदैव–
37	पोस्टमैन ब्रान्ड रिफाइन्ड आयल	60.00	–तदैव–
38	ब्रुक बान्ड टी रेड लेबिल	115.00	–तदैव–
39	विजिटेबिल लीफी	7.80	–तदैव–
40	दूध एवं मक्खन	पराग डेरी से उनके द्वारा निर्धारित दरों पर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं०–52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43-44 पर

जनपद में स्थापित समस्त चिकित्सालयों की सूची वर्ष 1997-98

क्र०सं०	नाम चिकित्सालय	आयुर्वेद/यूनानी	शैयाओं की संख्या
1	कुर्रियाकलां	आयुर्वेद	बहरिंग
2	नाहिल	,,	,,
3	जरीनपुर	,,	,,
4	धन्योरी	,,	4 शैया
5	ढाईपृथवीपुर	,,	,,
6	गढियारंगीन	,,	,,
7	बस्आपेना	,,	,,
8	कुआडाडायंजन	,,	,,
9	बोरी	,,	,,
10	भरगवां	,,	,,
11	ऊनकलां	,,	,,
12	वरेण्डा	,,	,,
13	विक्रमपुर	,,	,,
14	गुलडियाभपसिंह	,,	,,
15	शोरपुरिकुर्रिया	,,	,,
16	वस्ओपट्टीसनाय	,,	,,
17	सरसवां	,,	,,
18	सरथौली	,,	,,
19	नौसना	,,	,,
20	सण्डाखास	,,	,,
21	वैलाजोग राजपुर	,,	,,
22	निगोही	,,	,,
23	विरसिंहपुर	,,	,,
24	नवादादरोवस्त	,,	,,
25	जलालाबाद	,,	,,
26	शहवाजनगर	,,	,,
27	उगरहा	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम चिकित्सालय	आयुर्वेद/यूनानी	शैयाओं की संख्या
28	तिलहर	आयुर्वेद	25 शैया
29	पुवायां	,,	15 शैया
30	नगर शाहजहांपुर	,,	25 शैया
31	रोजारामापुर	यूनानी	4 शैया
32	दिउरिया	,,	,,
33	कोराकुहयां	आयुर्वेद	,,
34	पण्डरौसिकन्दरपुर	,,	,,
35	डूडवासुन्दरपुर	,,	,,
36	कांट	यूनानी	बहिरंग
37	सिकन्दरपुरकलां	आयुर्वेद	4 शैया
38	कटेती	,,	,,
39	मझला	,,	,,
40	सेहरामऊ दक्षिणी	,,	,,
41	चादापुर	,,	बहिरंग
42	रस्आ	,,	बहिरंग
43	भटपुररसूलपुर	यूनानी	4 शैया
44	कहमरियामत लूबपुर	,,	बहिरंग
45	मीरानुपर कटरा	आयुर्वेद	,,
46	रुद्रपुर	,,	,,
47	जिठौरा	,,	,,
48	रामपुर दक्षिणी	,,	,,
49	खुखुनपुर	,,	,,
50	बुढवाना	,,	,,
51	टापर	,,	,,
52	बनकसारा	,,	,,
53	वेनरुरिया	,,	,,
54	धर्ममंगतपुर बुजुर्ग	,,	,,
55	गुलौरी	,,	,,
56	बाहा	,,	,,
57	बैठाहुरीनपुर	यूनानी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 283 विधान सभा (418)–1998–813 (डी० टी० पी०) ।